राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 10

गुरुवार;

4 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हाथ जोड़ कर खड़े हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : अभी तो हाथ जोड़ रहे हो और फिर बैठते हो नहीं मेरे कहने से।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, साहब, आपका कहना नहीं मानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कुछ लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, बाकी हम लोग तो बड़े आज्ञाकारी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, हम तो आपकी इजाजत बिना खड़े ही नहीं होते।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जिला मुख्यालय जैसलमेर, जैसलमेर में आगार की स्थापना

243. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मात्र चार आगार को छोड़ कर शेष सभी हानि में चल रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पथ परिवहन निगम के घाटे के पश्चात् भी नई बसें खरीदने तथा नये भवनों का निर्माण कार्य जारी है?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्षों में रेवदर तथा श्रीमाधोपुर नये आगार खोले गये हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर व राजसमंद ही ऐसे दो जिले हैं जिनमें एक भी पथ परिवहन निगम का आगार नहीं हैं?

(5) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में करीब एक सौ बसों का आवागमन है तथा सीमावर्ती पर्यटन एवं नया इंदिरा गांधी नहर का उपनिवेशन क्षेत्र खुलने से उक्त में आगार खोलना आवश्यक है?

(6) क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर पथ परिवहन निगम का आगार खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया): (1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2001-2002 (माह फरवरी, 2002 तक) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 5 आगार लाभ की स्थिति में हैं, शेष आगार घाटे में चल रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। सवाईमाधोपुर जिले में भी निगम का आगार नहीं है।

(5) जी नहीं। जिला जैसलमेर में 74 बसों का आवागमन है। जिला मुख्यालय जैसलमेर से आवागमन करने वाली मार्गवार बस सेवाओं की समय सारिणी सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जैसलमेर में आगार खोले जाने के सम्बन्ध में निगम द्वारा सर्वेक्षण करवाकर निगम मण्डल में भी उक्त प्रस्ताव पर विचार कर आगार खोले जाने का निर्णय दिनांक 17.10.2000 को लिया गया था। परन्तु वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति एवं संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण फिलहाल जैसलमेर में उक्त आगार के लिये, लिये गये निर्णयानुसार प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

(6) जी हां। निर्णय लिया जा चुका है किन्तु पूर्व में उल्लिखित कारणों से फिलहाल आगार प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या 2-घाटे के पश्चात् भी भवन बन रहे हैं, क्या यह सही है? भाग संख्या तीन-रेवदर और श्रीमाधोपुर में खोलने के क्या कारण थे? भाग नम्बर पांच-74 बसों का आवागमन है। बजट भाषण 2000 में घोषणा की सूची में जैसलमेर सम्मिलित था। 17.10.2000 को निगम मण्डल के निर्णय की क्रियान्विति में केवल वित्तीय स्थिति जिम्मेदार है या निजी बस चालकों का प्रभाव बाधक है, यह तीसरा? चौथा, क्या यह सही है कि डिपो खोलने हेतु जिला प्रशासन ने 34 लाख की राशि बी.ए.डी.पी. में तथा दस लाख विधायक स्थानीय विकास मद से देने का प्रस्ताव किया था? क्या यह सही है कि गत बीस वर्षों से साढ़े तीन एकड़ जमीन मय चारदीवारी के रेलवे स्टेशन के सामने तथा दस एकड़ भूमि आगार के वास्ते आरक्षित बेकार पड़ी है? छठा, क्या यह सही है कि पर्यटन सीमा क्षेत्र तथा उपनिवेशन में 220 नये गांव राजस्व सृजित हुए हैं, वहां परिवहन की आवश्यकता है? भाग छह, यह स्थिति कब ठीक होगी? जब जैसलमेर में डिपो खोला जाएगा? मान्यवर, 31.3 की घटना कह रहा हूं, मैं तीन सौ किलोमीटर यात्रा करने के बाद पोकरण पहुंचा और जैसलमेर से जयपुर आने वाली बस नहीं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आई। इसीलिए मेरी मांग है कि जैसलमेर में आगार का डिपो खोलना अति आवश्यक है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं जयपुर पहुंच सका, निजी बस में।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा वास्तव में अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो बिलकुल सही है और उसी के अनुरूप इनकी मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपने बोर्ड की संचालन बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि यह डिपो जैसलमेर में खोल दिया जाएगा। अब क्योंकि हमारा रोडवेज घाटे में चल रहा है पूरे का पूरा, वित्तीय संसाधन पूरे नहीं होने के कारण से यह जो निर्णय लिया गया है उसकी क्रियान्विति शीघ्र नहीं हो पा रही। ज्यों ही संसाधन जुटा दिये जाएंगे तभी उसी समय हम डिपो को चालू कर देंगे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बिन्दुवार उत्तर चाहिए। मैंने प्रश्न किये हैं, हर विषय पर मुझे उत्तर चाहिए। मुझे रेवदर और श्रीमाधोपुर में खोलने के कारण बता दें। मुझे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मैंने प्रश्न किये हैं। मैंने हर भाग पर प्रश्न किये हैं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका जवाब दूंगा, निश्चिन्त रहें।

श्री अमराराम (धोद): बाकोलिया साहब, रेवदर और श्रीमाधोपुर के वक्त तो रोडवेज फायदे में था न?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं सभी इनके जवाब दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय घाटा कम था और रेवदर को शुरू करने के बाद प्रोफिट में भी रहा एक साल...

श्री अमराराम (धोद) : घाटे के कारण क्या रहे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : जब आपने रेवदर में खोला उस समय घाटे में था या नहीं? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पहले मैं माननीय सदस्य का जवाब दे देता हूं...

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, आप बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य का जवाब दे देता हूं, आपका भी जवाब...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप बीच में ही खड़े हो रहे हैं। अभी तो वह प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं सप्लीमेंटरी।

श्री अमराराम (धोद) : यह जवाब ही नहीं दे रहे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : प्रश्नकर्ता का जवाब दे देता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में इनके जवाब अगर पूछेंगे तो दे दिये जाएंगे। (व्यवधान)

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने अपने प्रश्न में कहा कि निर्माण के कार्य चल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 2002-2001 में बहुत छोटे-छोटे काम हमने किये हैं, जैसे बस स्टैण्ड, अलवर के अन्दर नाली के निर्माण कार्य के लिए पचास हजार रुपये खर्च किये। बस स्टैण्ड, बानसूर में सिविल कार्य के लिए सोलह हजार रुपये खर्च किये। टौंक आगार बस स्टैण्ड...(व्यवधान) कह रहे हैं न, कहां-कहां कैसे किये, इसलिए बता रहा हूं। बस स्टैण्ड, टोंक पर चारदीवारी के ऊपर 61 हजार रुपये खर्च किये। बस स्टैण्ड, हिण्डौन के अन्दर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सवाल ही कहां है?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ ही नहीं रहा हूं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हिण्डौन के अन्दर विभिन्न...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैं यह डिटेल नहीं पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अप्रासंगिक बात सदन में कह रहे हैं, पूछा ही किसने है इनसे? जो पूछा है वह बात बताएं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने कहा है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो...

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : प्रश्न तो आगार खोलने के लिए पूछा गया है, आप निर्माण काम कहां बता रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य महोदय, अब अगर आप डिटेल नहीं सुनना चाहते हैं, समय मैं भी नहीं जाया करना चाहता। 2001-2002 में पूरे साल के अन्दर सिर्फ 91 लाख रुपये का खर्चा किया गया है और 2002-2003 के लिए प्रस्तावित सिर्फ 140 लाख का ही कार्य लिया गया है। इतने सारे 48 डिपो के अन्दर जो सुधार के काम करते हैं, वह बिलकुल नेग्लीजिबल खर्चा कर रहे हैं। अगर ये डिपो खोलेंगे तो कम से कम एक करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। माननीय सदस्य ने यह जरूर कहा है कि हमने लैण्ड ले रखी है, 1974 में ले रखी है, उसके पेटे पैसे जमा कर रखे हैं। पांच हैक्टेयर ज्यादा ली थी उसमें से दो हैक्टेयर के ऊपर पी.डब्ल्यू.डी. ने अपना कब्जा कर लिया, बाकी की तीन हैक्टेयर जमीन बाकी पड़ी है। दो हैक्टेयर पर जिन्होंने कब्जा किया उसके बदले में हमने मांग की है दस बीघा जमीन जोधपुर रोड के ऊपर। वह जोधपुर रोड पर अगर मिल जाएगी तो उसके बाद में डिपो खोलने के लिए विचार किया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने कहा, कलक्टर ने लैटर लिखा है कि 50 प्रतिशत इसके खर्चे के लिए हम दे देंगे जितना खर्चा होगा लेकिन वह आश्वासन रूप रहा है। न तो दस लाख रुपये इन्होंने रिलीज करके बोर्ड को भेजे हैं, न वहां से 34 लाख रुपये आये हैं। ऐसी स्थिति में...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : साहब, मैंने लिखकर दिया है। मैंने लिखकर दिया है कि दस लाख विधायक फण्ड से पैसा ले लीजिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सदस्य महोदय, मेरे को तो सुन लो फिर बता देना।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बी.ए.डी.पी. की गवर्निंग काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया है, अब क्या चाहते हो इससे ज्यादा? गवर्निंग काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया है 34 लाख का और दस लाख मैंने लिखकर दिया था, यह आपके रिकार्ड में पड़ा हुआ है। 44 लाख रुपये हमने लिखकर दिया है, साहब।

श्री अमराराम (धोद) : रेवदर का आधार बता दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिख करके दिया वह भी मेरे पास रिकार्ड है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : खुद के क्षेत्र में खोल लिया तो कोई गलत काम थोड़े ही किया है? विकास का ही काम किया है, कोई गलत काम थोड़े ही किया है खुद के क्षेत्र में खोल लिया तो? अब अगला नगर में खोलेंगे फिर आपको आपत्ति होगी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बिलकुल यही कह रहा हूं। मैंने कहा, पन्द्रह लाख पर मंथ घाटा होगा, अगर आपका डिपो खोलते हैं जैसलमेर में भी। जो मेरे पास रिपोर्ट आई है टैक्नीकल, उसके अन्दर 15 लाख रुपये पर मंथ घाटा होगा अगर यह चालू किया जाए तो। इसके साथ-साथ में केवल मात्र...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय यातायात मंत्रीजी, आपके तो सारे ही डिपो घाटे में चल रहे हैं, जैसलमेर पर्यटक स्थल है, इसका भी घाटा वहन कीजिये। आपके तो सारे ही डिपो घाटे में चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मंत्री महोदय, जैसलमेर में तो घाटा नहीं हो सकता। जैसलमेर पर्यटन स्थल है, इतने सारे लोग जाते हैं वहां पर, वहां क्या घाटा होगा?

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) घाटा क्या हो रहा है, इसके क्या क़ारण हैं? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : हम तो खुद गये हैं वहां पर।

श्री अमराराम (धोद) : रेवदर में कितना घाटा हुआ, यह बता दें। इससे तो 15 रुपये का घाटा हो रहा है लेकिन...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हम तो खुद ही कह रहे हैं, आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं। एक-एक।

श्री जसंवत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : आप तो बाड़ी में खोल दें, घाटे की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप बाड़ी में खोल दें, घाटे की जिम्मेदारी हमारी है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर, जैसलमेर ने अपने पत्र के द्वारा यह लिखा था कि डिपो भवन के निर्माण हेतु जितनी राशि की आवश्यकता होगी उसकी आधी राशि जिले की चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। 27.9.2000 का लैटर है। उसके बाद में हमारे यहां से भी लैटर उनको दिये गये थे। इनके भी 10 लाख का जो दिया था उसमें हमने एक लैटर लिखा कार्यकारी निदेशक के माध्यम से, वह लिखा है 27.9.2000 को और उसके बाद में एक लिखा है जगदीशचन्द्र, एम.डी. के माध्यम से 12.2.2001 को पैसा रिलीज करने के लिए ताकि कार्य शुरू हो सके। लेकिन पैसा अभी तक, जिस तरीके से इन्होंने कहा उसके मुताबिक रिलीज नहीं हुआ है, उसके कारण से भवन निर्माण नहीं हुआ है। भवन निर्माण होते ही अगर आपका आदेश होगा तो हम तो डिपो खोल देंगे उसी समय। माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, इनके डिपो खोलने का मैं हाउस के माध्यम से और आपके सान्निध्य में जैसलमेर चूंकि एक रिमोटेस्ट एरिया है और वहां पर सैलानी दूसरे सब आते हैं और सैलानियों को हम इस साल ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इसलिए इसी साल के अन्दर इनके डिपो खोल दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो घाटा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, पहले राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपने अपने उत्तर में यह कहा कि 5 आगारों को छोड़ कर शेष राजस्थान में जितने आगार हैं सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुल घाटा इस वर्ष हुआ और इस घाटे के होते हुए भी आप नयी बसें खरीद रहे हैं इसका क्या औचित्य है?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इनसे मिलता-जुलता ही सवाल है, वह भी साथ में दिलवा दीजिये जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि 5 आगार को छोड़ कर बाकी आगार घाटे में चल रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री सुरेन्द्र गोयल : घाटा जो हो रहा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को, यह मंत्रीजी के नालेज में है तो क्या यह घाटा प्राइवेट बसेज के चलने के कारण और आगारों में आपस में सामंजस्य नहीं होने के कारण हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बीच में नही। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह लगातार घाटे पर चिन्ता जाहिर कर रहे हैं और घाटे की जड़ पकड़ना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1964 में रोडवेज की स्थापना के बाद से पिछले 38 साल में सिर्फ पांच साल का दौर ऐसा रहा कि जब किसी जनप्रतिनिधि को रोडवेज के चेयरमैन का दायित्व दिया गया और पूरे पांच साल लगातार रोडवेज मुनाफे में चलता रहा जब श्री ज्वालाप्रसाद जी अध्यक्ष थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार रोडवेज के अध्यक्ष पद का दायित्व फिर किसी जनप्रतिनिधि को सौंपने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि पांच आगारों के अलावा सभी आगार घाटे में चल रहे हैं तो क्या ये आगार घाटे में चलने के पीछे प्राइवेट बसेज का चलना है, और जो आगार हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं होना, यह दो कारण हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा कारण घाटे का है? यह बताने की कृपा करें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रोडवेज का जो घाटा है उसमें अवैध संचालन के कारण कितना घाटा निगम में मानते हैं? और दूसरा, राज्य सरकार ने जो छूट दे रखी है विभिन्न तरह के वर्गों को, उनकी बकाया राज्य सरकार पर निगम की कितनी है और वह लेने के लिए निगम ने क्या प्रयास किया?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, घाटे में होते हुए भी बसों के खरीदने की बात कही है तो यह तो निरन्तर प्रक्रिया है, बसों की पोजीशन रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जब रिप्लेसमेंट होता है तो घाटा कम होता है। नयी बसों के ऊपर तीन साल तक कोई भी ओवरहैड चार्जेज, मेंटीनेंस चार्जेज नहीं लगते हैं, इसके कारण से बसें खरीदते हैं। बसें जो खरीदी हैं उसमें हमको हमेशा लाभ हो रहा है। आप कहें तो मैं बता भी दूं कि कब-कब कितनी बसें नयी खरीदी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके आने के बाद क्या हुआ? रोडवेज की क्या दशा हुई? आपके पधारने के बाद में रोडवेज की क्या दशा हुई?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इस साल हमने कम से कम 25 करोड़ रुपये की हानि को कम किया है। निरन्तर जो आप कह रहे हैं, 256 करोड़ रुपये के लगभग अपनी हानि हुई है अब तक कुलमिलाकर।

श्री मोहन लाल मोदी : इसमें इनका भी घाटा आ गया कि नहीं? 8 साल का समय इनका भी आ गया न उसमें?

श्री छोगाराम बाकोलिया : 8 साल सभी इनका आ गया है। जो माननीय सदस्य ने कहा, 1986 से लेकर अब तक लगभग हमेशा यह रोडवेज अधिकतर घाटे में भी रहा है और कभी कभी मुनाफे में रहा है। जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, वास्तव में ज्वालाप्रसाद जी शर्मा साहब जब हमारे रोडवेज के चेयरमैन रहे थे 1967 से लेकर 1972 तक, उस समय लाभ में ही रहा है। उसी प्रकार से एम.डी. कोरानी जी के टाइम में भी लाभ में रहा है और महेन्द्र सिंह जी के टाइम में भी 38 करोड़ के लाभ में रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अब घाटे में क्यों रह रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : निरन्तर अभी घाटे का कारण यह है कि एक तो पे-कमीशन के कारण से तीन करोड़ रुपये पर मंथ ज्यादा अपने को सैलेरी के रूप में देने पड़ते हैं। डीजल के भाव 1990 से लेकर एक दशक के अन्दर चार गुना बढ़े हैं और चार गुना बढ़ने के कारण 1997-98 के अन्दर...(व्यवधान) सुनिये तो सही। 1997-98 के अन्दर डीजल के भाव बढ़ने के कारण से 22 करोड़ रुपये पर साल हमारे को एक्स्ट्रा खर्चा वहन करना पड़ रहा है। ये दोनों कारण ऐसे हैं कि जिसके कारण 22 और 36, 58 करोड़ का घाटा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, 58 करोड़ की रिकवरी हेतु 4500 बसों के संचालन के अन्दर न तो हम बसों का किराया बढ़ा सकते हैं और न कोई और पोजीशन कर सकते हैं। आम जनता के हित में यह काम्पीटिशन भी कर रहे हैं, लेकिन 58 करोड़ का लाइलाज जो घाटा है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे एम.डी. इस साल विशेष प्रयासों के माध्यम से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सुपरविजन बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जिसके कारण इनके टाइम में भी 12 करोड़ से ज्यादा लाभ हो गया है एम.डी. के लगने के बाद में और टोटल हानि 25 करोड़ कम की है। तो हमारा निरन्तर प्रयास रहा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि विभाग के मिनिस्टर, ज्यादातर ट्रांसपोर्ट विभाग से सीधा सम्बन्ध रखते हैं और यह आटोनामस बाडी है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अन्दर जो 362 करोड़ रुपये पहले आपके टाइम से टारगेट था, उसको बढ़ा कर हमने आज 560 करोड़ रुपये कर दिया है और इस बार हमने 10 करोड़ ज्यादा दिये हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : टैक्स बढ़ाकर इन्होंने क्या तीर मार दिया? टैक्स कर दिया दुगना। और बढ़ा दो तो एक हजार करोड़ हो जाएगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : टैक्स के अन्दर किसी को नुकसान नहीं हुआ है और

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

न किसी प्रकार की चिन्ता आज दिन तक आम जनता के अन्दर आयी है कि हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया। बहुत नामीनल टैक्स लगाया है और बिलकुल...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड सवाल है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अच्छे तरीके से लेकर 560 करोड़ हमने राजकीय कोष में जमा कराये हैं। कोई भी एफीशिएंसी में कमी नहीं रख रहे हैं। हमारा निरन्तर प्रयास है, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को घाटे से उबार कर लाभ में लाने की कोशिश की जा रही है। जो नीतिगत काम है माननीय मुख्य मंत्रीजी उस पर निर्णय लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने दे दिया जवाब। लम्बा जवाब नहीं। श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से सवाल हैं कि यह आपके कभी घाटा होता है और कभी नफा जो होता है, इसके क्या कारण है? आपके कभी नफा होता है और कभी घाटा होता है क्या, मंत्री महोदय, इस पर पाबन्दी रखेंगे? नफा हुआ है तो दुबारा घाटा क्यों होता है, उस पर निगरानी नहीं रखी जाती है क्या?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय, इसके कुशल प्रबन्धन के लिए क्या आप इसे जन प्रतिनिधि को सौंपने का विचार रखते हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है और इसके लिए विकल्प सारे खुले हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने विवेक से जो भी उचित समझेंगें उसके अनुसार निर्णय लेंगे अपने लेवल पर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र बाड़ी से फीरोजाबाद के लिए जो बस चलती है वो प्रोफिट की है...

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि घाटे के कारण से जैसलमेर और राजसमन्द में डिपो नहीं खोल सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय आपने रेवदर में खोला था उस समय रोडवेज कितने प्रोफिट में था और अब रोडवेज कितने घाटे में हो गया जिसके कारण से नहीं खोला जा सकता?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जवाब दे दिया, इस साल जैसलमेर में डिपो खोल दिया जाएगा। इसी प्रकार से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, राजसमन्द भी इसी में है और मेरा पूछना केवल इतना ही था कि जब रेवदर खोला था...

श्री अध्यक्ष : कटारिया जी, रेवदर के बारे में पुरानी विधान सभा में भी काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब यह तर्क आज दिया जा रहा है कि घाटे के कारण से नहीं खुल रहा है तो हम समझना यह चाह रहे थे कि उस समय कितने प्रोफिट में था इसीलिए खोला गया और अब कितने घाटे में है इसलिए नहीं खोला जा सकता?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, डिपो खोलने से कोई घाटा नहीं बढ़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो केवल आंकड़ा पूछ रहा हूं कि जिस समय रेवदर में खोला था उस समय रोडवेज कितने प्रोफिट में था और अब कितने घाटे में आ गया इसलिए आपके पास संकट आ गया? ये दो फिगर बता दो ताकि हमको स्पष्ट हो जाए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : प्रोफिट में तो उस समय भी नहीं था और न आज की तारीख में प्रोफिट में है। 1997–98 से घाटा ही घाटा चल रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस समय जब प्रोफिट नहीं था तब तो आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, जबकि आज दो जिलों में एक भी कहीं डिपो नहीं है। वहां तो पहले से ही सिरोही में था उसके बाद भी आपने खोला और जहां जिले में बिलकुल नहीं है, उसके लिय यह तर्क कि चूंकि हम घाटे में हैं इसीलिए नहीं खोल सकते हैं, यह आपके न्याय को और अन्याय को स्पष्ट करता है। जब पहले घाटे में था तब रेवदर में खुल सकता है तो आज इन दो जिला हैडक्वार्टर तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा स्थान है राजसमन्द, उसके बाद भी उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो घाटे के बहाने से इन जिलों को आप कब तक महरूम रखेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यहां पर रोडवेज का घाटा बताया है 1997–98 में 2398.61 लाख, 1998–99 में 4401.36 लाख, 1999–2000 में 7379.14 लाख, 2000–2001 में 8561.20 लाख और 2001–2002 में फरवरी तक 5473.47 लाख। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि नई बसें खरीदने की निरन्तर प्रक्रिया है, रिप्लेस करते रहते हैं क्योंकि उससे खर्च कम आता है। यह जो उत्तर दिया है इसमें इन्होंने लिखा है, पांचवें नम्बर पर कि वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण आवश्यकतानुसार नई बसें नहीं खरीद पाये इसलिए भी रोडवेज घाटे में रहा है। ये दो बातें यहां कैसे हो सकती हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि नई बसें खरीदी गई हैं...

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : स्पेसिफिक सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं रोज देख रहा हूं कि आप स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं यहां।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल यह है कि जब आप घाटे का बहाना ले रहे हैं कि रोडवेज घाटे में है इसलिए आप इसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो, इस घाटे से उबारने के आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। रोज एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यही पूछ रहे हैं कि इसको घाटे से निकालने के क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना ही है कि जैसलमेर के लिये रोडवेज का आगार खोला जाए। मंत्री महोदय को यह महसूस भी हो रहा है तो यह उसको अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि आगार खोला जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बीच में नहीं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माहिर आजादजी ने अपने प्रश्न के माध्यम से यह पूछा है कि घाटे से उबरने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि निगम की सेवाओं को रीशिड्यूल किया जा रहा है ताकि सेवाओं का समानान्तर संचालन न हो सके। बसों को साफ-सुथरा रखने और बस स्टैण्ड और शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। निगम वाहन सेवाओं की गुणवत्ता यथा समय पाबंदी, ब्रेक डाउन सहित अन्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। बसों के रख-रखाव में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक बस के रवाना होने से पहले पूर्णतः बुकिंग की व्यवस्था की गई है। बसों के अच्छे रख-रखाव हेतु केन्द्रीय कार्यशाला तथा आगार कार्यशालाओं को आधुनिक स्वचालित उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। जयपुर में 27 विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर से सीधे आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा अन्य आगार मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर से बुकिंग की व्यवस्था की गई है। व्ययों में 20 प्रतिशत मितव्ययता करने का संकल्प लिया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन अवैध वाहनों को रोकने के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अवैध वाहनों को रोकने के लिये भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। (व्यवधान) हर महीने अवैध वाहनों को रोकने के लिये कैम्पेन चलाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह कभी से खड़े हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी काफी समय से खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आप पूछ लेना।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आम लोगों में यह राय है कि अवैध वाहनों के संचालन में रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों का हाथ है, क्या यह सही है? मंत्री महोदय हां या ना में जवाब दें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो अवैध वाहन चलते हैं उनके ऊपर अकुंश लगाया जा रहा है, चैकिंग की जा रही है। उन वाहनों के विरुद्ध हमने एक्शन भी लिया है। पिछले साल 128876 वाहनों को चैक किया है, कुल 30277 चालान बनाये। बिना परमिट के 5876 पाये गये, बिना पंजीयन के 1011 पाये गये, परमिट शर्तों के उल्लघंन में 7432 केसेज हुए हैं और ओवरलोडिंग में 5631 हुए हैं जिसके कारण हमें 6 करोड़ 91 लाख की शास्ति प्राप्त हुई है। इस तरीके से वाहनों को जब्त आदि कार्य करके निरन्तर इसकी रोकथाम की जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप हमें तो डांटते हो, आप कहते हो कि पाइंटेड सवाल करो। मंत्रीजी भी पाइंटेड ही जवाब दें। पूरा प्रगति प्रतिवेदन वी.पी. साहब ने भेज दिया और इन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनको कहो कि पूरा प्रगति प्रतिवेदन नहीं पढ़ें, पाइंटेड जवाब दे दें। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके आगे लीडर आफ अपोजिशन नहीं हैं इसलिए आप देख ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां डिपो नहीं खोले हुए हैं...(व्यवधान) जहां डिपो नहीं हैं, बस स्टैण्ड बने हुए हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह।

श्री छोगाराम बाकोलिया : भट्टा तो आपने बैठाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भट्टा आपने बैठाया है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : केन्द्र सरकार ने डीजल के भाव बढ़ा दिये जिसके कारण से एक्स्ट्रा चार्जेज लगे। दोनों के दोनों केसेज में केन्द्र सरकार ने गलत निर्णय लिये हैं, इसलिए भट्टा बैठा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बाड़ी से फीरोजाबाद के लिये एक बस चलती है जिसमें 80 परसेंट अल्पसंख्यक लोग जाते हैं, इसको बन्द करने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजाजी, बैठिए। आर्डर।

श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द एक मार्बल की मण्डी भी है और तीर्थ स्थल भी है। वहां प्राइवेट बसें बहुत भारी तादाद में संचालित हो रही हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या कारण है वहां डिपो नहीं खोलने का?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : वह बस फायदे में है उसके बावजूद भी उसको बन्द करने का विचार कर रहे हैं, इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसादजी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमने अवैध वाहनों को रोकने के लिये प्रयास किये हैं।

श्री बंशीलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द एक तीर्थ स्थल है और मार्बल की मण्डी भी है। वहां बहुत सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। क्या कारण है कि यह डिपो वहां नहीं खुले? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजसमन्द जिला हैडक्वार्टर पर डिपो खोलें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, हमें तो कोई डिपो नहीं खुलवाना है। जहां बस स्टैण्ड बने हुए हैं वहां बसे रुके तो सही। हमें मंत्री महोदय से यह पूछना है कि वहां बस क्यों नहीं रुक रही है?

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजाजी, आपको अनुमति नहीं दी, आप बैठिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमने इल्लीगल वाहनों को रोकने के लिये प्रयत्न किये हैं। आज से कुछ दिन पहले मेरा प्रश्न था... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमें कोई डिपो नहीं खुलवाना लेकिन जहां बस स्टैण्ड बने हुए हैं वहां बसें नहीं रुक रही हैं, उनको आप कब रुकवाने का प्रयास करेंगे?

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बोलने का मौका दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इल्लीगल वाहनों को रोकने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : (व्यवधान) इनका कहना सरासर +++ है। इल्लीगल वाहन दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

पहले मैंने एक प्रश्न रखा था कि दौसा और लालसोट के बीच में इल्लीगल वाहन, जुगाड़ और जीपें बहुत चल रही हैं और जीपों की वजह से कई दुर्घटनाएं घटी हैं। (व्यवधान) आठ-आठ, दस-दस, बीस-बीस आदमी जीपों में बैठते हैं, उनको रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। (व्यवधान) दौसा रूट पर कई दुर्घटनाएं घटी हैं, राजस्थान सरकार को पता है। दौसा और लालसोट में इल्लीगल वाहन चल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : जिनकी वजह से रोजाना दुर्घटनाएं घट रही हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, पुलिस विभाग के कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। 200-250 रुपए प्रतिमाह लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण पढ़ रहे हैं। आप लम्बा भाषण मत दीजिये। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। (व्यवधान) आज जुगाड़ इतने हो गये हैं कि आए दिन सड़कों में से निकलना मुश्किल हो रहा है। (व्यवधान) हमारे मंत्री महोदय यह कहते हैं कि प्रयत्न कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) श्री बंशीलाल गहलोत।

श्री मोहन लाल मोदी : जुगाड़ पर तो कोई रोक नहीं है। न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, न उसको कोई चैक कर सकता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके भी कोई दस जुगाड़ चल रहे हैं, रामस्वरूपजी।

श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : राजसमन्द मुख्यालय पर प्राइवेट बसें भारी तादाद में संचालित हो रही हैं। वहां तीर्थ स्थल और मार्बल मण्डी होने की वजह से यात्रियों का काफी आवागमन होता है। क्या कारण है, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां डिपो न खुले? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा बिलकुल सही मानती हूं। ऐसे में जब जैसलमेर में एक डिपो खोलने का निर्णय लिया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी जिले शेष रह गये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, हमारी पीड़ा भी सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सवाई माधोपुर और राजसमन्द दोनों जगह इसी साल के अन्दर डिपो खोल दिया जाएगा जिससे कि माननीय सदस्य की पीड़ा दूर हो। (व्यवधान)

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

माननीय विधायक ने एक प्रश्न पूछा है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसके अन्दर चैंकिंग नहीं करते हैं, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि 1.8.2001 के द्वारा हमने निर्णय लिया था कि ऐसी जीपें जो ओवर लोडिंग चलती हैं, दुर्घटना रोकने के लिए वाहनों को समय-समय पर चैक करें। उसमें हमने वाहन जांच किए थे, 8 से 14 अगस्त और 27 से 30 अगस्त, 2001 तक 10214 वाहन जांच किए और 2792 चालान बनाये गये। वाहन सीज किये गये। 1139, पंजीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित किये 118 और न्यायालय में प्रस्तुत किये 585. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन आवर है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : लाइसेंस निरस्त किये गये। इसलिए हमारी चैकिंग में कहीं पर भी कोताही नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई डिपो नहीं खुलवाना, हमें कोई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह रामू। (व्यवधान) आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? (व्यवधान) आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बैठिये मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, घोषण करके आये थे और 40 लाख के भवन का उद्घाटन करके आये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई डिपो नहीं खुलवाना। (व्यवधान) लेकिन जो बस स्टैण्ड बने हुए हैं वहां पर कोई बस नहीं रुकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह रामू। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई डिपो नहीं खुलवाना, केवल बसें रुकवानी हैं। (व्यवधान) जहां पर बस स्टैण्ड बने हुए हैं वहां पर बसें नहीं रुकती हैं, गोविन्दगढ़ में (व्यवधान) बसें नहीं रुकती हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ज्ञानदेवजी, आपका प्रश्न इस परिधि के अन्दर ही नहीं है। (व्यवधान) यह आप कहां बसों की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमें डिपो नहीं खुलवाने, केवल बसें रुकवानी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर नहीं देना है। श्री यशवंत सिंह रामू। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है कि राजस्थान सरकार पर निगम का कितना पुनर्भरण बकाया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका दिया या नहीं दिया...(व्यवधान) उत्तर उन्होंने दे दिया है। आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) बीच-बीच में नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से व्यवधान नहीं डाल सकते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कि राज्य सरकार पर निगम का कितना बकाया है, जो पुनर्भरण के लिए है और जिसमें बहुत बड़ा घाटा, इस बात से बढ़ रहा है? आप बता दीजिए, राज्य सरकार पर निगम का कितना बकाया है। (व्यवधान) जिससे बहुत बड़ा घाटा बढ़ता दिखाई दे रहा है? (व्यवधान) राज्य सरकार उसको पुनर्भरण नहीं कर रही है। कम से कम 150 करोड़ रुपये हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको कोई रिप्लाई नहीं देना है। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर रोडवेज के घाटे की बात हो रही है, एक बड़ा ही गम्भीर मामला है जो श्री दुर्गाप्रसादजी ने उठाया कि अवैध वाहनों के कारण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शार्ट में क्वेश्चन पूछिए। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गम्भीर तो है, आप वह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह खबर कहती है कि दुर्गालाल दे दो, दो लाख ले लो। (व्यवधान) दुर्गालाल दे जाओ और दो लाख ले जाओ। गंगापुर वाले कह रहे हैं, यह देखिए आप। (व्यवधान) गंगापुर वाले कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसको कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय सदस्य की साधन नहीं मिलने के कारण से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी बस गंगापुर नहीं चलती। (व्यवधान) माननीय सदस्य के पास साधन नहीं है। आज की मिति तक सदस्य गंगापुर नहीं जा पाये। (व्यवधान) वहां की जनता डंडे ले-लेकर उनको ढूंढ रही है और दो लाख का इनाम रख रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, कृपया आप माननीय सदस्य को कहे कि ऐसा कुछ नहीं करें। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : रोडवेज की बस नहीं चलने के कारण से ऐसी स्थिति हुई है। (व्यवधान) रोडवेज की बस अगर गंगापुर चली जाती...(व्यवधान) प्राइवेट बस में बैठकर गये, बस पंक्चर हो गयी, बस पहुंचा नहीं पायी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इससे कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रोडवेज का मामला है। (व्यवधान) दो लाख की बात होती है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सदस्य गंगापुर बैठकर गये हैं, बस पंचर हो गई। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रोडवेज का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : दो लाख लो और दुर्गा को दो। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रोडवेज का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो लाख की बात...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यहां पर गंगापुर रोडवेज की बस नहीं पहुंची। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, रोडवेज के मामले को कहां से कहां ले जा रहे हैं, आप आगे तो चलाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : आज बड़े-बड़े अखबार यह छाप रहे हैं कि दो लाख दो और दुर्गा को दो। (व्यवधान) यह क्या बात है, हां तो समझ नहीं पा रहे हैं, मामला क्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आखिर में यह माजरा क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : 244.

श्री मदन दिलावर : दो लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? (व्यवधान) दुर्गालालजी को क्यों मांगा जा रहा है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : दुर्गाप्रसादजी गंगापुर होकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन मंत्रियों की क्या...(व्यवधान) तीन मंत्रियों की क्या हालत बनी, जरा पूछो उनसे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : तीन मंत्रियों की क्या हालत बनी, मंत्रियों से पूछना... (व्यवधान) दुर्गाप्रसादजी गंगापुर से बाहर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : दुर्गाप्रसादजी को अन्दर गंगापुर नहीं ले गये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बी.डी. कल्लाजी (व्यवधान) गंगापुर से +++ (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार के तीनों मंत्री दुर्गाजी को शहर में नहीं ले गये, इनको बाहर छोड़ कर आये। (व्यवधान) प्रशासन ने मना कर दिया, उनको घुसने नहीं दिया। (व्यवधान) यह कहा, दो लाख ले लो...

श्री मदन दिलावर : दो लाख ले लो और दुर्गा को...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कहा, दो लाख रुपये ले लो और दुर्गा को दे दो। (व्यवधान) यह समझें तो सही, क्या कहा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल गलतबयानी कर रहे हो आप। आपको पता नहीं है, आप तो लोगों को भड़काने में लगे हुए हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह सब भारतीय जनता पार्टी वाले थे। (व्यवधान) दुर्गाप्रसादजी के खिलाफ यह माहौल पैदा किया...(व्यवधान) दुर्गाप्रसाद की पिटाई की जाए। आपने कानून की स्थिति को... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जैसे गुलामनबी आजाद जम्मू कश्मीर नहीं जा पा रहे, वैसे दुर्गाप्रसादजी गंगापुर सिटी नहीं जा पा रहे हैं। (व्यवधान) हालत यह है। यह असत्य बोल रहे हैं कि वह जाकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से सम्बन्धित मामला है, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि दुर्गाप्रसादजी +++ जबकि वस्तुस्थिति ऐसी है कि गंगापुर में कुछ दिन पहले पुलिस फायरिंग हुआ, वह गलत हुआ। उसकी वजह से तीन आदमी मारे गये। (व्यवधान) कुछ आदमी घायल हुए। परन्तु वहां पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया गया कि दुर्गाप्रसाद ने वहां पर गोली चलवाई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह कौनसा प्रश्न है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. वालों ने...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह रोडवेज में गंगापुर का प्रश्न आ गया क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा झकझोर दिया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री दुर्गाप्रसाद : वस्तुस्थिति ऐसी है कि इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। (व्यवधान) इसमें तो राजनीतिक दल लगे हैं, जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल चल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गये थे कि नहीं गये? (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यह जो बात कही गई है, मेरे सन्दर्भ में इसलिए कही गई है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब यह जाएंगे गंगापुर भी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आप लोगों ने ऐसी आग लगा दी कि मैं वहां पर नहीं जा सका। (व्यवधान) आप लोगों ने +++ बोला। आप लोगों ने +++ बोला और यह कहा कि दुर्गाप्रसाद ने वहां पर गोली चलवाई। जबकि मेरा कोई योगदान ही नहीं था। मैं वहां पर था ही नहीं, मैं यहां पर पड़ा हुआ था। (व्यवधान) इसमें जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, आप यह बात पहले कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। (व्यवधान) यहां लाशें बिछी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप इसी सदन में यह बात कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह कौनसा प्रश्न...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं गंगापुर का विधायक हूं...(व्यवधान) वहां पर इनकी जमानत जब्त करवाई है। वहां पर इनकी जमानत... (व्यवधान) वहां पर बी.जे.पी. की जमानत जब्त हुई है जब मैं चुनाव लड़ा था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : दुर्गाप्रसादजी, आप भी तोगड़ियाजी की जैसे बुर्का पहन कर चले जाते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वेश बदल कर, बुर्का पहन कर चले जाते, तोगड़ियाजी की तरह। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल चल रहा है। (व्यवधान) अगर आप इस मामले को उठाना भी चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत आप उठा लीजिए। (व्यवधान) लेकिन यह क्वेश्चन आवर चल रहा है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री दुर्गाप्रसाद : जब बात उठी है तो मेरा स्पष्टीकरण देना तो जरूरी ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहन लाल मोदी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : 244.

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं स्पष्ट कर दूं, यह ट्रांसपोर्ट से कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) ट्रांसपोर्ट मेरे खुद के पास है, मैं जा सकता हूं वहां पर। (व्यवधान) रोडवेज की वजह से नहीं जा सक रहा हूं, यह तो बात ही दूसरी है। ट्रांसपोर्ट मेरे खुद के पास भी है, मैं जा सकता हूं। (व्यवधान) आप कृपया मेरी...(व्यवधान) इसका स्पष्टीकरण बाद में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सदस्य को यदि आपकी अनुमति हो तो आप सरकार को कहिए कि सरकारी जीप में, पुलिस के पहरे में उनको गंगापुर ले जाएं। ये भी दु:खी हैं। (व्यवधान) दुविधा है तो भिजवा दीजिए। एम.एल.ए. को इतना प्रोटेक्शन तो दीजिए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य गंगापुर जा आये हैं दंगे के बाद। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं जाकर आये हैं, नहीं जाकर आये हैं। अभी तक (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं गये हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इस तरह का वातावरण मत बनाइये। गये हैं, गये हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जाना चाहते हैं तो भिजवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अच्छा, सारा सामान ले गये चोर पीछे से। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : घर में तो उनकी जीप को जलवा दिया आपने। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जाना चाहते हों तो भिजवा दीजिए। नहीं जाना चाहते हों तो मत भिजवाइये। लेकिन जाना चाहते हों तो उनको पूरा संरक्षण दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व में गृह मंत्रीजी उनको हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने की बात कह चुके हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): मैंने इनको गन-मैन उपलब्ध करवा दिया है। (व्यवधान) राज्य सरकार ने गनमैन उपलब्ध करवा दिया है और ये जब-जब भी यह महसूस करते हैं कि वहां गंगापुर जाने में इनको और आवश्यकता है तो सरकार उसकी भी व्यवस्था करेगी। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं। होम मिनिस्टर के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। मैं निवेदन करूंगा, आप मेरा ज्यादा पक्ष न लें। आपके पक्ष लेने से उलटा बिगाड़ हो रहा है मेरा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये प्रतिपक्ष के नेताजी तो इनको गंगापुर भेजकर मरवाना चाहते हैं। वहां तो भड़का आये और अब इनको गंगापुर भिजवाना चाहते हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको आवश्यकता हो तो मैं इनके साथ जा सकता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : साथ ले जाकर मरवाओगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना खनिज अभियन्ता के कार्यालय का स्थानान्तरण

244. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर में खनिज अभियन्ता के स्वीकृत पद के विरुद्ध सहायक खनिज अभियन्ता को लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता जो कि खनिज अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनसे सारा स्टाफ नाराज था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नीमकाथाना में खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता दोनों कार्यरत थे और इनके कार्यालय वहां से हटा कर सीकर में स्थानान्तरित कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या अब सरकार नीमकाथाना खेतड़ी क्षेत्र के ठेकेदारों को राहत पहुंचाने के लिये सहायक खनिज अभियन्ता का कार्यालय नीमकाथाना में दुबारा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, **खनिज** (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) यह सही है कि 22 मार्च, 2002 से पूर्व सीकर कार्यालय में खनिज

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

अभियन्ता के पद के विरुद्ध सहायक खनिज अभियन्ता कार्यरत थे। कार्यरत सहायक खनिज अभियन्ता को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार पदोन्नत कर 22.3.2002 को खनिज अभियन्ता, सीकर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(2) जी हां। खनिज अभियन्ता श्री डी. एस. देवड़ा के विरुद्ध कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा शिकायतें की गयी थीं। इन शिकायतों की जांच अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर से कराई गई एवं जांच में यह पाया गया कि कार्यालय में अत्यधिक अनुपयोगी, कर्मचारियों की नियुक्ति होने के कारण वहां अनुशासनहीनता फैल रही थी। अनुपयोगी कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को कार्य नहीं करने दे रहे थे। खनिज अभियन्ता द्वारा कार्य में दुरुस्ती एवं समय पालन पर कड़ाई करने के कारण कर्मचारियों ने नाराज होकर विवाद खड़ा किया।

(3) जी हां। यह सही है कि पूर्व में नीमकाथाना में खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता दोनों कार्यरत थे। दोनों अधिकारियों का मुख्यालय आदेश दिनांक 25.10.1997 से सीकर कर दिया गया है। नीमकाथाना के स्थान पर सीकर मुख्यालय होने से अधिकांश खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस का प्रभावी नियंत्रण अधिक सुगमता से सम्भव है। साथ ही सीकर जिला मुख्यालय होने से कोष कार्यालय तथा सीकर व झुंझुनूं के जिला कलक्टर व वन विभाग के कार्यालय आदि से समन्वय में सुगमता रहती है एवं जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस होने से अन्य सुविधा भी प्राप्त होती है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। सीकर एवं झुंझुनूं जिलों के कुल स्वीकृत खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस तथा कार्यालय की कुल आय को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में दो पृथक कार्यालय रखने का औचित्य नहीं है एवं राज्य की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए भी नये कार्यालय खोलना उचित नहीं रहेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब ए.एम.ई. की पोस्ट का आदमी एम.ई. पर आपने सीकर में बैठाया, नीमकाथाना में जब दो पोस्टें थीं तो एक ए.एम.ई. को आप नीमकाथाना कर देते और हैडक्वार्टर पर आप एम.ई. को कर देते। लेकिन अब आप पर कितना किसका प्रैशर था कि आपने उसे एम.ई. के पद पर बैठाया और वहां के सारे जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने स्ट्राइक वहां पर की? स्ट्राइक का नतीजा यह हुआ कि उन सबको बदल दिया और उसको एम.ई. पर प्रमोट करके वहां बैठा दिया। (व्यवधान) पहले तो अगेंस्ट पोस्ट बैठाया और अब मेरा यह क्वेश्चन जाने के बाद उसको प्रमोट करके बैठा दिया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बहुत सारे ए.एम.ई. को हमने एम.ई. का चार्ज दिया। असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर्स को माइनिंग इंजीनियर्स का चार्ज दिया। चूंकि विभागीय पदोन्नति नहीं हो पायी, डी.पी.सी. नहीं बैठ पायी। उसकी वजह से बहुत–से स्थान ऐसे थे जहां एम.ई. के पद तो थे लेकिन एम.ई. नहीं थे। उनके स्थान पर करीब 10 जगह हमने ए.एम.ई. को एम.ई. का चार्ज दिया उस श्रृंखला में, ताकि काम सुगमता से चल सके। उदाहरण के तौर पर सीकर में ए.एम.ई. था, सोयल में ए.एम.ई. था, धौलपुर में ए.एम.ई. था जबकि वहां एम.ई. की पोस्ट थी। इसी तरह से रामगंज में ए.एम.ई. था, वहां एम.ई. किया गया। बहुत–सी जगह हमारे एम.ई. के पद थे वहां हमने ए.एम.ई. को चार्ज दिया क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में रेवेन्यू का टाइम होता है। कोई भी पद खाली रहे, उसकी वजह से व्यवस्था की गयी।

जहां तक सवाल है सीकर में एम.ई. लगाने का, मिस्टर देवड़ा को वहां ए.एम.ई. की हैसियत से एम.ई. का चार्ज दिया गया ताकि वह एम.ई. का काम कर सके। पिछले दिनों विभागीय पदोन्नति हुई उसमें 13 ए.एम.ई. को हमने एम.ई. बनाया है। चूंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में रेवेन्यू का अभियान हमारा चल रहा था, टार्गेट पूरा करना था इसलिये जो ए.एम.ई. पदोन्नत होकर एम.ई. बन गये, जहां वे काम कर रहे थे चाहे वे ए.एम.ई. के स्थान पर काम कर रहे थे, हमने उनको कह दिया एक बार आप वहां एम.ई. होते हुए भी ए.एम.ई. का काम देखिये और वहां उस तरह की व्यवस्था की गयी। जहां एम.ई. की पोस्ट थी वहां कुदरती ही, जैसे मिस्टर देवड़ा जो ए.एम.ई. थे और एम.ई. के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उनकी पदोन्नति वहां हुई तो उनको एज इट इज रखा गया। चूंकि रेवेन्यू का टाइम खतम हो गया अब, जो भी 13 एम.ई. बने हैं उनका एडजस्टमेंट करेंगे तब हम ट्रांसफर्स की श्रृंखला में इसको लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सीकर, खनिज अभियन्ता के कार्यालय में अनुपयोगी कर्मचारियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये अनुपयोगी कर्मचारी किस अधिकारी ने लगाये? जब आप मानते हैं कि अनुपयोगी कर्मचारियों के कारण यह अव्यवस्था सीकर में हुई है तो कौनसे अधिकारी ने इतने अनुपयोगी कर्मचारियों को वहां लगाया था? उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? सहायक अभियन्ता, खनिज, सीकर से क्या आपने अनुपयोगी कर्मचारियों को हटाया है या तमाम् को आपने हटाकर श्री देवड़ा की मनमर्जी को प्रोत्साहन दिया है जिससे लग रहा है कि सरकार उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है? इसका उत्तर दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्ट्रेंथ के हिसाब से वहां अधिकारी लगाये जाते हैं, सर्वेयर हैं, फोरमैन हैं, एल.डी.सी. हैं, यू.डी.सी हैं, चपरासी हैं, नाकेदार हैं, खनिज रक्षक हैं। कई दफा क्या होता है कि पोस्ट हमारे 33 होती हैं और वहां 34 लग जाते हैं, परन्तु कई बार यह देखा नहीं जाता है। जब हमने ठेके दिये तो जो नाकेदार सरप्लस हो गये थे उनको हमें एडजस्ट करना था, उनको एडजस्ट करने की वजह से कई जगह हमने जहां नाकेदारों को लगा दिया, वे वहां सरप्लस हो गये।

दूसरी बात यह है कि 8 तारीख को कर्मचारियों ने एक शिकायत दी जिसका फैक्स मुझे भी प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि देवड़ा का व्यवहार खराब है और कार्यालय में अव्यवस्था है। और वे स्ट्राइक पर चले गये, 9 तारीख को राजस्थान पत्रिका अखबार में भी छपा। उसी समय मैंने ए.डी.एम., जयपुर को जांच के लिये भेजा। 5-6 ऐसे अधिकारी जो वहां न्यूसेंस पैदा करते थे, मिस्टर खाण्डल जिन्होंने पहले एक ओ.पी. बम्ब, एम.ई. थे उसके आफिस में जाकर थप्पड़ मारा और देरी से आने की वजह से 6 लोगों को वहां से हटाया। 16 तारीख को करीबन 20 कर्मचारियों ने लिख कर दिया कि हम अब सेटिस्फाइड हैं और काम संतोषजनक चल रहा है, तो वह व्यवस्था वहां रखी गयी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रश्न क्रमांक 245.

श्री अध्यक्ष : अब मैंने अगला क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट लगेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब आप बिराज जाइये।

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछ लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन ए.एम.ई. मिस्टर दीवान सिंह देवड़ा कोटपूतली में जब इस पद पर थे तो वहां श्री बलवीर सिंह नाम के व्यक्ति से...

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं। क्या तत्कालीन ए.एम.ई. मिस्टर देवड़ा द्वारा 24.9.2000 को श्री बलवीर सिंह का ट्रैक्टर पकड़ा गया? यदि हां, तो उस ट्रैक्टर को छोड़ने के बदले में 30.9.2000 को 32400 रुपये जरिए रसीद संख्या 0297378 जमा किये गये? यदि हां, तो क्या विभाग में उक्त राशि उस दिन जमा हुई?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला अलग आफिस का है, सीकर के एम.ई. से सम्बन्धित है और मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी हासिल करने के बाद दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह फरमाया गया कि वहां से अनुपयोगी कर्मचारियों को हटाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों का वापस आपने उसी स्थान पर पदस्थापन किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। बैठिये, बैठिये। Would you like to reply?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यस।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने जो कर्मचारी हटाये हैं उनमें से कुछ कर्मचारियों को आपने वापस उसी स्थान पर पदस्थापित किया है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, अभी नहीं किया है किसी को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

मतदाता सूचियों के प्रकाशन में विलम्ब करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही

245. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मतदाता सूचियां एवं अन्य कार्य कम्प्यूटर से किये जाने का ठेका सरकार ने दिया है? यदि हां, तो ठेके की क्या शर्तें थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

निर्वाचन मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां। मैसर्स डी.एस.एस. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पुणे से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति परिशिष्ट "एक" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं दरों पर कार्य करने से इनकार करने के कारण फर्म को दिया गया कार्यादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 को निरस्त कर दिया गया।

चूंकि विभाग ने उक्त फर्म को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया था इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्म से किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्म द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण उसकी जमा प्रतिभूति राशि रुपये 3.00 लाख जब्त कर राजकोष में जमा करा दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने ठेका दिया था इसके टेंडर काल किये गये थे? यदि टेंडर काल किये गये थे तो कितनी फर्में आई थीं? इस फर्म में और बाकी फर्मों में क्या अन्तर था जिसमें आपने पसन्द करके इसको दिया?

श्री अध्यक्ष : एक बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब फर्म ने मना कर दिया तो क्या शर्तें तोड़ी, क्या उल्लंघन किया इसने और किस कारण से आपको मना किया? क्योंकि 20 नम्बर को तो आपने इसको ठेका दिया ही था और 29.12.2001 को ही निरस्त कर दिया। इस बीच में ऐसी क्या घटना घटी जिस कारण से आपको इसको ना करना पड़ा। फिर आपने एक कार्यक्रम दिया उसको 31 को, कि आपको 31 जनवरी, 2002 तक पूरा करना था, यह काम। यह काम पूरा करने के लिए 22.11.2001 तारीख को आपको इस पर मटीरियल सप्लाई करना चाहिए था, वह किया या नहीं किया आपने? जब उसने मना कर दिया तो यह काम किस से करा रहे हो आप और किन शर्तों पर करा रहे हो? (व्यवधान) आपने तीन लाख रुपया जो जब्त किया, उसकी जो शर्तें हैं जिसके आधार पर वह जब्त कर सकते हो, उन कंडीशंस का हवाला दीजिए जिसके कारण से केवल तीन लाख ही आप जब्त कर सकते थे? क्योंकि नियम यह है कि यदि कोई ठेकेदार बीच में भाग जाता है तो बाकी काम करने में जितना नुकसान होता है उसको भी उससे वसूल किया जाता है। उसकी कोई कार्यवाही की या नहीं, यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनकी लोएस्ट रेट थी इसलिए इनको यह कार्य दिया गया। जो अनुबन्ध हुआ उसकी शर्तें आपको मैंने टेबल पर रख दी हैं, आपको भी इसकी प्रति मिल गई है। इन शर्तों के अनुसार ही इनको कार्य करना था, जब इन्होंने यह टेंडर मंजूर कर लिया। दूसरी जो पार्टियों थीं उनकी अर्नेस्ट मनी हमने उनको वापस लौटा दी उसके बाद इनको ही यह सारा कार्य करना था, लेकिन ये कर नहीं पाये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या हुआ? क्या उल्लंघन किया, किन शर्तों का किया, क्यों नहीं किया? क्यों मना किया, यह बताइये न? मना क्यों किया उसने, यह बताइये? उसकी भूल से किया या आपकी कोई जिम्मेदारी थी, किस कारण से मना किया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने मना इसलिए किया कि पहले उन्होंने सोचा कि... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसका पत्र चाहिए। उसका पत्र पढ़ दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये पूरी शर्तें हैं 18 पेज, आप खुद पढ़ लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसका पत्र पढ़िये जिसमें उसने मना किया है। ग्राउण्ड दिये हैं, वह बताइये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका पत्र हमारे पास नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : हो ही नहीं सकता।

डा. किरोड़ी लाल : रद्द किस आधार पर किया? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका पत्र हमारे पास में नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि उनकी रेट थी, उसी पर इनको यह कार्य दिया गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वह ठीक है। रद्द कैसे किया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके बाद उन्होंने पुणे जाकर सोचा कि इस मामले में इतना काम होगा नहीं। एक तो समय भी कम था, दूसरा रेट भी कम थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 34 कंडीशन थी उसमें, 34. (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उससे परेशान होकर उन्होंने तीन लाख रुपये खोए और वे अपने घर गये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या बात है? यह काम अब किस से करा रहे हो आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें कि पहले टेंडर जिन शर्तों के आधार पर, जिस रेट के आधार पर दिया था उससे जो काम आपने कराया, उससे कितना खर्चा होने वाला था और जो आपने उसके बाद टेंडर को निरस्त करके दूसरे व्यक्ति से इस काम को कराया...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काम कराया या नहीं कराया, यह तो पूछो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके बीच में उसको आपको कितना पेमेंट करना था? दोनों का अन्तर कितना था, यह स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा नहीं गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, पूछने का क्या सवाल है इसमें? यह क्या है, पूछा नहीं गया? यह प्रश्न का भाग है, साहब फिर सप्लीमैंटरी क्या होता है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं पूछा गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैसे नहीं पूछा गया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह काम दूसरे से करा रहे हो, प्रश्न ही यही है। प्रश्न का भाग है, यही है, आप इसको पढ़ो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यूं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर सप्लीमैंटरी क्या होता है, साहब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार जिसको निविदा दी गई उसको 2 रुपये 80 पैसे प्रति पेज के आधार पर इन्होंने कार्यादेश दिया और दुबारा जब टेंडर आये तो उसी काम के 7 रुपये 75 पैसे आये। सरकार को हानि हुई या नहीं हुई? (व्यवधान) लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितना नुकसान हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले में आप लिप्त हो।

श्री मदन दिलावर : करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, दस रुपये पेज दिये गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्योंकि पहले 2 रुपये 80 पैसे में टेंडर देते हो और फिर बाद में 7 रुपये 75 पैसे में देते हो। इतना डिफरेंस एक ही काम का... (व्यवधान) एक काम में इतना बड़ा डिफरेंस यह सिद्ध करता है कि करोड़ों रुपये का उसमें घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दोनों को आप स्पष्ट करें। दोनों के बीच में करोड़ों रुपये का अन्तर आ गया। पहले टेंडर से आपकी सप्लाई होती तो उस टेंडर से जो पैसा लगता...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पांच रुपये प्रति पेज का नुकसान हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच रुपये प्रति पेज का नुकसान है।

डा. किरोड़ी लाल : पांच रुपये प्रति पेज का डिफरेंस है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पहले टेंडर की शर्तों की जो रेट थी उसके आधार पर यदि काम होता तो उसकी जो छपाई की कीमत लगती, जो बाद में कराई उसमें उसकी दुगने से भी ज्यादा आपका पैसा लगा है। इसको अमांउट आप बताओ तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी। पहले टेंडर की शर्तों के आधार पर काम होना था उससे कितना पैसा खर्च होना था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और अब आपने उसका कितना पेमेंट किया? तीन लाख रुपये लेकर आपने सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा दिया, लाखों-करोड़ों रुपये का। क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्यवाही हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करोड़ों का नुकसान किया है आपने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फर्जीवाड़ा है फर्जीवाड़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो नुकसान हुआ है, एक तरह से आपके ध्यान में है। इस बेईमानी से हम अगर काम कराएंगे, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए केवल तीन लाख रुपये उसके जब्त करने से...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, फर्जीवाड़ा हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : करोड़ों की राशि है, मंत्रीजी, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच होनी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच होनी चाहिए।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : वह खुद ही भरे हैं, (व्यवधान) जबरदस्ती तो भरे ही नहीं। उनका ठेका जो मंजूर किया है तो वह काम करता। वह टेंडर कोई हम भरे हैं कि मंत्रीजी ने भरे हैं, टेंडर तो खुद लाने वाला भरा है न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप भी समझते हैं हमारी मंशा जो है, आप पूछ लीजिए। कोई दो ही चीजें हम समझना चाहते हैं। दो चीजें सामने हैं कि पहले टेंडर की शर्तों के आधार पर जो रेट आपके पास आयी, उस रेट से आपका कितना खर्च टोटल होने वाला था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलालजी, बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : और जहां तक काम कराना था, वह महंगा-महंगा कुछ भी हो, पूरा करवाया। सरकार का काम वह लटका रखकर, या जो भी महंगा-सहंगा हो, उसको पूरा कराया काम को।

श्री अध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, ठेका जब्त करने से... (व्यवधान) जनता को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। आप स्पष्ट करो कि पहली शर्त के आधार पर टोटल खर्चा कितना होने वाला था और जब आपने प्रिंटिंग कराई, उसको आपने कितना पैसा दिया? यह तीन लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी उसमें एक चमचा भर भी नहीं है। जीरो भी नहीं है, जीरो। इतना पैसा आपने सरकार के खजाने पर डाका डलवा दिया, यह क्यों डला, किस शर्त पर डला है, यह आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट करें कि ये टर्म्स हैं या नहीं कि यदि वह काम बीच में छोड़ कर जाता है या नहीं करता है तो दूसरे से काम करवाएंगे और उसकी क्षतिपूर्ति इस ठेकेदार को करनी पड़ेगी? है तो उसकी वसूली में आपने क्या काम किया? क्या इन्तजाम किये? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। मंत्रीजी, आप एक बात बता दो, कि पूरा इस वक्त सदन में इश्यू आया है उससे लगता यह है कि कोई कंडीशन वायलेट गवर्नमेंट ने की है उस कंडीशन के वायलेशन से उसने प्रोटेस्ट किया है कि, साहब, हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए पूछ रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : सवाल करके पूछे, शार्ट में पूछिये, सुरेन्द्रजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय. यह सवाल है। फिर भी आप बता दें कि वह क्या कंडीशन थी? वह पत्र पढ़कर मत सुनाइये, आप यह बता दीजिए कि क्यों उसने मना किया काम करने के लिए? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आर्डर, पढ़ दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप आर्डर पढ़ दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शांति से सुनिए। कितना चूना लगा है और नहीं लगा है, सब बता दूंगा, लेकिन आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग छोड़िये, चूना गवर्नमेंट की गलती से लगा है या आपकी से? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्न सिर्फ यह है कि "क्या ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?" अब इतने पुराने माननीय सदस्य विधान सभा में आठ-नौ दफे पधारे हुए हैं, इतना सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब मैंने बड़ा माकूल और संक्षेप में दे दिया। सवाल ही इतना है। अब यह कहते हैं कि उसके बाद किसको दिया, तो सवाल में तीसरा पैरा यह पूछ लेते कि उसके बाद किसको दिया? इसमें क्या हुआ?

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी काम को 2.80 रुपये के बजाय 7.80 रुपये में दिया है। एक ही काम के प्रति पृष्ठ पांच रुपये ज्यादा दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आप क्यों नहीं सारी बात साफ कहते?

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, आपको यह तो पता है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मुझे पता है। मैं बता रहा हूं। बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब पहले ठेकेदार ने मना कर दिया, उसका फोरफिट हो गया... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कहां है उसका लैटर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मना क्यों किया उसने? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और उन फर्मों को वापस हम बुला नहीं सकते। प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मना क्यों किया उसने, बताओ न आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। आर्डर। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले सुन लीजिये मेरी बात। (व्यवधान) उन फर्मों को तो हमने मना कर दिया, उनकी अर्नेस्ट मनी लौटा दी थी। इसलिए फिर से हमको वापस टेंडर काल करने पड़े। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने परिस्थिति ही यह क्रिएट कर दी कि वह मना करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नेगोशिएशन भी किये। शार्ट टर्म टेंडर्स काल करके हमने पांच फर्मों को यह काम दिया। वे फर्म्स हैं-मैसर्स बाइरिंग सिस्टम, जयपुर-7 रुपये 50 पैसे पर, अजमेर और भरतपुर के जिले उनको दिये। मैसर्स विज़्डम, जयपुर को 7 रुपये 50 पैसे पर, उनको जयपुर जिला दिया। मैसर्स जैन कम्प्यूटर, जयपुर को 7 रुपये 70 पैसे पर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले दिये। मैसर्स मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर 7 रुपये 50 पैसे और 7 रुपये 70 पैसे पर, 7 रुपये 50 पैसे पर तो दिये सीकर, दौसा, टौंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, नागौर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 7 रुपये 70 पैसे पर। मैसर्स नैचुरल साफ्टवेयर, जयपुर को 7 रुपये 50 पैसे पर दिये। चूरू, झुंझुनूं, अजमेर और 7 रुपये 70 पैसे पर दिये बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से दूरी को ध्यान में रखते हुए 7 रुपये 50 पैसे और 7 रुपये 70 पैसे पर ठेके दिये। जो नजदीक थे उन जिलों का 7.50 पर किया और दूर थे उनको 7.70 पर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, पहले टेंडर की रेट, जिसको आर्डर दिया उसके नैक्स्ट की रेट बता दीजिये आप। पहले टेंडर में जिसको वर्क आर्डर दिया था उसके नैक्स्ट जो टेंडर हुआ था, उसकी रेट बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल, साहब, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल, साहब। जब आपने पारीक साहब को अलाउ कर दिया तो मुझे भी कर दें। एक सवाल। कृपा करें।

श्री अमराराम (धोद) : अब काल करके कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आपने रेट बताई है और जो ठेकेदार से रेट तय की है अलग-अलग जिलों की, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपने 2.85 रुपये दिये हैं। कुल हाइएस्ट 2.85, यहां तो 7.50 दे दिया। जयपुर में आपने उसको दिया था।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। लम्बा नहीं। क्वेश्चन पूछिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बता दीजिये आपने जो...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय, आप कुछ कंफ्यूज्ड हैं, बैठ कर मेरे से मिल लीजिये, मैं सब समझा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह ठेकेदार मिल लिये क्या आपसे? ठेकेदार मिल लिया क्या आपसे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी। आपसे मिले हैं तब ही सवाल पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य का सकल घरेलू उत्पादन

427. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा): क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में वर्तमान में पंचायत समितिवार सकल घरेलू उत्पादन क्या है? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा पंचायत समितिवार सकल घरेलू उत्पादन के अनुमान तैयार नहीं किये जाते हैं।

तीर्थराज पुष्कर नगर के पूर्ण खण्ड होद की सफाई

428. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर नगर में मुख्य सड़क पर उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के पास पूर्ण खण्ड होद बना हुआ है?

(2) क्या उक्त होद में पुष्कर नगर की नालियों का गन्दा पानी आकर इकट्ठा होता है?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 20.5.2000 को जिला कलक्टर अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में पूर्ण खण्ड

(श्री रमजान खान)

होद की स्थाई रूप में सफाई कराने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पवित्र नगरी में पूर्णखण्ड जैसे गन्दे पानी के होद की स्थाई रूप से सफाई कराने का कोई पुख्ता इन्तजाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौनसी व्यवस्था से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है कि छोटी बस्ती पुष्कर में स्थित मोहल्लों का गन्दा पानी इकट्ठा होता है।

(3) जी नहीं। दिनांक 20.5.2000 को जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुई है।

(4) जी हां। इस मामले में समुचित कार्यवाही के प्रयास किये जावेंगे।

ब्यावर शहर में बी.पी.एल. परिवारों की आवासीय योजना

429. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ब्यावर शहर में कंजर, सांसी व गाडिया लुहार बस्ती बसाने हेतु प्रशासन को कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के उक्त लोगों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यावर नगर के आस-पास की सारी भूमि नगर परिषद् ब्यावर को देने के पश्चात् क्या उक्त भूमि पर बी.पी.एल. परिवार एवं हरिजन परिवारों के आवास हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। कंजर, सांसी समाज द्वारा ही 10 बीघा भूमि आबंटन हेतु चार आवेदन नगर परिषद्, ब्यावर में प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

430. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा पेराफेरी के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माकडवाली, हाथी खेड़ा लोहागल की सिवाय चक एवं चरागाह भूमि को अवाप्त की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त नगर सुधार न्यास उक्त सिवाय चक व चरागाह भूमि का मुआवजा सरकार को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं सिवाय चक एवं चरागाह भूमि जिला कलक्टर, द्वारा न्यास को हस्तान्तरित करने का प्रावधान है। इन भूमि की अवाप्ति नहीं की जाती है।

(2) जिला कलक्टर द्वारा सिवाय चक एवं चरागाह भूमि नगर सुधार न्यास, अजमेर को उक्त प्रावधानों के तहत हस्तान्तरित की गई है। उसका नियमानुसार देय लगान की निर्धारित पूंजीगत मूल्य न्यास द्वारा जमा कराया जाता है।

जिला सिरोही में नगरपालिकाओं की नियमन समिति की बैठकें

431. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही की विभिन्न नगरपालिकाओं में कच्ची बस्ती नियमन समिति की अब तक कब-कब बैठकें हुई और उक्त में कौन-कौन उपस्थित थे? उक्त में किस-किस नागरिक के अतिक्रमण नियमित करने का फैसला किया गया? सूची नगरपालिका व बस्ती एवं तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियमन निर्णय की अनुपालना में किस-किस को कब-कब पट्टे निष्पादित किए गए एवं कब-कब विक्रय विलेख जारी किए गए? विवरण मय क्षेत्रफल नगरपालिका/बस्ती/तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सर्वे के आधार पर नियमन का निर्णय लिया गया? प्रत्येक नगरपालिका के सर्वे की सूची नगरपालिका तथा बस्तीवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सिरोही की विभिन्न नगर पालिकाओं में कच्ची बस्ती नियमन समितियों की हुई बैठकों तथा अतिक्रमण नियमित करने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का बस्तीवार व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। नगरपालिका, आबू पर्वत सीमा क्षेत्र में नियमन पर राजकीय रोक लगी हुई है।

(2) उक्त नियमन निर्णयों की पालना में निष्पादित किये गये पट्टों का मय क्षेत्रफल के, नगरपालिकावार व बस्तीवार तथा तिथिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रत्येक नगरपालिका के सर्वे की सूचियां नगरपालिका व बस्तीवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला जैसलमेर में आवास विकास संस्थान के अपूर्ण कार्य

432. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) जिला जैसलमेर में आवास विकास संस्थान के कितने निर्माण कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की क्या योजना है?

(3) आवास विकास संस्थान के अपूर्ण कार्यों की देखभाल कौन कर रहा है? क्या अपूर्ण कार्यों को सम्बन्धित विभागों को सौंपा गया है?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने व विवादों के निस्तारण हेतु कोई निर्णय लेने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में आवास विकास संस्थान के 17 निर्माण कार्य अपूर्ण थे जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 9 अधूरे कार्य कार्यकारी संस्था बदल कर अन्य संस्था से पूर्ण करवा लिये हैं। आवास विकास संस्थान को आबंटित 6 कार्य संस्थान द्वारा चालू न किये जाने के कारण अपूर्ण माने जा रहे थे उनका आबंटन निरस्त कर दिया गया है एवं अब इन्हें पूर्ण करने की अग्रिम कार्यवाही जिला विकास अभिकरण द्वारा की जानी है।

समाज कल्याण विभाग हेतु निर्मित रामगढ़ छात्रावास में व्यय की गई राशि का विवरण आवास विकास संस्थान अवसायन समिति द्वारा सम्बन्धित विभाग को भेज दिया गया है एवं पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा करनी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु निर्मित पी.एच.सी. बिल्डिंग देवा का कार्य संस्थान के अवसायन के समय अधूरा था जिसे अब राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पूर्ण करवाया जाना है।

(3) आवास विकास संस्थान के अवसायन हो जाने के उपरान्त दिनांक 5.8.1999 को सभी विभागों को पत्र लिख कर सूचित कर दिया गया था कि संस्थान के द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यों को भौतिक रूप से सम्भाल लें। जिसके कारण से इन कार्यों की कोई देखभाल शुरू नहीं की है।

(4) पैरा 2 एवं 3 में दर्ज उत्तर अनुसार अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है जहां तक निर्माण कार्यों सम्बन्धी विवादों का प्रश्न है, जैसलमेर जिले में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जयपुर की मित्र एवं भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की अवासीय योजनाओं का ले-आउट प्लान

433. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटी गई आवासीय योजनाओं का राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2002 से 23 फरवरी, 2002 तक ले आउट प्लान का प्रमाणीकरण कराया गया है?

(2) क्या उक्त ले-आउट समस्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का प्रमाणीकरण हो चुका है?

(3) क्या मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की भुवनेश्वर वाटिका एवं भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा अजमेर रोड जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, विस्तार नामक योजना का ले-आउट प्लान प्रमाणीकरण हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन सहकारी समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में आवासीय योजनाओं का रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया था उनका दिनांक 30 जनवरी, 2002 से 23 फरवरी, 2002 तक सही रिकार्ड पाये जाने पर ले-आउट प्लान का प्रमाणीकरण कराया गया है।

(2) सहकारी समितियों से प्राप्त आवासीय कालोनियों के ले-आउट प्लान जो नियमन योग्य पाए गए हैं, उनका प्रमाणीकरण हो चुका है।

(3) भुवनेश्वर वाटिका एवं भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा अजमेर रोड जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार नामक योजना का ले-आउट प्लान इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण ले-आउट प्लान का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है।

जयपुर में जयपुर फिल्म सिटी सैंट्रल स्पाइन की विचाराधीन योजना

434. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में, जयपुर फिल्म सिटी सैंट्रल स्पाइन योजना घाटगेट के पास नया दरवाजा नेहरू बाजार में फर्स के बरामदे रामनिवास बाग का रखरखाव, शहरी क्षेत्र की डेयरी शिफ्टता योजना, ट्रांसपोर्ट एक्ट योजना जयपुर राइट के चारों ओर अण्डाकार बाईपास सड़क योजना राजधानी के सभी प्रवेश मार्गों की सौन्दर्यता योजना सरकार के विचाराधीन है?

(श्री कन्हैया लाल)

(2) उक्त योजना कितनी-कितनी राशि में किस-किस कार्यकारी एजेंसी के मार्फत कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त में अधिकांश कार्य निजी कम्पनियों/फर्मों से करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर फिल्म सिटी सैंट्रल स्पाइन योजना, घाटगेट के पास नया दरवाजा, अजमेर रोड व आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना, राजधानी के सभी प्रवेश मार्गों की सौन्दर्यता योजना विचाराधीन है तथा रामनिवास बाग का रख-रखाव शहरी क्षेत्रों की डेयरी शिफ्टता योजना जिसके अन्तर्गत भाटावाला सांगानेर में डेयरी फार्म, नागल पुरोहितान में डेयरी फार्म हरचन्दपुरा बाल्यावाला (कानोता) में डेयरी फार्म व सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना का कार्य प्रगति पर है। नेहरू बाजार के बरामदों का निर्माण स्वयं नेहरू बाजार व्यापार मण्डल द्वारा अपने खर्चे पर किया जा रहा है, जयपुर राइट के चारो ओर अण्डाकार बाईपास सड़क योजना पर जयपुर विकास प्राधिकरण के पास नहीं है।

(2) सूचना संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त कार्यों को नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर निजी कम्पनियों/फर्मों से करवाया जा रहा है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कराया जाता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नगर सुधार न्यास अजमेर की आनासागर सरक्यूलर योजना में अवाप्त भूमि का मुआवजा

435. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर सुधार न्यास की आनासागर सरक्यूलर योजना में अवाप्त की गई खातेदारी भूमि का अवार्ड कब जारी किया? अवार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खातेदारों को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हां, तो कितना? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त में किस खातेदार को कितनी मुआवजा राशि या जमीन के बदले जमीन में कितनी जमीन किस दिनांक को उपलब्ध कराई गई?

(3) उक्त योजना नगर परिषद् को हस्तान्तरित करते समय क्या 371 भूखण्ड रिक्त थे? यदि हां, तो किस साइज के तथा किस-किस नम्बर के एवं न्यायालय में

(श्री ललित भाटी)

किन-किन खातेदारों ने वाद दायर किया हुआ है? वाद दायर करने वालों के नाम, वाद का कारण तथा विवाद में आयी भूमि मय खसरा नम्बर तथा प्रस्तावित भूखण्डों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर की आनासागर सरक्यूलर रोड योजना में अवाप्त की गई खातेदारी भूमि का मुआवजा निर्धारण अतिरिक्त कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 53(4) के अन्तर्गत विभिन्न दिनांकों को निर्णय पारित कर किया गया है तथा कुछ प्रकरणों में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है एवं कुछ भूमि आपसी वार्ता से भी क्रय की गई है। पारित निर्णयों की प्रतियां संलग्न है।

(2) उक्त योजना में पारित निर्णयानुसार जिन खातेदारों को भूमि की कीमत का भुगतान व मुआवजा राशि या जमीन के बदले जमीन का आबंटन मुआवजे स्वरूप किया गया है की सूची संलग्न है।

(3) उक्त योजना नगर परिषद् को हस्तान्तरित करते समय 371 भूखण्ड विवादित होने में रिक्त थे जिसके नम्बर व साइज की सूची संलग्न है। संलग्न भूखण्डों की सूची के अनुसार विवादित भूखण्डों के सामने अंकित खसरा नम्बर के अनुसार उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में जिन खातेदारों ने वाद दायर किया है [illegible] सहित प्रकरणों की सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति जयपुर सी योजना संख्या 3 अ बीड़ का नियमन

436. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) एवं **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मोती भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर ने अपनी योजना संख्या 3 अ बीड़ सरकारी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो योजना के मास्टर प्लान एवं भू-खण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना का नियमन शुल्क वर्ष 1981 में प्राधिकरण में भू-खण्डधारियों द्वारा जमा करा दिया गया? यदि हां, तो जमाकर्ताओं की सूची मय जमा राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1996 में उक्त योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा भू-खण्डधारियों से भू-खण्डों का नियमन करने हेतु आवेदन मांगे गये? यदि हां, तो किस-किस ने आवेदन प्रस्तुत किया तथा प्राधिकरण ने

(श्री कुबेर सिंह)

उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की। सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भू-खण्डधारियों का अपने भू-खण्डों पर वर्तमान में कब्जा है? यदि हां, तो किस-किस का किस-किस भू-खण्ड पर कब-कब से? यदि नहीं, तो किस-किस भू-खण्डधारी का कब्जा नहीं है? नाम व भू-खण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार भू-खण्डधारियों को भू-खण्ड का कब्जा दिलाने एवं नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? उक्त कार्यवाही अभी तक भी नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत है। मास्टर प्लान में उक्त योजना का भू-उपयोग आवासीय है। भू-खण्डधारियों की सूची संलग्न है।

(2) नियमन वर्ष 1981 में नियमन शुल्क नहीं लेकर, रूपान्तरण शुल्क लिया जाता था। रूपान्तरण शुल्क प्रचलित दर के आधार पर स्व-निर्धारण के आधार पर गृ.नि.स.स. या भू-खण्डधारियों द्वारा जमा करवाया जाता था। कुछ भू-खण्डधारी/गृ.नि.स.स. जमा करवाया गये शुल्क की चालान/रसीद प्राधिकरण में देते थे, जिन्हें योजना की पत्रावली में रखा जाता है। इस योजना की पत्रावली में समिति अथवा सदस्यों द्वारा रूपान्तरण शुल्क जमा करवाने का चालान या रसीद प्रस्तुत नहीं की है। अत: उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर इस योजना का रूपान्तरण शुल्क 1981 में प्राधिकरण में भू-खण्डधारियों द्वारा जमा करवाने का कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। इस योजना के भू-खण्डधारियों से भू-खण्डों के नियमन करने हेतु आवेदन नहीं मांगे गये। यह योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। इस योजना को अनुमोदन करने हेतु संकल्प नियमन अभियान में लिया गया है व भविष्य में योजना को नियमन कर कैम्प लगा दिया जायेगा।

(4) भू-खण्डधारियों के कब्जे सम्बन्धी सूचना प्राधिकरण द्वारा संधारण नहीं की जाती है। भू-खण्डधारियों को प्राधिकरण का पट्टा भू-खण्डधारी द्वारा प्रस्तुत गृ.नि.स.स. का पट्टा तथा कब्जा सम्बन्धी शपथ पत्र के आधार पर दिया जाता है। कब्जे सम्बन्धी विवाद होने पर ही कब्जा सम्बन्धी जांच प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(5) इस योजना की नियमन प्रक्रिया जारी है तथा नियमन प्रक्रिया के तहत 90 बी की कार्यवाही की जा चुकी है व योजना का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के पश्चात योजना का नियमन संकल्प भू-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नियमन के दौरान कर दिया जावेगा। जहां तक भू-खण्डधारियों को कब्जा दिलवाने का प्रश्न है यह बिन्दू जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जिन भू-खण्डधारियों के पास गृ.नि.स.स. का पट्टा है तथा नियमानुसार शपथ पत्र के अपना कब्जा बताते हुये प्राधिकरण में आवेदन करता है तो उन्हें प्राधिकरण का पट्टा दे दिया जावेगा। जिन भू-खण्डों पर कब्जे को लेकर विवाद है उन भू-खण्डों के कब्जे सम्बन्धी जांच की जावेगी अगर भू-खण्डधारी मकान बनाकर आवास कर रहे हैं व अपना आवास साबित कर देता है तो उन्हें प्रक्रिया के तहत पट्टा दिया जा सकता है। परन्तु खाली भू-खण्डों पर कब्जे के विवाद का निपटारा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है व उन भू-खण्डों का पट्टा सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत दिया जा सकता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा गैर आवासीय भू-खण्डों के आबंटन से प्राप्त राशि

437. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपनी किस-किस आवासीय योजना के वाणिज्यिक भू-खण्डों, निर्मित दुकानों व गैर आवासीय भू-खण्डों/भवनों के आबंटन/विक्रय से अब तक कितनी-कितनी राशि वसूली जा चुकी है व कितनी-कितनी राशि वूसली की बकाया है? प्रत्येक आवासीय योजना की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से आवासन मण्डल द्वारा कितनी-कितनी राशि का उपयोग किस-किस कार्य पर किया गया है? प्रत्येक आवासीय योजना के लिए अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपनी आवासीय योजना के वाणिज्यिक भूखण्डों, निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों के आबंटन विक्रय से वूसली गई राशि एवं बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से मण्डल द्वारा सम्बन्धित योजनाओं में स्थित वाणिज्यिक भू-खण्डों एवं गैर आवासीय भू-खण्डों के आवश्यक विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, बिजली, पानी एवं सीवर लाइन डालना आदि विकास कार्य तथा दुकानों के निर्माण पर व्यय किया जाता है। मण्डल द्वारा इन विकास एवं निर्माण कार्यों पर किये जाने वाले व्यय हेतु मदवार ब्यौरा संधारित नहीं किया जाता है। यह सभी व्यय बजट प्रावधानों के अनुसार किये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

शिवराम कालोनी जगतपुरा (जयपुर) में आयोजित भू-नियमन शिविर में अनियमितताएं

438. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8.3.2002 को जोन-सी-2 का भू-नियमन शिविर आयोजित किया गया था? यदि हां, तो जगतपुरा की किस-किस कालोनियों का उक्त शिविर में नियमन किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तिथि को शिवराम कालोनी जगतपुरा का भी भू-नियमन शिविर था? यदि हां, तो उक्त कालोनी में कितने लोगों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पट्टे जारी किये गये तथा कितने लोगों को किस-किस कारणों से पट्टे जारी नहीं किये गये। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कालोनियों की कितनी-कितनी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई गई तथा किस-किस प्लाटों की लम्बाई चौड़ाई कम करके सड़कें चौड़ी की गई? प्लाट का नाम तथा उनकी कितनी-कितनी जमीनें सड़कों में गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के कई प्लाटधारियों के मकानों की चौड़ाई कम करने के उपरान्त भी उनसे भूमि नियमन शुल्क पूरी जमीन का वसूला गया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति से अधिक शुल्क वसूला गया? कारणों सहित नाम पते मय राशि के सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि मकान की साइज कम करने के उपरान्त भी उनको पट्टे (नये) कम वर्ग गज के हिसाब से दिये गये बल्कि नियमन शुल्क जो पूर्व में वर्ग गज जमीन थी उसके हिसाब से लिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जिन लोगों से अधिक शुल्क वसूला गया है उनको उक्त राशि वापस लौटाने का विचार रखती है?

(6) उक्त अधिक शुल्क वसूली में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उक्त के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिक वसूला गया शुल्क वापस प्राप्ति हेतु विभाग को आवेदन पत्र दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त कालोनी में सुविधा क्षेत्र हेतु कितनी भूमि किन-किन प्लाटधारियों से प्राप्त की गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में कई मकान ऐसे थे जिनकी सड़कों की चौड़ाई ज्यादा करने पर उनके मकानों का नियमन शुल्क जमा नहीं किया

(श्री रामस्वरूप)

गया? यदि हां, तो ऐसे कितने-कितने व्यक्ति शेष हैं। उनके नाम एवं कितनी भूमि उनसे ली गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त कालोनी का नया नक्शा बनाया है? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 8.3.2002 को जोन-सी-2 में भू नियमन शिविर आयोजित किया गया था। जिसमें शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की राधिकापुरम योजना एवं लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराम कालोनी का शिविर में भू नियमन किया गया।

(2) जी हां। उक्त तिथि को शिवराम कालोनी का भू नियमन शिविर आयोजित किया गया था। उक्त कालोनी में 153 लोगों ने पट्टे जारी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। जिनमें से 132 लोगों को पट्टे जारी किये गए। 4 पत्रावलियां कार्यालय में विचाराधीन हैं। जिनमें पट्टे जारी नहीं होने के कारण सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

इनके अलावा शेष 17 व्यक्तियों ने अपने आवेदन पत्र शिविर में पंजियन कराने के बाद आवेदन पत्र शिविर में जमा न कराकर अपने साथ वापस ले गए, इस कारण नियमन नहीं किया जा सका। इन 17 व्यक्तियों के नाम व भू-खण्ड संख्या की सूची परिशिष्ट-1 "ए" पर संलग्न कर दी हैं।

(3) (i) उक्त कालोनी के पूर्व में जगतपुरा फाटक से आती हुई 30 फीट की रोड को 60 फीट किया गया है इसमें भू-खण्ड सं. 1 से 10 तक व भू-खण्ड सं. 65, 66 एवं 67 में से 15 फीट भूमि सड़क में ली गई।

(ii) भू-खण्ड संख्या 125 राधिकापुरम कालोनी की सड़क से मिलाने के लिए निरस्त किया गया।

(iii) योजना के पश्चिम में 25 फीट की रोड को 30 फीट किया गया। इसमें भू-खण्ड सं. 53, 53-ए, 53-बी, 53-सी, 40, 47, 56, 55, 54-ए, 43, 39, 38-ए, 38-बी, 49 सी, 49 बी, 49 ए, 51, 51 ए, तथा 52 में 2½ (ढाई फीट) फीट भूमि ली गई। इस कारण 53 बी व 53 सी के भू-खण्ड को आच्छादित क्षेत्र पूर्ण न मिलने के कारण निरस्त किया गया।

(iv) कालोनी में भू-खण्ड संख्या 40 व 38 के मध्य की सड़क तथा 49 ए व 51 ए के मध्य की सड़क को 25 फीट से 30 फीट किया गया।

(v) भू-खण्ड संख्या 54 ए में से सड़क सम्पर्क हेतु एक दिशा से 10 फीट भूमि ली गई।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(vi) भू-खण्ड संख्या 133 के कोने से राधिकापुरम कालोनी में सड़क सम्पर्क देने हेतु भूमि ली गई है।

(4) यह सही है कि उक्त कालोनी के कई प्लाटधारियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.2.2002 के अनुसार सहकारी समिति के पट्टे में वर्णित क्षेत्रफल के आधार पर नियमन शुल्क जमा करा दिया है।6 भू-खण्डों के नियमन के समय कार्नर भू-खण्ड होने के कारण नियमानुसार कार्नर भू-खण्डों की गोलाई काटने के कारण कुछ क्षेत्रफल कम हुआ है जिसकी राशि बिना कार्नर की गोलाई काटे जमा कर ली गई थी। ऐसे व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इनकी अधिक जमा राशि का रिफंड कर दिया जावेगा।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण की विज्ञप्ति दिनांक 26.2.2002 के अनुसार कुछ व्यक्तियों ने सहकारी समिति के द्वारा जारी पट्टे में वर्णित क्षेत्र के अनुसार नियमन की राशि स्वविवेक से गणना कर बैंकों में जमा करादी थी। केवल 6 व्यक्तियों से उनको जारी साइट प्लान में वर्णित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की राशि जमा कराई गई थी। इन व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इन व्यक्तियों के भू-खण्ड कार्नर भू-खण्ड होने के कारण, कार्नर भू-खण्ड की गोलाई काटने के कारण भू-खण्ड के क्षेत्रफल में कमी हुई है। इस कारण अधिक जमा राशि लौटा दी जायेगी।

(6) केवल 6 प्रकरणों में अधिक राशि जमा हुई है। राशि अधिक जमा होने का कारण कार्नर भू-खण्डों की गोलाई काट कर साइट प्लान जारी करना है। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी का दोष नहीं है। बल्कि सहवन की भूलवश गणना में त्रुटि हुई है। कैम्प के दौरान अत्यधिक भीड़ थी, इसी कारण से सहवन से त्रुटि हुई है। अधिक वसूले गए शुल्क को लोटाने की कार्यवाही की जा रही है किसी भी व्यक्ति ने अभी तक अधिक जमा शुल्क वापस करने हेतु आवेदन नहीं किया है।

(7) उक्त कालोनी में सुविधा क्षेत्र हेतु भू. सं. 103ए, 103बी, 104, 105, 111, 112, 113, 113, 132, 132ए, व 144 की भूमि को लिया गया है। प्राधिकरण की बिल्डिंग प्लान कमेटी (बी.पी.सी.) की बैठक में आवासीय योजना में भू-खण्डों व सुविधा क्षेत्र (रोड व पार्क) का अनुपात क्रमश: 60 व 40 प्रतिशत होना आवश्यक है। इस कालोनी में समिति द्वारा प्रस्तुत प्लान में कोई सुविधा क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है। सुविधा क्षेत्र से प्रस्तावित भू-खण्डों का विवरण सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(8) उक्त कालोनी में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कारण जिन भू-खण्डों को आच्छादित क्षेत्र पूर्ण न मिलने के कारण नियमन की कार्यवाही निरस्त की गई एवं उनका नियमन शुल्क जमा नहीं किया गया हैं। इन भू-खण्डों का विवरण सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(9) जी नहीं। उक्त कालोनी के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई नया नक्शा नहीं बनाया है। बल्कि समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में ही मौके से सत्यापन कराकर अनुमोदित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्याधर नगर योजना के भवनों की नीलामी

439. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्याधर नगर योजना में योजना निर्माण से 28 फरवरी, 2002 तक कितने व कौन-कौन से प्लाट/फ्लेट नीलामी द्वारा बेचे गये? प्लाट/फ्लेट नम्बर सहित नीलामी की तिथि, क्रेता का नाम पता व अन्तिम बोली की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्रेताओं द्वारा उक्त प्लाट/फ्लेट की लीज मनी जमा करवादी गई है? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब व कितनी-कितनी राशि तथा किस दर से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन क्रेताओं द्वारा अब तक लीज मनी की राशि जमा नहीं करवाई गई है? बकाया कब से व किस दर से तथा कितनी राशि बकाया है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना में नीलामी द्वारा बेचे गये प्लाट/फ्लेट्स की आरिक्षत दर बढ़ाई गई है? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी व किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर योजना के निर्माण से 28 फरवरी, 2002 तक नीलामी में विक्रय किये गये फ्लेट्स/प्लाट की संख्या, नीलामी की तिथि, क्रेता का नाम पता तथा प्रति उच्चतम बोली की राशि की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

(2) जिन क्रेताओं द्वारा उक्त प्लाट/फ्लेट्स की लीज मनी जमा करायी गई है उन्होंने कब कब कितनी राशि किस दर से जमा कराई है उसकी सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जिन क्रेताओं द्वारा उक्त प्लाट/फ्लेट्स की लीज मनी जमा नहीं करवाई है इनकी सूचना भी परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 12(5) के प्रावधानानुसार आरक्षित दर समय-समय पर बढ़ाई जाती है। विद्याधर नगर योजना की आरक्षित दर सूची में वर्णित तिथियों के अनुसार बढ़ाई गयी है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र. सं.	दिनांक	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	
		आवासीय	व्यवसायिक
1.	8.7.1986	190.00	–
2.	12.5.1989	300.00/ 400.00	1200.00
3.	4.11.1992	800.00	2400.00
4.	1.4.1993	920.00	2760.00
5.	1.4.1994	1060.00	3180.00

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के हवामहल बाजार में दुकानों के विचाराधीन बरामदे

440. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर शहर स्थित हवामहल बाजार, सिरहड्योढी को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में दुकानों के बाहर स्थित इकढालिये के आगे अन्य बाजारों की भांति बरामदे बनाये जाने का प्रस्ताव गत वर्ष से राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान इकढालिये/बरामदे जो कि व्यापारियों के निजी हैं में रखे व्यापारियों के सामान इत्यादि को नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी अतिक्रमण समझते हुए उन्हें जब्त करने की कार्यवाही नियम विरुद्ध लम्बे समय से कर रहे हैं? यदि हां, तो किस अधिकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु दुकानों के इकढालियों के आगे निगम स्तर पर व्यापारियों से विचार-विमर्श कर बरामदे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इकढालियों/बरामदे सरकारी सम्पति है। इन पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर सामान आदि रखने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सामान जप्त किया जा सकता है।

(3) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-441

(स्थगित)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के खनिज क्षेत्र में डामरीकृत सड़कें

442. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल गुर्जर)

(1) जिला भीलवाड़ा की तहसील क्षेत्र आसीन्द में खानों का खनन कार्य कब से हो रहा है? वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक खनिज विभाग द्वारा उक्त तहसील क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें कब बनाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार खनिज विभाग द्वारा खनन कार्य हेतु आने व जाने वाले वाहनों हेतु डामरीकृत सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की तहसील क्षेत्र आसीन्द में खानों का खनन कार्य तत्कालीन मेवाड़ राज्य के समय से हो रहा है। वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 के मध्य उक्त तहसील क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा ज्ञानगढ़ से कटार 10.4 कि.मी. लम्बाई की सड़क प्रस्तावित की थी, जिसमें से 6 कि.मी. बी.टी. रोड बन चुकी है व शेष 4.4 कि.मी. में से 3.5 मि.मी. तक (डब्ल्यू.बी.एम.) कार्य माह फरवरी, 2000 तक हो चुका है एवं 18 पुलियों का निर्माण हो चुका है। शेष सड़क बजट के अभाव के कारण नहीं बनी है।

(2) जी हां। विभाग में खनिज उपागमन डामरीकरण सड़कें बनाने का कार्य योजना मद में प्राप्त बजट के आधार पर किया जाता है। फिलहाल इस मद में राशि उपलब्ध नहीं होने से डामरीकरण सड़क बनाने का कोई विचार नहीं है।

जिला बीकानेर में जप्त हथियारों की वापसी

443. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में कुल कितने व्यक्तियों को हथियार के लाइसेंस जारी किये गये हैं? उक्त में से कितने लाइसेंस रद्द किये गये? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के उपखण्ड (नार्थ) में गत काफी समय से वैध लाइसेंस धारियों के हथिार बड़ी संख्या में पुलिस रिपोर्ट पर जप्त किये गये थे? गत पांच वर्षों से लाइसेंसशुदा जप्त हथियारों की सूची मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लाइसेंस धारियों के हथियार जिन्हें पूर्व में जप्त किया है, के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं पाये जाने पर उन्हें वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार जिन लाइसेंस धारियों की मृत्यु हो गई है या अंधे हो गये हैं, के वारिसों को लाइसेंस की पात्रता रखने पर लाइसेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(5) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उक्त जिले में कितने लाइसेंस जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में जिला कलक्टर, बीकानेर के समक्ष कितने आवेदकों के प्रार्थना-पत्र हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के विचाराधीन हैं? नाम, पता की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 13656 व्यक्तियों को हथियार के लाइसेंस जारी किये गये हैं। उनमें से 454 लाइसेंस रद्द किये गये। संख्या सूची तहसीलवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(2) यह सही नहीं हैं कि बीकानेर जिले में लाइसेंसधारियों के हथियार बड़ी संख्या में पुलिस रिपोर्ट पर जब्त किये गये हैं। गत पांच वर्षों में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक शस्त्र जप्त किया गया तथा लाइसेंस अवैध हो जाने पर 5 शस्त्र जप्त किये गये। इस प्रकार कुल 6 शस्त्र जप्त किये गये हैं। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। लाइसेंसधारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने पर उसके अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है अथवा अंधे हो गये हैं, उनके वैध वारिसानों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर आयुध अधिनियम एवं नियमों के तहत लाइसेंस की पात्रता रखने पर आवेदन पत्र के गुणावगुण एवं आवेदक के लाइसेंस की आवश्यकता के औचित्य को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस जारी किया जाता है।

(5) बीकानेर जिले में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में 614 व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं, की सूची परिशिष्ट ''स'' पर है।

(6) दिनांक 3.3.2002 तक कलक्टर कार्यालय बीकानेर में 345 आवेदकों के प्रार्थना पत्र हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विचाराधीन है। नाम, पता एवं तहसीलवार सूची परिशिष्ट ''द'' पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना महेश नगर जयपुर में पदस्थापित कर्मी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

444. श्री अशोक (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के थाना महेश नगर में श्री मंगला राम ओला नाम का पुलिस कर्मचारी कार्यरत है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त व्यक्ति अपनी पूर्ण सेवा अवधि में किस-किस स्थान/थाने में कार्यरत

(श्री अशोक)

रहा है? पूर्ण सेवा अवधि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री ओला पुलिस कर्मी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या उक्त कर्मी जहां भी सेवारत रहा उक्त के सम्बन्ध में शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई? उक्त कर्मी के विरुद्ध अब तक किस-किस मामले की जांच कार्यवाही हुई है? उक्त जांचों में उक्त कर्मी के विरुद्ध क्या-क्या तथ्य पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या श्री ओला ने जिन थानों में पदस्थापित रहा उक्त थानों में कई महिलाओं से गलत व तथ्यों से परे मुकदमें बनवाकर निरपराध व्यक्तियों को झूठा फसाने की कार्यवाही कराकर जनता से राशि वसूली का कार्य किया है?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मी के उक्त तथ्यों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार श्री ओला को उक्त थाने से स्थानान्तरित कर पुलिस लाइन में लगाकर उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या उक्त कर्मी के थाने में पदस्थापित रहते उक्त सम्बन्धी जांच प्रभावित होगी? यदि हां, तो श्री ओला का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर शहर के थाना महेशनगर में मंगलाराम ओला दिनांक 6.8.2000 से कार्यरत है।

(2) श्री मंगलाराम ओला अपनी सेवाकाल के दौरान थाना गांधीनगर, थाना रामगंज, यातायात जयपुर शहर, पुलिस लाईन, जयपुर शहर में पदस्थापित रहा तथा वर्तमान में थाना महेशनगर पर पदस्थापित है।

(3) जी नहीं, उक्त कर्मी के विरुद्ध अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई जांच भी नहीं हुई।

(4) जी नहीं। श्री ओला जिन थानों में पदस्थापित रहा है, इसने महिलाओं से गलत व तथ्यों से परे मुकदमे बनवाकर निरपराध व्यक्तियों को झूंठा फसाने की कार्यवाही कराकर जनता से राशि वसूली का कार्य नहीं किया है।

(5) श्री मंगलाराम ओला के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिसकी जांच कराई जाए।

(6) श्री ओला के विरुद्ध अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यदि होगी तो जांच कराई जायेगी।

(7) उक्त कर्मी के विरुद्ध कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का चयन

445. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता जाति जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पुलिस पद पर 1997-98 से फरवरी, 2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 149 व्यक्तियों का चयन हुआ है। वरिष्ठता क्रमानुसार जिले के नाम सहित व्यक्ति वार सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सीमावर्ती जिलों में वाहन व्यवस्था

446. श्री अमीन खान (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सिपाहियों के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(2) सीमावर्ती जिलों के थानों में नई गाड़ियों का इन्तजाम कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) माह जनवरी, 2002 तक राज्य में सिपाहियों के कुल रिक्त पदों की संख्या 4903 रही है। नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण रिक्त पद भरा जाना सम्भव नहीं है।

(2) सीमावर्ती जिले के सभी थानों को वाहन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नकारा वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांता (कोटा) के प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज मारपीट की रिपोर्ट पर कार्यवाही

447. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 फरवरी, 2002 को जिला कोटा के थाना कनवास में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांता (कोटा) के प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट के सम्बन्ध में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई थी? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध? उक्त प्रकरण में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों ने राजकीय

(श्री हेमन्त कुमार)

विद्यालय परिसर में राजकार्य में बाधाएं पहुंचाई तथा सरकारी मुलाजिम पर प्राणघातक हमला किया? क्या उक्त मुलजिम किसी राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी भी है? यदि हां, तो किस पार्टी के तथा सरकार द्वारा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर पीड़ित अध्यापक को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 6 फरवरी, 2002 को प्रधानाध्यापक दांता श्री बालस्वरूप शर्मा के साथ मारपीट के सम्बन्ध में थाना कनवास में अभियोग संख्या 20/2002 धारा 332, 353 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध हुआ था। यह अभियोग 1. श्री विमल जैन जिला परिषद् सदस्य कनवास व 2. श्री कोमल गोयल निवासी धुलेट के विरुद्ध दर्ज कराया था, जिसमें इन दोनों अभियुक्तों का वाद अनुसंधान चालान दिनांक 20.3.2002 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(2) जी हां। दोषी व्यक्तियों ने राजकीय विद्यालय दांता के परिसर में जाकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई लेकिन उनके द्वारा सरकारी मुलाजिम पर प्राणघातक हमला नहीं किया गया। उक्त दोनों मुलाजिमान भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिनमें विमल चन्द जैन जिला परिषद् सदस्य व कोमल गोयल उप तहसील धुलेट का भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है। जिनके विरुद्ध उक्त अभियोग में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(3) उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ऐसे तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जिससे किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध लापरवाही सिद्ध हो।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना मण्डावा (झुंझुनूं) में बन्द के दौरान दर्ज मुकदमे की वापसी

448. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम रोहलसाहबसर जिला सीकर में वर्ष 2001-2002 में घटित घटना के विरोध स्वरूप आयोजित बन्द के दौरान जिला सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कितने किस-किस थाने में?

(2) क्या पुलिस ने कुछ लोगों को थानों में बुलाकर भी पाबन्द किया था? यदि हां, तो पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं में कितने लोगों को पाबन्द किया गया? उक्त के विरुद्ध कितने मामले विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में से केवल जिला झुंझुनूं के मण्डावा थाने में ही एक प्रकरण दर्ज किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त थाने में मुकदमा पुलिस ने पुरानी रंजिश-वश दर्ज किया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त मुकदमे को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम रोहलसाहबसर, जिला सीकर में वर्ष 2001-2002 में घटित घटना के विरोध में आयोजित बन्द के दौरान जिला सीकर, झुंझुनूं व चूरू में दर्ज मुकदमों का विवरण निम्न है:-

1- जिला सीकर :

(अ) थाना फतेहपुर सदर	1 मुकदमा
(ब) थाना लक्ष्मणगढ़	2 मुकदमा
(स) थाना राणोली	1 मुकदमा

2- जिला झुंझुनूं :

(अ) थाना सूरजगढ़	1 मुकदमा

3- जिला चूरू :

(अ) थाना कोतवाली, चूरू	1 मुकदमा

(2) पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ व्यक्तियों को पाबन्द कराया :-

1- जिला झुंझुनूं	10 व्यक्ति
2- जिला चूरू	12 व्यक्ति

जिला झुंझुनूं में पाबन्द 10 व्यक्तियों में से 2 के विरुद्ध पूर्व में अभियोग दर्ज हुए हैं जिनका विवरण निम्न है :-

1- श्री तेजपाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी-चूड़ी चतरपुर

(अ) मु.नं. 110/95 धारा 13 आर. पी.जी.ओ. अधिनियम, दिनांक 7.5.1995 पुलिस थाना नवलगढ़ 1 चालान।

(ब) मु.नं. 153/95 धारा 13 आर. पी.जी.ओ. अधिनियम, दिनांक 21.6.1995 पुलिस थाना नवलगढ़ 1 चालान।

2- श्री गिरवर सिंह पुत्र श्री सवाईसिंह राजपूत निवासी-चुड़ी चतरपुरा।

1- मु.नं. 118/98 धारा 341, 323 भा.दं.सं. थाना मण्डावा 1 चालान।

(3) जी नहीं। अन्य जिलों जैसे सीकर, चूरू में भी अभियोग दर्ज किये गये हैं।

(4) जी नहीं। थाना मण्डावा में कोई मुकदमा इस घटना के पश्चात् बन्द के दौरान दर्ज नहीं किया गया है।

(5) प्रकरण वापस लेने हेतु राज्य सरकार के पास अभी किसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

2142
राजस्थान विधान सभा
पुस्तकालय, जयपुर

हनुमानगढ़ रेंज में ठेकेदार के नाम गलत भुगतान की जांच

449. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ रेंज में श्री उदय सिंह ठेकेदार के नाम पेड़ों की कटाई, ढुलाई व चट्टा लगवाई के बिल बने हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने बिल और कितनी राशि के बने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाम का कोई ठेकेदार नहीं है बल्कि विभाग का दैनिक वेतनभोगी मजदूर है? क्या उसे ठेकेदार बताकर फर्जी बिल बनाकर श्री अश्वनी कुमार ठेकेदार के माध्यम से श्री विष्णुदत्त गुप्ता वनपाल उठाता रहा है? यदि हां, तो विभाग ने उक्त पर क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय व्यापार योजनाधीन श्रमिकों के चुकारे के बिलों के तहत बिल संख्या 1495 विक्रय केन्द्र कूप एन.डी.आर. 29 से 40 आर.डी. में दिनांक 28.6.2001 से 27.7.2001 तक का बिल श्री धर्मपाल पुत्र श्री सुरजाराम निवासी हनुमानगढ़ के नाम 69103 रु. का श्री विष्णु वनपाल ने तैयार किया? यदि हां, तो इसका भुगतान हुआ या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बिल संख्या 1495 (17) के जरिये विक्रय केन्द्र कूप एन.डी.आर. 29 से 40 तक उसी कार्य के लिए बिल श्री तीर्थकुमार पुत्र श्री हरचन्द निवासी लाठांवाली के नाम श्री विष्णु कुमार गुप्ता वनपाल ने 67595 रुपये का तैयार किया? यदि हां, तो इस बिल का क्या हुआ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त फर्जी बिलों का भुगतान श्री राजीव गुप्ता, रेंजर ने नहीं होने दिया व रिपोर्ट डी.एफ.ओ. श्री कल्याण सागर को की? क्या इसी नाराजगी के कारण श्री विष्णु कुमार गुप्ता वनपाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री राजीव गुप्ता द्वारा उक्त फर्जकारी पकड़ने के कारण डी.एफ.ओ. श्री कल्याण सागर व श्री सिद्धनाथ सिंह वन संरक्षक श्री राजीव गुप्ता रेंजर से नाराज हो गये तथा अपने चहेते श्री विष्णु गुप्ता को बचाने के लिए श्री राजीव गुप्ता रेंजर के विरुद्ध फर्जी तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करके स्टेट ट्रेडिंग विभाग से हटा दिया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदय सिंह ठेकेदार के नाम पेड़ों की कटाई ढुलाई व चट्टा लगाई के गत तीन वर्षों में कोई बिल नहीं बनाये गये।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) श्री उदय सिंह दैनिक वेतनभोगी विभागीय मजदूर नहीं है अपितु ठेकेदार है। जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 42 है। श्री उदय सिंह के नाम हनुमानगढ़ में कोई बिल नहीं बनने के कारण किसी प्रकार के भुगतान उठाने का कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) बिल बुक की कार्यालय प्रति के अनुसार दिनांक 28.6.2001 से दिनांक 27.7.2001 तक बिल नम्बर 1495/18 कूप एन.डी.आर. 29-40 आर.डी. का श्री धर्मपाल पुत्र श्री सुरजाराम निवासी हनुमानगढ़ के नाम 69103 रुपये का बना था। श्री विष्णु कुमार गुप्ता ने पत्र दिनांक 8.3.2002 से अवगत कराया है कि यह बिल उनके द्वारा नहीं बनाया गया। बिल की मूल प्रति बिल बुक में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय प्रति पर किसी कर्मचारी तथा तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं इस बिल का भुगतान नहीं हुआ है।

(4) बिल संख्या 1495/17 श्री विष्णु कुमार गुप्ता, वनपाल ने उनके द्वारा तैयार नहीं किया जाना दर्शाया है। बिल बुक की कार्यालय प्रति के अनुसार बिल संख्या 1495/17 श्री तीर्थ कुमार पुत्र रामचन्द्र के नाम तैयार हुआ। इस बिल की कार्यालय प्रति पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। डिविजन कार्यालय में यह बिल प्रस्तुत नहीं हुआ और ना ही इसका भुगतान हुआ बिल की मूल प्रतियां बिल बुक में उपलब्ध नहीं हैं।

(5) जी नहीं। श्री राजीव गुप्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस बाबत कोई सूचना या रिपोर्ट उप वन संरक्षक श्री कल्याण सागर को नहीं की गई। इसलिये इस कारण श्री विष्णु कुमार गुप्ता, वनपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(6) राजीव गुप्ता को नाराजगी के कारण वहां से नहीं हटाया जाकर प्रशासनिक कारणों से हटाया गया है। प्रश्न के भाग संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित बिलों के सम्बन्ध में जांच मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से करवाई जाकर जांच के निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पगोरा तहसील अरनोद में वन भूमि में कब्जे

450. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पगोरा तहसील अरनोद (चित्तौड़) की आराजी नं. 337/51 रकबा 5.60 हैक्टेयर वर्ष 1980 के पूर्व से कुछ काश्तकारों के नाजायज कब्जे चल रही है? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा मई, 2001 में अतिक्रमियों के मकानों को किस कारण तुड़वाये गये? उक्त कार्यवाही में वन विभाग के कौन-कौन कर्मचारी सम्मिलित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वन भूमि पर अतिक्रमण को नियमन करने हेतु

(श्री नन्दलाल मीणा)

तहसील स्तर पर समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों के अतिक्रमियों को निर्धारित मानदण्डों के विपरीत पाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि वन भूमि पर अतिक्रमियों को जबरन बेदखल न कर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त गैर कानूनी कार्यवाही क्यों की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम पंगारा तहसील अरनोद (चित्तौड़) की आराजी नं. 337/51 वन विभाग की भूमि नहीं है। इस ग्राम का आराजी नम्बर 137/51 रकबा 5.60 हैक्टेयर वन विभाग के नाम दर्ज है। इस भूमि पर वर्ष 1980 के पूर्व से किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा नहीं होने के कारण मई, 2001 में उक्त भूमि पर से किसी मकान को तुड़वाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होती है।

(2) जी हां। किन्तु उक्त आराजी नम्बर 137/51 के रकबा 5.60 हैक्टेयर पर गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया हुआ होने से समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नियमन योग्य नहीं है।

(3) वन भूमि पर हुये अतिक्रमणों को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 66 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

अरावली वन विकास परियोजना में प्राप्त राशि का उपयोग

451. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी), **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने ओई.सी.एफ. जापान विदेशी एर्जेसी द्वारा पोषित अरावली वन विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में क्रमश: रुपये 100 करोड़ एवं रुपये 45 करोड़ वन विकास कार्य हेतु उपलब्ध कराये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत रुपये 71.55 करोड़ (आबंटित राशि का 72 प्रतिशत) एवं रुपये 45 करोड़ (आबंटित राशि का 100 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया तथा उक्त दो वर्षों की अवधि में वन विकास नगण्य रहे तथा विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका साथ ही दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार रोजगार से वंचित रहे? उक्त राशि का उपयोग समय पर क्यों नहीं हो पाया?

(3) उक्त कार्य में शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने की क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन अधिकारियों/

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट में जापान सरकार के सहयोग से क्रियान्विति की जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपये तथा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई नवीन अरावली वन विकास परियोजना हेतु 72.00 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। अरावली वृक्षारोपण परियोजना मार्च, 2000 में पूर्ण हो जाने से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बजट में जापान सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई अरावली वन विकास योजना की स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रियान्विति हेतु 45.00 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान रखा गया किन्तु परियोजना के स्वीकृत नहीं होने से नवीन परियोजना के लिये रखे गये प्रावधान को दोनों वर्षों के संशोधित बजट अनुमानों से कम कर दिया गया।

(2) अरावली वन विकास परियोजना को जापान सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-2001 में नवीन प्रस्तावित योजना के लिये कोई राशि जापान सरकार से प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप नवीन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष, 1999-2000 एवं 2000-2001 में प्रस्तावित प्रावधान क्रमशः 72 करोड़ रुपये एवं 45 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया।

वर्ष 1999-2000 में क्रियान्वित की जा रही। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के लिये मूल प्रावधान 28 करोड़ रुपये के स्थान पर संशोधित बजट में 29.96 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत था। 28.45 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।

अवशेष 1.51 करोड़ रुपये राशि (29.96-28.45) का उपयोग नहीं हुआ। उपयोग से अवशेष रही राशि मुख्यतः वेतन भत्तों चिकित्सा यात्रा भत्तों कार्यलय व्यय मदों में रही है जिससे वन विकास कार्य किसी प्रकार प्रभावित नहीं होने से गरीब परिवार के रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष 1999-2000 में व्यय की गयी राशि 28.45 करोड़ रुपये राशि में से कार्यों पर व्यय हुई राशि से 2550 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा कृषि वानिकी के अन्तर्गत 34.28 लाख पौधे वितरण हेतु तैयार किये गये साथ ही परियोजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणों का संधारण किया गया।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) नवीन परियोजना जापान सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से परियोजना क्रियान्वित हेतु स्वीकृति की प्रत्याशा में रखे गये प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) नवीन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हेतु जापान सरकार के पास विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र छाबड़ा के ग्राम मालोनी में वन भूमि का अमल दरामद

452. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालोनी में वन विभाग की भूमि का अमल दरामद निरस्त करने बाबत अधिकारियों ने राजस्व विभाग बारां को पत्र लिखा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालौनी के खसरा नम्बर 74, 127, 140, 248 व 252 में राजस्व विभाग द्वारा 80 व्यक्तियों को आबंटित की गई 567 बीघा 10 बिस्वा वन भूमि के आबंटन को निरस्त करने एवं उक्त भूमि रकबा 567 बीघा 10 बिस्वा को वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर जमाबन्दी की नकल उपलब्ध करवाने हेतु उप वन संरक्षक बारां (पश्चिम) ने पत्र दिनांक 25.1.2002 के द्वारा तहसीलदार छीपाबड़ौद को लिखा है। लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। पत्र पर कार्यवाही होना अपेक्षित है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) की सड़कों का डामरीकरण

453. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) की पूर्व में बनाई डब्लू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्रामों की प्राथमिकता आने पर किया जावेगा।

चूरू से तारानगर सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

454. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू से तारानगर सड़क का निर्माण कब पूरा किया गया तथा सड़क निर्माण में जिन काश्तकारों की भूमि आई थी, उक्त में से कितनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया एवं कितनों की मुआवजा राशि देना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 25.2.1997 को चूरू से तारानगर सड़क के राजस्व ग्राम सजूसर के कृषकों को मुआवजा राशि दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने कर राज-पत्र में सूचना प्रकाशित कर दी थी? यदि हां, तो उनको अभी तक भूमि का मुआवजा नहीं मिलने का क्या कारण रहा? इन्हें अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

(3) चूरू से सादुलपुर (राजगढ़) सड़क निर्माण में कितने काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई? उनमें कितने काश्तकारों को मुआवजा तय करने के पश्चात् अभी तक वितरित नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू से तारानगर सड़क का निर्माण वर्ष 1991-92 में पूरा किया गया था। निर्माण में आई काश्तकारों की भूमि मुआवजा राशि के किये गये भुगतान/शेष राशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की अनउपलब्धता के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया है। संसाधन उपलब्ध होते ही भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(3) जी नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जो प्रारम्भ की गई थी, अब निरस्त कर दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के ग्रामों की प्रस्तावित सड़कें

455. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में ''प्रधानमंत्री सड़क योजना'' के अन्तर्गत कितने गांव लिये गये हैं?

(2) क्या सरकार मुन्दियाड़ से संखवास, मुन्दियाड़ से शिल गांव, शिल गांव से लालास, गौवा कलां से माणकपुर वाया मेडारू, मोड़ी से कालियास और बलाया से कडलू सड़कों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव साड़ोकन, भटनोका, बुनरावता एवं लालाप को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है तथा धुन्धारी रूपासर, खारड़ा, सोलियाना, तीतरी व खेतास को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(2) ये गांव पूर्व में ही डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। इन गांवों के बीच की सड़क किसी भी योजना में विचाराधीन नहीं है।

जिला पाली के ग्राम कानुजा से आसन जिलेलाव की स्वीकृत सड़क

456. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री योजना में जिला पाली के ग्राम कानुजा से आसन जिलेलाव सड़क निर्माण की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण कार्य कब तक करवाया जायेगा और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2002-2003 में उक्त सड़क निर्माण कार्य करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या झाला की चौकी से कानुजा तक सड़क की मरम्मत एवं सूरज कुण्ड की नदी पर पुल निर्माण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि उक्त दोनों गांव डामर सड़क से जुड़े हुये हैं।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(3) जी हां। झाला की चौकी से कानुजा तक सड़क मरम्मत का कार्य जून, 2002 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

सूरज कुण्ड की नदी पर पुल निर्माण हेतु क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में तखमीना तैयार किया जा रहा है। उक्त पुल का निर्माण तकनीकी औचित्यता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जिला जयपुर तहसील चौमूं के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कानरपुरा के भवन की चारदीवारी

457. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के भवन के चारों और बाउण्डरीवाल एवं शौचालय आदि निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को

(श्री हीरालाल सहरिया)

कोई राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य के लिये विभाग द्वारा निविदाएं भी आमंत्रित कर दी गई हैं? यदि हां, तो किस ठेकेदार को कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त कार्य में देरी के क्या कारण हैं तथा उक्त में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उक्त के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, राशि रुपये 0.45 लाख जिला आयुर्वेद अधिकारी (आ.) क्षेत्र जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से कोषागार में मार्च, 2001 में जमा कराई गई थी।

(2) जी हां, उक्त कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त की गयी थी लेकिन प्राप्त न्यूनतम दर अधिक होने के कारण निविदा स्वीकृत नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। उक्त कार्य की निविदा पुनः आमंत्रित की जा चुकी है जो दिनांक 10.4.2002 को प्राप्त की जायेगी। माह अप्रैल, 2002 के अन्त तक यह कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

(4) उक्त कार्य में किसी भी विभागीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा देरी नहीं की गई है, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु कोषागार में राशि जमा कराने बाबत प्रथम सूचना चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेद औषधालय कानरपुरा के पत्र संख्या 109-11 दिनांक 21.12.2001 द्वारा प्राप्त हुई।

(5) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उक्त कार्य जून, 2002 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

तहसील रायपुर (पाली) के ग्रामों के न्यायालय क्षेत्र में परिवर्तन

458. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर के बर मुख्यालय पर सिविल एवं ज्यूडिशियल कोर्ट की स्थापना कब की गई?

(2) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर के ग्राम देवली कलां, रामपुरा कलां, निम्बेडा कलां, नोख, बासनी का

(श्री हीरासिंह चौहान)

वियान, बासनी बधवाडियान, सिंगला, कुशालपुरा, करमावास मालियान, हाजिवास के फौजदारी मुकदमे अब भी जैतारण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधीन आते हैं जबकि बर न्यायालय सस्ते व सुलभ न्याय की दृष्टि से खोला गया था? क्या अब सरकार उक्त गांवों को रायपुर थाना क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए फौजदारी मुकदमों का कार्य क्षेत्र बर न्यायालय के अधीनस्थ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला पाली को तहसील रायपुर के बर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।

(2) जी हां, तहसील रायपुर के ग्राम देवली कलां, रामपुरा कलां, निम्बेड़ा कलां, नोख, बासनी का वियान, बासनी बधवाडियान, सिंगला, कुशालपुरा, करमावास मालियान, हाजिवास के फौजदारी मुकदमे पुलिस थाना जैतारण में संस्थित होते हैं तथा इनके चालान आदि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जैतारण में पेश होते हैं। उक्त गांवों को रायपुर थाना क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए फौजदारी मुकदमों का कार्यक्षेत्र बर न्यायालय के अधीनस्थ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मुंसिफ कोर्ट गढ़ी (बांसवाड़ा) का कार्यालय भवन

459. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुंसिफ कोर्ट गढ़ी (बांसवाड़ा) का कार्यालय भवन व न्यायिक अधिकारी गढ़ी (बांसवाड़ा) का आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवनों के लिए गढ़ी डाइट के पास भूमि आरक्षित है? यदि हां, तो उक्त भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सिविल न्यायाधीश (क, ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) हेतु न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन के लिए कोई राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है। उक्त न्यायालय किराये से लिए गये भवन में चल रहा है तथा पीठासीन अधिकारी किराये के आवास में निवास कर रहे हैं।

(2) उक्त न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी के आवास गृह हेतु कुमजी का पारड़ा में भूमि आरक्षित है। उक्त न्यायालय भवन के निर्माण हेतु मा. उच्च न्यायालय द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें के अन्तर्गत 6.00 लाख रुपये की राशि

(विधि मंत्री)

स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिस पर वित्त विभाग द्वारा सहमति के उपरान्त भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन का निर्माण बजट उपलब्ध होने पर कराया जा सकेगा।

विभागों द्वारा रोस्टर प्रणाली की अवहेलना कर नियम विरुद्ध सीधी भर्ती

460. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या आयोजना (जनशक्ति) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों में विभिन्न विभाग/बोर्ड/संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजीनियर्स की नियम विरुद्ध बिना अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूरा किये सीधी भर्ती की गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्यादातर भर्ती आयोजना (जनशक्ति) विभाग से सूची बिना नियम विरुद्ध सीधी भर्ती की गई? यदि हां, तो क्यों? किस-किस विभाग/बोर्ड/संस्था द्वारा कितने-कितने पदों पर उक्त अवधि में सीधी नियम विरुद्ध भर्ती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमों के विपरीत की गई उक्त नियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त नियम विरुद्ध सीधी भर्ती करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कई वर्षों से की जा रही नियम विरुद्ध सीधी भर्ती के कारण कई वर्षों से पंजीकृत कई अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थी आयु पार हो गये/होने जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को हटाकर उक्त आशार्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अवैधानिक भर्तियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? राज्य/अधीनस्थ सेवा में अभियन्ताओं की नियुक्ति/भर्ती के नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ी जाति का कोटा पूरा किये बिना नियुक्तियां दी गई हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विभागों

(राज्य मंत्री; आयोजना (जन शक्ति) द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी जबकि आयोजना (जनशक्ति) विभाग द्वारा उपलब्ध सूची में ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं क्योंकि अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त होते ही विभाग सूची में से उनका नाम हटा देता है।

(2) कुछ विभागों/बोर्डो/संस्थाओं द्वारा आयोजना (जनशक्ति) विभाग से बिना सूची प्राप्त किये सीधी भर्ती की गई है, जिसका मुख्य कारण विभागों द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें अनुभव प्राप्त अभ्यार्थियों की आवश्यकता थी जबकि आयोजना (जनशक्ति) विभाग द्वारा उपलब्ध सूची में ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार प्राप्त होते ही विभाग सूची में से उनका नाम हटा देता है। विभागों/बोर्डो/संस्थाओं में उक्त अवधि में की गई सीधी भर्ती सम्बन्धी विस्तृत सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त नियुक्तियों अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण की गई है। इसलिए निरस्त किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(4) 3 के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता है।

(5) 3 के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता है।

(6) 3 के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता है। राज्य सेवा में अभियन्ताओं की नियुक्ति/भर्ती विभिन्न विभागों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अधीनस्थ सेवा में अभियन्ताओं की नियमित/तदर्थ/आवश्यक/अस्थाई नियुक्तियां सम्बन्धित विभागों के सेवा नियमों के आधार पर की जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पोलिंग बूथों की संशोधित सूची

461. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कई पोलिंग बूथ कई ग्रामों से काफी अधिक दूरी पर स्थित हैं?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के माधोगढ़ से अणतपुरा या सांवलियावाला पोलिंग बूथ माधोपुरा से ताज खां का बास में पोलिंग बूथ करने बाबत सरकार के समक्ष मांग की गई है? यदि हां, तो उक्त पोलिंग बूथों को कब तक बदल दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत करणगढ़ के ग्राम कैल्यावाला, कँवरपुरा, बूधरपुरा, बल्लपुरा, लालपुरा आदि गांवों की मतदाता सूचियों में अधिकांश मतदाताओं

(श्री कन्हैया लाल)

के नाम नदारद पाये जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या उक्त नामों को पुनः जोड़ कर संशोधित सूची जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो संशोधित सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सभी पोलिंग बूथ निर्वाचन आयोग द्वारा मानदण्डानुसार पूर्व में ही कायम किये हुए हैं।

(2) जी नहीं। माधोगढ़ से अणतपुरा या सांवलिया माधोपुरा से ताज का बास में पोलिंग बूथ स्थापित करने बाबत कोई मांग सरकार के समक्ष नहीं की गयी है।

(3) यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत करणगढ़ के ग्राम केलावाला, कँवरपुरा, बुधरपुरा, बल्लूपुरा, लालपुरा आदि ग्रामों की मतदाता सूचियों में से अधिकांश मतदाताओं के नाम नदारद पाये जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग को विश्व बैंक से प्रस्तावित ऋण

462. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विद्युत नियामक आयोग एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अजमेर-जयपुर तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को इनके स्थापना काल से फरवरी, 2002 के अन्त तक विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित था?

(2) उक्त अवधि में कितना-कितना ऋण प्राप्त हुआ? उक्त ऋण किन कार्यों के लिए मिला था? उक्त संस्थाओं/निगमों ने प्राप्त ऋण किन-किन कार्यों पर खर्च किया?

(3) क्या प्राप्त ऋण का कोई अंश प्रशासनिक व्यय मद में भी व्यय किया गया? यदि हां, तो कितना-कितना?

(4) क्या प्रस्तावित ऋण व प्राप्त ऋण में कोई अन्तर रहा? यदि हां, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत नियामक आयोग को विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित नहीं था। विश्व बैंक द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए दिनांक 18.1.2001 को स्वीकृत 180 मिलियन डालर की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी जिसे जून, 2005 तक खर्च किया जाना प्रस्तावित है। विश्व बैंक द्वारा बतौर अग्रिम 15 मिलियन डालर की राशि ऋण के प्रभावी होने पर तथा उसके उपरान्त विद्युत कम्पनियों द्वारा परियोजना पर किये गये खर्चों के दावे प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विश्व बैंक से राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए विद्युत कम्पनियों को 15 मिलियन डालर (70 करोड़ रुपये) की राशि बतौर अग्रिम प्राप्त हो गई है तथा कम्पनियों द्वारा रु. 16.35 करोड़ के दावे विश्व बैंक से पुनर्भरण हेतु सहायता लेखा एवं अंकेषण नियंत्रक, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेजे गये हैं। यह ऋण प्रसारण व वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग, केपैसिटर लगाने, छीजत कम करने, तकनीकी सहायता तथा सम्प्रेषण अभियान आदि के लिए स्वीकृत किया गया था। प्राप्त ऋण की राशि को परियोजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले सामान एवं तकनीकी सहायता हेतु नियुक्त किये गये सलाहकारों इत्यादि पर खर्च किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। अभी तक ऋण की अवधि पूर्ण नहीं हुई है।

नवोदय विद्यालय जाट बडौदा (सवाईमाधोपुर) को शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति

463. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बडौदा (सवाईमाधोपुर) ने विद्यालय को शहरी फीडर से जोड़े जाने हेतु तखमीना मांगा था? यदि हां, तो प्राचार्य का पत्रांक 1124-1125 दिनांक 23.9.2000, 1547/4.8.1999 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.9.1998 एवं 6.11.1998 को अधीक्षण अभियन्ता सवाईमाधोपुर को अर्द्धशासकीय पत्र लिखे थे? यदि हां, तो दोनों पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें। विद्यालय को शहरी फीडर से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं?

(3) प्राचार्य तथा विद्यालय के चेयरमैन जिला कलक्टर द्वारा बार-बार पत्र लिखने के बाद तखमीना नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं? क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या सरकार नवोदय विद्यालय को शहरी फीडर से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (पवस) गंगापुर सिटी के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बडौदा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1547 दिनांक 4.8.1999 व 1124-1125 दिनांक 23.9.2000 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 323/विकास/98 दिनांक 14.9.1998/6.11.1998 की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बड़ौदा ने विद्यालय को शहरी फीडर से जोड़ने हेतु पत्रावली रसीद संख्या 18130/96 दिनांक 29.12.2000 द्वारा जमा करवाई थी। सहायक अभियन्ता (पवस), गंगापुरसिटी द्वारा एस्टीमेट बनाकर पत्रावली दिनांक 31.3.2001 को स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, करौली को प्रेषित की। अधिशासी अभियन्ता करौली स्वीकृति देने में सक्षम नहीं थे अतः पत्रावली दिनांक 5.2.2002 को अधीक्षण अभियन्ता (पवस), सवाईमाधोपुर को स्वीकृति हेतु भेजी गई। पत्रावली में कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता थी वह दिनांक 10.3.2002 को उपलब्ध करवाई गई और अधीक्षण अभियन्ता (पवस), सवाईमाधोपुर द्वारा पत्र संख्या 8667 दिनांक 16.3.2002 को स्वीकृति जारी कर दी गई। तखमीना बनाने और उसकी विभिन्न स्तर पर जांच होने व रेलवे क्रासिंग का मामला होने के कारण प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लगा है। रेलवे लाइन क्रासिंग की स्वीकृति हेतु दिनांक 19.2.2002 को प्रकरण रेलवे अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्राचार्य, नवोदय विद्यालय को दिनांक 11.3.2002 को 8,52,759/- रुपये का प्रोविजनल मांग पत्र जारी कर दिया गया है, मांग पत्र की राशि जमा होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) चूंकि उपरोक्त प्रकरण में रेलवे क्रासिंग की आज्ञा रेलवे से प्राप्त करना सम्मिलित है जिसमें देरी लगना स्वाभाविक है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवही करना उचित नहीं है।

(4) नवोदय विद्यालय द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाने पर व रेलवे से स्वीकृति प्राप्त होने पर शहरी फीडर से ज़ोड़ने का काम आरम्भ किया जावेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

कस्बा खातोली (कोटा) का विचाराधीन ग्रिड सब स्टेशन

464. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला कोटा के कस्बा खातोली में विद्युत की समस्या के समाधान हेतु 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रिड सब स्टेशन को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति, इटावा के कस्बा खातोली में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं तथा तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से जांच की जा रही है। प्रस्ताव दिनांक 25.10.1999 को प्रथम बार बनाये गये थे।

(2) तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम खेडलाबास (जयपुर) के लम्बित कृषि कनेक्शन

465. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, बस्सी, जिला जयपुर द्वारा दिसम्बर, 1998 में खेडलावास, तहसील बस्सी (जयपुर) के उपभोक्ताओं को कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु डिमाण्ड नोट भेजा था? यदि हां, तो किस तिथि को एवं किस–किस व्यक्ति के नाम जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ताओं द्वारा नवम्बर, 1997 में राशि भी जमा करवाई गई थी? यदि हां, तो किस के द्वारा? प्राप्ति रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के उपभोक्ताओं को डिमाण्ड राशि जमा कराये जाने के बाद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन कृषि हेतु नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता (पवस), बस्सी, जिला जयपुर ने ग्राम खेडलावास (जटवाड़ा) तहसील बस्सी में केवल श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर को सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 14.3.1986 को जमा आवेदन पत्र का विशेष श्रेणी में मांग पत्र दिनांक 17.12.1998 को जारी किया था। मांग पत्र में पोलों की राशि शामिल न होने के कारण दिनांक 22.12.1998 को पोलों की राशि शामिल कर संशोधित मांग पत्र जारी किया गया। मांग पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) उक्त ग्राम में केवल एक ही आवेदक श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर ने जिलेवार कट–आफ–डेट के अनुसार वरीयता में अपना आवेदन नहीं आने के कारण दो वर्ष की प्राथमिकता लेने के लिये आदेश संख्या 1500 दिनांक 9.9.1997 के प्रावधानों के अनुसार 4000/– रुपये जमा करवाये थे। जमा राशि की रसीद की प्रतिलिपि परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) आवेदक ने, रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 22.12.1998 को भेजे गये मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाई है, अतः उसको कनेक्शन जारी करना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्रस्तावित ट्रांसफार्मर

466. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में "प्रशासन गांवों के संग" और "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में बिजली डिम (पावर कम) रहने की वजह से नए ट्रांसफार्मर लगाने हेतु विभिन्न गांवों एवं शहर के विभिन्न वार्डों से कितने प्रार्थना पत्र कैम्प प्रभारी को प्राप्त हुए?

(2) क्या उक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है? यदि हां, तो कितने नए ट्रांसफार्मर और कहां-कहां लगाए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ट्रांसफार्मरों को सरकार शीघ्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में "प्रशासन गांवों के संग" तथा "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के दौरान बिजली डिम (पावर कम) रहने की शिकायत के सात प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(2) उक्त शिकायतों में से ग्राम नेउराना में 63 के.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर व ग्राम निनाण में लोड शिफ्ट करके समस्या का निस्तारण किया जा चुका है। ग्राम रासलाना में आपसी विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। शेष ग्राम रामसरा, अजीतपुरा, विरान व भिरानी में ट्रांसफार्मर लगाने, लोड शिफ्टिंग व सिंगल फेस लाइन को तीन फेस लाइन में बदलने आदि के विकल्पों में से तकनीकी दृष्टि से उचित विकल्प का चयन कर समस्या निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(3) तकनीकी दृष्टि से जहां ट्रांसफार्मर लगाना आवश्यक होगा, वहां पर ट्रांसफार्मर स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु प्रदत्त राशि

467. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001" व "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2002" में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान देने के लिए कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र तथा कुचामन तथा नावां नगरपालिका क्षेत्र में किन-किन महिलाओं

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

के कितने-कितने आवेदन पत्र किस-किस स्थान पर प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में ऐसी महिलाओं को वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक किन-किन को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहायता राशि पात्रता रखने वाली महिला को उसकी पुत्री के विवाह से कितने दिन पूर्व स्वीकृति जारी करा दी जाती है?

(4) क्या उक्त जिले में उक्त अवधि में ऐसी राशि उपलब्ध कराने के लिए कोई आवेदन पत्र निर्णय हेतु विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने व क्यों और उन्हें उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2001" व "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2002" में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र तथा कुचामन तथा नावां नगरपालिका क्षेत्र में 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नागौर जिले में ऐसी महिलाओं को वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक 9 विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त सहायता राशि आवेदिका की पुत्री की शादी के एक माह पहले तक जिला अधिकारी को आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पश्चात् जांच कर 15 दिन में भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(4) जी हां। 37 आवेदन पत्र निर्णय हेतु विचाराधीन थे। इनमें से 34 महिलाओं को माह मार्च, 2002 में सहायता उपलब्ध करवा दी गई है। शेष 3 आवेदन पत्रों में कमी की पूर्ति के पश्चात् उनका भी शीघ्र निस्तारण कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला जालौर में संचालित कल्याणकारी योजनाएं

468. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्त एवं घुमंतु जाति, स्वच्छकार, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं? यदि हां, तो वृद्ध कल्याण, विकलांग कल्याण, विधवा सहायता, आश्रितम गृह, मदर टेरेसा महिला सदन, गाड़िया लौहारों को आवास, क्षतिपूर्ति,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

पुरस्कार योजना के क्षेत्र में जिला जालौर में क्या-क्या कार्य किए गए हैं? प्रत्येक योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला जालौर की विधान सभा क्षेत्रवार संचालित विभागीय योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम स्तर पर संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ में गैस सिलेण्डर प्रकरण

469. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ, जयपुर में गैस सिलेण्डरों की राशि के गबन में जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया उन्हें न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है? यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संघ ने कब अपील की?

(2) क्या अपील अवधि पार हो गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैस सिलेण्डरों की राशि के गबनकर्त्ताओं को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है किन्तु राज्य सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के समक्ष दिनांक 27.6.2001 को अपील कर दी है।

(2) जी नहीं। अपील अवधि में ही प्रस्तुत हुई है।

जिला अलवर की पंचशील गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा ऋण

470. श्री राजेन्द्र सिंह (लक्ष्मणगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कुल कितनी ऋणदात्री सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पंचशील गृह निर्माण सहकारी समिति कब से पंजीकृत है? उक्त ने कब-कब, किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण दिया है और वसूली की क्या प्रक्रिया तथा स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में कुल 426 ऋणदात्री सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। वर्गवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में पंचशील गृह निर्माण सहकारी समिति वर्ष 1989 से पंजीकृत हैं। उक्त समिति द्वारा किस-किस व्यक्ति को कब-कब, कितना-कितना ऋण दिया और वर्तमान में ऋण बकाया की क्या स्थिति है, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जहां तक वसूली प्रक्रिया का प्रश्न है, सदस्यों से निर्धारित किस्तों की वसूली त्रैमासिक आधार पर की जाती है तथा अवधिपार होने की स्थिति में नियमानुसार दण्डनीय ब्याज वसूल किये जाने के प्रावधान हैं। वसूली प्रक्रिया के लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधान प्रभावी हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल, गंगापुर (भीलवाड़ा) को आर्थिक सहायता

471. श्री रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगापुर (भीलवाड़ा) को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल में वर्तमान में कितने श्रमिक कार्यरत हैं? उक्त स्पीनिंग इकाई की वर्तमान में वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है?

(2) क्या वित्तीय संसाधनों की कमी के परिणामस्वरूप मिल की मशीनों में आवश्यक वांछित सुधार नहीं हो पाया है जिसमें मिल उत्पादन एवं गुणवत्ता के स्तर में काफी पीछे रह गई है?

(3) क्या उक्त इकाई निरन्तर रोकड़ हानि की ओर अग्रसर है जिससे इसके पास वर्तमान में कार्यशील पूंजी का भयंकर अभाव है? यदि हां, तो कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तथा उसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि स्पिन फैड प्रबन्धन द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 4 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषण हेतु प्रेषित किये गये थे जिन्हें राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी निगम, नई दिल्ली को भेजा जाना था लेकिन काफी लम्बे समय से उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित किये हैं जिससे उक्त मिल की वित्तीय स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है?

(5) क्या यह सही है कि अगर उक्त मिल को तुरन्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई तो मिल बन्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लगभग 2000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा?

उत्तर

(1) गंगापुर को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल में 1290 श्रमिक वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्तमान में गंगापुर इकाई की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। यह यूनिट माह फरवरी, 2002 तक 163.57 लाख की संचित हानि में है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। गंगापुर इकाई में वर्ष 2000-2001 में निरन्तर रोकड़ हानि होने के कारण कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी का अभाव हो गया है। वर्ष 2000-2001 में 214.61 लाख रु. एवं फरवरी, 2002 तक 212.61 लाख रु. की हानि इकाई को हो चुकी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की पुनर्वास योजना के तहत रु. 820 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उक्त राशि में 449.63 लाख रु. कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी शामिल है।

(4) जी हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से चार करोड़ रुपये के लिये जाने वाले ऋण के विषय में राज्य सरकार द्वारा संख्या को वित्तीय संसाधनों से सीधे ऋण प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अत: यह प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(5) कार्यशील पूंजी के अभाव में मिल बन्द होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

जिला श्रीगंगानगर में सहकार किसान कार्ड योजना से लाभान्वित व्यक्ति

472. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1999 से राजस्थान में पहली बार लागू सहकार किसान कार्ड योजनान्तर्गत प्रदेश में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? उक्त योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से लाभान्वित लोगों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना से भूमिहीन लोगों को भी लाभान्वित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सन्दर्भ में कोई विचार रखती है?

उत्तर

(1) अप्रैल, 1999 से राजस्थान में पहली बार लागू सहकार किसान कार्ड योजनान्तर्गत प्रदेश में माह जनवरी, 2002 तक 1596327 किसानों को लाभान्वित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित लोगों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। योजना में प्रावधान नहीं है। जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला नागौर में अपूर्ण अकाल राहत कार्य

473. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2000-2001 के दौरान अकाल राहत के अन्तर्गत जिला नागौर में कुल कितने विकास कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? कार्यवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिये गये तथा कितने कार्य अपूर्ण रह गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मद से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अकाल राहत मद से स्वीकृत कार्यों में से जिला नागौर में कुल कितने टांकों (हौज) का निर्माण कहां-कहां पर कराया गया? उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 के दौरान नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 2549 कार्य 4950.442 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये। तहसीलवार कार्यवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) स्वीकृत कार्यों में से निर्धारित अवधि में 2143 कार्य पूर्ण हो गये तथा 207 कार्य अपूर्ण रहे। पूर्ण हुए तथा अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 शेष रहे कार्य शुरू नहीं हुए।

(3) अभाव स्थिति की घोषणा के उपरान्त राहत कार्यों के संचालन हेतु जारी निर्देशों की पालना में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) अकाल राहत कार्यों के मद से जिला नागौर में निर्माण कराये गये टांकों (हौज) का विवरण व व्यय की गई राशि का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-4)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पथ परिवहन निगम की सरकार पर बकाया राशि

474. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को किराये में छूट दी जाती है उस छूट राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो इस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समय निगम को कितनी राशि राज्य सरकार से लेनी है तथा यह राशि कब-कब से बकाया है?

(2) उक्त राशि को राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिये निगम ने क्या-क्या प्रयास किये तथा वसूल नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार बकाया राशि पर निगम को ब्याज दे रही है? यदि हां, तो किस हिसाब से तथा नहीं, तो क्यों जबकि निगम ऋण लेकर कार्य चला रही है जिस पर निगम को ब्याज देना पड़ रहा है?

(4) उक्त राशि सरकार द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने के कारण निगम को कितना नुकसान ब्याज का हुआ और प्रतिमाह आगे होने जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा राज्य सरकार से वर्ष 1992-93 से 1999-2000 तक की अवधि की किराये में छूट की यात्राओं के पुनर्भरण हेतु राशि रुपये 13685.45 लाख की मांग की गई है। परन्तु उक्त राशि की यात्राओं की श्रेणियों का वर्षवार एवं विभागवार विवरण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त नहीं होने के कारण निगम की पुनर्भरण योग्य कितनी राशि कब से बकाया है, इसका अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं हो सकता है।

(2) निगम द्वारा राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिए समय-समय पर पत्र व्यवहार कर प्रयास किए गए हैं। उक्त राशि की यात्राओं का श्रेणीवार एवं वर्षवार पूर्ण ठोस विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस राशि के पुनर्भरण के सम्बन्ध में अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं किया जा सका है। अतः उक्त सूचना संकलित रूप से ठोस प्रमाण सहित प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा राशि का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्भरण/समायोजन करने बाबत गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। निगम राज्य का उपक्रम होने से यह राज्य सरकार का नीतिगत मामला है।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बताई जा रही बकाया राशि का राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय राशि का निर्धारण ठोस एवं प्रमाणित होने पर ही इस बाबत किसी प्रकार की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

पथ परिवहन निगम में मृतक आश्रित को नौकरी

475. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्तमान में

(श्री सांवर लाल)

कुल कितने आवेदन पत्र नौकरी के लिए लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त मृत के आश्रितों को नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में 265 प्रार्थना पत्र लम्बित है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के नीतिनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

विधायक यात्रा कूपन से टिकट जारी करने के मानदण्ड

476. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्तमान/भूतपूर्व विधायकों के यात्रा कूपन पर बस टिकट बुकिंग खिड़की से जारी करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त कूपनों पर बस परिचालकों द्वारा विधायकों को टिकट लगेज/बच्चों की टिकट बुक्स से जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या परिवहन निगम विधायकों को बच्चे या लगेज समझता है? यदि हां, तो क्यों? उक्त के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधायकों के स्टेटस को देखते हुए बस टिकट बुकिंग खिड़की से जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के इस भाग का उत्तर भाग (1) में ऊपर दिया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

477. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या साली से जाड़न, मारवाड़ जंक्शन, बिठोडाकला, आउवा, जैतपुरा, देवली, जाणुन्दा, धनला, जोजावर, सांसटी, पनोता, नयागांव, कोट सोलकियान, पाली से धनला, जोजावर, पनोता, कोलर, मगरतलाब, लापी, देसूरी, फालना, पाली से खैरवा, मारवाड़ जंक्शन, नरसिंहपुरा, गादाणा, रडावास, राणावास, गुढ़ा सूरसिंह, सिरीयारी, सारण, बोरी मादा, राड़झालरा

(श्री केसाराम चौधरी)

झामुडा, बिराखण, भीम, पाली से सोजत सिटी नागा की बेरी, खारियाशोडा, दुदोड, मारवाड़ जंक्शन, आऊवा, देवली, चनला, गजनीपुरा, खिखडा, सिवास होनडी, निपाल, नाडौल रानी से फालना, पाली से खैरवा, रामपुरा, गोदावास, बाड़सा, सूर्यनगर, मारवाड़ जंक्शन, हैमलियावास, दुदोड, नागा की बेरी सोजत सिटी से ब्यावर मार्ग पर पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं संचालित हो रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त मार्गों पर निगम की बस सेवाएं संचालित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल प्रश्न के इस भाग में अंकित स्थानों में से जिन स्थानों के लिये निगम द्वारा बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है अथवा नहीं, उनके नाम परिशिष्ट "1" में अंकित कर दिये गये हैं।

(2) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या "1" के उत्तर में दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस की दोहरी वसूली

478. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकारी विभागों द्वारा पुराने वाहनों को नीलाम करने के बाद खरीदे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने पर खरीदी गयी कीमत का परिवहन टैक्स नहीं लेकर नये वाहन की कीमत का टैक्स लेना कहां तक उचित है?

(2) क्या सरकार उक्त अविवेकपूर्ण निर्णय को संशोधित करके खरीदी गयी कीमत का टैक्स लेकर रजिस्ट्रेशन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या रजिस्ट्रेशन के वक्त वन टाइम टैक्स वाहन स्वामी से वसूला जाता है तथा छह माह बाद अगर स्वामी वाहन बेचता है तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के वक्त दुबारा 1/3 टैक्स फिर लिया जाना कहां तक उचित है?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.1986 को बैठक क्षमता 6 तक की गैर परिवहन यानों पर एकबारीय कर लागू किया गया था। इसी प्रकार 7 से 10 बैठक क्षमता वाली गैर परिवहन यानों पर दिनांक 1.4.1997 से एकबारीय कर लागू किया गया था।

(यातायात मंत्री)

6 क्षमता तक के गैर परिवहन यानों में 1.4.1986 से व 7 से 10 क्षमता वाली वाहनों के मामलों में 1.4.1997 से पूर्व के वित्तीय वर्षों या उसके भाग के लिए निर्धारित स्लेब रेट के अनुसार कर की राशि, देय कर में से कम किए जाने का प्रावधान है। राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(1)(बी) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1997 से पूर्व राज्य में या राज्य से बाहर पंजीकृत वाहन जो पूर्व में एकबारीय कर की परिधि में नहीं आये, उन पर समकक्ष वाहन की कर जमा के समय वर्तमान की कीमत पर कर सुनिश्चित किया गया है। उक्त प्रावधान न्यायसंगत है।

(2) जी नहीं। कर वसूली राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत की जाती है, जो पूर्णत: न्यायसंगत है।

(3) जी हां। 10 सीट तक के गैर परिवहन यात्री वाहनों के पंजीयन के समय एकबारीय कर वसूली किया जाता है तथा इन वाहनों के प्रत्येक हस्तान्तरण के समय पंजीयन के समय जमा एकबारीय कर की राशि से आधी राशि कर के रूप में जमा करानी होती है जो नियमानुसार है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जनजाति बहुल ग्राम

479. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समिति, बेगूं व भैंसरोड़गढ़ में कितने गांव अनुसूचित जनजाति के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माडा व टाडा हेतु क्षेत्र में कितने प्रतिशत आबादी की आवश्यकता होती है? क्या पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में माडा के कितने ही गांव होने पर भी इसे टाडा में सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जनजाति बाहुल्य वाले 149 ग्राम माडा क्षेत्र में सम्मिलित हैं जिसमें से 38 ग्राम पं.स., बेगूं तथा 111 ग्राम पं. समिति, भैंसरोडगढ़ के हैं। माडा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के ग्रामों की सूची क्रमश: परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) माडा लघुखण्ड भौगोलिक निरन्तरता वाले ग्रामों का समूह होता है जिसकी कुल जनसंख्या दस हजार या उससे अधिक है तथा उसमें कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या होनी

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

चाहिए। किसी भी पंचायत समिति को अनुसूचित क्षेत्र (टाडा) में सम्मिलित करने हेतु पंचायत समिति की कुल जनसंख्या में से कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या तथा उसकी अनुसूचित क्षेत्र से भौगोलिक निरन्तरता होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है।

भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति आबादी कुल आबादी का 35 प्रतिशत ही होने से इसे अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

बीकानेर सम्भाग में अल्पबचत राशि से स्वीकृत कार्य

480. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**:** क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में अल्प बचत विभाग के माध्यम से जिलेवार कितनी राशि जमा हुई?

(2) राज्य सरकार ने जिलेवार कितनी कितनी राशि व्यय करने के लिए वर्ष 2001-2002 में जिला कलक्टर को अधिकृत किया? सरकार द्वारा राशि का उपयोग करने के निर्देश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर सम्भाग में जिलेवार वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 में किस किस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की है? कार्यवार राशि, कार्यस्थल, उद्देश्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में सकल जमा 4961.83 करोड़ रुपये एवं शुद्ध जमा 2931.65 करोड़ रुपये हुई है जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने वर्ष 2001-2002 में जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत व्यक्तिगत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रुपये 69.03 लाख एवं प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 482.20 लाख कुल रुपये 551.23 लाख खर्च करने हेतु जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है सरकार द्वारा इस राशि को उपयोग करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) बीकानेर सम्भाग में वर्ष 1998-99 से 2001-2002 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रुपये 79,25,146/- की राशि व्यय की गई है। कार्यवार राशि, कार्यस्थल उद्देश्य का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड में प्रतीक्षारत अधिकारियों का अनियमित पदस्थापन

481. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में सितम्बर, 2001 में काफी अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार फील्ड पोस्टिंग से हटाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था? यदि हां, तो किस-किस को? सूची अधिकारी के मुख्यालय सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त अधिकारी कहां किस पद पर पदस्थापित है? क्या पुनः उक्त अधिकारियों को नियम विरुद्ध फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इनको फील्ड पोस्टिंग से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बोर्ड में फील्ड पोस्टिंग से हटाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखे गये अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिकारियों के पदस्थापन का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाया गया है। इन अधिकारियों को नियम विरुद्ध फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

कृषि उपज मण्डियों में भू-राजस्व के तहत वसूली

482. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भू-राजस्व के तहत वसूली हेतु विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में अनेक प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में कितनी राशि बकाया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया वसूली में शिथिलता क्यों बरती जा रही है? अब शीघ्र वसूली हेतु कार्यवाही किये जाने की सरकार की क्या योजना है और कब तक पूरी वसूली कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को प्रेषित किये जाते हैं तथा इसके पश्चात् वसूली की प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर/उप खण्ड अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। शेष का सम्बन्ध विभाग से नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कृषि उपज मण्डियों में केन्टीन का आबंटन

483. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में किन-किन कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में केन्टीन भवन निर्मित हैं? उक्त का आबंटन किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवनों का कहां-कहां आबंटन कर दिया गया है और जहां आबंटन नहीं हो पाया है उसके क्या कारण हैं एवं अब उक्त आबंटन कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य में स्थापित कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में निर्मित केन्टीन भवनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। केन्टीन भवनों का आबंटन निश्चित अवधि के लिए ठेके से किया जाता है।

(2) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या-4, 5 एवं 6 अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राज्य कृषि विपणन बोर्ड में रिक्त अधिकारी पद

484. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में विपणन सेवा के अधिकारियों से भरे जाने वाले पद कौन-कौन से हैं? उक्त पदों पर किस सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं?

(2) क्या उक्त पदों पर योग्य अधिकारी नहीं होने से विपणन बोर्ड अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है? क्या उक्त पदों पर सरकार योग्य अधिकारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में विपणन सेवा के अधिकारियों से भरे जाने वाले निम्नांकित पद हैं :-

सचिव, बोर्ड का एक पद

सहायक विपणन अधिकारी के दो पद

कनिष्ठ विपणन अधिकारी के दो पद

उक्त पदों में से सहायक विपणन अधिकारी के पद के विरुद्ध विपणन सेवा का एक अधिकारी कार्यरत है। शेष पद रिक्त है।

(2) जी नहीं। दूसरे अधिकारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार से कर रखा है कि जरूरी कार्य नहीं रुके। उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होते ही पदस्थापन किया जावेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर की भूमि का खुदरा विक्रेताओं को आबंटन

485. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी), जयपुर की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खुदरा फल सब्जी विक्रेताओं को बैठा दिया गया है? यदि हां, तो उक्त का आबंटन किसके द्वारा किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस भूमि पर खुदरा विक्रेताओं को बैठाया गया है वह भूमि फल-सब्जी मण्डी की है? यदि हां, तो उक्त पर निर्माण सहित कितना व्यय मण्डी समिति का हुआ एवं क्या उक्त राशि मण्डी समिति को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी और नहीं, तो मण्डी समिति द्वारा इसको वसूलने की क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है।

(2) जी हां। इस भूमि पर निर्माण सहित कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी), जयपुर की 42.09 लाख राशि तत्समय व्यय हुई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जाने वाली राशि का निर्धारण एवं वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि विपणन सेवा में पात्र अधिकारियों की पदोन्नति

486. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि विपणन सेवा में बहुत से पदोन्नति के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिन पदों पर पदोन्नतियां नहीं हुई उसके क्या कारण हैं?

(3) क्या उक्त पदोन्नति हेतु पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या उन्हें नियमों में शिथिलता देकर पदोन्नत किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	संयुक्त निदेशक	2
2.	उप निदेशक	4
3.	सहायक निदेशक	15
4.	विपणन अधिकारी	25

(2) उक्त रिक्त पदों में से उप निदेशक पद पर दो एवं सहायक निदेशक पद पर 6 अधिकारियों की पदोन्नति आदेश दिनांक 26.9.2001 के द्वारा की जा चुकी है किन्तु इनमें से कुछ पदस्थापन आदेश

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। संयुक्त निदेशक के पदों के लिए कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा उप निदेशक व सहायक निदेशक के भी शेष पदों के लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी। वर्तमान में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने पर कार्मिक विभाग का प्रतिबन्ध है।

(3) विपणन अधिकारियों को छोड़कर शेष पदों के लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर लगाये प्रतिबन्ध के हटने पर नियमानुसार पदोन्नतियां दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित सूची के प्रश्नों के सदन में मौखिक उत्तर के अधिकाधिक अवसर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर, अभी तो जीरो आवर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, क्वेश्चन आवर के खतम होते ही लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, लग तो नहीं सकता। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जी कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं अलाउ कर रहा हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्वेश्चन आवर के सम्बन्ध में ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह रोज-रोज इतनी बड़ी लिस्ट आती है, इसमें कई क्वेश्चन होते हैं। आप जानते हैं एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिये सरकार का कितना खर्चा होता है, माननीय सदस्य कितनी तैयारी करके आते हैं। लेकिन इस सत्र में मैं देख रहा हूं दो क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा तीन क्वेश्चन लिये जाते हैं। क्या इसकी आप व्यवस्था कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिये जाएं? यह व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप इतनी बड़ी लिस्ट क्यों प्रिंट करवाते हैं? एक-दो क्वेश्चन जो लेने हैं वे ले लें। इस पर खर्चा भी बहुत होता है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न के ऊपर लाखों रुपये खर्च होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं खुद ही कह रहा हूं न। बहुत खर्चा होता है तो इसकी व्यवस्था करिए। या तो खर्चा बन्द हो।

श्री अध्यक्ष : आप आपके इधर के माननीय सदस्यों को...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष : कहें, वे सहयोग करें। आप अपने माननीय सदस्यों को...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन तो पूछेंगे। लेकिन मुझे माफ करना, इसका नियन्त्रण आसन के हाथ में है। आसन अगर कह दे आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : आसन तो व्यवस्था, व्यवस्था, आर्डर-आर्डर करके खड़ा रहता है, फिर क्या करें? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आर्डर-आर्डर करके...(व्यवधान) इस मजबूरी की सजा सदन को नहीं दी जा सकती। इसकी तो आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था मैंने दो हजार में की थी। एक व्यवस्था दी थी कि आप रूल 31 की अनुपालना कीजिये। आप कहीं तो जो कल मैंने व्यवस्था दी है, सर्कुलेट करवा दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल कर दूंगा। कल ही कर दूंगा मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है। नहीं, यह होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो आपसे सहमत हूं खुद ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) इसीलिये मैंने कहा है। (व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री तकीउद्दीन अहमद, सदस्य को 1 अप्रैल, 2002 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री तकीउद्दीन अहमद, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा के गंगापुर में गेहूं तथा सरसों की फसल की समर्थन मूल्य में खरीद की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से नर्सिंग कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गयी बर्बरतापूर्वक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से केस नं. 128/2000 थाना चितावा (नागौर) का चालान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.08 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो निर्ममतापूर्वक नर्सिंग कर्मियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, वह बहुत बड़ा कलंक है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी आने दीजिये सरकार से। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना: नहीं, जानकारी आ जाएगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जानकारी क्या मंगाएंगे? (व्यवधान) लोगों के कूल्हे तोड़ दिये, खुले आम चोटें... (व्यवधान) और आप जानकारी मंगाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: पटक-पटक कर पीटा गया है महिला नर्सिंग कर्मियों को।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह महिला नर्सिंग कर्मी देखो, यहां पर क्या हालत हुई है? एक फोटोग्राफर उठा रहा है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तोगड़िया तो रुका नहीं पुलिस से और इन नर्सिंग कर्मियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। क्या हालत की है इनकी, देखो आप, ये अखबार रंगें पड़े हैं और सरकार से जवाब मंगाने की बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (संकेत से मना किया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

डा. रतन लाल जाट : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास हेतु बसाई गयी कालोनियों के वासियों को पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की ग्राम पंचायत फतहपुर की दो किलोमीटर सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ के एक अध्यापक के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. पर कोई कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा में बनास नदी के आसपास के क्षेत्र का जल स्तर गिरने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांव जटवाड़ा में स्वीकृत 33/11 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं के ग्राम गुढ़ागोड़जी के चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करने से आनाकानी करने के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : (8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से जिला करौली के पांचना बांध का पानी घना पक्षी अभ्यारण्य में छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य श्रेणी भूमि आबंटन की किस्तों पर 30.6.2002 तक ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(11) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से भादरा से सहायक कलक्टर कार्यालय को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री ज्ञानचन्दजी पारख, 295 पढ़िये। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी पारख, आप बोलेंगे 295? बोलिये। बिराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. किरोड़ी लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी पारख, आप बोलिये न। आप बोलिये ये बैठ जाएंगे। (भारी व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

डा. किरौड़ी लाल : xxx

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के लिए संकेत)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (निरन्तर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी कि जानकारी के लिए भेजा है। जानकारी आ जाने दीजिये उसके बाद...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री मोहन लाल मोदी : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी पारख, 295 पढ़िये। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये स्वायत्त शासन मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1979 की भीषण बाढ़ में पाली शहर के ऐसे परिवार जो बाढ़ की चपेट में आ गये थे, उनके पुनर्वास हेतु तत्कालीन जिला कलक्टर ने आनन्द नगर, प्रताप नगर पुनर्वास योजना बना बाढ़ पीड़ित परिवारों को भूखण्ड आबंटित किये जिस पर लोगों ने अपने मकान भी कई वर्षों पूर्व बना दिये परन्तु कई व्यक्तियों को अभी तक पट्टे नहीं मिले। (निरन्तर भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

(भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

(मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, बसपा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री फतेह सिंह : ×××

(जनता दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

(श्री अमराराम (धोद) सदस्य, माकपा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं इसको। इसमें सरकार से जानकारी प्राप्त कर लें, व्यवस्था दे दी अध्यक्ष महोदय ने। उसके बाद फिर इनको ही बोलने देता न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

(निर्दलीय माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : जो भी स्थिति है। हां, वह ठीक है, यह आपका राइट है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): यह आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पाली में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु बसायी गयी कालोनियों के पट्टे

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सन् 1979 की भीषण बाढ़ में पाली शहर के ऐसे परिवार जो बाढ़ की चपेट में आ गये थे, उनके पुनर्वास हेतु तत्कालीन जिला कलक्टर ने आनन्द नगर, प्रतापनगर, पुनर्वास योजना बना बाढ़

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पीड़ित परिवारों को भूखण्ड आबंटित किये जिस पर लोगों ने अपने मकान भी कई वर्षों पूर्व बना लिये परन्तु कई व्यक्तियों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। पट्टे नहीं मिलने का कारण व उसके समाधान हेतु सुझाव निम्न हैं :-

(1) चूंकि इन परिवारों का बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया था जिससे वे समय पर भूखण्ड की राशि जमा नहीं करवा सके। जब उनके पास पैसे की व्यवस्था हुई तो नगर परिषद् ने यह कह कर राशि जमा नहीं की कि राशि जमा करवाने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई जिसके कारण कई परिवार चाहते हुए राशि जमा नहीं करवा सके। सन् 1989 में राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए ब्याज कर शास्ति माफ कर मूल राशि जमा करने के आदेश दिये, परन्तु राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट की जानकारी नगर परिषद् द्वारा वहां के निवासियों को नहीं दी गई। मात्र कुछ लोग जिनको इस छूट की जानकारी किसी माध्यम से मिल गई थी, उन्होंने ही इस छूट का लाभ उठाकर पट्टे प्राप्त कर लिये। कहने को तो नगर परिषद्, पाली यह कहती है कि उन्होंने इन बस्तियों के प्रत्येक आबंटी को जरिये नोटिस इसकी सूचना दी परन्तु वास्तविकता यह है कि उन नोटिसों को यों ही तामील हुआ बता दिया गया जबकि उसके सही मालिक को नोटिस मिला ही नहीं। नगर परिषद् के पुनः आग्रह के बाद वर्ष 1997-98 में पूर्व की 1989 में सरकार द्वारा दी गई शिथिलता के क्रम में शास्ति में छूट दी गई एवं 1989 से ब्याज वसूल करते हुए इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु आदेश जारी किया गया परन्तु इस आदेश के साथ यह शर्त भी लगा दी गयी, कि पूर्व में जानकारी एवं सूचना के अभाव में जो व्यक्ति राशि नहीं जमा करवा पाये उनकी राशि व 1989 के बाद का ब्याज जमा कर पट्टे दे दिये जाएं। इस शर्त के कारण मात्र चार-पांच व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिला। मान्यवर, वर्ष 1997-98 में सरकार द्वारा दी गई शिथिलता के साथ लगी शर्त हटा दी जाए तो काफी व्यक्तियों को पट्टे मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

(2) मान्यवर, साथ ही प्रताप नगर योजना का जो मानचित्र स्वीकृत है उसमें अधिकांश भूखण्ड 25×50 फीट के हैं और कार्नर वाले भूखण्ड 30×50 के हैं। परन्तु नगर परिषद्, पाली ने कार्नर प्लाट वाले मालिकों को भी 25×50 फीट का पट्टा देने की बात की जबकि कार्नर प्लाट के मालिकों ने 30×50 पर पहले ही भवन निर्माण कर लिया। यहां तक कि नगर परिषद्, पाली ने इन कार्नर प्लाट मालिकों को 30×50 फीट पर भवन निमार्ण स्वीकृति जारी की परन्तु पट्टे देने की मनाही कर दी। कुछ व्यक्तियों ने तो नगर परिषद् के तत्कालीन अधिकारियों से सांठ-गांठ कर 30×50 के पट्टे भी हासिल कर लिये और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

शेष लोगों को पट्टों से अभी तक वंचित रखा। यदि सरकार द्वारा प्रताप नगर के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्नर प्लाट मालिकों को पट्टे दे दिये जाएं तो काफी प्रकरण निपट जाएंगे।

(3) जिस भूमि पर आनन्द नगर योजनाा बनाई गई उस भूमि के कुछ हिस्से पर 12 परिवार पूर्व में ही काबिज हैं, उन्हें नगर परिषद् द्वारा इसी योजना में व्यस्थित रूप से बसाया गया था। उन्हें तत्कालीन प्रशासन द्वारा 250 रुपये जमा करने एवं भूखण्ड आबंटन करने के आदेश भी पत्रावलियों में मौजूद हैं, परन्तु जिला कलक्टर से स्वीकृति नहीं लिये जाने के कारण इन्हें पट्टे नहीं दिये जा सके जबकि ये लोग उस समय से ही काबिज हैं। इसके साथ ही प्रताप नगर में लगभग चालीस ऐसे प्रकरण हैं जिनमें तत्कालीन प्रशासन द्वारा राशि जमा करने के आदेश हैं परन्तु जिला कलक्टर से इनकी भी स्वीकृति नहीं ली गई जिसके कारण ये अभी तक पट्टों से वंचित हैं जबकि ये शुरू से ही वहां काबिज हैं। अत: जिला कलक्टर की स्वीकृति के अभाव में जो परिवार पट्टों से वंचित रह गये उनके लिए विशेष छूट दी जाकर ये प्रकरण भी निपटाये जाएं।

(4) इनमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मूल आबंटियों से बिना पट्टे के ही कब्जे के आधार पर भूखण्ड या मकान क्रय कर लिये। मूल आबंटी अब पाली से अन्यत्र जा चुके हैं या उनका अब इन मकानों से कोई लेना-देना नहीं रह गया। वर्तमान मालिक अब पट्टे प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु नगर परिषद् यह कह कर पट्टे देने से इंकार कर देती है कि वो मूल आबंटी के नाम से ही पट्टे देगी। हस्तान्तरण शुल्क जो भी राज्य सरकार तय करना चाहे, वसूल कर इन प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा सकता है।

मान्यवर, आपने कच्ची बस्ती नियमन, कृषि भूमि नियमन के जरिये पाली में हजारों व्यक्तियों को पट्टे उपलब्ध कराये हैं। कृपया इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई शिथिलता प्रदान कर इन व्यक्तियों को पट्टे उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां बैठे भी हैं और इन्होंने पट्टों के मामलों में...

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायणजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां बैठे हैं, क्या जवाब देंगे?

श्री ज्ञानचन्द पारख : इन्होंने पट्टों के मामले में राजस्थान में जो ऐतिहासिक काम किया है इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने...

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायणजी। श्री ज्ञानदेवजी आहूजा। (व्यवधान) आप बोलो न फिर। शिवनारायणजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कोई जवाब नहीं दे रहे। बिराजो प्लीज। (व्यवधान) नहीं, यह प्रैक्टिस...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के सवाल आते हैं तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मंत्रीजी बिराज रहे हैं वे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। मंत्रीजी बोल रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायणजी।श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य ने एक विषय 295 के अन्तर्गत उठाया है, मंत्रीजी अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हुआ है इस सदन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। जरूरी नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : 295 में मंत्रीजी ने जवाब पहले भी दिया है, वह देना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब देना आवश्यक नहीं है परन्तु वह जागरूक मंत्री हैं, देना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप देते रहे थे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह आपकी तरह नहीं हैं, वह जागरूक हैं, देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां-हां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने दिया है, कई बार दिया है पहले। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कितने 295 के जवाब दिये जब आप राज्य मंत्री थे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा, क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। यह पट्टों का मामला है और मेरे यहां सैकड़ों पट्टे बाकी हैं। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दे रहे हैं। पहले भी दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप मिल लेना, कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर सरकार की क्या नीति है, सारी बात स्पष्ट होगी। पाली के माध्यम से पूरे राजस्थान के अन्दर सरकार की नीति जाएगी सदन के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : चली जाएगी सरकार की नीति। बिराजिए आप। ज्ञानदेवजी आहूजा, आप बोलना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी बिराज रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, वह कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करिए प्लीज। बिराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन मंत्रीजी को जवाब देने से आप कैसे रोक सकते हैं, वह खड़े हुए हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ करूंगा तब देंगे न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह खड़े हुए हैं। जब मंत्री खुद जवाब देना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I have to allow him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : You should also allow him.

श्री उपाध्यक्ष : I have to allow him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : The Chair has to allow him.

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो हर मंत्रीजी से जवाब मांगेंगे। 295 का जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का सदस्यों को प्रिविलेज है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी, क्या आप बोल रहे हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे या नहीं दे आसन से अगर डायरेक्शन है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आसन मना नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : हर कोई 295 का जवाब मांग लेंगे, इसका कोई एण्ड नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवाल वह नहीं है, आसन मना नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है और आसन का डायरेक्शन सुप्रीम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री दिग्विजय सिंह : आसन का डायरेक्शन सुप्रीम होता है। आसन यदि इजाजत नहीं दे तो कोई चाहे मंत्री हो या विधायक हो, वह खड़े होकर बोल नहीं सकता। आसन का डायरेक्शन सुप्रीम है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। श्री शिवनारायण।

बारां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फतहपुर की अधूरी सड़क के निर्माण हेतु बजट का आबंटन

श्री शिवनारायण (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बारां की ग्राम पंचायत फतहपुर, पंचायत समिति बारां की दो किलोमीटर सड़क का माह फरवरी, 2001 में कार्य शुरू कर मार्च, 2001 के बाद स्वीकृत बजट नहीं दिये जाने से ग्राम पंचायतवासियों को असुविधा होने के विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत फतहपुर को दो किलोमीटर सड़क का कार्य 5054/एस.एम. 2 आर. मद में जोन नं. 835 वर्ष 1999/2000 में 8 लाख का स्वीकृत किया गया था। कार्य की आमंत्रित की गई निविदा में कार्यदेश के अनुसार 22.10.2000 को कार्य प्रारम्भ होकर 29.2.2001 तक पूर्ण करना था।

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (सड़क) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1493 दिनांक 13.10.2000 से सड़क प्लान मद के नवीन कार्यों पर रोक लगाने के कारण कार्य शुरू नहीं करवाया गया। श्रीमान् मुख्य अभियन्ता द्वारा रुपये 7.20 लाख का बजट आबंटित किया गया था जिसकी सूचना 18.1.2001 को प्राप्त हुई। मार्च, 2000 में डामर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। केवल कुटाई का कार्य शुरू हो पाया था। वर्ष 2001-2002 में प्लान मद में राशि आबंटन नहीं हो पाने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। अतः ग्राम पंचायत फतहपुर की 6 हजार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष में सात लाख बीस हजार की राशि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, जीप, साइकिल व पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत विनम्र निवेदन है कि श्री धनमत खां, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के खिलाफ उसी स्कूल के छगनलाल ने थाना लक्ष्मणगढ़ में एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत एफ.आई.आर. सं. 132/2001 दर्ज करायी थी जिसको चारों अनुसंधान अधिकारियों द्वारा सही पाया गया है। परन्तु श्री धनमत खां के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे वहां के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/अभिभावकों/शिक्षकों में काफी रोष है।

मैं विधान सभा के माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपा कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

भीलवाड़ा में बनास नदी क्षेत्र का जल स्तर

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले और विशेषत: बनास नदी के आसपास जल स्तर के गिरने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण मुताबिक देश के 200 से ज्यादा जिले जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश प्रान्त के हैं तथा राजस्थान में 15 जिले इस सर्वे में सम्मिलित हैं, जहां भू-जल स्तर चार से दस मीटर तक नीचे चला गया है। इन पन्द्रह जिलों में भीलवाड़ा जिला भी शामिल है। जल संरक्षण के लिए अब तक जो भी उपाय किये गये हैं, वे सार्थक नहीं होकर अपितु निराशाजनक स्थिति उभर कर आयी है।

मंत्रालय का मानना है कि चार मीटर से ज्यादा गिरावट गम्भीर खतरे का संकेत है जिसमें राजस्थान के पन्द्रह जिले हैं। भीलवाड़ा जिले में मुख्यतया 150 किमी. तक बनास नदी की लम्बाई है। वर्षों से पानी प्रवाहित होने से जिले के एक तिहाई गांवों का जल स्तर आधारित रहा है। किन्तु लगातार वर्षा की कमी के कारण आसपास के जल स्रोत प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों गांवों में पेयजल का संकट मुंह बायें खड़ा हो गया है। बनास नदी में अमरपुरा से शाहपुरा व आगूचा माइन्स में बड़ी मात्रा में जल का दोहन होने से माह नवम्बर के बाद बनास की पानी की धाराएं बन्द हो चुकी हैं। बीसलपुर परियोजना जो पीने के पानी के लिए निर्मित की गयी, उससे आगूचा माइन्स को पानी उपलब्ध कराना चाहिए। गुलाबपुरा से इसकी दूरी मात्र दस किलोमीटर है। पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध जल संसाधन व स्रोतों से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ योजनाएं बनाया जाना अति आवश्यक है।

कोटड़ी तहसील के कंकरोलिया घाटी में आसणमाता देह में पानी के कारण भू-जल संग्रह माना जाता है और यदि उसमें इतना पानी का स्तर नीचे जाने के बावजूद उपलब्ध है तो इसका आकलन कर समीप और नीचे स्थित चालीस-पचास किलोमीटर की परिधि में जहाजपुर, माण्डलगढ़, शाहपुरा व कोटड़ी क्षेत्र के 200 से 250 गांवों को भी पेयजल उपलब्ध करा कर पानी के संकट का समाधान किया जाना चाहिए।

कंकरोलिया घाटी में आसणमाता देह से कोटड़ी तहसील, माण्डलगढ़, जहाजपुर के अधिकांश गांवों में इस अथाह देह से सैकड़ों की संख्या में कुएं, तालाब, एनीकट व बावड़ियों में परम्परागत स्रोत के आधार

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं जिसका इन क्षेत्रों में जल स्तर से सीधा सम्बन्ध सदियों से रहा है तथा जिससे ये इस प्रस्तावित योजना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसका भी हर स्तर पर भू-गर्भ जल स्तर का आकलन और गिरावट से कितना जल स्तर व समुदाय प्रभावित होगा, सर्वे किया जाना आवश्यक है। गिरते जल स्तर को रोकने हेतु बनास नदी में बीसलपुर परियोजना की भराव क्षमता पूरी होने के पश्चात् 15-20 किलोमीटर की दूरी पर तीन-चार बैराज सिस्टम निर्मित कर दिये जाएं व बनास नदी में पिकअप बीयर एनीकट आदि निर्मित किये जाएं तो काफी कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही बनास नदी पर करीब दो दर्जन सिंचाई जलोत्थान परियोजनाएं जो बन्द-सी हो गयी हैं, वे पुनर्जीवित हो सकेंगी।

भीलवाड़ा जिले को जल संकट से उबारने के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा जल संसाधनों को विकसित किया जाना समय का प्राथमिक तकाजा है।

इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित करता हुआ सरकार से तुरन्त समुचित अपेक्षित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से करने की पुरजोर मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश खींची।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जटवाड़ा-खोह में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति

श्री रमेश खींची (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय में निवेदन है कि ग्राम जटवाड़ा-खोह एवं झालटाला में कई वर्ष से 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन प्रस्तावित है। परन्तु आज तक उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त सब ग्रिड सब-स्टेशन को स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की व्यवस्था करावें ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मण्डावर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आगे गर्मी का समय आ रहा है, बड़ी मात्रा में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाएं तो खोल दी हैं लेकिन उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे बच्चों

(श्री धर्मपाल चौधरी)

को दूर पानी पीने जाना पड़ता है, इसलिए इन सभी राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प लगवाने की कार्यवाही करें तथा और भी जिन स्कूलों में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उन्हें भी जल्दी ठीक करवाने की कार्यवाही करें। सरकार ने बजट में भी खारे पानी व फ्लोराइड युक्त पानी है वहां पर पानी की व्यवस्था की बात कही है। गांव राजवाड़ा में पानी की टंकी सहित योजना मंजूर हुई थी लेकिन वह ठण्डे बस्तें में पड़ी है। इसी तरह ग्राम खेड़ी (तहसील कोटकासिम) में भी खारा पानी है, वहां पर गुलाबसिंह की ढाणी से पानी लाकर पानी सप्लाई की योजना बनी थी। वह भी आज तक सरकार ने मंजूर नहीं की है।

ग्राम मांगाका माजरा में भी खारे पानी की समस्या है। वहां पर खापड़ा जोहड़ से मीठे पानी की सप्लाई होती है। वहां पर भी जल्दी ही स्कीम को मंजूर करवाकर ग्राम के लोगों को पानी व्यवस्था की कार्यवाही करें। इसी तरह जाट बहरोड़ में टंकी के लिए ग्राम सहभागिता की स्कीम सरकार ने बनायी थी उसमें ग्रामवासियों ने पैसे जमा करा दिये थे लेकिन आज तक पानी की टंकी नहीं बनी है।

अत: आपसे निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आने वाले गर्मियों के समय में पानी के संकट को ध्यान में रखते हुए पानी की समस्या का समाधान करवाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम गुढ़ा–गौड़जी में पदस्थापित चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करने में आनाकानी

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि 23.3.2002 को झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम भाटीवाड़ में सुशीला नाम की एक नवयुवती–दो बच्चों की मां अपने खेत के कुएं पर कपड़े धोते समय पांव फिसलने से कुए में गिरकर काल का ग्रास बन गयी। उसकी छोटी बहन ने जब कुएं में गिरने का धमाका सुना तो वह घर से बाहर भागी और उसने पड़ौस के कुओं पर रहने वाले लोगों से मनुहार की कि मेरी बहन कुए में गिर गयी है इसे निकालो, परन्तु पुलिस एवं कानूनी दांवपेच की परेशानी के मद्देनजर कोई भी उसे निकालने को तैयार नहीं हुआ। घर में उस समय कोई पुरुष नहीं होने की वजह से लाश को कारीब साढ़े तीन घंटे बाद निकाला जा सका।

खैर लाश निकालने के बाद गुढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और गुढ़ा के थानेदार ने गुढ़ा गौड़जी के पदस्थापित डा. विजय बारूपाल से पोस्टमार्टम करने के लिए कहा। परन्तु उसने कहा कि आप

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उदयपुरवाटी के डाक्टर से सम्पर्क करिये, आपका ग्राम उनके जूरिस्डिक्शन में है। खैर, लाश पड़ी रही। घर वाले उदयपुरवाटी के चिकित्सक के पास गये लेकिन चूंकि भाटीवाड़ ग्राम गुढ़ा गौड़जी के ही जूरिस्डिक्शन में है अतः उदयपुरवाटी के चिकित्सक ने उन्हें गुढ़ा के ही डाक्टर से सम्पर्क करने को कहा। इंचार्ज गुढ़ा थाने ने डाक्टर विजय बारूपाल से फिर मिन्नत की और कहा कि आप पोस्टमार्टम की चाहे जो रिपोर्ट दे परन्तु पोस्टमार्टम कर दे ताकि लाश को जलाया जा सके। परन्तु डाक्टर फिर भी नहीं माना और टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख दिया ताकि कोई उससे कांटैक्ट नहीं कर सके। बड़ी मुश्किल से अन्त में लड़की के पिता ने मुझे फोन किया। मैंने सी.एम.एच.ओ. को टेलीफोन किया, उनके मुख्यालय से बाहर होने की वजह से मैं उनसे भी सम्पर्क नहीं कर सकी। लड़की जो 10.30 बजे 23 तारीख को सुबह कुएं में गिरी थी और जिसे 1.00 बजे निकाल लिया गया था, उसका पोस्टमार्टम 23 को नहीं हो सका। अन्त में हारकर मैंने कलक्टर झुंझुनूं से सम्पर्क किया। जिला कलक्टर द्वारा डा. बारूपाल को धमकी देने पर डा. विजय बारूपाल ने 24 तारीख को 11.00 बजे पोस्टमार्टम किया। 23 तारीख की तमाम रात्रि भर छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे क्योंकि जब तक घर में लाश पड़ी रहती है तब तक चूल्हा नहीं जलता है। सुशीला की मौत के 24 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और घरवालों से ही दस्ताने, कांच के जार, अगरबत्ती, माचिस, सफेद कपड़ा एक मीटर, 250 ग्राम चपड़ी, सफेद कागज इत्यादि सामान भी मंगवाया गया। सुशीला के पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष के दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ था और डाक्टर विजय बारूपाल की हठधर्मी से लाश घर में ही 24 घंटे से अधिक पड़ी रही।

डाक्टर विजय बारूपाल का यह रवैया इसी पोस्टमार्टम के लिए मना नहीं करने का नहीं है, बल्कि सभी पोस्टमार्टम के कैसेज में वे ऐसा ही करते हैं। अतः निवेदन है कि डाक्टर विजय बारूपाल के ऐसे अमानवीय एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चिकित्सा मंत्री जी डाक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि भविष्य में वे जनता को इस प्रकार परेशान नहीं कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी।

पाचना बांध के पानी का वितरण

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पाचना बांध का पानी घना पक्षी अभयारण्य में छोड़ने के कारण करौली एवं सवाईमाधोपुर जिले में व्याप्त असंतोष के बारे में निवेदन

(श्री रामस्वरूप)

है कि करौली जिले में निर्मित पाचना बांध का पानी करौली जिले की तहसील नादौती, टोडाभीम, करौली, हिण्डौन एवं सवाईमाधोपुर जिले की तहसील गंगापुर के किसानों को दिया जाता है। इस बांध से सबसे ज्यादा एरिया नादौती तहसील का आता है।

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार उपलब्ध जल का उपयोग प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम पीने के लिए, इसके बाद सिंचाई के लिए तथा इसके बाद अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिंचाई विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर 460 एम.सी.एफ.टी. पानी में से 350 एम.सी. एफ.टी. पानी घना पक्षी अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। जबकि पाचना बांध की योजना बनाते समय यह आधार रखा गया था कि पाचना के कैचमेंट एरिया में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : यह सारा गलत पढ़ रहे हैं। पहले बरसात का पानी भरतपुर को मिलेगा उसके बाद में पाचना बांध में आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनके कहने से थोड़े ही...(व्यवधान) आप बिराजो।

श्री रामस्वरूप : पाचना बांध के बारे में करौली जिले के लोगों के दु:ख को व्यक्त कर रहा हूं मैं। यह बांध सिंचाई के लिए बनाया गया है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, इनके कहने से पानी आ गया क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेहरबानी करके आप अपने बांधों से पानी ले लो। मैं कब मना कर रहा हूं?

श्री आर. पी. शर्मा : (व्यवधान) सारा सत्यानाश कर दिया।

श्री रामस्वरूप : औसत वर्षा 720 मिलीमीटर होगी। अधिशासी अभियन्ता, करौली द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना के कैचमैंट एरिया में स्थित चार स्टेशनों के पिछले पांच साल के बरसात के आंकड़ों व कुछ उपलब्ध आंकड़ों पर 4 स्टेशन×5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में वर्षा की डिपेन्ट क्वालिटी 75 प्रतिशत नहीं रह कर अत्यन्त कम रह गई है। जिससे सिंचाई विभाग द्वारा दर्शाई गई पानी की आवक 2360 एम.सी.एफ. टी. नहीं रह कर अत्यधिक कम रहेगी। सरप्लस पानी होने की सम्भावना शून्य है। इससे पाचना बांध परियोजना का स्वरूप ही पूर्णत: परिवर्तित हो जाएगा।

350 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित किये जाने के आदेश एवं इस मात्रा का

(श्री रामस्वरूप)

पानी नदी रास्ते भरतपुर की ओर छोड़े जाने का आदेश अव्यावहारिक है। पाचना बांध की एवं अभयारण्य की दूरी 100 किलोमीटर है। नदी का तल सूख गया है। 350 एम.सी.एफ.टी. पानी नदी के तल द्वारा ही सौख लिया जाएगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके यह बता दें कि यह एम.सी.एफ. है क्या? इनसे एम.सी.एफ. का मतलब पूछें कि क्या यह समस्या।

श्री रामस्वरूप : मैं सारा बता दूंगा, आपको मैं समझा दूंगा सारा मतलब।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको मतलब ही पता नहीं। ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं इस तहर करौली जिले के हितों पर, टोडाभीम, नादौती के हितों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको मतलब ही पता नहीं है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहे कितने ही रोड़े अटकाएं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो।

श्री रामस्वरूप : अतः आरक्षित पानी का निर्णय अत्यन्त अव्यावहारिक है। इस पानी के निर्णय से किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा जिससे जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लेने से पूर्व उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। एक पक्षीय निर्णय लेने से किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में करौली जिले के मुख्यालय के नागरिकों के लिए जहां एक ओर पानी की कमी बताई गई थी, वहीं अब सरप्लस पानी दिखा कर उक्त कठोर निर्णय लिया गया हैं।

इससे विभाग की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है। पाचना बांध परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति का निर्णय लिया उसमें अवाप्ति के उद्देश्यों में सिंचाई का उल्लेख किया गया है, घना को पानी देने का कहीं भी जिक्र नहीं है।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सिंचाई विभाग द्वारा लिये गये इस किसान विरोधी निर्णय की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी लोकप्रिय सरकार अवश्य किसान विरोधी निर्णय को निरस्त करने का कष्ट करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़।

कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेस बिजली

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेस बिजली आने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में, मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकाल में सिंगल फेस बिजली केवल चार घंटे दी जाती है। इससे छात्रों में परीक्षा काल होने के कारण बहुत असन्तोष है। अब फसल भी कट चुकी है अत: खेतों में बिजली की आवश्यकता नहीं रही। इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन अधिक सप्लाई की जाकर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकाल में बिजली न दिये जाने के भेदभावपूर्ण व्यवहार से बहुत असन्तोष है। उनका कथन है कि जब कस्बों और शहरों में रात भर बिजली दी जा सकती है तो यह सुविधा ग्रामवासियों को क्यों नहीं दी जाती? कुछ ग्राम जो कोटपूतली नगरपालिका से सटे हुए हैं जैसे अमाई, पूतली आदि, उन ग्रामवासियों में तो बहुत अधिक असन्तोष है, क्योंकि उन्हें सड़क के पार रात-दिन बिजली का उपयोग होता दिखाई देता है और वे उससे वंचित रहते हैं। इसी प्रकार अन्य बड़े गांवों जैसे नारेड़ा, मोनेडा, बनेठी, राजनोता, पाथरेडी, भैंसलाना आदि ग्रामीणजनों को भी शिकायत है। अत: मेरा निवेदन है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह पर्यन्त बिजली (सिंगल फेस) प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाए ताकि विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी हो सके। विशेष तौर से अमाई तथा पूतली को कोटपूतली से जोड़ दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जिला जैसलमेर में उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य श्रेणी भूमि आबंटन की किस्तों पर ब्याज माफी

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य भूमि आबंटन की किस्तों पर 30.6.2002 तक ब्याज माफी हेतु 295 के अन्तर्गत माननीय उपनिवेशन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसलमेर जिले के भूमिहीन काश्तकारों को इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य श्रेणी में भूमि आबंटित हुई है। आबंटन की राशि कृषि उपज होने पर किस्तों में जमा करानी होती है। सामान्य श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति व जनजति व कमजोर तबके के भूमिहीन श्रमिक हैं। गत लगातार तीन वर्षों से जैसलमेर जिले में अकाल की स्थिति थी तथा इन्दिरा गांधी नहर में भी पानी उपलब्ध न होने से कृषि उपज नहीं हुई। काश्तकार ने कर्जा लेकर फसल बुवाई की परन्तु उपज में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह काश्तकार उपनिवेशन विभाग में देय किस्तें नहीं चुका पाया जिस पर ब्याज भी लगता रहा। इस वर्ष

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

रबी में कृषि उपज की सम्भावना है। काश्तकारों को राहत देने हेतु राज्य सरकार ने इन सामान्य आबंटियों को 31.3.2002 तक किस्तें जमा कराने पर देय ब्याज माफी की राहत दी है।

इसी क्षेत्र के विशेष श्रेणी के आबंटियों को ब्याज माफी राहत 30.6.2002 तक दी है जब काश्तकार को इस रबी की फसल विक्रय होकर साधन उपलब्ध हो सके। कई सामान्य आबंटियों ने 31.3.2002 तक राशि जमा करा दी है। परन्तु अत्यन्त गरीब सामान्य आबंटी साधन उपलब्ध न होने से किस्तें जमा नहीं करा पाये। खड़ी फसल पर निरन्तर अकालों के कारण कर्ज भी नहीं मिला। अत: निवेदन है कि इस रबी उत्पादन के विक्रय तक बिना ब्याज किस्त जमा कराने की सुविधा की स्वीकृति दिलावें। विशेष आबंटियों को 30.6.2002 तक यह छूट दी है, गरीब काश्तकारों को भी 30.6.2002 तक ब्याज माफी की छूट दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यह क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : सब माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं, कितनी दफा कहें इनको? यह तो समझ में आती नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आसन की जिम्मेदारी है जो गैर जिम्मेदारी करता है...

श्री उपाध्यक्ष : जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी भी समझें ना। अच्छा लगता है क्या बार-बार उनको कहना?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसे याद दिलाने की जिम्मेदारी भी आसन की है।

श्री रमेश खींची : एक करोड़ की मांग करने जा रहे हैं, चिन्ता मत करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मतलब हुआ इस बात का...

श्री उपाध्यक्ष : पचास करोड़ की करने जाओ भले ही, तरीके से जाओ ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक करोड़ की करो, चाहे दो करोड़ की करो, यह आपका कौनसा जवाब हुआ?

भादरा से सहायक कलक्टर कार्यालय का क्रमोन्नयन

श्री संजीव कुमार (भादरा) : महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के निगम 295 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान सहायक कलक्टर कार्यालय भादरा को उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करने के क्रम में आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में भादरा तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ सहायक कलक्टर

(श्री संजीव कुमार)

कार्यालय भी कार्यरत है। क्षेत्र में कार्यालय तहसील (राजस्व) भादरा के साथ-साथ एक उप तहसील कार्यालय छानीबड़ी भी कार्यरत है। तहसील भादरा में 215 राजस्व ग्राम, 45 पटवार मण्डल एवं 6 गिरदावर हलके हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है जबकि उप खण्ड अधिकारी कार्यालय नोहर में है जो कि तहसील मुख्यालय भादरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तहसील भादरा के कई ग्रामों की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा से लगती है जिसकी दूरी उप खण्ड कार्यालय से और भी ज्यादा है।

चूंकि इस क्षेत्र में मुख्यत: किसान हैं जिन्हें अपने राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये उप खण्ड कार्यालय नोहर आना जाना पड़ता है जिससे किसानों को धन व समय दोनों की हानि उठानी पड़ती है। अत: भादरा में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय होना आवश्यक है।

कानून और व्यवस्था की दृष्टि से पड़ौसी राज्य हरियाणा से लगती सीमा के कारण भादरा एक संवेदनशील तहसील है, इसलिये भी यहां उप खण्ड अधिकारी कार्यालय का होना अति आवश्यक है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2002-2003 के बजट में राजस्व प्रशासन तंत्र को नागरिकों के और समीप ले जाकर सुदृढ़ करने की दृष्टि से 45 सहायक कलक्टर कार्यालयों को उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है।

कृपया उक्त समस्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सहायक कलक्टर कार्यालय भादरा को उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत करके अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह कुशवाह।

धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित विद्युत वितरण

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र धौलपुर की अनियमित बिजली सप्लाई की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रात्रिकालीन बिजली सप्लाई बिलकुल बन्द रहती है। छात्रों तथा जनता में भयंकर असंतोष है। इस मौसम में जनता गर्मी तथा मच्छरों से परेशान है तथा सतत् रूप से रात्रिकालीन बिजली सप्लाई चाहती है। विशेष रूप से फीडर नम्बर 6 की बिजली सदैव बन्द रहती है। नजदीक में धौलपुर शहर में लगातार बिजली रहने से ग्रामीण निवासी भेदभावपूर्ण नीति से दु:खी हैं तथा इस अन्याय के लिये अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं।

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली सप्लाई की व्यवस्था शीघ्र कराये जाने हेतु विभाग को निर्देशित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पूर्वी राजस्थान के साथ कथित भेदभाव

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि न तो वित्त मंत्रीजी हैं, न मुख्य मंत्रीजी है, अब तो आशा की किरण एक मात्र...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके ना वित्त मंत्रीजी के सामने तो। घंटा भर बोल चुके आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई सदन का ध्यान...

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो ना वित्त मंत्रीजी नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां तो धारीवालजी एक आशा की किरण हैं अगर कुछ करें तो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो अन्याय और उपेक्षा और जो भेदभाव पूर्वी राजस्थान के सात जिलों भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा के साथ हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान उस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जरा आप गौर करें। एक तरफ इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा कैनाल, माही और चम्बल, इस पर आप जरा तुलनात्मक अध्ययन करें कि अब तक कितना पैसा हम खर्च कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस पूर्वी राजस्थान के सात जिलों में पार्वती डैम धौलपुर, जगर का बांध हिण्डौन, और दूसरी छोटी-मोटी योजनाएं हैं। जमवारामगढ़, जयपुर, जयसमन्द, अलवर, और बंधबारेठा भरतपुर, रियासतकाल के अन्दर सिंचाई के लिये ये केवल तीन सिंचाई योजनाएं बनायी गयी थीं। इन तीनों की भी स्थिति आज यह हो गयी कि जमवारामगढ़ का पानी पीने के लिए जयपुर ले आये, दूसरी जगह पेयजल योजनाओं में ले गये, जबकि ये सिंचाई के लिये थीं। पेयजल के लिये दूसरी योजनाएं बनानी चाहिये थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्वत् 1956 में जिसको छप्पनिया का अकाल कहते हैं और सम्वत् 1962 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो छोटे-मोटे कई बांध इधर-उधर बने। इस क्षेत्र में भी बने। लेकिन आज चालीस साल गुजर जाने के बाद एक फूटी कौड़ी भी इन बांधों के रख-रखाव, इन बांधों की मरम्मत के ऊपर खर्च नहीं की गयी। गम्भीर बाण-गंगा, रूपारेल भरतपुर को इन तीनों नदियों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का पानी जाता था जो संसार में एक यूनिक सिस्टम था तथा जिसकी विदेशों में भी तारीफ की जाती थी। आज स्थिति क्या है? अब गम्भीर का पानी पाचना बनाकर रोक दिया। कई एनीकट बनाकर बाणगंगा का रोक दिया। बची हुई रूपारेल के ऊपर तरूण भारत संघ ने बांध बनाकर शीघ्र ही सिस्टम को पूरी तरह से खतम करने का काम किया। इससे कामां, बाड़ी, नगर और डीग का सम्पूर्ण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहां का किसान बरबाद हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र को रेगिस्तान में बदलने की अगर योजना सरकार की है तो मैं आपसे क्या निवेदन करूं?

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कृषि के क्षेत्र में भी ले तो राजस्थान के ये सातों जिले कृषि और मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान को सबसे ज्यादा उत्पादन देते हैं। चाहे सरसों हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कपास हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मसूर हो, चाहे अरहर हो, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और करौली इन सातों जिलों के अन्दर सबसे ज्यादा इनकी पैदावार होती है।

आपने यहां दो एजेन्सी बना रखी हैं। एक मेवात विकास बोर्ड बना रखा है और एक डांग विकास क्षेत्र बना रखा है। इन दोनों को भी कोई वित्तीय सहयोग नहीं दे रहे हैं बल्कि इनका बजट भी घटाते चले जा रहे हैं। इन सातों जिलों की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है कि इन सातों जिलों के अन्दर सड़कों की क्या स्थिति है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन सातों जिलों से जो सैल्स टैक्स और मण्डी टैक्स मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में अकाल हो जाता है लेकिन यहां पर पैदावार अधिक होने की वजह से सैल्स टैक्स और मण्डी टैक्स में भी सर्वाधिक पैसा इस क्षेत्र से मिलता है। इस क्षेत्र का पैसा ले जाकर आप दूसरे क्षेत्रों पर खर्च करके पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा कर रहे हैं।

आज उद्योग धंधों की इन सातों जिलों में स्थिति क्या हो गयी? सिमको भरतपुर बन्द पड़ी है। सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्टरी बन्द पड़ी हैं। गंगापुर की तीन मिल बन्द पड़ी है। अकेले अलवर का भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र बरबाद हो गया। वहां चार सौ यूनिट्स आज की तारीख के अन्दर बन्द पड़ी हैं।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, फिर पर्यटन एकमात्र सहारा बचता है। पर्यटन की स्थिति यह है कि भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार अलवर में सरिस्का, सवाईमाधोपुर में रणथम्भौर, करौली में कैलादेवी, दौसा में मेहन्दीपुर बालाजी, करौली में महावीर जी और वृहत् चौरासी कोस की परिक्रमा में भी नगर, डीग और कामां का क्षेत्र पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आपसे मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो पूरी हो जाने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शून्यकाल के अन्दर माननीय सदस्य अपने-अपने इलाके की कुछ इस तरह की घटनाएं बताते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री हैं, बिराजे हैं। मंत्री दो बैठे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनका सरकार की तरफ से ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य जब पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। (व्यवधान) चूरू से आने वाले सदस्य ने जो बात कही है वह सही है। (व्यवधान) राज्य मंत्री बैठे हैं, यह सरकार की तरफ से उपेक्षा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा के विपरीत बात है... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, हद हो रही है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें दु:ख इस बात का है कि इतनी गम्भीर बात आप उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से एक मंत्री नहीं है। अब आए हैं कार्मिक मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : यह मंत्री नहीं हैं? वह बैठे मंत्रीजी, यह बैठें मंत्रीजी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो दोनों पूर्वी राजस्थान के हैं पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री हैं ना? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके मना करने के बाद भी धारीवाल जी उठकर चले गये, आसन की अवहेलना कर दी। चन्द्रशेखर जी और हरिसिंह जी तो खुद पूर्वी राजस्थान के हैं इसलिए बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें सरकार की तरफ से...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सरकार को सदन को गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कोई मंत्री नहीं है, यह सदन का और सदस्यों का अपमान है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि सरकार ही इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप सक्षम हैं, आपको आसन से व्यवस्था करनी चाहिए। (व्यवधान) आसन ने मना कर दिया उसके बाद भी चले गये आप उठकर। आप आसन का अपमान करते हैं, आसन के आदेशों की पालना नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के प्रति यह सरकार गम्भीर नहीं है...(व्यवधान) सदन के प्रति सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जब कभी भी पूर्वी राजस्थान की बात होती है तो सारे मंत्री और मुख्य मंत्री...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह रहे न...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): कैसे गम्भीर नहीं है? आपको तो केवल +++ करना है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : +++ नहीं करना, आप हमारी इस बात को +++ बता रहे हैं...(व्यवधान) हमारे जीने-मरने का सवाल है। (व्यवधान) आप इसको +++ कह रहे हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इन शब्दों को वापस लें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह क्या बात कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्सपंज कराएं इस शब्द को। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें क्या असंसदीय है? +++ शब्द असंसदीय है? (व्यवधान) कतई असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने दोषपूर्ण तरीके से यह शब्द कहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप भी कर +++ रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बोलिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : +++ को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। (व्यवधान) बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। यह मैलिस से यूज किया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : पिछले कई दिनों से +++ की तरह से इन लोगों का आचरण है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : जैसे +++ आचरण करते हैं, वैसा आचरण प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों का है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण इस बात को लेकर चाहिए कि जबसे सदन चला है शून्यकाल के अन्दर भी एक मंत्री नहीं रहता है। माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, माननीय सदस्य अपने इलाके की बात कहते हैं, सरकार उत्तर दे या नहीं दे परंतु, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : तो काम रिकार्ड पर तो आता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपना शब्द वापस लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कौन कह रहा है मंत्री नहीं है? (व्यवधान) मंत्री बैठे हैं ना।

श्री मोहन लाल मोदी : रिकार्ड पर तो आता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कितने गम्भीर हैं इससे मालूम पड़ता है और उसके बाद कार्मिक मंत्रीजी ने बड़े हलकेपन से कह दिया कि +++ करने की बात है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : +++ तो आप संगठित होकर करते हैं। (व्यवधान) जब से विधान सभा चली है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पूर्वी राजस्थान का हक मार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : एक बीकानेर गयी, दो जोधपुर गई। वित्त मंत्रीजी, आप वहीं के हो, अपने क्षेत्र का तो सभी खयाल रखते हैं, आप भी कम से कम अपने क्षेत्र के लिए कुछ तो घोषणाएं करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप, उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज कराएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको एक्सपंज करवा दीजिए। (व्यवधान) चैक करके हां, ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Why are you wasting time ? –

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, चलिये वित्त मंत्रीजी आ गये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ शब्द तो एक्सपंज कराएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, करा देंगे। कह दिया करा देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : करा दिया क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, करा देंगे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : करा दिया क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये, क्या एक्सपंज कराऊं? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन से हम पूछ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह +++ शब्द कार्मिक मंत्रीजी ने कहा है कि हमारी आदत +++ करने की है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह +++ शब्द वापस लो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको तो +++ करना है, इन्होंने साफ कहा है। कार्मिक मंत्रीजी ने कहा है कि +++ कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक साथ बोलते हैं तो इसमें असंसदीय क्या कहा है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ का मतलब शोर। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें असंसदीय क्या कहा है? सभी व्यक्ति बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि सदन के माननीय सदस्यों के भाषण को +++ की तरह से लेते हैं तो यह सिर्फ मैलिस, विद्वेषपूर्ण तरीके से, हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्यों सदन का टाइम... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई हिकारत की निगाह से नहीं देखा जाता। आप सारे लोग मिलकर एक साथ बोलते हैं इसको +++ बोलते हैं...(व्यवधान) यह असंसदीय शब्द नहीं है। (व्यवधान) असंसदीय क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : असंसदीय तो नहीं है +++ शब्द, लेकिन अच्छा भी नहीं है। इसका उपयोग आपके लिए करें तो आपको कैसा लगेगा...(व्यवधान) आपके लिए उपयोग करें इस शब्द का तो आपको कैसा लगेगा...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह कहा कि एक-एक व्यक्ति बोलें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो अकेले बोल रहा था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खैर, आप इसे कार्यवाही से निकलवा देना, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस शब्द को विथड्रा करिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हो कि नहीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रक्रिया और नियमों से चलता है... (व्यवधान) सदन के कुछ नियम हैं, कार्मिक मंत्रीजी ने बड़े हलकेपन से कह दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या नियम हैं, आप बताएं नियम। आप बोलो, नियम क्या हैं, बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) नियम क्या हैं, बोलें आप? नियम बोलो, नियम कोट करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कार्मिक मंत्री +++ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियम कोट करें। क्या नियम हैं, बोलें न आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम बोलें, आप कह रहे हैं कि नियम हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कार्मिक मंत्री +++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं नियम हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन तो चलता ही नियमों से है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम कोट करिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हरेक मामले में नियम कोट करेंगे, यह जरूरी थोड़े ही है?

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं न कि नियम हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जो परम्परा चल रही है, मैं आसन से बड़े नम्र शब्दों में कहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हरेक मंत्री हर कोई बात कह दे...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : असंसदीय शब्द का कोई नियम नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको यह शब्द अच्छा लगा न, आपको मुफीद लगा न? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या शब्द है? (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : सत्ता पक्ष के लोग हमारे लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : +++ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम +++ करते हैं तो कार्मिक मंत्री +++ हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : सत्ता पक्ष के लोग हमारे भाषणों को +++ कहते हैं तो हम उनके भाषणों को +++ कह दें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोले तो समझ में आए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपका दायित्व है कि आप इस शब्द को एक्सपंज करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या शब्द है, मैं तो यही नहीं समझ पाया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : +++ शब्द है। आप राजस्थानी हैं, बाहर के थोड़े ही हैं, आप समझते हैं कि +++ का मतलब क्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या शब्द है, यह तो बताएं।

श्री मानिक चन्द सुराना : +++

श्री उपाध्यक्ष : +++

श्री मानिक चन्द सुराना : आप +++ नहीं समझते हैं? (व्यवधान) आप सारे +++ कर रहे हैं +++ का मतलब है +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसको एक्सपंज करिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कार्मिक मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन कर लेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर निकाल देंगे? ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य, इसको एग्जामिन कर लेंगे, देख लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसको एक्सपंज करिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं देखूं तो सही। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, आप रिकार्ड देख लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : होगा तो निकाल देंगे आप बिराजें। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : रिकाड देखकर एक्सपंज कर देंगे...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : रिकाड देखकर कर देंगे। राजेन्द्रजी, एक्सपंज करवा देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसको एक्सपंज कर देंगे न? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। काहे को टाइम खराब करते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक दिन ऐसी व्यवस्था करिए कि इनका सारे दिन का आचरण इनको टी.वी. पर बैठाकर दिखाएं ताकि ये देख सकें कि इनके पूरे दिन का आचरण कैसा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका आचरण कैसा +++ है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये +++ के रूप में कार्य करते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका आचरण कैसा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां आकर +++ करते हैं...(व्यवधान) आपका पूरे दिन का आचरण ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। इनके लिए टी.वी. की व्यवस्था करके इनके पूरे आचरण को इनकी आंखों से दिखाएं तब इनकी समझ में आएगा कि इनका आचरण कैसा खेदजनक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो बोल रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : आप +++ कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भाइयों, आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका नाम है +++ पूरे दिन +++ की बात करते हैं ये लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ में नहीं बैठे हो, विधान सभा में बैठे हो आप। कल क्या कर रहे थे इकट्ठे होकर? ये लोग किसी सदस्य को बोलने नहीं दे रहे थे। (व्यवधान) सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कल क्या +++ कर रहे थे? एक सदस्य को बोलने नहीं दे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप, माहिरजी, बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : थोड़े–बहुत बचे हो तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ताकि चश्मा तो दिखाई दे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी मूछों पर इतना आक्रमण हुआ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जा कहां रहे हो? +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजादजी, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : यह प्रश्न नहीं है आपका कि नियम बताएं क्या है। नियम तो आपको ज्ञात है। यह नियम कहीं पर नहीं है कि कौनसा शब्द असंसदीय है, कौनसा संसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न कि मैं एग्जामिन करूंगा, शब्द अगर होगा तो निकाल देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्या एग्जामिन करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा नियम, तो मैंने कहा कि किस नियम से बोल रहे हैं। यह मैंने कहा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह नियम तो आपको पता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है इसलिए कोट किया है, आप बिराजें। माहिर आजादजी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप वकील हैं आप बताएं +++ असंसदीय है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल। जिस कांटेस्ट पर आपने कहा...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां +++ शब्द बिलकुल असंसदीय है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, 10-20 आदमी मिलकर व्यवधान कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बोलिए, मैं आपको नोट कर रहा हूं, +++ मत कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल्ला साहब, यह हमारे जीने-मरने का सवाल है। आप तो बीकानेर में यूनिवर्सिटी ले गये। हमें पूर्वी राजस्थान की जनता ने भेजा है, हम अपनी बात कह रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सुनिए खामोशी से। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी बात को सुनेंगे लेकिन दस आदमी एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा कि आपको तो केवल +++ करना है।

श्री मानिक चन्द सुराना : एग्जामिन कर लें।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोल दिया, कह दिया आपको।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, ठीक है, साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या कह दिया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या कह दिया?

श्री उपाध्यक्ष : एग्जामिन करके उसमें है कोई अनपार्लियामेंट्री तो आई विल रिमूव इट।

श्री मानिक चन्द सुराना : रिकार्ड देखकर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने यह कहा कि कांटेस्ट यह देखना पड़ेगा कि इनको +++ करना है। +++ करना अपोजिशन के मैम्बर का...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, यह कहा है कि आपका मकसद तो +++ करना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सदस्य अगर इतनी गैर जिम्मेदारी से पेश आएंगे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आलरेडी कह चुका हूं फिर क्या बहस है? एग्जामिन करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अपोजिशन फिर क्या बहस करेगा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और हमको उत्तेजित करेंगे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलने वाला है। जब कोई उत्तेजना से भाषण होता है, आप मर्जी आये जिसको तो एक्सपंज कर देते हैं और इतना गम्भीर...

श्री रमेश खींची (कठूमर) : आपका तर्क चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मर्जी आए वह एक्सपंज करते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि मैं इसको एग्जामिन करूंगा, अगर उसमें शब्द होगा तो निकाल दूंगा, और क्या चाहिये आपको? कह तो रहा हूं, और ज्यादा क्या कहूं मैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का सवाल यह खड़ा किया था कि सदन के प्रति सत्ता पक्ष गम्भीर नहीं है। हमें आपका संरक्षण चाहिये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा-सी पड़ गयी है। भरतपुर की बात चल रही है, सुनना क्यों नहीं चाहते हो? जब-जब पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो कोई न कोई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब यह कुछ भी कह दें, कार्मिक मंत्रीजी ने +++ शब्द का इस्तेमाल कर लिया और आप कह रहे हैं कि आप इसको देखेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार बैठी है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद राजस्थान के हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परम्पराओं और शब्दों को आप जानते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह हमारे जीने-मरने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब देख लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या देखेंगे इसमें?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका इस बात को कि मैं रिकार्ड एग्जामिन करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या देखेंगे आप? रिकार्ड क्या एग्जामिन करेंगे? कह रहे हैं आपके सामने, रिपीट कर रहे हैं बार-बार।

श्री उपाध्यक्ष : कोई शब्द होगा तो उसको रिमूव कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने कहा कि +++ करना है इनको तो, इसलिये कह रहे हैं। आपके सामने बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनके खयाल से नहीं होगा, फैसला तो मैं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैसला तो आपको मालूम है, फैसला तो कर ही नहीं रहे हैं, जब आपको पता है। आपको यह पता है, आसन को यह पता है, आसन के सामने यह कहा है कि अपोजिशन के लोग तो +++ करना चाहते हैं, मर्जी आये तो करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनका मकसद तो +++ करना है, हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्योंकि व्यक्तिगत तकलीफ है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं बगैर एग्जामिन किये एक्सपंज नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++ मर्जी आती है तो हमारे शब्दों को, वर्ड्स को...

श्री उपाध्यक्ष : मैं पर्सनली एग्जामिन करके इसको एक्सपंज कर दूंगा। यह कह चुका हूं, आप बैठिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह छूट देंगे तो हम फिर उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आप याद रखें कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। प्रद्युम्नसिंहजी, आप तो वरिष्ठ मंत्री हो, आप अपनी उम्र से समझाओ। बी.डी. कल्लाजी मेरे मित्र हैं लेकिन यह कोई तरीका है क्या बात करने का कि +++ करने के लिये आते हैं? यह कोई तरीका नहीं होता है, कल्लाजी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसका रिकार्ड तीन बजे तक, चार बजे तक, साढ़े तीन बजे से पहले ही देखने की कृपा करें और अपने निर्णय से हमें अवगत करा दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आप इस तरह समझते हैं, अगर कोई आपत्ति उठाता है तो क्या वह +++ करना है आपके लिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सदस्य किसी भी सीट पर बैठकर बोले, माननीय सदस्य अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं, सदन की गरिमा गिरती जा रही है दिन-प्रतिदिन।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी डिबेट कराने की इच्छा नहीं है?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसको लम्बित रखेंगे तो वह +++ शब्द का उपयोग फिर दूसरे भी कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप ही तो आशा के केन्द्र हो, आप ही मूकदर्शक बने हुए हो। कोई आदमी कहीं से बोले, कुछ भी बोले, सबकी छूट दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो आप। छूट तो आपने सबसे ज्यादा ले रखी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब कहीं गलती करें...

श्री उपाध्यक्ष : सबसे ज्यादा छूट आपने ले रखी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बिना हम तो एक शब्द भी नहीं निकालते हैं मुंह से।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजेन्द्रजी, आप बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, बोलो यह कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, यह बात तो सही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं समझता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूर्वी राजस्थान का मामला है, आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। कह दिया, निकाल देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं हम, डाइवर्ट नहीं करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कह दिया कि निकाल देंगे कार्यवाही से, फिर हमारे मुद्दे को आप खतम कर देते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय बी.डी. कल्लाजी ने कैसे कह दिया? निकाल देंगे, माननीय बी.डी. कल्ला...

मोहम्मद माहिर आजाद : हमेशा यही बात होती है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कह दिया निकाल देंगे, छुट्टी हुई। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो कल्लाजी से अनुरोध करता हूं, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, यह इसको इस तरह से विथड्रा करना चाहते है, इस तरह से आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कहते हैं कि +++ करने के लिए आते हो। +++ क्या यह तरीका है। आपने कहा कि +++ करना चाहते हो।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए कहा कि आप सब एक साथ बोल रहे थे। रिकार्ड देखकर उपाध्यक्ष महोदय जैसा फैसला करेंगे ठीक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कहा कि +++ करने के लिए आते हो।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय मंत्रीजी, आपने कहा है कि आपका मकसद केवल यहां +++ करना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं, वह तो रिकार्ड में है, आप देख लेना।

श्री अमराराम (धोद) : आपके शब्द हैं, आपका मकसद केवल +++ करना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रोसीडिंग्स देख लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, है।

श्री अमराराम (धोद) : हाउस में एक–एक व्यक्ति ने सुना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ बोलने को +++ बोलते हैं। आप एक साथ बोल रहे थे इसलिए मैंने कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा कि आपका मकसद केवल +++ करना है।

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा कि केवल आपका मकसद यहां +++ करना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं, यह नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने यह कहा।

श्री अमराराम (धोद) : इसका सेंस यह है कि यहां हम केवल +++ करने आते हैं।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : हमको जनता ने इसलिये थोड़े ही भेजा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप डबल स्टैण्डर्ड हाउस में नहीं रख सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ का मतलब होता है व्यर्थ का शोर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (व्यवधान) प्रोसीडिंग्स से वापस याद दिलाऊं क्या मैं आपको? एक मुख्य मंत्री को मैंने अक्षम कह दिया तो आपने उसको एक्सपंज कर दिया और आज आपने...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : जब से असैम्बली चल रही है तब से विपक्ष का रोल इसी तरह का है, कोई काम नहीं होने देते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में डबल स्टैण्डर्ड नहीं चलेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : और हल्ला मचाते रहते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामलाल गुर्जर : उपाध्यक्षजी, +++ करने का मतलब होता है +++ तो हम यहां +++ के लिए आए हैं, +++

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या तरीका है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जब-जब पूर्वी राजस्थान की बात होती है तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि उसको एक्सपंज कर देंगे। सदन को बहुत बढ़िया चलाते हैं, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अब तो चलने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां आ गये हैं, मैं निवेदन कर रहा था कि पूर्वी राजस्थान इतना उपेक्षित है कि भरतपुर में "सिमको" बन्द हो गई, सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री बन्द पड़ी है। गंगापुर की तेल मिल बन्द, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र बरबाद हो गया, चार सौ यूनिट वहां बन्द पड़े हैं। अब पर्यटन उद्योग बचा। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर में, कैलादेवी करौली में, मेहन्दीपुर बालाजी दौसा में, महावीरजी करौली में और वृहत् चौरासी कोस की परिक्रमा में नगर, डीग और कामां का क्षेत्र भी आ रहा है। इन जिलों में केवलादेव होने के कारण, रणथम्भौर होने के कारण, सरिस्का अभयारण्य होने के कारण नये उद्योग धन्धों को कोई एन.ओ.सी. नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पर्ची पर बोल रहे हो, यह ध्यान रखो। कोई डिबेट नहीं हो रही है जो आप बोले जा रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, साहब, पर्ची पर। यहां 40-40 मिनट बोले हैं लोग। मेरे को पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची पर बोल रहे हो, यह ध्यान रखो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, पर्ची पर ही बोल रहा हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के किन्हीं लोगों को तो बोलने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे पूर्वी राजस्थान की बात आती है तो सबके पेट में दर्द होने लग जाता है। हमारी कोई बात ही नहीं करने देते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला शुष्क प्रदेश, जिसमें पूरा पश्चिमी राजस्थान आता है। फिर आर्द्र प्रदेश जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती आता है। फिर आर्द्र शुष्क प्रदेश, जिसमें राजस्थान के सात जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और दौसा क्षेत्र आते हैं। इस शुष्क और आर्द्र में, आपको पता है सब, आपने दो विश्वविद्यालय खोल दिये। आपने बीकानेर के साथ हमें लगा रखा है। कहां बीकानेर, बीकानेर की क्या भौगोलिक स्थिति, वहां क्या पैदावार होती है और इस क्षेत्र के अन्दर क्या स्थिति है, क्या पैदावार होती है यहां। यहां तीसरी यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। नौगांवां में 400 बीघा कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमि पड़ी है, कुम्हेर में 500 बीघा क्षेत्र पड़ा है, दौसा में सैकड़ों बीघा जमीन कृषि विभाग के पास पड़ी है, सवाईमाधोपुर में पड़ी है जो रिसर्च वर्क्स के काम आ सकती है। नयी खाद, नये परीक्षण, बीज आदि के ऊपर इसका उपयोग किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता सम्भालने के बाद सम्भागवार विधायकों की बैठक कर उस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेना प्रारम्भ किया। उन्होंने अजमेर सम्भाग, जोधपुर सम्भाग, उदयपुर सम्भाग की बैठक ली, लेकिन पूर्वी राजस्थान के इन जिलों का नम्बर आने के पहले ही इन बैठकों को बन्द कर दिया। आज राजस्थान में जो डी.आई.जी. रेंज बना रखे हैं, उसमें भरतपुर का...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल अपने कांग्रेसी सदस्यों की ली थी, आपको और हमको तो बुलाया भी नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हमारे तो ली ही नहीं। हमारा तो नम्बर ही नहीं आया, हमको तो बुलाया ही नहीं, जिसकी भी ली थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, इसीलिए, तो कह रही हूं कि अपोजिशन वालों को तो बुलाया ही नहीं, केवल कांग्रेसी सदस्यों को बुलाया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी रेंज हैं, चाहे बीकानेर रेंज है, कोटा रेंज है, जयपुर रेंज हैं, उदयपुर रेंज हैं, वहां डी.आई.जी रेंज के साथ-साथ सम्भागीय डिवीजनल कमिश्नर का मुख्यालय भी है। भरतपुर में डी.आई.जी. रेंज बना रखा है, आपने सम्भागीय मुख्यालय नहीं बनाया भरतपुर में। पूर्वी राजस्थान के इन सात जिलों में कहीं कोई उद्योग धन्धा नहीं, कहीं अच्छी सड़कें नहीं, कृषि यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पूर्वी राजस्थान के साथ आपने जो अपमान कर रखा है इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको शर्म आती है। पूर्वी राजस्थान के ही वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं जो खुद धौलपुर जिले से आते हैं। उसके अलावा दो हमारे राज्य मंत्री भी और बैठे हैं, पर इसके बावजूद भी दिया तले अंधेरा हो रहा है पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है। न यहां पर सड़कें, न उद्योग धन्धे हैं, न रोजगार है। मैं आपके माध्यम से माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वित्त मंत्रीजी से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के इन सातों जिलों के लिए कोई विशेष पैकेज देने की घोषणा करें, अब पूर्वी राजस्थान के साथ और ज्यादा अन्याय और उपेक्षा बरदाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के जितने भी बड़े-बड़े प्रांत थे, उन प्रान्तों को छोटा करके कहीं आपने झारखण्ड बना दिया, कहीं आपने छत्तीसगढ़ बना दिया। यहां भी पहले मत्स्य प्रदेश रहा है। हमको मजबूर नहीं करो, इतनी उपेक्षा मत करो, इतना मत दबाओ कि पूर्वी राजस्थान के लोग भी अलग प्रदेश लोहागढ़ प्रदेश या मत्स्य प्रदेश बनाने की मांग करने लग जाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी समय है, आप भी इस क्षेत्र से आते हैं, आप अकाल के नाम पर हजारों करोड़ रुपए दूसरी जगहों पर खर्च करते है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस पूर्वी राजस्थान के सात जिलों के साथ तो न्याय करें। यह अन्याय बरदाश्त नहीं किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के साथ यह जो अन्याय किया जा रहा है, जब तक सरकार कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं करेगी, मैं और पूर्वी राजस्थान के दूसरे विधायक साथ, हालांकि आप और मैं उस आचार संहिता वाले सम्मेलन में थे। हमारा मन नहीं करता कि हम असम्मान करें, लेकिन फिर भी हमारे इलाके के लोगों, किसानों, मजदूर और गरीब जनता के हकों की लड़ाई के लिए मैं मजबूरन सदन में इन मांगों को लेकर धरना दे रहा हूं।

(माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन जी दिलावर।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की बात है, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं, हमारे यहां तीन साल में लगातार अकाल नहीं पड़ा, माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था, जहां-जहां अकाल नहीं पड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री धर्मपाल चौधरी : वहां पर सड़कों के लिए पैसा अलग से दिया जाएगा, बांध के लिए दिया जाएगा। (व्यवधान) पूर्वी राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है वह तत्काल बन्द होना चाहिए। (व्यवधान) माननीय वित्त मंत्रीजी, पूर्वी राजस्थान जहां किसान अपनी पूरी मेहनत करता है और राजस्थान की जनता का पेट भरता है... (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिंह (रामू) द्वारा सदन कूप में धरना)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई माहिर आजाद ने पूर्वी राजस्थान के सभी विधायकों

(डा. करण सिंह यादव)

की आवाज को सदन के सामने रखा है, यह बात पार्टी लाइन से बहुत ऊपर है। पूर्वी राजस्थान बहुत ज्यादा नैगलेक्टेड है, अलवर और भरतपुर जिला बहुत ज्यादा नैगलेक्टेड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावर।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान की सरकार को सैल्स टैक्स मिलता है और मण्डी टैक्स मिलता है। वहां जो पैसा हमारा... (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : धौलपुर की स्थिति माननीय वित्त मंत्रीजी भी जानते हैं। इन क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्रीजी करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

डा. करण सिंह यादव : यह व्यवस्था पार्टी लाइन से ऊपर है, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय, इसमें हर आदमी की आशा जुड़ी हुई है। अकाल के दौरान में पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे काम किये गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

डा. करण सिंह यादव : लेकिन इन जिलों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले में बांध बहुत हैं...(व्यवधान) इन जिलों में कोई स्कूल नहीं, कोई कालेज नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं।

डा. करण सिंह यादव : इन जिलों में सड़कों की विशेष व्यवस्था हो। इन जिलों में व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, क्या बात है?

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाजिब बात है जो माहिर आजादजी ने कही है। पार्टी से ऊपर उठकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए। (व्यवधान) क्या बात हुई?

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री जनार्दन गहलोत : एक निवेदन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट थोड़े ही है। पर्ची के माध्यम से उठा ली, बात कह दी। यह कौनसी डिबेट है? आप सब बोलेंगे? (व्यवधान) प्लीज आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) माननीय दिलावरजी।

श्री रमेश खींची : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री लोकप्रिय हैं इसलिए निश्चित रूप से स्पेशल पैकेज की घोषणा कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। घोषणा सब अभी हो रही है।

श्री रमेश खींची : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्पेशल पैकेज की घोषणा कराएं पूर्वी राजस्थान के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए।

श्री रमेश खींची : हमारे मुख्य मंत्री लोकप्रिय हैं, निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले घोषणा कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर।

श्री जनार्दन गहलोत : इनमें क्षमता है इसलिए इनके नेतृत्व में मिलना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां शहर में...

श्री जनार्दन गहलोत : वित्त मंत्रीजी आगे आएं, हम सब पूर्वी राजस्थान के लोग इनके साथ चलेंगे, मुख्य मंत्रीजी से मिलें। हमारे वित्त मंत्रीजी के साथ हम चलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, समझने की कोशिश करें।

श्री अशोक बैरवा : वित्त मंत्रीजी बिराजमान हैं, वित्त मंत्रीजी घोषणा कर रहे हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : धौलपुर में भी खोलना चाहिए था आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बैठना नहीं चाहिए था। (व्यवधान) मैं कहां रोकता हूं? (व्यवधान) बोलो, मदन दिलावर। बोलिए, बोलिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : इसलिए चाहे वो विरोधी दल का सदस्य है, इस मांग के साथ में हम शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : देखो साहब, डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा : कृपया हमारी जायज मांगों के ऊपर माननीय वित्त मंत्रीजी गौर फरमाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पूरा सुनना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पूर्वी राजस्थान के माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत वहां से थे, उन्होंने क्या किया पूर्वी राजस्थान के लिए, यह तो बता दो जो आज आप राजस्थान के विकास की बात करते हो? (व्यवधान) पूर्वी राजस्थान के लिए विपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने कौनसी बड़ी योजनाएं कर ली? (व्यवधान) आज आपकी राजनीति नहीं चलती है तो क्षेत्रवाद.

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को लेकर भड़कावा दे रहे हो। उस दिन भारतीय जनता पार्टी को आप कहते जब विपक्ष के नेता भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य, मंत्री थे। आज इनको याद आ रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास की बात है इनके जैसा मुख्य मंत्री नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजनीति की कमाई करने के लिए आप इतने हल्के स्तर पर उतर गये और आप क्षेत्रवाद को बढ़ा दे रहे हो।

श्री अशोक बैरवा : इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में आप अपनी मदद करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे मुख्य मंत्री थे भैरोंसिंह जी शेखावत, उन्होंने क्या किया? आज राजनीति को भड़काने के लिए, एनकैश करने के लिए, पोलिटिकल एनकैशमेंट के लिए कर रहे हैं, यह कोई तरीका हुआ? यह कोई बात हुई क्या?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो खुद दुश्मन हैं पूर्वी राजस्थान के। आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका यह मतलब नहीं। हम भी यहां पूर्वी राजस्थान से हैं। (व्यवधान) जब-जब पूर्वी राजस्थान पर विपदा आयी तो आप लोगों ने दगा दिया पूर्वी राजस्थान के साथ? (व्यवधान) आपका उल्लू पूर्वी राजस्थान को लेकर ही सध सकता है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब तो सगे बन जाओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूर्वी राजस्थान की आपको कब से चिन्ता हो गई?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोटेक्शन दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : अपने क्षेत्र की खिलाफत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए। (व्यवधान) माननीय धर्मपाल जी, बिराजिये। बोलिए, बोलिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूर्वी राजस्थान के नाम पर हरिसिंहजी भाई साहब, आप समझाओ इनको, +++ हो गये हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष : आहूजाजी, बिराजिए प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ कर रहे हैं ये।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीर विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो फटाफट।

श्री मदन दिलावर : अभी तो चालू ही नहीं किया, साहब।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न आप।

श्री मदन दिलावर : बारां शहर में स्वायत्त शासन मंत्री...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा : इससे ज्यादा कोई गम्भीर मसला नहीं हो सकता, पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। बिराजिए, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां से बोलने से क्या होता है, आकर यहां बैठो। वहां खड़े होने से क्या होता है, इनके साथ बैठिए।

श्री अशोक बैरवा : आपको हिमायत करने की कतई आवश्यकता नहीं है माननीय सदस्या। आपकी हिमायत करने की कतई आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जरूर हमारी बातों पर ध्यान देंगे, आपको हिमायत करने की कतई आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए। आप शुरू करो, सब हो जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आजाद साहब से, यशवन्त सिंहजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके ही कोई निर्णय हो सकेगा। इमीजिएटली तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप दोनों कृपया वहां अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अभी बात करनी पड़ेगी, इमीजिएट कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

बारां में शिक्षण संस्थाओं को भू-आबंटन

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बारां शहर में संदिग्ध आचरण की शिक्षण संस्थाओं के बारे में निवेदन कर रहा था। संदिग्ध आचरण की शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्त शासन मंत्रालय द्वारा चार हजार वर्ग फीट जमीन निः शुल्क देने के कारण से बारां का माहौल ऐसा हो गया है जैसे कोई शहर बारूद के ढेर पर बैठ गया हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रिपोर्ट बताना चाह रहा हूं। मैं कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (जोन अजमेर) की रिपोर्ट बताना चाह रहा हूं। जिन संस्थाओं के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 24.2.2001 को श्रीमान् ए.के. देवराजन साहब, महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी. (इंटेलिजेंस), राजस्थान, जयपुर, माननीय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में यह है कि ये शिक्षण संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं और अराष्ट्रीय गतिविधियों में लगी हैं। उसका एक पैरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"सैयद असद मदनी (सदर) जे.यू.यू.एच., जमीयत उल उलेमाए-हिन्द-सैयद उसद मदनी जो जमीयत उल उलमाए-हिन्द के भारतीय स्तर के नेता हैं, इनकी पहुंच केन्द्र सरकार तक है। ये ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, परन्तु इन्होंने एक मदरसा गांव बिठूर (नसीराबाद) में चला रखा है जिसमें काफी मात्रा में बच्चे व बच्चियां भी तामील ले रही है। इनका उद्देश्य भी कट्टरता की शिक्षा देना है। ब्यावर शहर में काफी मदरसे जमीयत उल उलेमाए-हिन्द (जे.यू.यू.एच.) के चलाये जा रहे हैं। इन सभी का संचालन बिठूर वाले मदरसे से ही होता है। इन सभी मदरसों में मौलवी बाहर दिल्ली, यू.पी. व मुम्बई, पाकिस्तान के हैं। यहां मदरसों के मौलवी ब्यावर से अच्छे बच्चों को छांटकर मुजफ्फरनगर (यू.पी.) व अन्यत्र भेजकर अराष्ट्रीय शिक्षा दिलाते हैं जिससे कभी भी देश को खतरा हो सकता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि मदरसों में कई सारी संस्थाएं वहां से अपना संचालन करती हैं जिनके नाम हैं, जमायत-ए-इस्लाम हिन्द, जमायत-ए-इस्लाम। इस प्रकार की ब्यावर में लगभग 50 संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का काम करती हैं और ये 100 से ज्यादा मदरसे चलाती हैं। मदरसों के बारे में पूरी सरकार की ओपिनियन, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यह है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, अराष्ट्रीय गतिविधियां चलाने के अड्डे हैं। सारे के सारे अड्डे होने के बाद बारां जिले की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं, बारां जिले में सरकार यह मान चुकी है सिमी बहुत बड़ा आतंकवाद का अड्डा है और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सिमी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, परन्तु स्वायत्त शासन मंत्रालय के मुखिया ने ऐसे अराष्ट्रीय संगठनों से मिलकर...

डा. किरोड़ी लाल : मुखिया कौन है?

श्री मदन दिलावर : शांति धारीवालजी उसके मुखिया हैं और इन्होंने वहां सिमी के लोगों से मिलकर, अराष्ट्रीय लोगों से मिलकर, राष्ट्रद्रोही लोगों से मिलकर चार हजार वर्ग फीट जमीन निः शुल्क दी है। इसके कारण से पूरा जिला एक तरह से असुरक्षित दिख रहा है। इन संस्थाओं के बारे में निवेदन कर रहा हूं, कि इन्होंने वहां मन्दिरों की जमीन पर कब्जा करके पहले से ही मदरसा बनाया हुआ है। वहां के डोल मेले की जमीन पर कब्जा करके पहले से ही मदरसा बनाया हुआ

(श्री मदन दिलावर)

है। इसके कारण आज स्थिति बहुत खराब हो गई है।

यही नहीं, इस रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है, एक हमारे सदन के विधायक हैं और वह विधायक मसूदा से चुनकर आते हैं मसूदा के विधायक पर भी टिप्पणियां की हैं कि ये विधायक अधिकारियों को कहते हैं कि अवैध जो मदरसे चलते हैं, अवैध मस्जिदें बनती हैं और जो अवैध गायें काटी जाती हैं उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही आप लोग न करें अन्यथा इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए अधिकारी तैयार रहें। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जहां आज अलवर में आई.एस.आई. के एजेंट पकड़े गये हैं, बारां में भी इसके माध्यम से आई.एस.आई. के एजेंटों का आना-जाना रहेगा। पूरे प्रदेश में आई.एस. आई. के एजेंटों का आना-जाना हो रहा है इसलिए इन मदरसों पर पूरी पाबन्दी लगाएं। जो मदरसों को जमीन दी है इसको निश्चित रूप से निरस्त करें, अन्यथा यह मेरा बारां जिला जो शांत है और जहां सिम्मी के आतंकवादी लोगों का कुछ समय से गढ़ बना हुआ है, वहां शांति धारीवालजी मंत्री हैं; वह उनसे मिल गये हैं और मिलकर इस प्रकार से बड़ा धन प्रलोभन लेकर इस प्रकार की कार्यवाहियां अराष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं इससे मेरा पूरा हाड़ौती का क्षेत्र अशांत हो जाएगा। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय विराजमान हैं, क्या इस प्रकार की अराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होने वाली संस्थाओं को जमीन दी जा सकती है? मंत्रीजी थोड़ी-सी बात करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेह सिंह।

श्री मदन दिलावर : आप मंत्री महोदय से थोड़ा कहें।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : प्रतिबन्धित संगठन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी ने लैण्ड अलाट की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात गम्भीर है।

डा. किरोड़ी लाल : यह बात है और तो कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कोई बात नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. (सी.बी.) की रिपोर्ट है मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारत सरकार ने जिस संगठन को प्रतिबन्धित किया उसकी अराष्ट्रीय गतिविधियों के कारण...

डा. किरोड़ी लाल : उसी संगठन को निःशुल्क भूमि आबंटित की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : फतेह सिंहजी, आप तो बोलो न? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेह सिंहजी।

दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में पुनः गश्त गिरदावरी की आवश्यकता

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दक्षिणी राजस्थान की ओर अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में तीन-चार साल से अकाल पड़ा हुआ है, पिछले साल भी राजस्थान के दक्षिणी इलाके में भयंकर अकाल था। दो साल तक तो राजस्थान सरकार ने उस इलाके में कुछ नाममात्र की मजदूरी दी और आये दिन जितने लोगों को रोजगार यहां मिलना चाहिए था वह रोजगार नहीं मिला। लेकिन गुजरात का इलाका हमारे इलाके का पड़ौसी एरिया है, बांसवाड़ा जिले, डूंगरपुर जिले गुजरात में हमेशा रोजगार करते आये हैं। पिछले दो सालों तक मामूली रोजगार मिलने के बाद में इस साल भी बासंवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में भयंकर अकाल है और यहां के लोग गुजरात की ओर पलायन कर गये थे, वहां पर रोजगार के काम करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में पिछले साल 18 इंच बारिश हुई थी, इस साल 12 इंच बारिश होने के बाद भी गश्त गिरदावरी की। जिला कलक्टर ने या प्रशासन ने या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार गश्त गिरदावरी के आंकड़े निकाले गये उसमें अकाल या अभाव माना नहीं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। अभी बांसवाड़ा जिले के अन्दर स्थिति ऐसी है कि सबसे पहले तो वहां पर किसान खेतिहर मजदूर हैं, छोटे-छोटे खेत हैं। इस साल 12 इंच हल्की हल्की बरसात हुई है और वह भी कुछ एक-दो महीने के लिए, तो सौ बीघा में 10 बीघा में फसल बोयी थी, वही मक्का थोड़ी बहुत हुई। वहां के लोगों के लिए डेढ़ महीने, दो महीने के अलावा कोई खर्चा हुआ नहीं है। बाकी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री फतेह सिंह)

जिंस हमारे यहां पर है, मक्का है, ज्वार है और कई फसलें हैं 90 परसेंट रकबा था उसमें सारी की सारी फसलें नष्ट हो गयीं। उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने या जिला कलक्टर ने, प्रशासन ने वहां पर अभाव या अकाल घोषित नहीं किया, 50 के ऊपर का इन्होंने खराबा माना है। इस हिसाब से वहां के लोग परेशान हैं। उस इलाके में नदी-नाले सूखे हुए हैं, आज पीने के पानी की भयंकर स्थिति है और मवेशियों के लिए खुला पानी नहीं मिल रहा है, तालाबों में पानी भरा नहीं है, तालाब सूख चुके हैं, नदी-नाले सूख चुके हैं, कुएं हैं वे भी सूख चुके हैं, हैण्ड पम्प का भी पानी नीचे चला गया है। तो उस इलाके में पानी की समस्या तो है ही है उसके साथ-साथ रोजगार की भी समस्या है, और कई तरह की स्थिति बनी हुई है। अकाल राहत मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उस इलाके के लिए क्या सोचना चाहती है, क्या करना चाहती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र के करीब-करीब दो-ढ़ाई लाख लोग गुजरात में काम करने के लिए गये थे। गुजरात में काम करते थे इतने में ही गुजरात की जो घटना घटी उस बात को लेकर अहमदाबाद से बांसवाड़ा 600-700 किलोमीटर की दूरी है, लोग पावं-पैदल अपनी जान बचाकर आये और कई लोगों का तो आज दिन तक भी पता नहीं है। सरकार से हमने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार जिला कलक्टरों के द्वारा यह जांच कराए कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र के कितने लोग कहाँ गये थे और उनमें से कितने लोग आये और कितने अब तक कहां फंसे हुए हैं। यह भी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, न जिला कलक्टर को कोई निर्देश दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के लोग गुजरात से भटक कर वापस यहां आये उनके लिए सरकार रोजगार दें। चाहे अकाल आप मत मानो, उस अकाल में रोजगार के लिए आप कोई धन उपलब्ध करावें। सड़कों के लिए दें, कुओं के लिए दें या किसी और निर्माण काम के लिए आप पैसा दें, तब जाकर लोगों को रोजगार मिलेगा। पानी के लिए जब तक आप अकाल या अभाव नहीं मानोगे तब तक हमारे यहां हैण्ड पम्प नहीं खुदेगा, कुएं गहरे नहीं होंगे। हैण्ड पम्प या कुएं गहरे करने के लिए आपने टी.ए.डी. से कुछ सैंक्शन निकाली हैं, लेकिन एक-दो गाड़ी लगा रखी हैं उससे पूरे कुएं ब्लास्ट होंगे नहीं और उन कुओं में पानी आएगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले को अभाव या अकालग्रस्त घोषित किया जाए। वहां के कलक्टर ने आपके यहां

(श्री फतेह सिंह)

रिपोर्ट भेज दी है उस रिपोर्ट में मेरे खयाल से यह लिखा गया है कि यहां पर अकाल या अभाव नहीं माना जाएगा, यहां पर उत्पादन अच्छा हुआ है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस अकाल की दुबारा गश्त गिरदावरी की जाए कि खरीफ फसल की पैदावार क्या थी। रबी और खरीफ दोनों फसलों को मिलाकर आंकड़े निकाले जाएं उससे यह पता चलेगा कि उस इलाके में वास्तव में अकाल है या नहीं है।

पिछले साल 18 इंच बरसात थी और उसके बाद में 12 इंच बरसात हुई है उस हिसाब से आप अन्दाज लगा सकते हैं। इतनी कम बारिश होने पर इस साल अकाल क्यों नहीं माना जाएगा? मैं इस मौके पर सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, और हमारे वित्त मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप यहीं कोई बात करो कि क्या दुबारा जिला कलक्टर को कहकर उस इलाके की गश्त गिरदावरी कराकर सही आंकड़े मंगाकर उस इलाके में अकाल घोषित करेंगे और लोगों को रोजगार दिलाएंगे, राशन की पूरी व्यवस्था करेंगे, पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। यह आश्वासन आप दें तब तो ठीक है, वरना हमारे इलाके की स्थिति बहुत गम्भीर है। अपने यहां पर कुछ ऐसे संकट आये हैं, वहां के लोग परेशान होकर यहां आये और आने के बाद जिस तरह का वातावरण बना, वह तो उस जिले में लोगों ने कुछ शांति दी, वातावरण को ठण्डा किया और प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने वातावरण को थोड़ा-सा शांत किया इसलिए मामला शांत है। गुजरात बांसवाड़ा जिले या मेरे क्षेत्र से दो किलोमीटर दूर है, वहां पर ऐसी घटनाएं घटीं और उधर से लोग आये उनको भी यहां के प्रशासन ने और हम लोगों ने हर तरह से सहयोग किया। उसके ऊपर लोगों का वातावरण बिगड़ा कहां? हमने शांति दी और वापस उन लोगों को व्यवस्थित ढंग से गुजरात सरकार को सुपुर्द किया। मैं समय रहते हुए सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके में अगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की तो अशांति फैलेगी और उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी कहा है उसके सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी कोई जवाब देंगे, आश्वासन देंगे। आप आश्वासन नहीं देते हैं तो मैं हमारे दल की तरफ से और उधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के, दक्षिणी राजस्थान के जितने एम.एल.ए. हैं इसके विरोध में और हमारी पार्टी के जो लोग हैं, तीन सदस्य है, वे हाउस में यहां धरने पर बैठते हैं। यह कहकर मैं धरने पर बैठ रहा हूं।

(माननीय सदस्य श्री फतेह सिंह द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फतेह सिंहजी, वह बोल रहे हैं न।

श्री भाणजी (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले को भेदभाव में रखा गया है इसलिए इसके विरोध में हम धरना देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फतेह सिंहजी, वह बोल रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे है। धरने पर क्यो बैठ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप धरने पर क्यों बैठते हो, ऐसा तो हमारे जिले के साथ भी हुआ है? जरा-सी बात पर धरने पर बैठ गये आप लोग।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप बैठें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय फतेह सिंहजी ने बांसवाड़ा जिले के अन्दर जो गिरदावरी के बारे में कहा है कि गिरदावरी सही नहीं हुई है और उसके बारे में यहां सरकार का ध्यानाकर्षित किया है, मैं राजस्व मंत्री महोदय को और अकाल राहत मंत्री महोदय को इनकी भावना से अवगत करा दूंगा। यही मैं आपको इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अकाल के अलावा बांसवाड़ा की गुजरात की वजह से विशेष परिस्थिति बनी है इसलिए इसमें थोड़ा-सा ध्यान देकर थोड़ी-सी राहत पहुंचाने की सरकार से कोशिश करिये। ठीक है? और कितना आश्वासन चाहिए आपको? माननीय श्री मानिकचन्दजी सुराना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष जी, मेरे मामले में भी मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। आप बिराजो। आपका मामला और इनके मामले में बहुत फर्क है। आप बिराजे प्लीज।

श्री फतेह सिंह : आश्वासन दिया उसके लिए हम आभारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्दजी सुराना। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरी बात नहीं सुनते जब सब की बात सुनते हैं। सब का जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं, मेरा तो जवाब देने वाले थे पर आपने मना कर दिया। तो थोड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर भी कर दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मानिकचन्दजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : थोड़ी मेहरबानी मेरे पर भी कर दें। मंत्रीजी जवाब देने वाले थे और कुछ कहने वाले हैं। (व्यवधान) मेरा मैटर भी 25 साल पुराना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : जो धरना दे रहे हैं उनकी बात तो आप करवा देते हो एक मिनट में और मेरी बात आप मान नही रहे हैं। धरना दे रहे हैं उनकी बात तो आप एक मिनट में उनसे बुलवा देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी डिमाण्ड पर बोलना है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप भी दे दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरा जवाब दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : बैठे हैं, मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप रोज तो बहिष्कार करते हो, रोज धरना देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पूर्वी राजस्थान का मुद्दा उठा, फिर दक्षिणी राजस्थान का मुद्दा उठा। पूर्वी राजस्थान के मामले में भी सदन में धरना दिया गया और दक्षिणी राजस्थान के हमारे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

राजस्थान के अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के खेतों में फौज की तैनाती से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय नेता जनता दल सैक्यूलर, इन्होंने भी अपने पूरे ग्रुप के साथ धरना दिया। मैं सदन का ध्यान खाजूवाला, पूगल, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में बार्डर पर जो काश्तकार हैं, 13 दिसम्बर 2001 को जब हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थितियां बनीं उस कारण से भारत की फौजें बार्डर पर चारों जिलों में, हमारे जिले में 50, 60, 70 ही नहीं बल्कि 100 किलोमीटर तक...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामस्वरूप : सुरानाजी, ये फौजें किसने पटक रखी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने। लड़ाई करते नहीं हैं और फौजें लाकर पटक दीं उन्होंने

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी। बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इनको नियंत्रित करें। फौज़े पटकने की, किस तरीके से यह हिकारत का शब्द यूज किया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, किसी चीज को तो सीरियसली लो। प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : लगता है कि देश की सुरक्षा से आपका सम्बन्ध टूट गया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने भी देश की सुरक्षा ही की है, हमारी फौजें आज तैयार बैठी हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। आप क्यों उनसे डरते हैं? (व्यवधान) आपने वहां जाकर...(व्यवधान) कर दिया ले जाकर।

श्री जीतमल खांट : सैनिक अपनी जान की परवाह नहीं करके देश की...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इतने दु:खी हैं सैनिक हमारे आज, वो दु:खी हैं, भारत मां की रक्षा करने के लिए...(व्यवधान) कुछ नहीं किया आपने।

श्री जीतमल खांट : ...और आप इस तरह हल्के शब्द का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय रामस्वरूपजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप उनको बिठाएं पहले।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा):... पटकना शब्द के लिए माफी मांगो। वापस लो यह शब्द आपका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, कृपा करके आप अपने स्थान पर बैठिये। उनको बोलने दीजिये। यह गलत बात है। आर्डर, आर्डर।

श्री जीतमल खांट : माफी मांगनी चाहिए आपको। इस बात के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : बैठ जाओ आप। फिर मुझे उठना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज। किसी चीज को सीरियसली लो। हर बात को... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उस माहौल में, हजारों काश्तकारों के बार्डर के इलाके में जो सिंचित खेत थे उन सिंचित खेतों में माइंस डाली गयीं। माइंस डालना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, वह माइंस डाल दी गई। किसानों ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया बल्कि उसमें सहयोग किया। उपाध्यक्ष महोदय, वह घटना अब तीन महीने पुरानी हो गयी। अभी भी हमारे रक्षा मंत्रीजी का बयान बराबर आ रहा है कि फौजें वहां रहेंगी। देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार जब तक फौजें रखना चाहे रखे, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। मैं सिर्फ काश्तकारों की जो परेशानी है, चारों जिलों के असैसमेंट्स जो किये गये, गंगानगर जिले के, बीकानेर जिले के, बाड़मेर के, जैसलमेर के, वे असैसमेंट बहुत कम किये गये। मेरे जिले के काश्तकारों के लिए चार करोड़ का असैसमेंट किया गया उनके व्यक्तिगत नुकसान का, खेती के नुकसान का। अलग-अलग जिलों का अलग-अलग असैसमेंट हुआ लेकिन हमारे कलक्टर महोदय ने जो हमारी सड़कों का नुकसान हुआ, हमारी नहरों का नुकसान हुआ, हमारे वाटर कोर्सेज का नुकसान हुआ, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कहना चाहता चाहे मेरी जानकारी हो, पर वह कहीं 30 से 40 करोड़ के बीच में है। वह फिगर जो हमारे जिले का 30 से 40 करोड़ है तो निश्चित रूप से चारों जिलों गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर का यह करीब 200 करोड़ से कम नहीं होगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि चाहे यह मामला

(श्री मानिक चन्द सुराना)

काश्तकारों से ही सम्बन्धित है, बाकी जो नहर और सड़क का पैसा आएगा वो वित्त मंत्रीजी को आएगा और उनके माध्यम से फिर वह कंसोलिडेटेड फण्ड में जाकर जिन विभागों को मिलना है मिलेगा। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमारे गृह मंत्री महोदय भारत सरकार से कुछ ऐसा लाइजन करें, कुछ ऐसा सम्पर्क बनाएं जिससे जो मुआवजा काश्तकारों को सिर्फ 25 प्रतिशत मिला है और यह भी मिला क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कल से ही इस मुद्दे को उठाना चाहता था, मैंने आज हमारे कलक्टर, बीकानेर से बात की, उन्होंने कहा कि वह मुआवजा कल पहुंचना है और अभी बंटा नहीं है, 5-7 दिन में बंटेगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अब तीन महीने बाद भी चौथाई मुआवजा ही क्यों? हमारी सरकार भारत सरकार को इस पर ध्यान दिलाए कि हमारा जो असैसमेंट है चाहे वह असैसमेंट कम की तरफ है, वह मुआवजा शत-प्रतिशत मिले और वह न सिर्फ किसानों का आए बल्कि हमारी जो सार्वजनिक सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा भी तत्काल राजस्थान सरकार को मिले।

इतना ही नहीं, यदि तीन महीने फौज और रहने वाली है तो हमारी खरीफ की फसल नहीं होने वाली है और वह मुआवजा भी एडवांस में निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। आखिर आप उन किसानों की हालत को देखें जो बार्डर पर बैठे हैं और दिसम्बर में जिनके खेतों में माइंस लग गयीं इस कारण से पानी नहीं दे सके जिससे फसलें बरबाद हो गयीं। उनको तीन महीने हो गये, वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। दो जून रोटी की उनकी स्थिति नहीं है। वे अपने सम्बन्धियों के यहां पड़े हैं। सम्बन्धियों के आखिर तीन महीने रहना भी बहुत नागवार, दुष्कर बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और खास तौर से गृह मंत्री महोदय और आवश्यकता हो तो मुख्य मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर बात करें और जो चारों जिलों के किसानों का मुआवजा और सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान का मुआवजा है वह राजस्थान को मिले, किसान को मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बोर्डर पर बहुत-सी तारबन्दी की गयी है, मैं वित्त मंत्री महोदय का भी ध्यानाकर्षित करूंगा क्योंकि अभी ये बिराज रहे हैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी भी बैठे हैं। यह मामला 7-8 वर्षों से पैंडिंग है, हजारों किसानों की जमीनें उसमें आ चुकी हैं। हजारों किसानों की जमीनें, जब से राजस्व विभाग को दरखास्त देते हैं कि इनका तबादला हमको दे दिया जाए तो तबादला नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है कि भारत सरकार आपको मुआवजा देगी या भारत सरकार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान सरकार को मुआवजा देगी तब आपको दूसरी जमीन अलाट करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर तो किसान की इन्तजार करने की हद है। 8 साल, 6 साल, 5 साल पहले यह तारबन्दी हो गयी और आज तक हजारों बीघा जमीन हजारों लोगों की उसमें आ गयी। यह जमीन वह जमीन है जो उपनिवेशन विभाग ने उनको आबंटित की है और जिसकी किस्तें वे राज्य सरकार को दे चुके हैं चाहे वह बारानी हो, अनकमाण्ड हैं चाहे कमाण्ड है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मसला तारबन्दी में जमीन आने का है और भारत सरकार से मुआवजा लेने का है एवं किसानों को वापस दूसरी जमीन आबंटित करने का है, इसको लालफीताशाही का शिकार नहीं बनने दिया जाना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सरकार का नारा है संवेदनशील, पारदर्शी और जिम्मेदार प्रशासन का, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता के साथ किसानों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए उनकी पीड़ा को महसूस करके इस समस्या का भी समाधान करें।

इसको माननीय वित्त मंत्रीजी, तीन साल से अकाल हमारे जैसलमेर में भी था, बीकानेर जिले में भी था, इसको ध्यान में रख कर जो राहत सैकण्ड स्टेज के किसानों को दी गयी है वह राहत फर्स्ट स्टेज के किसान भी रिजर्व करते हैं। इन्दिरा गांधी नहर में पानी कम हो गया तो फर्स्ट में भी कम हो गया और सैकण्ड स्टेज में भी कम हो गया। अकाल हमारे यहां भी पड़ा है और उनके यहां भी पड़ा है। आपने जो सैकण्ड स्टेज के लोगों को राहत दी है, जितना ब्याज चढ़ गया आपके किस्त देने का, वह जो माफ करने की आपने विज्ञप्ति जारी की है सैकण्ड स्टेज के लिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह विज्ञप्ति हमारे यहां भी लागू की जाए। दोहरे मापदण्ड पहले स्टेज के लिए, खाजूवाला, पूगल फर्स्ट स्टेज में है और पूगल में उतनी ही रेतीली जमीन है जितनी कि जैसलमेर में है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो राजस्व विभाग की विज्ञप्ति आपके वित्त विभाग की वेटिंग से जारी हुई है उसको फर्स्ट स्टेज के किसानों खास तौर से पूगल, खाजूवाला और छत्तरगढ़ के किसानों पर भी लागू करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार का ध्यान तीन मुद्दों की ओर आकर्षित करके मेरा स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, इस निवेदन के साथ कि पूगल के काश्तकारों की जो किस्तें जमा नहीं कराने से आप लिस्टें बना रहे हैं कि उनके मुरब्बे खारिज किये जाएं वे मुरब्बे रोकें, उस खारिजीकरण को रोकें और फर्स्ट स्टेज के काश्तकारों को यह राहत दिलाने के लिए विचार करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

याचिकाओं का उपस्थापन

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला सवाईमाधोपुर की बोंली-निवाई रोड पर जामड़ोली के पास ढ़ील नदी पर अधूरे पड़े सार्वजनिक महत्व के पुल का निर्माण कराये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित और जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बोंली के मलारना चौड़ गांव तथा पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम बाटोदा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शांति धारीवालजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलो।

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 2002-2003 के बजट प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये, मैं उनके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी सरकार के बजट को आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम आइसोलेशन के अन्दर व्यू नहीं कर सकते। इंटरनेशनल सर्कम्सटांसेज, नेशनल सर्कम्सटांसेज उसको प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, पड़ौसी राज्यों की परिस्थितियां भी प्रत्येक राज्य के बजट को प्रभावित करती है। मैं प्रयास करूंगा कि इन बजट प्रस्तावों को क्रिटिकली एप्रिशियेट करने के लिए अपने विचार दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन कठिन परिस्थितियों में जैसाकि सर्वविदित है, एक तरफ विकास के कार्य, डवलपमेंट के वर्क्स का प्रैशर और दूसरी तरफ

(18.53 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

महंगाई भत्ते पर कर्मचारियों का प्रैशर और तीसरी तरफ बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ, देनदारियां, इन विकट परिस्थितियों के अन्दर हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने निश्चित रूप से एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। कुछ मुख्य बिन्दु जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष में 12.5 प्रतिशत बढ़ गया है, जोकि निश्चित रूप से प्रशंसनीय बात है। प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर 7.9 की वृद्धि हुई और प्रचलित कीमतों पर 9.79 की बढ़ोतरी हुई, जो कि एक प्रोग्रेसिव इकोनोमी का इंडीकेटर है। हमारी सरकार ने आगामी योजना का आकार 5535 करोड़ रुपये का रखा है। अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह एक प्रशंसनीय और अच्छी उपलब्धि होगी। सभापति महोदय, सभी प्रदेशों के अन्दर और हमारे प्रदेश में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की मांग समय-समय पर होती रही है। हमारे इस बजट के अन्दर दो ग्लेरिंग आस्पैक्ट्स हैं, प्रमुख बिन्दु हैं जिसकी तरफ माननीय वित्त मंत्रीजी ने ध्यान दिया है और उन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की, जिसके लिए बजटरी एलोकेशन काफी कुछ किया गया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। काफी साल जो नेग्लेक्टेड था वह है सड़क का क्षेत्र। सड़क के क्षेत्र में इस वर्ष 11000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और अगले वर्ष 13000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का विचार है। इसी तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स और स्टेट हाईवेज पर भी 150 करोड़ रुपये का खर्च करने का हमारी सरकार का इस वर्ष इरादा है।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

एक नई चीज इस साल प्रारम्भ की है धार्मिक स्थानों को सड़क से जोड़ने की। हमारे ये भाजपा वाले धर्म के नाम पर झगड़ा और फसाद कराते हैं लेकिन हम धार्मिक स्थानों को जोड़कर दिलों को जोड़ते हैं। ये दिलों को तोड़ने का कार्य करते हैं। सभापति महोदय, पी.एम.जी.वाई. में भी 2000 किलोमीटर सड़कों का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि इस वर्ष 3000 किलोमीटर सड़क का काम हाथ में लिया जाएगा। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि हमने अगर क्वालिटी मेंटेन करते हुए एचीव कर लिया तो निश्चित रूप से राजस्थान देश के प्रमुख विकसित प्रदेशों की श्रेणी के अन्दर अगले दो-तीन वर्षों में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे वित्त मंत्रीजी ने काफी मौलिकतापूर्ण विचार रखे और पहली बार रुग्ण उद्योगों को रिवाइज करने के लिए एक पैकेज रखा। उद्योग हजारों की संख्या में रुग्ण हैं और उनके कारण से इकोनोमी पर एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती है। उसके कारण से करोड़ों रुपये जो डूब गये हैं, उनको रिवाइज करने का भी आपने एक अच्छा प्रयास किया है। एक कार्य जो आप अच्छा करने जा रहे हैं वह है ग्रामीण हाट और बाजार की स्थापना। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर रोजगार बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से जो भी उत्पादित वस्तुएं होंगी, उनकी खरीददारी के लिए बाजार होगा, ग्राहक मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ-साथ आपने एक नया कार्य जो शुरू किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। छोटे उद्यमियों को सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान, सोफ्ट लोन का प्रावधान किया है, यह भी एक प्रशंसनीय कदम है और मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, प्रत्येक बजट की एक सैंक्टिटी होती है और मेरे खयाल से यह हर सरकार का एक पायस डाकूमेंट होता है और जिसकी सैंक्टिटी बनाये रखना हर सरकार का कर्तव्य होता है। पिछले कुछ वर्षों से बल्कि कई वर्षों से देख रहा हूं मैं, भाजपा के शासन के समय में भी बजट की सैंक्टिटी मेंटेन नहीं की जाती रही और अनफोर्चुनेटिली बजट की सैंक्टिटी को हम भी मेंटेन नहीं कर पाये हैं। हम बजटरी एलोकेशन करते हैं, प्रावधान करते हैं पर उनकी क्रियान्विति नहीं कर पाते हैं। मैं इकोनोमिक सर्वे जो हमें दिया गया है, उसके पेज 14 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर बजटरी एलोकेशन कुछ और रहा और वास्तविक व्यय कुछ और रहा 1998-99 में 4300 करोड़ मूल प्रावधान,

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

संशोधित प्रावधान 4025 करोड़ और व्यय 3832 करोड़ आ गये। 1999-2000 में मूल प्रावधान 5022 करोड़, संशोधित अनुमान 3855 करोड़ और वह घटकर व्यय 3600 करोड़ हो गया। 2000-2001 में संशोधित प्रावधान 4237 करोड़ था, वह घटकर 3772 करोड़ रुपये हो गया। और 2002 का हालांकि व्यय अभी फाइनल नहीं आया है लेकिन सम्भावना इसी बात की है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

(14.00 बजे)

जब बजटरी एलोकेशन को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी पर एडवर्स प्रभाव पड़ता है, यह मेरी सोच है। बजट में कई घोषणाएं की, अच्छी घोषणाएं भी हुई हैं। किन्हीं कारणों से, फाइनेंशल कंस्ट्रेंट के कारण से या कैसे भी हो, उन घोषणाओं को हम पूरा नहीं कर पाये हैं जिसके कारण से कई जो अच्छे कार्य होने थे उनसे हम वंचित हो गये। पिछले वर्ष 2001-2002 के बजट में पेज 9 पर प्रावधान किया गया था इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन और हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पंचायती राज संस्थाओं को 93 करोड़ रुपये देने का था, अनफोर्चुनैटली वह पैसा नहीं दिया गया या दिया भी गया है तो उसको शायद फ्रीज कर लिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं को इससे महरूम, वंचित होना पड़ा था इसी प्रकार से पिछले वर्ष बजट के अन्दर आयुर्वेद के कुछ सब सेंटर्स वगैरह खोले थे, हमने उसकी भी क्रियान्विति नहीं की। उस दिन इस पर कुछ चर्चा भी हुई थी। इसी प्रकार से स्कूल्स खोले तो गये हैं लेकिन स्कूल्स के टीचर्स के लिए पोस्ट की क्रिएशन नहीं हुई और इस कारण से स्कूल खोलने का कोई फायदा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर विशेष रूप से नहीं हो पाया। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार तो अनुदान की राशि भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब ने कुछ समय पहले रिव्यू मीटिंग की थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के माध्यम से हमको 42 करोड़ रुपये चार वर्ष में खर्च करने थे। तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् हम सिर्फ 11 करोड़ रुपये खर्च कर पाये जिसमें कि 90 प्रतिशत ग्रांट है, राज्य का मैचिंग पोर्शन सिर्फ 10 प्रतिशत है। तीन वर्ष के अन्दर हम सिर्फ 11 करोड़ रुपये खर्च कर पाये जो कि एक दुःखद स्थिति है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट एक्ट लोक सभा में प्रस्तुत किया था, मैं नहीं जानता उसका क्या हश्र हुआ। लेकिन राज्य उसमें कवर नहीं किये जाते, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एण्ड मैनेजमेंट

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

एक्ट केन्द्र सरकार के लिए था। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस प्रदेश के लिए भी, राजस्थान के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एण्ड बजट मैनजमेंट एक्ट पास करे जिससे कि वित्तीय अनुशासन अच्छा हो और हम अपने बजटरी एलोकेशंस को टाइमली पूरा कर सकें।

एक अच्छी गवर्नेंस के लिए, सभापति महोदय, तीन स्टेजेज होती हैं मेरे विचार से। गुड डिसीजन्स, प्रोपर टाइमली एण्ड इफैक्टिव एग्जीक्यूशन एण्ड मानिटरिंग। निस्संदेह पिछले तीन-साढ़े तीन साल में हमारी कल्याणकारी सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिये और उन निर्णयों की सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा हुई है। लेकिन जब हम उन निर्णयों के एग्जीक्यूशन को देखते हैं, सैकण्ड स्टेज को देखते हैं तो जिस तेजी से वे निर्णय होने चाहिए थे, एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए था वह टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। 1999-2000 में वित्तीय लक्ष्य से 280 करोड़ रुपये अनुपयोगी रहे जो कि 73 प्रतिशत था और 2002-2001 में 77 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ जो कि आबंटित राशि का 32 प्रतिशत था। इसी प्रकार से भौतिक लक्ष्य देखें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, तो 1500 से अधिक जनसंख्या की आबादी के 1999-2000 में 135 गांवों को जोड़ना था, सिर्फ 48 गांवों को ही हम जोड़ पाये, 64 प्रतिशत की कमी रही। इसी प्रकार से 2000-2001 में 64 गांवों को जोड़ना था, मात्र 10 गांव जोड़ पाये और 84 प्रतिशत की कमी रही। इसी प्रकार से एक हजार की पापुलेशन वाले 202 गांवों को जोड़ना था हमें 1999-2000 में मात्र 82 गांव जोड़ पाये, यह 60 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। सड़क निर्माण के लिए जो टारगेट हमारा 1999-2000 में 1350 किलोमीटर लम्बी सड़क का था वह मात्र 442 किलोमीटर लम्बी सड़क जोड़ पाये और यह उपलब्धि सिर्फ 67 प्रतिशत ही रही, 37 प्रतिशत कम रही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण स्टेज होती है गवर्नेंस की, किसी डिसीजन के एग्जीक्यूशन की, उसमें कुछ कमी रही। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे जो अच्छे डिसीजंस इस साल के बजट के अन्दर लिये गये हैं उनका टाइमली एग्जीक्यूशन होगा।

जो तीसरी स्टेज होती है मानिटरिंग, वह मानिटरिंग भी उतनी प्रभावशाली नहीं रही। मानिटरिंग इसलिए जरूरी है कि जिससे मालूम पड़ सके कि एग्जीक्यूशन सही हुआ है या गलत हुआ है, या हुआ भी या नहीं हुआ है। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा, राजसमन्द जिले के

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अन्दर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ हुए दो वर्ष हो चुके हैं, सभापति महोदय, लेकिन अभी प्रोग्रेस इतनी कमजोर है, इतनी कम है कि मुझे नहीं लगता कि पांच वर्षों के अन्दर जो 90 करोड़ रुपये राजसमन्द जिले के अन्दर, मेरे जिले में खर्च किये जाने हैं, उसका वहां उपयोग कर पाएंगे क्योंकि प्रोपर मानिटरिंग नहीं हो रही है उसकी। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, मानिटरिंग उसकी नहीं हो पा रही है। मेरे अपने क्षेत्र में, भीम विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विद्युत मण्डल का एक 33 के.वी. का सब स्टेशन जो आज से चार साल पहले सैंक्शन हुआ, वह 33 के.वी. का सब स्टेशन आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। यह इसी कारण से क्योंकि डिसीजंस हो गये, लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर है और मानिटरिंग इस चीज की नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदय, चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र बनाया था और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अधिकतर डिपार्टमेंट्स ने इस चुनाव घोषणा पत्र के काफी बिन्दुओं को सीरियसली लिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सरकार के प्रारम्भिक काल में ही सैक्रेटरीज को बुलाकर यह चुनाव घोषणा पत्र उनको दिया था और इस पर काफी कुछ संतोषप्रद ढंग से एग्जीक्यूशन हो रहा है। विशेष रूप से अच्छा काम मैं मानता हूं कि पंचायती राज और शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर इस चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य हुआ। पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिये गये और शिक्षा के क्षेत्र में यह सर्वविदित है कि राजस्थान ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं उनके लिए हमारे शिक्षा मंत्रीजी को प्रधानमंत्रीजी से एप्रिसिएशन भी मिला है। 61 प्रतिशत तक की जो ऊंचाई हमने हासिल की है वह एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अन्दर हम पिछड़े हुए हैं, पहला क्षेत्र उसमें से है एग्रीकल्चर सैक्टर। हमारे घोषणा पत्र के अनुसार, सभापति महोदय, यह बताया गया था कि कृषि के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन सही विश्लेषण करें तो आज अगर सोसाइटी का कोई वर्ग सबसे ज्यादा दु:खी है, सभापति महोदय, तो वह किसान दु:खी है। डब्लू.टी.ओ. के आने के बाद में यहां पर ओपन मार्केट पिछली एक अप्रैल से शुरू हो गया है, विदेश से कृषि का सामान खुले रूप से आने लग गया है, किसान बहुत परेशान होने लग गया है। किसान खाद की कमी, महंगाई के कारण से, पानी की कमी के कारण से, बीज की कमी के कारण से पहले ही काफी परेशान था और डब्लू.टी.ओ. के इस पैक्ट के कारण से अब भविष्य भी उसके लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। विदेशों के अन्दर किसान को

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

काफी सब्सिडी दी जाती है। यूरोपियन कंट्रीज के अन्दर और अमेरिकी के अन्दर बारह हजार, तेरह हजार डालर प्रति किसान को सब्सिडी दी जाती है, वहीं पर हमारे किसान को तुलनात्मक रूप से वह सब्सिडी नहीं मिलती। इसलिए विदेशों के अन्दर जो भी प्रोडक्ट होता है वह सस्ती होती है और उसको अब उन्होंने यहां पर भेजना शुरू कर दिया है इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने किसान को प्रोटेक्ट करें। किसानों में भी जो छोटा किसान है जिसके कि लैण्ड होल्डिंग बहुत छोटी है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। हमने जो पिछला बजट था उसके अन्दर 410 करोड़ का प्रावधान किया था, इस बजट के अन्दर वह प्रावधान सिर्फ 403 करोड़ हो गया है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर प्रावधान को बढ़ाएं तो हम अपने किसान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो इकोनोमिक सर्वे हमारे सामने है वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे विभिन्न क्षेत्र के अन्दर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुई है। कम होने का कारण यह है कि हमको जो वांछित ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए था वह हम सम्भवत: नहीं दे पा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र के अन्दर जो बजटरी एलोकेशन था, भाजपा के काल से ही कम होता चला गया। 1996 में जो 9.83 प्रतिशत था वह 2001 के अन्दर 6.24 प्रतिशत, यानि किसान के एग्रीकल्चर सैक्टर में 1996 से 2001 के पांच वर्षों के अन्दर, तीन-साढ़े तीन प्रतिशत की गिरावट आ गयी। इसलिए इस क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देने का मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है।

दूसरा क्षेत्र जिसकी कि मैं सबसे डिसमल और पैथेटिक परफारमेंस मानता हूं वह है ऊर्जा का क्षेत्र। ऊर्जा के क्षेत्र में यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सर्वाधिक आज अगर कोई परेशान है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर तो विद्युत से परेशान है। गांवों में शाम के समय 6 से 10 बजे तक बिजली आती नहीं है और बिल इतना बढ़ कर आता है कि गरीब आदमी अपने कनेक्शंस कटवाने लग गये हैं। विद्युत का ये जो मैनेजमैंट है, कंट्रोल है निश्चित रूप से यह बहुत निराशाजनक है और इसको हमको देखने की आवश्यकता है। जब से डिबंडलिंग हुआ है, बोर्ड की पांच कम्पनियां बन गईं। पांच कम्पनियां बनने के बाद, सभापति महोदय, प्रशासनिक खर्चा बढ़ गया। पहले एक चेयरमैन था अब पांच चेयरमैन हैं। पहले एक पी.आर.ओ. था अब पांच पी.आर.ओ. हैं। इन कम्पनियां ने पिछले समय में गलत आंकड़े पेश करके अपनी रेट्स बढ़वा लीं। पिछले वर्ष जुलाई के अन्दर जब रेट बढ़ाने की बात आयी थी तो तीनों वितरण कम्पनियों ने 2000-

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

2001 का कुल राजस्व 3928 करोड़ रुपये बताया था। उसके तीन दिन बाद माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जब 2000-2001 के आंकड़े पेश किये उसमें राजस्व प्राप्ति 4562 करोड़ बताईं, यानी कि तीनों पावर कम्पनियों ने अपनी प्राप्तियां कम बताईं और ऊर्जा मंत्रीजी ने अपनी प्राप्तियां ज्यादा बताईं। इस तरह गलत आंकड़े प्रस्तुत करके नियामक आयोग से इन्होंने बिजली की दरें बढ़वा लीं। अगर सही आंकड़े पहले समय पर प्रस्तुत कर दिये जाते तो सम्भवत: बिजली की दरें नहीं बढ़तीं।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि बिजली की दरें बढ़ाने मात्र से सुधार होने वाला नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि सुधार का नाम बिजली की दरें बढ़ाना है तो मेरे खयाल से यह एक मिथक होगा। इसके लिए हमको खास ठोस प्रयास करने पड़ेंगे। जब तक छीजत नहीं रुकेगी, जब तक चोरी नहीं रुकेगी तब तक इस क्षेत्र में कोई भी सुधार ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। अभी अरूफ कुमारजी जो नियामक आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कुछ समय पहले कि अगर छीजत रुक जाए और चोरी रुक जाए दोनों चीजें अगर रुक जाएं तो बिजली की दरें बढ़ाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस दृष्टिकोण से गंभीरता से प्रयास करें।

एक और मुख्य विन्दु है कि पहले जब बोर्ड था उस वक्त टैक्निकल आस्पैक्ट को काफी महत्व दिया जाता था, लेकिन अब टैक्निकल आस्पैक्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले बोर्ड में तीन में से दो टैक्निकल डाइरेक्टर हुआ करते थे और एक फाइनेंशियल डाइरेक्टर हुआ करता था। आज पांच में से तीन कम्पनियों में आई.ए.एस. हैं और उन तीनों कम्पनियों में कोई टैक्निकल डाइरेक्टर नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

इसमें यद्यपि हमारी सरकार ने प्रावधान तो काफी किये लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण में 2001 में विद्युत लक्ष्य में करीबन 27% की कमी रही। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए 2001 में हम वित्तीय लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये। इसी प्रकार मथानिया परियोजना के लिए 2000-2001 में 48 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन हम इस पैसे का बिलकुल भी उपयोग नहीं कर पाये, इसमें भी शून्य ही रहा। इसलिए इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरी यह सोच है कि हमको अपनी प्रायोरिटीज को कुछ रीशफल भी करना पड़ेगा। अभी यहां पर कुछ इम्बैलेंस की बात भी आयी, दक्षिणी राजस्थान की

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

कुछ बात आयी, पूर्वी राजस्थान की आयी, इसलिए इन सबके ऊपर समग्र रूप से व्यापक दृष्टिकोण से चिन्ता करने की आवश्यकता है। सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं लेकिन कुछ प्रायोरिटीज ऐसी हैं जिनको कि मेरे हिसाब से कुछ बदलने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार जो शहरोन्मुखी योजनाएं बनाती थी, शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिये जाने का कंसेप्ट था, कुछ-कुछ हम भी उसी पर चल रहे हैं। आवश्यकता आज ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दिये जाने की है। चाहे वह हास्पिटल खोलने के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह पेयजल योजना के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह शिक्षण संस्थाओं को खोलने के दृष्टिकोण से हो, प्राथमिकता में हमको ग्रामीण क्षेत्र को लेना पड़ेगा।

जो आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर छोटे-छोटे बांध और एनीकट पुराने टूटे हुए पड़े हैं, सिंचाई मंत्रीजी ने काफी इसकी योजना बनायी है लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहत् सिंचाई परियोजना, लेकिन इनसे भी छोटे तीस-तीस, चालीस-चालीस साल पुराने बांध और एनीकट हैं जिनसे कि छोटे-छोटे किसानों को काफी लाभ पहुंचता है। पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में उन छोटे एनीकट्स और बांधों को प्रायोरिटी से लेने की जरूरत है। मैं इस मौके पर एशियन डवलपमेंट बैंक का जो पैसा है उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम 15 सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें से 1055 करोड़ हम लोन ले रहे हैं और 380 करोड़ सरकार दे रही है। यह सारी राशि हम सिर्फ 6 शहरों के लिए खर्च कर रहे हैं। सभापति महोदय, और मुझे आश्चर्य होता है उन सज्जनों पर जो यह कहते हैं कि यह हम पर्यटन के विकास के लिए कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, उनसे और हमने पूछा है कई विदेशी पर्यटकों से कि क्या आप यहां पर बड़े शहरों की सड़कें देखने के लिए आते हैं? क्या आप यहां पर बड़े शहरों की लाइटें देखने के लिए आते हैं? अगर विदेशी पर्यटक यहां पर आते हैं तो वह हवामहल देखने के लिए आते हैं, वो सिटी पैलेस देखने के लिए आते हैं, वह आमेर का किला देखने के लिए आते हैं, वह जैसलमेर के पटवों की हवेली देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसकी आड़ में हम इतना भारी कर्जा ले रहे हैं शहरों को सुधारने के लिए एट द कास्ट आफ विलेजेज। अगर खूब आपके पास पैसा है तो निश्चित रूप से खर्चा कीजिये, लेकिन पैसे की आपके पास कमी है। उस पैसे को आप शहर में हर तीन महीने में, छह महीने में पेवर पर पेवर की सड़क बनाकर यहां पर उपयोग कर रहे हैं। गांवों के अन्दर, छोटे गांवों के अन्दर सड़कें टूट रही हैं, एनीकट्स टूट रहे हैं उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं दें तो मैं सोचता हूं कि यह हमारी सही प्राथमिकता नहीं है। इसलिए इस प्राथमिकता को भी बदलने की आवश्यकता है।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

इसके साथ-साथ में फिजूलखर्ची रोकने की भी जरूरत है। काफी कुछ प्रयास किये गये हैं लेकिन उसमें भी एक-दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले एक अखबार में खबर आयी कि जयपुर के दो पुलिस आफिसर जापान में भ्रष्टाचार रोकने की ट्रेनिंग लेने के लिए जापान जाएंगे। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दुनिया के भ्रष्टतम देशों में जापान माना जाता है, वे वहां से भ्रष्टाचार समाप्त करने की ट्रेनिंग लेकर आएंगे या किसी अन्य प्रकार की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, यह आप कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ आफिसर यहा से फ्रांस और इग्लैंड जाएंगे कि जयपुर में कैसे सफाई रखी जाए। वहां की सफाई व्यवस्था सीख कर आएंगे। यह फिजूलखर्ची नहीं है तो क्या है? राजस्थान की और जयपुर की परिस्थितियां अलग हैं, फ्रांस और इग्लैंड की स्थिति और परिस्थितियां अलग हैं, वहां से आप क्या सफाई रखना सीख कर आएंगे, यह भी सोचने की बात है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह पर अनावश्यक बिल्डिंग्स या अनावश्यक फ्लाई ओवर बनाने का ट्रेंड-सा चल पड़ा है। जयपुर के अन्दर भी कुछ फ्लाई ओवर बने, अत्यन्त आवश्यक थे। लेकिन एक-दो फ्लाई ओवर ऐसे हैं जो बन रहे हैं या बन चुके हैं, पर जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी पैसा खर्च किये जा रहे हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग्स में शिक्षा विभाग शिक्षा संकुल के नाम से करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग्स बनाना चाहता है। बिल्डिंग्स की जहां आवश्यकता नहीं है या जहां पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जब हमारे पास पैसे की कमी है तो हमको मितव्ययता बरतनी चाहिए न कि फिजूलखर्ची करनी चाहिए।

मेरा वित्त मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन है, इम्बैलेंस की यहां पर बात हुई, निश्चित रूप से इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था, लिया जाना चाहिए। 40 साल के बाद में 8 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। इन 8 सालों में कोई सार्थक प्रयास भैरोंसिंहजी की सरकार ने किये नहीं। पूर्वी राजस्थान को उन्होंने कंटीन्यू नैग्लेक्ट रखा, दक्षिणी राजस्थान को भी रखा। एक टेंडेंसी यह होती है कि Your neighbour's grass is always greener. पड़ौसी का लान आपको हमेशा हरा नजर आता है, यह टेंडेंसी होती है। इसलिए हम अपने यहां पर जो विकास का काम हो चुका होता है उसको तो नजरअन्दाज कर जाते हैं और जो नया या दूसरों के वहां पर होता है उसको हम लेकर बैठ जाते हैं। इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है कि इम्बैलेंस है इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस इम्बैलेंस को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए एक उदाहरण है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट आपने

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

देखा होगा या तो जिला मुख्यालयों के ऊपर है या डिवीजन मुख्यालयों पर है या फिर किसी पर्टीकुलर पॉकेट में जैसे भिवाड़ी में। जो गांव वंचित हैं, जो पंचायत समितियां वंचित हैं, हमको यूनिट तय करनी पड़ेगी एक तहसील की। पंचायत समिति को यूनिट मान कर सर्वे करवाएं कि किन-किन पंचायत समितियों के अन्दर सबसे कम इन्वैस्टमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल, और वहां के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है तब हम इंडस्ट्रियल एंगल से इम्बैलेंस को कुछ दूर कर पाएंगे।

इसी प्रकार से डवलपमेंट आज सभी जिला मुख्यालयों पर हो रहा है, सम्भागीय मुख्यालयों पर हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिये। कौन सा कानून कहता है कि सारी यूनिवर्सिटीज सम्भागीय मुख्यालयों पर बनेंगी? कोई कानून नहीं कहता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पापुलेशन माइग्रेट कर रही है। जयपुर में पापुलेशन इतनी आ गई, कोटा में आ गई, जोधपुर में आ गई। इसका क्या सोल्यूशन है इसके लिये हम चिंतित हैं। पर इस पापुलेशन माइग्रेशन के लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हम सारी डवलपमेंट एक्टिविटीज का कंसंट्रेशन वहां कर रहे हैं तो स्वाभाविक है पापुलेशन का माइग्रेशन वहां होगा। इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। पहली चीज तो मैं सोचता हूं कि एक यूनिवर्सिटी के खर्चे से 10-10 कालेज खुल सकते हैं। रैकरिंग एक्सपेंडीचर उनका आप कितना भी वर्कआउट करके देख लीजिए, जो हम दो-तीन यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं इसके बदले में हम 20-30 कालेज ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में खोल सकते हैं। मैं तो इसकी वकालत करूंगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी तो जहां आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों की सर्च और रिसर्च हो सकती है वहां होनी चाहिये। डूंगरपुर में होनी चाहिए, बांसवाड़ा में होनी चाहिये। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पश्चिमी राजस्थान में ही खोलनी है तो आप सिरोही में खोलिए। लेकिन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जोधपुर में खोलने का मुझे तो कोई तुक समझ में आया नहीं। इसी प्रकार से क्या आवश्यकता है बीकानेर में? अगर खोलनी है तो चूरू में खोलिए, वहां पर भी कुछ डवलपमेंट होंगे या गंगानगर में खोलिए। कुछ बैलेंस डवलपमेंट तो हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सम्भागीय मुख्यालय, सैकण्ड प्रायोरिटी जिला मुख्यालय की हो तो परिणामस्वरूप तो छोटे गांव हैं पंचायतें हैं या जो छोटी-छोटी तहसीलें हैं वे वंचित रह जाती हैं। इसलिए इस इम्बैलेंस को भी दूर करने के लिये सरकार को सोचना चाहिये।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

स्कूल के दृष्टिकोण से भी देखें, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 40-40, 45-45 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। मेरे जिले के है राजसमन्द में। मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में 20 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिलकुल अड़ौस-पड़ौस में है। क्या इस इम्बैलेंस को दूर करने की जरूरत नहीं है? हम कोटा निर्धारित कर देते हैं एक-एक सबको मिलेगा, फिर जो पिछड़ा है वह तो पिछड़ा रहेगा और अगड़ा है वह अगड़ा रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इम्बैलेंस को भी दूर किया जाए।

इर्रिगेशन की दृष्टि से भी मैं सब्मिट करना चाहूंगा कि कुछ इम्बैलेंस है। राजस्थान में सिंचाई का मतलब सम्भवत: यही ले लिया जाता है कि कैनाल का इर्रिगेशन। इसलिए जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसमें एक कैनाल, दो कैनाल। एक नहर योजना, दूसरी नहर योजना, इन्हीं सबका विवरण है। जबकि सिर्फ 33 प्रतिशत सिंचाई कैनाल से होती है और 65 प्रतिशत सिंचाई नलकूप और कुओं से होती है। लेकिन नलकूप और कुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते है। आज सबसे महंगी अगर सिंचाई किसी के पड़ती है तो किसी कुएं वाले के पड़ती है। एक लाख रुपया खर्च करके कुआं खुदवाता है, उसके बाद एक लाख रुपया खर्च करके बिजली लेता है और उसके बाद उस बिजली का उसको रैकरिंग एक्सपेंडीचर देना पड़ता है। सभापति महोदय पौने तीन सौ रुपये प्रति बीघा कुएं से सिंचाई करने वाले किसान को देना पड़ता है, जबकि नहर से सिंचाई करने वाले किसान को सिर्फ 30 रुपया पड़ता है। 30 रुपये और पौने तीन सौ रुपये का इंबैलेंस। पर उस पर हम लोग कोई विचार करने को तैयार नहीं है। जबकि दोनों का प्रोडक्ट गेहूं एक ही भाव से बिकेगा। यह विडम्बना है कि 30 रुपये बीघा सिंचाई वाले का और पौने तीन सौ रुपये बीघा सिंचाई करने वाले का गेहूं एक ही भाव से बिकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि उस कुएं वाले को किसी प्रकार से मदद की जाए। उस कुएं वाले को सब्सिडाइज किया जाए कुआं खोदते वक्त, उसके कनेक्शन के वक्त। हम सोचते हैं कि हमारी सरकार कुछ न कुछ इस पर ध्यान देगी।

मेरा निवेदन है कि हमको अब डिस्ट्रिक्ट के स्थान पर तहसील और पंचायत समिति को सैगमेंट बनाकर इसका सर्वे करना चाहिये कि किस पंचायत समिति में कितना सरकार का इंवैस्टमेंट हो रहा है, किस पंचायत समिति में क्या-क्या डवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, किस पंचायत समिति में किन-किन चीजों की कमी है। जो बहुत पीछे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और जो आगे हैं उनको थोड़ा तसल्ली और धैर्य रखने की आवश्यकता है।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

इसके साथ मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छे निर्णय लिये हैं और पारदर्शिता, संवेदनशील और जवाबदेही सरकार के आदर्श स्थापित किये उसमें जहां तक संवेदनशीलता का प्रश्न है, मेरे खयाल से इस सरकार ने जो निर्णय लिये और क्रियान्विति भी की है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग पेंशन का हो और चाहे विधवा पेंशन का हो, पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह राशि वितरण की जा रही है, यह एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है। मुख्य मंत्री सहायता कोष द्वारा ऐसे गरीब लोगों को सहायता दी गयी जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनको कभी इस प्रकार से हजारों नहीं लाखों रुपयों की मदद मिल जाएंगी और उनके जीवन की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से सैकड़ों गरीब लोगों को इस सहायता कोष से मदद मिल पाई है। गरीब महिलाओं को आपातकालीन प्रसूति सेवा का हमारी संवेदनशील सरकार ने जो प्रावधान किया है, निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है।

जहां तक पारदर्शिता का प्रश्न है, इस पारदर्शिता को बनाये रखने के लिये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और वह था सूचना का अधिकार। राजस्थान पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बना जिसने सूचना के अधिकार को प्रतिपादित किया था। इस सूचना के अधिकार के कारण से यद्यपि कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अभी भी आती है लेकिन हमने एक शुरूआत की है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस सूचना के अधिकार के कारण से भ्रष्टाचार के ऊपर काफी कुछ अकुंश भी लगने लग गया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में साधारण व्यक्ति आज भी पटवारी से पीड़ित है, आज भी वह थानेदार से पीड़ित है। उसकी इस पीड़ा को दूर करने के लिये भी हमको ठोस सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे। सभापति महोदय, आप जानते है "परकोलेट्स फ्राम टाप", अगर ऊपर से सफाई है तो नीचे तक भी सफाई आएगी, अगर ऊपर गंदगी है तो नीचे भी गंदगी आएगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस सूचना के अधिकार का सही उपयोग किया जाए। ऊपर जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में आवश्यकता है सफाई करने की, उस क्षेत्र में सफाई की जाए।

अकाउंटेबिलिटी को हमारी सरकार ने आदर्श बनाया। इस दिशा में भी माननीय मुख्य मंत्री काफी प्रयासरत हैं। लेकिन निचले लेवल पर और बीच के लेवल पर अफसरशाही उनके इस अकाउंटेबिलिटी के प्रयास को असफल करने में लगी हुई है। ए.जी. की रिपोर्ट आने के पश्चात्, पी.ए.सी. की रिपोर्ट में जवाबदेही ठहराने के पश्चात् भी नौकरशाही कई बार इस

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

प्रकार से अड़ जाती है कि वह दोषी को सजा दिलाने के लिये कोताही बरतती है। 5-5, 7-7 साल तक भी जांचें चलती रहती हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जांचें पड़ी रहती हैं। हमको इस दिशा में भी प्रयास करने होंगे। हम अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर को ज्यादा महत्व देवें।

सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वर्ष 2002-2003 का यह बजट कई दृष्टिकोण से एक आदर्श बजट है, कई दृष्टिकोण से यह बजट आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेगा। निश्चित रूप से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज हैं सड़क, ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रावधान किया है, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। ऊर्जा, सड़क और उद्योग के क्षेत्र में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रावधान किये हैं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि राजस्थान को इससे एक नई दिशा मिलेगी, धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि यदि हमें अपने देश का मकान बनाना है तो उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिये। यदि उसकी बुनियाद रेत की बनी होगी तो पानी आएगा और रेत बह जाएगी तथा मकान ढह जाएगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने 2002-2003 का इस पवित्र सदन में जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, वह राजस्थान की बुनियाद को ज्यादा गहरा करने वाला, एक रचनात्मक विकास की और राजस्थान को ले जाने वाला भाषण है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को और हमारे मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देती हूं और धन्यवाद देते हुए आपनी बात नि:संकोच प्रारम्भ करना चाहती हूं।

यह बधाई और धन्यवाद मात्र औपचारिकता नहीं है। आज अर्थाभाव की जटिलता और विगत तीन वर्षों से अकाल की त्रासदी झेलते हुए भी यह बजट राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सक्षम है। यह भाषण केवल शब्दों की जादूगरी भरा भाषण नहीं है, बल्कि जैसा तुलसीदास जी ने कहा है "सूर समर करणी करही, कहीं न जनावे आप" उसका उद्घोष है। अर्थात् वीर व्यक्ति करनी करने में विश्वास करता है और जो झूठे लोग होते हैं वे अपने मुंह से खुद की तारीफ स्वयं करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रन्थ एत्तरेय ब्राह्मण में "राष्ट्रानि वैविश," अर्थात् जनता ही राष्ट्र है, का उद्घोष भी किया गया है। यह बजट जनता के सपनों और सरकार के संकल्पों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। आज इस चिन्ताजनक सच्चाई के बाद भी कि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले संस्थाओं में भारी कमी हुई है, विश्वव्यापी मन्दी और

([illegible])

आतंकवादी हमलों के कारण हमारा विश्व प्रसिद्ध रत्न व्यवसाय, हस्तशिल्प निर्यात एवम् पर्यटन व्यवसाय पर दुष्प्रभाव पड़ा है, सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव में जिस तरह का प्रावधान दिया गया है वह ऐसा है कि :

"सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है,

कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है।"

ऐसे ही हमारे युवा मुख्य मंत्रीजी जो अड़ जाएं तो खड़ा हिमालय और बह जाएं तो दरिया का पानी।

हम देखते हैं कि खुद केन्द्र सरकार और कई राज्य सरकारें जहां चालू वित्तीय वर्ष में कर राजस्व में विशेष बढ़ोतरी नहीं कर पाई हैं वहीं हमारे राज्य के इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। किन्तु यह राजस्व वृद्धि हमें बोझ नहीं लग रही यह राज्य के विकास को गति देने में सहायक हो गयी। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी बच्ची अपने से थोड़े ही छोटे भाई को गोद में ले जा रही थी, अपने खेत में भरी धूप में लचक-लचक कर चल रही थी। तब मैंने उससे पूछा कि क्या यह आपको बोझ नहीं लग रहा, तो उसने जवाब दिया कि यह बोझ नहीं है, यह तो मेरा प्यारा भाई है। इसी तरह से यह वृद्धि हमें बोझ नहीं लग रही है, विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसलिए मैं इसके लिए सबसे आशा करती हूं कि हमें समर्थन दें, वित्त मंत्रीजी को समर्थन दें।

जहां तक रोड की बात है, हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि रोड के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और नवीनीकरण के लिए जून, 2002 तक 11000 किलोमीटर की सड़कें पूरी कर दी जाएंगी। सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में वित्त मंत्रीजी ये कहना चाहती हूं कि "आप ही अगर न सुन सके किस्सा ए गम सुनेगा कौन।

किसकी जुबान खुलेगी फिर, हम न अगर सुना सके।" पिछले बी.जे.पी. के समय से भी और अब हमारे समय से भी मैं मेरे क्षेत्र की बात उठाना चाहती हूं कि सड़कों के निर्माण में बहुत घोर उपेक्षा हो रही है। वित्त मंत्रीजी, कह रहे हैं कि जून, 2002 तक सभी सड़कों का नवीनीकरण कर लिया जाएगा, लेकिन जहां पर टेण्डर ही नहीं लगे हैं, ठेकेदार टेण्डर लेने से घबरा रहे हैं, वहां पर जून 2002 तक काम कैसे पूरा कर लिया जाएगा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है, किसी ने इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। बड़े-बड़े पैकेज बना दिए, छोटा ठेकेदार वहां पर जाने से घबराता है। सीवर प्लान्ट डालने से घबराता है। इसकी जिम्मेदार जनता नहीं है। डिपार्टमेंट खुद कराए अगर ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं है तो, या उसको छोटा किया जाए।

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं यह कह देना चाहती हूं कि यहां पर बैठे हुए सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, उम्र में भी और काम में भी। इन लोगों ने मुझसे ज्यादा दीपावली देखी है लेकिन पटाखे मैंने भी कम नहीं चलाये। उसी अनुभव के आधार पर मैं कह देना चाहती हूं कि हम जो इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी रोड्स दे रहे हैं, पंचायत मुख्यालय को रोड से जोड़ रहे हैं, एक हजार आबादी वाले को रोड से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस बारे में किसी ने नहीं सोचा कि पंचायत मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय को जोड़ा जाए। आज ऐसे बहुत-से रोड हैं तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर, यदि उनको जोड़ दिया जाता है तो 50-50 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है, जनता परेशानी से बच जाती है।

मैं आपसे मेरे क्षेत्र के लिए कहना चाहती हूं कि जो उपेक्षा हुई है सो हुई है लेकिन अब मैं विश्वास करती हूं, आशा करती हूं जो 13000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का काम आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा, उसमें मुझे उपेक्षा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

आज शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने जो पहल की उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्रीजी को व पूरे सदन को धन्यवाद देती हूं। जो ढाणी-ढाणी, गांव-गांव में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है।

आज बीकानेर विश्वविद्यालय की बात की जाती है, मुझसे पहले माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि विश्वविद्यालय खोले जाएं लेकिन कालेज की भी उपेक्षा नहीं की जाए। अगर विश्वविद्यालय खोलना था तो हाड़ौती विश्वविद्यालय खोलते कोटा में, मुझे ज्यादा खुशी होती। एक ओर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खोले, लेकिन मैं इस सदन में बार-बार कहती आई हूं, पिछली बार भी मैंने बजट पर बोला था कि पूरे राजस्थान में केवल एक कालेज ऐसा होगा जहां पर बच्चे नाव में बैठकर अपनी जान हथेली पर लेकर एग्जाम देने जाते हैं। वह क्षेत्र और कोई नहीं, मेरा क्षेत्र खानपुर है। वहां पर एक भी कालेज नहीं है, 50-50 किलोमीटर तक कालेज नहीं है। मैं बार-बार वित्त मंत्रीजी से कहती आई हूं लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं सुना। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहती हूं, वह अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं "अतिशीघ्र रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होए।" अर्थात् चन्दन को जल्दी-जल्दी घिसने से उसमें से ही आग प्रकट हो जाती है। बार-बार कुएं से पानी भरने से कुएं की मेढ़ पर निशान हो जाते हैं। वित्त मंत्रीजी को अभी तक पता नहीं

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

चल रहा है कि मेरे क्षेत्र में कालेज की कितनी जरूरत है, इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कालेज खोला जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धरने पर बैठ जाओ।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मुझे धरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, जो लोग तूफानों से डरकर नाव छोड़ कर भाग जाते हैं, किनारे पर जाकर भी वे तूफानों से नहीं बच सकते।

हमारे यहां साक्षरता का अभियान चल रहा है, साक्षरता के प्रयासों में हमें महिला दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार मिला है, वह जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं उसका इनाम है। साथ ही एक छात्र जीवन से आई हूं इसलिए मैं कहती हूं कि जो 200 स्कूल क्रमोन्नत किए जा रहे हैं वे बहुत कम हैं। राजस्थान में 200 की जगह 1000 स्कूल क्रमोन्नत किए जाते तो मुझे खुशी होती। शिक्षा आपके द्वार से गांवों में एक अच्छा माहौल बना है, जिसके शत-प्रतिशत परिणाम हमें मिलेंगे।

इसी के साथ ऊर्जा की बात चली। सब अलग-अलग बात कहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया। पिछले वाले भी कहते थे, अभी वाले भी कहते हैं। पिछले वालों में और अभी वालों में लेकिन फर्क है। मैं इन लोगों को कोई दोष नहीं दे रही हूं, अपनी-अपनी सोच है, अपना-अपना काम करने का तरीका है। लेकिन इस बजट में विद्युत उत्पादन एवं वितरण के प्रबन्धन में सुधार प्रस्तावों में जो आश्वासन इस बजट में दर्शाये गये हैं, वे सरकार के विरुद्ध बिजली जैसे झटके वाले दुष्प्रचार का अवश्य शमन करेंगे।

इसके साथ ही मैं कह देना चाहती हूं, वित्त मंत्रीजी आज हाउस में नहीं हैं, वित्त राज्य मंत्रीजी हैं, कि आज इतने बड़े-बड़े प्लांट लगा रहे हैं, कभी कोटा में लगा रहे हैं लेकिन खानपुर में इन्होंने हमसे कहा था कि 16 बीघा जमीन उपलब्ध करा दो, आपके 132 के.वी. का स्टेशन खोल देंगे। 16 बीघा जमीन उपलब्ध करा दी, फिर भी इन्होंने स्टेशन नहीं खोला, वजह क्या है? मैं वित्त राज्य मंत्री से कह देना चाहती हूं, "अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिसमें जितना तेल होगा, वह दीया ही रह पाएगा।"

बजट में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। हाट बाजार की बात है, हमारी परम्परागत हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं, उनकी बिक्री सुलभ कराने के लिए शहरों में हाट लगाए जाएंगे। इससे हमारी जो लोक हस्तशिल्प कलाएं लुप्त हो रही हैं, उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ-साथ आर्थिक उन्नयन के आधार भी जुटाए जाएंगे।

इसी तरह से छोटे दुकानदारों और उद्योगों को अपने-अपने धन्धे के लिए

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

ऋण प्राप्ति की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की भांति सुगम क्रेडिट कार्ड सुविधा की जो पहल की गई, वह आकर्षक पहल है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए खाद्यान्न, तिलहन, उन्नत बीज एवम् रासायनिक खादों के प्रावधानों के साथ भूमिगत जल स्तर में आ रही निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुए फव्वारा सिंचाई, पाइप लाइन व बूंद-बूंद सिंचाई जैसे कार्यक्रम लागू करने का वचन कृषि सुधार की आशा बलवती करता है। इस सन्दर्भ में जो तथ्य बार-बार ग्रामीण जनता के सामने लाए हैं वे भी मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं। एक और तो हम बड़े-बड़े बांध दे रहे हैं जिससे कई खर्चीले बांध हैं, केवल वही भरेंगे। लेकिन जो वर्षा का जल है वह बह-बह कर समुद्र को खारा करता रहता है। उसकी जगह उन पर एनीकट बना दिये जाएं तो यह एक अच्छी पहल होगी और वर्षा का जल बच सकेगा।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके विश्वास पर एक बात कहना चाहती हूं। बात कहते हुए मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है कि मैं किस तरह से अपनी बात कहूं। (व्यवधान) मैं आपसे यह बात कहते हुए आरम्भ करना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्या, भयमुक्त होकर कहिये अपनी बात (व्यवधान) आप इतना कह सकती हैं, माननीय सदस्या, कि आपको संकोच हो रहा है। भय की कोई आवश्यकता नहीं है। बिलकुल भयमुक्त होकर कहिये अपनी बात।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : कहत मोहे लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होय अकाजा।

कहते हुए मुझे भय तो लग रहा है लेकिन मैं अपनी बात सदन में नहीं रखूंगी तो उससे भी बड़ा अकाम होगा। मैं बार बार एक बात इस सदन में उठाती आयी हूं और सदन के सभी सदस्य इस बात की गवाही देंगे कि जो इन लोगों ने गलती की थी उसकी सजा हमने 12 लोगों की मौत से चुकायी है। 12 विधवाओं के सिन्दूर पोंछ कर हमने वह सजा चुकायी है। आज मौत अपना विकराल रूप खानपुर में दिखाने के लिये बेताव नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि खानपुर में नाला हुआ था और पीलिया बुरी तरह से फैल चुका था। जब मैं विधायक बनकर आयी थी उस पीलिया में 12 लोग मर चुके थे। न जाने कितने बीमार हुए थे और उन पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब वापस वहां पर पीलिया फैलने लग गया है। नरसों के दिन मैं गयी थी, 6 पीलिया के पेशेंट आ चुके हैं। धीरे-धीरे और भी आएंगे, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी। बरसात में पानी भर गया था जिससे डेढ़ सौ करीब मकान क्षतिग्रस्त हुए थे और इतने ही मकान टूटे थे। उनको

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

केवल हमने तीन-तीन सौ रुपये दिये थे। अब आप बताएं, तीन सौ रुपये से मकान बनाएगा, खाएगा, बिछाएगा कि ओढ़ेगा। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। इस ओर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। वित्त मंत्रीजी से कहती हूं जब हम कहते हैं कि चन्दनमलजी बैद इतने कड़क वित्त मंत्री थे उन्होंने 62 लाख 68 हजार रुपये का नाला पास कर दिया था, वह नाला प्रद्युम्न सिंहजी वित्त मंत्री बने तब से कहां अटक गया, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात चली। आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुला खोला उसके लिये मैं...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बेटा, वह पास कर दिया था वह धोखा था।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : वह धोखा नहीं था, वह पास हो गया था, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स की लड़ाई में वह नाला लैप्स हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश फरमाएं, जब एक बार कोई चीज स्वीकृत हो गयी तो उस पर कार्य होना चाहिए। यह मामला पूरे सदन में पहले भी कई बार उठ चुका है। खानपुर में पोल्यूटेड वाटर की वजह से कई बार कैजुअल्टीज हुई हैं। फिर बरसात आएगी, फिर वही हालत बनेगी। इस पर सरकार को कुछ निर्देश दिये जाने चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में बड़ी गम्भीर बात है। हम भी माननीय सदस्या के साथ हैं। इस पर निश्चित तौर पर कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, पहले तो हाकिम जाता था लेकिन हुक्म नहीं जाता था। अब हाकिम के साथ-साथ हुक्म भी जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और वहां पीलिया से लोग मरते हैं। मैं भी इस बात को कई बार कह चुका हूं।

श्री सभापति : आप बैठिये, बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सभापति महोदय, इस मामले की जांच की जाएगी। अगर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच काहे की होगी? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जांच किस बात की? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे की जांच होगी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जांच इस बात की जाएगी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसमें जांच किस बात की होगी? (व्यवधान) आप कह दीजिए कल से काम शुरू हो जाएगा। आपको अधिकार है कि...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वहां लोग बीमार हैं। (व्यवधान) नाले को बनाने के लिये पहले अतिक्रमण हटाकर सैकड़ों मकान तोड़ दिये गये थे, वह आज नाला खुला पड़ा है। माननीय सदस्या सही कह रही हैं... (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ एरिया है, मेरी भी पीड़ा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कह रही हूं, कहां रुका, क्यों रुका, इसकी जांच की जाएगी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मैं बता देती हूं। इसलिये रुका क्योंकि वहां पर पहले तो नाले की स्वीकृति हुई फिर उसके साथ ही डिपार्टमेंट ने कह दिया कि उसके साथ खुरंजा बनाया जाए। तो वित्त विभाग से एक लैटर आया कि पहले आपने खुंरजे की क्यों नहीं सोची, पहले खुंरजा क्यों नहीं दिया। इसलिये दोनों डिपार्टमेंट्स की लड़ाई में वह नाला पता नहीं कहां खो गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हां, इसी की जांच होगी। (व्यवधान) हां, वही जांच करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह बात हो गयी मुर्गी पहले आयी या अण्डा।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : इसी के साथ आयुर्वेद मंत्रीजी यहां बैठी हुई हैं, वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सदस्या यह कह रही हैं कि वहां पीलिया हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट, एक मिनट, बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : पीलिया से पहले भी 12 आदमी मर गये और पुनः पीलिया हो गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं, व्यवस्था का प्रश्न है। पण्डितजी, आप बिराजें, ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, ये क्या व्यवस्था का प्रश्न है? यह तो सीधा-सीधा अव्यवस्था फैलाने का प्रश्न है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ये कहते हैं, बिराजो और बैठो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक माननीय सदस्या अपना उद्‌बोधन दे रही हैं और आप खामखाह अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, सभापति महोदय, कि सदन के अन्दर प्रेस गैलेरी भी सदन का एक अंग है और 2 घंटों से प्रेस दीर्घा में बैठने वाले समस्त पत्रकार बंधुओं ने इस प्रेस दीर्घा का बहिष्कार कर रखा है, सदन का बहिष्कार कर रखा है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर, जो भी हम यहां सदस्य आते हैं अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। हम चाहते हैं कि वे पूरी बातें समाचार पत्र जो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, उसके माध्यम से राजस्थान के अवाम तक जाएं। सभापति महोदय, बड़ी गम्भीर बात है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रेस ने सदन का बहिष्कार क्यों किया, क्या ऐसे कारण बने, प्रेस के प्रतिनिधियों से बात करें ताकि वे प्रेस दीर्घा में आकर बिराजें। आज माननीय सदस्या भी अपनी बात कह रही हैं, यह बात यहीं तक नहीं रह जाए, यह बात इनके क्षेत्र में भी जाए। पूरे राजस्थान की समग्र समस्याओं के बारे में जो चिन्ता यहां व्यक्त की जा रही है उनकी चर्चा राजस्थान की जनता के पास भी जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आधे अधूरे मंत्री बैठे हैं। यहां तो पूरी केबिनेट में से आधे-अधूरे मंत्री हैं, आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सरकार से बात करें और प्रेस दीर्घा की ओर आप नजर उठाकर देख लें। सभापति महोदय, यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, प्रेस के प्रतिनिधि अभी बाहर मिले थे उन्होंने कहा कि हमने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रखा है और इसका सीधा प्रमाण है कि प्रेस दीर्घा में एक भी आदमी उपस्थित नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आप किसको कह रहे हैं? चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप किसको कह रहे हैं? आधी-अधूरी मंत्री बैठी हैं यहां पर तो। (व्यवधान) आप किसको कह रहे हैं?

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये? (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो +++ वाली बात हो गयी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप बिराजो। (व्यवधान) चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रेस गैलेरी उपस्थित नहीं है और वह सदन का अंग है। प्रेस गैलेरी सदन का अंग नहीं है, यह हाउस जो बैठा हुआ है, वह सदन का अंग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्न तो ठीक है।

श्री सभापति : अगर वे बहिष्कार करके किसी कारण से गये हैं तो वह आपको भी मालूम है। सरकार अपने आप उस पर ध्यान दे देगी और इसको आप व्यवस्था का प्रश्न... (व्यवधान) मैं इसको...(व्यवधान) आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार के ध्यान में लाना हमारा भी कर्तव्य है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम सरकार का ध्यान दिलाएं।

श्री सभापति : इसलिये मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता हूं। इसको अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्या, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, उसका कारण तो पता लगे, क्यों बहिष्कार कर रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये आपका बहिष्कार करके गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। आपकी व्यवस्था को तो चुनौती नहीं दे रहा हूं पर, सभापति महोदय, मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, आसन से सानुग्रह यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार उनसे बात करे। किन समस्याओं को लेकर, आज जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं वह क्यों बहिष्कार किये बैठे हैं, क्या कारण है। हमें चिन्ता तो व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह उनसे बात करे। हमारी बात राजस्थान की अवाम तक कैसे जाएगी, सभापति महोदय? मेरा निवेदन यह है, आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को कहें तो सही। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात तो करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, जिन मुद्दों को लेकर प्रेस ने बहिष्कार किया है वे मुद्दे बहुत अहम हैं। नोज लाबी में और एज लाबी में यदि आप पत्रकारों को आने की इजाजत नहीं देते हैं और इस कारण से ही प्रेस ने यदि बहिष्कार कर रखा है तो, सभापति महोदय, यह विचार करने का मुद्दा सरकार का है। जो व्यवस्था है उसमें भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस सदन में माननीय सदस्य... (व्यवधान) एक सैकिण्ड, आप बात सुनें... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक-एक, आप एक मिनट बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कृपया एक बात सुनें। थोड़ा धीरज रखें। सभापति महोदय, इस सदन में जो भी लोग बोलते हैं वह पूरी तैयारी से आते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें तो सही, बोलने तो दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह चाहते हैं कि उनकी बात राजस्थान के हर हिस्से में पहुंचे। मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है, आजकल इलैक्ट्रोनिक मीडिया भी उसका अंग है, विजुअल मीडिया भी उसका अंग है। ये छोटी-मोटी बातें कि आप एज लाबी में नहीं आ सकते हैं और नोज लाबी में नहीं जा सकते हैं और आप कोई जहां विधायक चाय पीते हैं या खाना खाते हैं उन कैंटीन में आप नहीं जा सकते हैं, इन बातों में कहां कोई सब्सटेंस है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैंटीन में नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। ये आप... (व्यवधान) यदि कोई पत्रकारिता की बात करते हैं, इसमें अकुंश लगाना चाहते हैं... (व्यवधान)

(14.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिये इन व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारा यह नम्र निवेदन है, माननीय उपाध्यक्षजी, और इसी निवेदन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी अच्छी शेरो-शायरी, गजल पढ़ रही हैं हमारी एक माननीय सदस्या, छोटी बहन हमारी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिये इनका अखबारों में जावे, पत्रकार आवें, पत्रकारों को आप मनावें और उनको लेकर आवें। हम यह चाहते हैं कि आप सरकार को कहें कि ये जाएं और उनको लेकर आएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। हां, हो गयी बात, अब आप दुबारा क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आसन ने व्यवस्था दे दी। हम आसन का सम्मान करते हैं। परन्तु जो सवाल उठाया है व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कि आज सदन से प्रेस के समस्त हमारे बंधुओं ने, पत्रकार साथियों ने बहिष्कार कर रखा है और बहिष्कार इस बात पर कर रखा है कि आप उनको प्रतिबंधित करना चाहते हो कि वे ना पक्ष लाबी में नहीं जाएं। आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं कि वो सदन के अन्दर कैंटीन में नहीं बैठें। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन के माध्यम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से हम सारे राजस्थान के जो भी यहां मुद्दे उठाते हैं उनके बारे में राजस्थान की जनता को जानकारी कैसे होगी अगर प्रेस इसका बहिष्कार करेगी तो? इसलिये आप उदारमना हैं, आपसे अनुरोध है कि आप वार्ता कर लें उनसे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही। विधान सभा का जो भी मसला है, वह सरकार से सम्बन्धित नहीं है, वह अध्यक्ष महोदय, से सम्बन्धित है। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, ताल्लुक नहीं है। न तो वे इस हाउस में किसी को अलाउ करते हैं, न हाउस में किसी को डिस अलाउ करते हैं। प्रेस से निवेदन किया अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय और हमने मिलकर कि माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह विचाराधीन है, आप आज कृपा कर पधारिये और कल इसका कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। यह उनसे रिक्वैस्ट किया है। अब वे मानें या नहीं मानें, उनकी मर्जी, बाकी हमने तो उनसे यह निवेदन किया है। वैसे आप कैन्टीन की कहते हो, कैंटीन में कोई नहीं रोक रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला है उसके लिए धन्यवाद देती हूं और इसका स्वागत करती हूं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक भारत की यह चिकित्सा पद्धति है और हम आज देखते हैं कि हर्बल उत्पादन की जबरदस्त मांग है। इस विश्वविद्यालय को खोलने से राजस्थान में आयुर्वेदिक शिक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा जो जगह जोधपुर में खोली है इसके लिए भी मैं स्वागत करती हूं क्योंकि जोधपुर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और बहुत-सी ऐसी दुर्लभ जड़ी-बूटियां होती हैं जो केवल रेगिस्तानी में ही बनती हैं और उगती हैं जैसे कि गिरामन, गुग्गल, तुमका, सोनेला, खेजड़ी, आक, रामबाग, कैर इत्यादि। इसके लिए जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला है, मैं धन्यवाद देती हूं।

इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में चार दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है लेकिन किसी भी विधायक ने एक बात नहीं उठाई कि पिछली बार वित्त मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी, यहां पर यह प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में महीने में सात दिन जिला पूल की गाड़ी लेने का अधिकार है। लेकिन अभी तक पांच दिन ही हमें जिला पूल की गाड़ी मिलती है। एक साल गुजर गया, लेकिन अभी तक इस पर क्यों विचार नहीं हुआ? सात दिन बता कर पांच दिन ही कैसे देते हैं?

इसी के साथ एक और बात है, जिस तरह से बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके बुढ़ापे की लाठी उसका लड़का या लड़की होती है। इसी तरह विधायकों के बुढ़ापे की

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

लाठी या विधायकों की लाठी कह लीजिए, विधायक कोष होता है। मैं धन्यवाद देती हूं कि विधायक कोष पिछले साल 60 लाख रुपये कर दिया था लेकिन इसको बढ़ा दिया जाए और एक करोड़ रुपये कर दिया जाए तो यह हम विधायकों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम अपने क्षेत्र में और ज्यादा विकास के काम करा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे तो खुश हो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यहां पर कर्मचारियों की बात आती है, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि प्रकृति की मार अलग होती है और भगवान की मार अलग होती है। प्रकृति की मार से तो व्यक्ति एक बार सम्भल सकता है लेकिन भगवान की मार से व्यक्ति गिर जाता है तो वह नहीं सम्भल पाता। मेरा मतलब विकलांग लोगों से है कि उनको नौकरियों में तो आरक्षण दिया जाता है कि इतना विकलांग कोटा है, पर प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। एक विकलांग व्यक्ति एल.डी.सी. में लगा है तो एल.डी.सी. ही रहता है। जे.ईएन. पर लगा है तो जे.ईएन. ही रहता है और उसके नीचे के जो आरक्षण प्राप्त किये हुए कर्मचारी होते हैं वे आरक्षण प्राप्त करके आगे अपना प्रमोशन प्राप्त कर लेते हैं। इस ओर भी सदन में ध्यान दिया जाए।

इसी तरह मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, प्रदेश में श्रमिक कर्मचारी हैं उनको पहले सुविधाओं के नाम पर साबुन, डस्टर, वर्दी, छाते, बरसाती शूज इत्यादि दिये जाते थे। यह डिपार्टमेंट की तरफ से व्यवस्था थी। लेकिन काफी वर्षों पहले इसकी जगह उनको मदद रुपये देने लग गये। आज बाजार भाव उनका बढ़ चुका है लेकिन रुपये नहीं बढ़ाये गये हैं। अतः मैं वित्त मंत्रीजी से आपने माध्यम से कहना चाहती हूं कि या तो उनके रुपये बढ़ाये जाएं या वापस डिपार्टमेंट ही उन चीजों को बांटे।

इसी तरह और भी कितनी ही कर्मचारियों की समस्याएं हैं। उनको खेल-कूद के लिए बजट में प्रावधान है, पैसा दिया जाता है लेकिन इस तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं की जाती। भारत भ्रमण के लिए पैसा होता है वह लैप्स हो जाता है या दूसरे कामों में ले लिया जाता है। इसी तरह इन्टक से सम्बन्धित कुछ लोग कल परसों मेरे पास आये थे, नल मजदूर यूनियन के, उन्होंने कहा था कि जनता जल योजना में 500 रुपये प्रत्येक में उस कर्मचारी को दिये जाते है जो उसकी देखभाल करता है। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी यहां पर पधारे हुए हैं, कि उसको इन्होंने 500 की जगह 1000 कर दिया। लेकिन आठ-आठ महीने से पांच सौ रुपये ही

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

नहीं मिले तो क्या दोनों मंत्रियों में गैप इतना है कि 500 की जगह 1000 तो कर दिये लेकिन 500 की ही अभी तक वह नही है? वित्त मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें क्योंकि जिनको हजारों रुपये मिलते हैं, उन्हीं के महीने के अन्त में जिस तरह की मुसीबत आ जाती है घर में, वह किसी से छिपी हुई नहीं है तो 500 रुपये व्यक्ति कमाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, बात ठीक कह रही हैं। लेकिन मामला वित्त विभाग और हमारे विभाग में चल रहा है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हां, यही कह रही हूं, दोनों मंत्रियों में ही... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विवाद चल रहा है मंत्रियों में।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अभी पता नहीं किसमें चल रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप उपाध्यक्ष महोदय को कहिये, वे इसमें सहयोग करेंगे।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : इसी के साथ मैं आखरी बिन्दु पर अपनी बात खतम करना चाहूंगी कि राजस्थान की विश्वप्रसिद्ध विशेषताएं हैं, स्वर्णिम रेत के धौरे, हरी-भरी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, इतिहास की धड़कनों को सहजने वाले सुदृढ़ किले, गौरवशाली अतीत के प्रतीक आलीशान राजमहल, कलात्मक वास्तु सौंदर्य की सुदृढ़ हवेलियां जिसमें संचालित हैरिटेज होटल तथा लोक कलाओं की विविधतापूर्ण नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों की जादूभरी गूंज और थिरकन जो अपने विविधतापूर्ण सम्मोहन से पर्यटन आकर्षण रखते हैं। उन्हें इस प्रगतिशील बजट प्रस्तावों में पर्याप्त प्रोत्साहन देकर प्रदेश की ख्याति एवं समृद्धि को बढ़ाने का विश्वसनीय प्रयास किया गया है जो निर्विवाद प्रशंसा योग्य है। मैं ऐसे सुसंचालित रचनात्मक प्रस्तावों वाले लोकोपयोगी बजट का हार्दिक स्वागत करती हूं समर्थन करती हूं और सदन से आशा करती हूं कि अपने...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कालेज नहीं, नाला नहीं बना और फिर भी स्वागत करती हो आप। यहां बैठो तब जाकर होगा कुछ। छोड़ो आप, यहां बैठो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : तो और काम तो हुए हैं न विधान सभा में। और काम तो हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे का धन्यवाद दे रही हो?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : जो हुआ है उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं। आज किसानों को आठ घंटे बिजली मिल रही है जो बी.जे.पी. के टाइम में आठ घंटे नहीं मिलती थी। आज प्रत्येक किसान को आठ घंटे बिजली मिल रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कालेज नहीं, नाला नहीं, काहे का धन्यवाद दे रही हो? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सुन तो लीजिए।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : और मैं यह मंगल कामना करती हूं, आपके माध्यम से धन्यवाद देते हुए मुख्य मंत्री महोदय, को कि ''परवाह नहीं मुझे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वहीं चुनूंगी जो नेक और साफ हो।'' धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मैं वित्त मंत्री द्वारा 2002-2003 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का मैंने पूरा अध्ययन किया है और यह बजट पूरी तरह से विश्व-बैंक, केन्द्र सरकार, नाबार्ड, एशियन बैंक, जर्मन और जापान सरकार की सहायता से कुछ रचनात्मक काम करने जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 55 साल हुए और राजस्थान भी अपने पिछले 53-54 सालों से अपना बजट प्रस्तुत कर रहा है। नाबार्ड से, एशियन बैंक से या अन्य प्रकार के साधनों से विदेशी सहायता सहयोग लेना चाहिए लेकिन बहुतायत विकास की जो योजना बनाई है उसमें माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने विदेशी सहायता से इस बजट की संरचना की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पत्र के पेज नम्बर 28 के आइटम नम्बर 55 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं जिसमें इन्होंने उल्लिखित किया है कि जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान वानिकी विकास परियोजना हेतु 164 करोड़ 52 लाख रुपये एवं बनास घाटी के जल संग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण का कार्य हेतु 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। यह पूरी की पूरी सहायता जापान सरकार से मिल रही है। इसी प्रकार यह मरू क्षेत्र के टीबा विकास के लिए जो भी राशि 33 करोड़ 37 लाख का प्रोविजन किया गया है, यह

(15.00 बजे)

सारा भारत सरकार की सहायता से मिल रहा है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। केन्द्र सरकार की आप हर समय किसी न किसी प्रकार से भर्त्सना करते हैं, किसी न किसी प्रकार केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करते हैं और केन्द्र सरकार समय-समय

(श्री हीरासिंह चौहान)

पर करोड़ों रुपये की सहायता करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, माननीय वित्त मंत्रीजी, मैचिंग ग्रान्ट देकर राज्य की खुशहाली के लिये जिस प्रकार के कार्य करन चाहिये, उसका बराबर खर्च भी हम नहीं कर रहे। उसमें भी काफी राशि हम बचा लेते हैं। इसके लिये हम सीधे दोषी हैं। इस कार्य के लिये भी 590 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलते हैं जिसमें कुछ राशि आपके यहां से मिली।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है जिसके तहत 44 करोड़ 67 लाख की राशि आपके बजट प्रोविजन में आपने कर रखी है। इसी प्रकार आपके डैजर्ट डवलपमेंट और ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसमें 16 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्र के लिए 33 करोड़ 35 लाख का प्रावधान वह भी केन्द्र सरकार से मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य प्रकार की योजनाएं आपने लागू कर रखी हैं उन सबमें भारत सरकार, एशियन बैंक जुड़े हुए हैं। जयपुर की हैरिटेज सिटी के रूप में पहचान बनाने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की सहायता से 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से एक योजना आप बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार एशियन बैंक की सहायता से आपने आपके सम्भागीय मुख्यालयों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिये 50 करोड़ की सहायता ली है।

कुल-मिलाकर इसको पूरा देखा जाए तो एशियन बैंक, नाबार्ड बैंक, जर्मन बैंक और जापान बैंक इनकी सहायता से इस बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से विदेशी सहायता से, नाबार्ड से, एशियन बैंक से, जर्मनी और जापान की सहायता से इस वर्ष के बजट की संरचना करके आपने कुछ विकास के कार्य विभिन्न खण्डों में करने की कोशिश की है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं इसको विदेशी सहायता का बजट कहता हूं। आपकी ओर से बहुत कम धनराशि का विकास के लिये प्रावधान किया गया है। आप तो आपके नौकर-चाकर का जो ढांचा बना हुआ है, उसका पेमेंट भी समय पर नहीं कर सकते, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। माननीय वित्त मंत्रीजी, बजट का एक आधारभूत ढांचा होता है जिससे इस प्रदेश के आधारभूत काम होते हैं, उनमें विकास होता है उनमें सबसे बड़ा सड़क है, सड़क मार्गों का विकास हो, उसके बाद पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो और आने-जाने के साधनों का विकास हो। यह मूलभूत आवश्यकता प्रत्येक प्रदेश की और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की होती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि गत वर्ष आपने सड़क सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के

(श्री हीरासिंह चौहान)

लिए 600 करोड़ रुपये की गत वर्ष घोषणा की थी। अभी मेरे से पहले लक्ष्मण सिंहजी बोल रहे थे और बहन चन्द्रावती जी बोल रही थीं, आपने ठेके देने का जो तरीका बना रखा है इससे कोई ठेका लेने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारी जगह आप दो साल में इस योजना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सड़कों के विकास के लिये जिस प्रकार की आपने टेण्डर लेने की शर्तें रखी हैं, उसके अनुसार वे शर्तें नहीं हैं। बाइफरकेट करके छोटे-छोटे हिस्सों में अगर इन टेण्डर्स को देते तो यह काम कब का ही पूरा हो जाता। मैंने देखा है कृषि मण्डी के करोड़ों रुपये के ठेके हुए पहले, हमारे जोधपुर मुख्यालय के सारे के सारे ठेके एक ठेकेदार को दिये गये और एक ठेकेदार द्वारा सारा काम किया गया। यह कोई ठेका हो सकता है? एक बड़ा समूह 100 ठेके एक साथ लेता है और उसके बाद में उन्हीं ठेकों को छोटे-छोटे ठेकेदारों को आगे ट्रांसफर करता है। उसमें उसको समय लगता है। इस व्यवस्था से राजस्थान में जो हजारों किलोमीटर की सड़कों का विकास करना चाहते हो, क्या यह विकास करना सम्भव हो सकेगा? इसलिए मेरा कहना है कि आप सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं तो इस सुदृढ़ीकरण करने के तौर-तरीकों को आपको बदलना पड़ेगा। आपने 600 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। जब तक आप तौर-तरीकों को नहीं बदलोगे, तब तक दो वर्ष क्या आपका यह पूरा टेन्योर ही समाप्त हो जाएगा। यह सड़कों का काम पूरा नहीं हो सकेगा। इन सड़कों के साथ, उपाध्यक्षजी, पिछले 20-30 सालों से सड़कें बनी हुई हैं, कोई मिसिंग रोड कहीं एक किलोमीटर रह गयी, कहीं दो किलोमीटर रह गयी, कहीं तीन किलोमीटर रह गयी। हम देते हैं हमारे पैसे। बड़ी ईमानदारी से जो भी मिसिंग रोड हैं उनको पूरा करने के लिये हम पूरी की पूरी धनराशि खर्च करते हैं। लेकिन हमको कितनी राशि मिलती है? 60 लाख की राशि। और आपने सड़क का इस समय जिस प्रकार का शिड्यूल बना रखा है एक-एक किलोमीटर का सात-सात लाख रुपये लेते हैं। अब एक-एक किलोमीटर में सात-सात लाख रुपये देवें तो हमारे तो 60 लाख रुपये हैं, कितनी राशि हम दे सकते हैं? इसलिए सड़कों के ठेके देने की प्रणाली को भी वापस चेंज करने की जरूरत है। उसको भी आप देखें, आफिसर लोग बनाते हैं, आफिसरों का भारी प्रतिशत इसमें है। जिसको क्या कहते हैं, मैं नाम अभी भूल गया हूं। इसलिए इसको भी वापस देखिये और मिसिंग रोड जितनी भी रह गयीं मिसिंग रोड को भी कम्प्लीट करने की कोशिश करिये। इस प्रकार की मिसिंग रोड बहुत ज्यादा किलोमीटर में नहीं हैं, हार्डली आप ढूंढेंगे तो तीन-चार हजार किलोमीटर भी नहीं मिलेंगी। बाकी राजस्थान बहुत लम्बा है इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता।

(श्री हीरासिंह चौहान)

जैसा बहन चन्द्रावती कह रही थीं, आपने पंचायत मुख्यालय तो मिला दिये लेकिन दो पंचायत मुख्यालयों के बीच में सड़कों का जो गैप अधूरा रह गया वह किसी भी नीति के अन्दर नहीं आता। आप एक हजार की आबादी वाले, 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से मिला रहे हैं। पंचायत मुख्यालय को आपने मिला दिया। अब एक पंचायत मुख्यालय मिला दिया और दूसरा पंचायत मुख्यालय के बीच में जो रास्ता पड़ा है, वह पिछले आठ-दस साल से पड़ा है जिस समय पिछली सरकार थी। पिछली सरकार ने बहुत काम किया सड़कों के मामले में। मैं भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की सरकार को और ललित किशोरजी चतुर्वेदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में सड़क मार्गों के निर्माण में जब से राजस्थान की सरकारें बनने लगी हैं, उसकी बराबरी के लिये आज दिन तक काम नहीं कर सकता। जितना काम... (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह डामर काण्ड भी तब ही हुआ था। करोड़ों रुपये का डामर काण्ड तब ही हुआ था।

श्री हीरासिंह चौहान : यह डामर काण्ड तो आप जानो, काण्ड जाने। हमने भी इसकी जांच की थी। डामर काण्ड की हमने भी जांच की थी लेकिन उस डामर काण्ड में ऐसा कोई काण्ड नहीं हुआ। वह तो लाने-ले जाने, दिल्ली में और यहां तक पहुंचाने के बीच में, इस प्रकार का थोड़ा बहुत...

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : ऐसा है, आप हरिशंकर जी भाभड़ा से पूछना। मेरा क्वेश्चन था।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका प्रश्न, हम प्रश्न और संदर्भ समिति में थे, उस समय यह मामला हमारे बीच में आया था और इस सारे डामर काण्ड की हमने अच्छी तरह से जांच की थी। हमारे सभापति थे माननीय दिग्विजय सिंहजी, इनको पूछ लो। हमने इसकी पूरी जांच की थी प्रश्न एवं संदर्भ समिति में, लेकिन जिस प्रकार का आप यहां पर बखान कर रहे हैं उस प्रकार का डामर काण्ड नहीं था। वह तो लाने-ले जाने और उठाने का ही काण्ड था, इसके अलावा नहीं था। ठेकेदारों के बीच की मिलीभगत थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से किसी प्रकार का पेमेंट उनको गलत नहीं किया गया था उस समय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं।

उपाध्यक्षजी, यह जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से, माननीय वित्त मंत्रीजी, न तो किसान खुश हैं, न उद्योगपति खुश हैं, न व्यापारी खुश हैं, न कर्मचारी खुश हैं और न मजदूर खुश

(श्री हीरासिंह चौहान)

हैं। एक General procedure of putting your Budget, nothing more it is. कोई भी आपके इस बजट से खुश हुआ हो, प्रशंसा व्यक्त की हो तो मुझे बताइये कि आपने जो बजट दिया, जनता ने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की। एक सामान्य प्रोसीजर के तहत आपने बजट पेश किया है। इसलिए कम से कम आपका बजट जिसकी तरफ राजस्थान की जनता का ध्यान जाना चाहिये और ध्यान जाकर राजस्थान के विकास में आप कोई नया आयाम पैदा करते इस बजट के माध्यम से, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। आप बजट हर साल पेश करते हैं, पिछले तीन साल से आप बजट पेश करते आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में आपके बजट पेश करने के बावजूद भी जो सृजित पद हैं, उन पदों की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप किसको खुश करना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलें हैं, उनमें पर्याप्त मास्टर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हास्पिटल हैं उनमें ए.एन.एम., डाक्टर्स और मेल नर्स की भारी कमी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जहां पर न तो डाक्टर हैं, न स्टाफ है। यहां पिछले दो-तीन साल से बैठे हुए कांग्रेस के विधायक भाई भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जगह-जगह स्टाफ की भारी कमी है। बजट के द्वारा सृजित पदों पर भी आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर करके वापस खाली जगह को भर नहीं सकते तो, माननीय वित्त मंत्रीजी, आप किसको खुश करना चाहते हैं? आपका तो एक तंत्र है। किसान आपसे कुछ मांगता नहीं है, खेती करता है, आप खाद-बीज दो तो मर्जी है। मत दो, वह अपने कुएं से खेती करता है, बिजली भी अपने पैसों से लेता है। किसान के ऊपर आप क्या लादना चाहते हो? व्यापारी अपना व्यापार करता है। लेकिन आपने जो तंत्र अपना पैदा कर रखा है, कम से कम उसको तो कंट्रोल करो। हम आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करते, न राजस्थान की जनता आपसे ज्यादा अपेक्षा करती है लेकिन जो हास्पिटल आपने खोल रखा है, जो स्कूल आपने खोल रखी है, जो व्यवस्था आपने कर रखी है, पशु चिकित्सालय है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, उनमें आपका स्टाफ एक साल से नहीं, पिछले तीन साल से नहीं है। इस स्टाफ की पूर्ति भी आप नहीं कर सकते और फिर कहते हो कि हम कल्याणकारी राजस्थान बनाना चाहते हैं, हम जनता के कल्याणकारी काम करना चाहते हैं, जनता के हितों में काम करना चाहते हैं। जनता तो चारों तरफ से त्राहि-त्राहि कर रही है। आप और कुछ मत दीजिये लेकिन जो हास्पिटल हैं, पानी की

(श्री हीरासिंह चौहान)

व्यवस्था हो चाहे बिजली की व्यवस्था हो, जो आपके शासन-तंत्र के द्वारा हो रखी है, उनमें तो कम से कम मत रखिये। और बजट है किस काम का? बजट बनता इसीलिए है। आप खुशहाली करो, सड़कें बनाओ, और दूसरे काम करो। लेकिन जो तंत्र आपने पैदा कर रखा है, स्कूल खोलने के नाम पर स्कूल तो खोलते हो, जुलाई में घोषणा करते हो फरवरी में स्कूल खुलती है, फिर वहां पर हैड मास्टर लगता नहीं, वहां पर टीचर लगता नहीं। इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रखी है जिसके कारण से आपके इस बजट से, आप तीन साल से क्या मालूम आप बजट में जो प्रोविजन करते हैं उसे आपके सम्बन्धित मंत्री उपयोग में नहीं लेते। इसके पीछे कारण तो कुछ न कुछ है जिसके कारण से आपके शासन-तंत्र का आधारभूत ढांचा और दूसरा आपका सरकारी मशीनरी का ढांचा है वह आज भी पूरी तरह से नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी, जैसा लक्ष्मणसिंहजी कह रहे थे, आपकी मानीटरिंग बड़ी पूअर है। आप बजट का एलोकेशन कर देंगे अभी? पता नहीं कब करेंगे। अगस्त में करेंगे, सितम्बर में करेंगे। एण्ड आफ द मार्च तक कार्यों का निष्पादन जो होना चाहिए वह समय पर नहीं होता। सैंट्रल ग्रांट का बजट आता है, आपकी मैचिंग ग्रांट में बहुत देरी हो जाती है जिसके कारण से बहुत भारी धन राशि लैप्स हो जाती है। इसका कौन दोषी है? इसकी दोषी हमारी व्यवस्था है। उसकी मानीटरिंग समय पर नहीं होती है। जब भैरोंसिंहजी साहब मुख्य मंत्री थे, बजट के एलोकेशन के बाद मई में उसकी बराबर मानीटरिंग करते थे कि किस का बजट गया कि नहीं गया, किस जगह उसको जाना चाहिए, कहां खर्च होना चाहिए। यह व्यवस्था जब तक आप नहीं करोगे तब तक इस बजट का समुचित उपयोग नहीं हो सकता। हम खुश हो सकते हैं मन में कि हमने यह-यह व्यवस्था कर दी, लेकिन इस व्यवस्था को आपको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के बाद भी यह सारी अव्यवस्था हो रही है। पिछले दो-तीन साल से तो हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवस्था बहुत कमजोर रही है। कमजोर रहने के कारण से जितना बजट का एलोकेशन होता है, उसका पूरा खर्चा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास मंत्रीजी अभी परसों-पल्ले रोज उत्तर दे रही थीं, करोड़ों रुपये की बात थी और यह कह कर टाल दिया कि हमारे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी। कहते हैं कि अगले साल काम आ जाएगा। इस साल तो आप के काम नहीं आया। सारा का सारा पैसा सेंटर का और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं कमी है। इस कमी को आप ढूंढिये और ढूंढ कर मेहरबानी करके दया करके

(श्री हीरासिंह चौहान)

राजस्थान की जनता के लिए उस राशि का उपयोग कीजिए, जिससे विकास के कार्य हो जाएं। आपका समय है, इस समय हो जाएगा तो हो जाएगा, बार-बार इस साल का बजट अगले साल नहीं होगा। अगले साल की कहानी तो अगली साल चलेगी। कुलमिलाकर इस प्रकार के कामों को आप समय पर कराएं तो मैं सोचता हूं कि हमारे राजस्थान के विकास में इस बजट को जो आप विकास के लिए एक आइना बताते हैं, उसमें हो जाएगा।

आपने जिस समय चुनाव लड़ा था...

श्री राजेन्द्र पारीक : आ गये आप असली मुद्दे पर। च्यवनप्राश इसलिए खिलाया था आपको?

श्री हीरासिंह चौहान : आएंगे असली मुद्दे पर। मेरे डाइबिटीज है, च्यवनप्राश मैं खा नहीं सकता। समझता नहीं हूं च्यवनप्राश क्या होता है।

माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने चुनाव लड़ते समय बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। आपने राजीव गांधी पाठशालाओं में कुछ लोगों को लगा दिया और वे आकड़े बता कर खुश होते हैं। पहले 1200 रुपये पाता था, अब उसको 1600 रुपये किया। कल सम्मानीय सदस्य कह रहे थे, एम.ए., बी.एड. किया हुआ लड़का 1600 रुपये पाता है, एक मजदूर को भी 600 रुपये मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : 1200 रुपये मिलते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, कहीं मैंने पूछा, 1600 रुपये हुए हैं। पता नहीं, वह कह रहे हैं 1600 रुपये कर दिये। अब मुझे जैसी जानकारी है 1600 रुपये की, 1600 रुपये ही कहूंगा।

लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस बच्चे का क्या कसूर है, क्या गलती है? उसके गरीब माता-पिता ने हजारों रुपये,खर्च करके उसे एम.ए., बी.एड. तक पढ़ाया। एक एम.ए., बी.एड. पढ़ा हुआ आठ और दस हजार रुपये तनखाह ले रहा है और एक राजीव गांधी पाठशाला में जाने वाला बच्चा 1600 रुपये ले रहा है। वह का वह समय दे रहा है, और वह का वह अध्ययन कार्य में अपना पूरा ध्यान दे रहा है। इसलिए यह सोचने का विषय है। आपने राजीव गांधी स्कूलें खोली हैं, और खोलिये, कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन 1600 रुपये पाने वाला क्या उन ग्रामीण क्षेत्र के, ढाणियों के, दूरदराज के बच्चों को पढ़ा सकेगा? उसके मन की जो पीड़ा है, दर्द है, उस दर्द को समझने की कोशिश करें। आप 8-9000 रुपये नहीं कर सकते लेकिन कम से कम उसको सम्मानजनक मानदेय, भत्ता तो दीजिये जिससे उसकी आत्मा तो संतुष्ट हो जाए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूं, सरकार मुझे कुछ दे रही है, सरकार मेरी बेइज्जती नहीं कर

(श्री हीरासिंह चौहान)

रही है, सरकार मेरा सम्मान कर रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, रामसिंहजी, भीखा भाईजी बैठे हैं और हमारे मिर्धा साहब बैठे हैं, बड़े-बड़े मंत्री बैठे हैं, आप सभी कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, थोड़ा आप इस विषय पर चिन्ता करिये। केवल हमारा भाषण सुन करके कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं, कोई ओळमे देंगे, यह कह कर टालिये मत। मैं तो यह चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशाला के पढ़ाने वालों को ठीक प्रकार का मानदेय भत्ता देने की कोशिश कीजिये। हजारों पद आज भी खाली पड़े हैं, इनको भी भरने की चेष्टा करिये।

हमारे साथी भीम से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में और पंचायती राज के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ लेकिन मैं कह रहा हूं और बहुत स्ट्रांग शब्दों में कह रहा हूं, सी.पी. जोशी साहब कि इस शिक्षा और पंचायती राज को तो प्रयोगशाला बना दिया। तीन साल में जितने एक्सपैरिमेंट इन्होंने किये हैं, मटियामेट कर दिया सारा। कभी तो समायोजित करते हैं। आज पंचायत समिति में एक भी अध्यापक नहीं दिया गया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 12-12 महीने तक उन स्कूलों में मास्टर नहीं लगा है इनकी गलत नीतियों के कारण से। एक दिन एक आर्डर देते हैं, दूसरे दिन दूसरा आर्डर देते हैं और तीसरे दिन तीसरा आर्डर देते हैं। पंचायती राज में भी इसी प्रकार उन्होंने एक्सपैरिमेंट किये प्रयोगशाला की तरह। आजादी के 40 साल बाद भी इस देश का शासन स्थायी चल रहा है, सरकारें बदल गयीं लेकिन व्यवस्थाएं कायम रही हैं। इन्होंने एक ब्लाक एजुकेशन अधिकारी बना दिया, लेकिन इस ब्लाक एजुकेशन अधिकारी को 12 महीने तक तो ड्राइंग एण्ड डिस्वसिंग के पावर ही नहीं थे। अब अध्यापक सैलेरी उठाए तो कहां से उठाए? बड़ी मुश्किल से अब जाकर वह काम करने लगा है। कभी तो उसका सैपरेट आफिस कर दिया और आजकल कह दिया कि वह भी एडिशनल विकास अधिकारी होगा। कभी कह दिया कि विकास अधिकारी को प्राथमिक शिक्षा के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, केवल ब्लाक एजुकेशन आफिसर देखेगा। पंचायत समिति की वित्त और स्थायी समिति है या प्रधान है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकेगा। इस प्रकार के जो एक्सपैरिमेंट्स किये हैं, उसमें इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता जाहिर की थी। अब थोड़ा जाकर मैं सोचता हूं, पूरा कह नहीं सकता कि इस प्रकार का एक्सपैरिमेंट इस एजुकेशन पर किया गया जिसका कमाल हुआ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर।

पंचायती राज में मैंने गत बजट सैशन में भी कहा था और आज भी कह रहा

(श्री हीरासिंह चौहान)

हूं कि वार्ड सभाओं की आवश्यकता नहीं है। एक-एक वार्ड में 50-50 प्रस्ताव होते हैं, कई प्रकार की लालसाएं आपने जाग्रत कर दी लोगों की लेकिन उन प्रस्तावों में उस वार्ड में एक काम नहीं हो रहा है। क्या जरूरत थी वार्ड सभा की? हमने कहा था सैपरेट रेवेन्यू विलेज है, दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर या दो किलोमीटर की दूरी पर, वहां वार्ड सभा बना दीजिये। राजस्व गांव है उसका विकास होना निन्तात आवश्यक है। वहां की वार्ड सभा करे जिसको सरपंच भी मान ले। लेकिन मेरे रायपुर में 30 वार्ड हैं, रायपुर में सभी प्रकार की सुख-सुविधाएं हैं, वहां बिजली है, पानी है, हाई स्कूल है, शफाखाना है, सड़क है, अब वार्ड सभा क्या करेगी? मतलब What is the duty of the Ward Sabha? एक गलत प्रकार की लालसा लोगों में जाग्रत की। वार्ड सभा की संरचना चाहे मध्य प्रदेश की नकल की हो आपने, या और किसी की नकल हो लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत है। कम से कम इन वार्ड सभाओं की आवश्यकता नहीं है। आज हम कहना चाहते हैं कि इससे धन खर्च हो रहा है, लोगों का समय खराब हो रहा है। इसके साथ दुनियाभर के कागज तैयार करते हैं, हमारे लिए तो फायदे की बात है। फायदा इसलिए है कि वार्ड सभा प्रस्ताव लेती है। अगर काम नहीं होगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। अभी दो दिन पहले अमरारामजी ने जाकर भाषण दिया, गंगापुर से, कम से कम सौ डेढ़ सौ सरपंच आये यहां पर। सरपंचों का काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर आवश्यक कर दी ग्राम सभा। अब ग्राम सभाओं में लोग आते ही नहीं हैं, चाहे ढिंढ़ोरा पीट लो आप। एक साल में पांच बार ग्राम सभाएं बुलाते हो, वह जानते हैं। एक बार आ जाते हैं देख लेते हैं, दो बार आ जाते हैं देख लेते हैं। आपके और हमारे पास भी कोई आदमी आता है, वह देख लेता है कि यह काम करने वाला नहीं है, नहीं आना चाहता है। दो बार ग्राम सभाओं में आ गये, वे जानते हैं कि सारा नकली ढोल है, यहां कुछ होने वाला नहीं है। गांव के लोग अपना समय और धन क्यों बरबाद करें? बड़े चतुर होते हैं गांव के लोग, बड़े समझदार होते हैं। दिखने में नादान हैं, भोले हैं लेकिन एक-एक बात की वे अच्छी तरह परख जानते हैं। इसीलिए आपने कम्प्लसरी कर दिया कि ग्राम सभा में कम से कम दस प्रतिशत हाजिरी जो जरूरी है, लेकिन वे आते ही नहीं हैं। सरपंच चिल्लाते हैं कि हम घर-घर जाकर इन पर दस्तख्त कराएं? सोशल आडिट रखिए, मैं इसके पक्ष में हूं। सोशल आडिट रखिए लेकिन साल में एक बार। 26 जनवरी और 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको भी आप ग्राम सभाओं में जोड़ देते हैं। क्या अन्य दिन को नहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

आ सकते? खेलकूद का दिन है, आराम से इसको मनाते हैं, इस प्रकार के आयोजन करते हैं लेकिन उस दिन भी ग्राम सभा। जो भी अच्छे फंक्शन आएंगे, राष्ट्रीय दिवस आएंगे उस समय ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, न सोशल आडिट होता है। जिस तरीके से सोशल आडिटिंग आप कराना चाहते हैं, यह सोशल आडिटिंग माननीय भैरोंसिंहजी के समय में जब पंचायत अधिनियम, 1994 पेश किया था उसमें सबसे पहला अध्याय यही था। 1994 के अधिनियम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसमें कई बार तोड़-तोड़ कर कई प्रकार का संशोधन किया गया, कई प्रकार के अध्यादेश जारी किये गये। इस एक्ट को विधान सभा में वाचन करके पूरी तरह पास किया गया था। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होते हुए भी कई प्रकार से उसमें परिवर्तन किया गया। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से धन की बरबादी नहीं की जाए और जो भी हमारे द्वारा काम किया जाए, वह कम से कम अच्छा काम हो।

अब मैं प्रशासन गांवों के संग के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कर रहा हूं, साहब।

श्री रतन लाल ताम्बी : अच्छा काम हुआ।

श्री हीरासिंह चौहान : ताम्बीजी कहते हैं कि अच्छा काम हुआ लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि 45 पंचायतें हैं, 45 पंचायतें में से 35 ग्राम सभाओं में कम से कम मैं गया था। 35 ग्राम सभाओं में मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी था जिसको लैण्ड एवं रेवेन्यू सम्बन्धी किसी प्रकार के पावर नहीं थे, विकास अधिकारी लगा दिया। भूमि सम्बन्धी चाहे आपसी बंटवारा हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे सहमति से आपस में जमीन का बंटवारा हो, अलाटमैंट का हो या रैगुलराइजेशन का हो, 133 के दावों के एक भी काम नहीं हो सके क्योंकि वह अधिकारी अधिकृत नहीं था। अब मैं चाहूंगा कि वहां पर एक बार वापस किया जाए। मैंने विधान सभा में एक सवाल पूछा था, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारह पंचायतें सोजत की भी आती हैं और रायपुर की आती हैं तीस, प्रशासन गांवों के संग में कितनी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की, कितनी विधवा पेंशन और कितनी विकलांग सहायता स्वीकृत की। मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। तीन वृद्धावस्था पेंशन, पांच विधवा पेंशन और कुछ दो एक विकलांग पेंशन। एक पड़ौसी थी पंचायत सोजत वाली, वहां अच्छी हुई। हमारे सारे जितने परिवार हैं, बूढ़े हैं क्या उन सबकी

(श्री हीरासिंह चौहान)

पेंशन पहले से ही मंजूर हो रखी है? नहीं हो रही है। लेकिन केवल एक नाटक करना चाहिए जो इस प्रकार का किया गया।

पेयजल के लिए हम कहते हैं। सिंचाई मंत्रीजी, पेयजल मंत्रीजी, आपके अधिकारी आते थे, हैण्ड पम्प के लिए मशीन नहीं थी तो ठीक करने का साधन नहीं। बिजली वालों को कहते तो एक-एक मीटर का ज्यादा आया हुआ बिल, चार्ज ज्यादा आया हुआ उसके बार में कहें तो करैक्शन की कोई स्थिति नहीं। आप जरूर इस बात को लेकर गांवों में प्रसन्न हैं कि अठारह विभागों को भेज कर बहुत कुछ काम करवाया, लेकिन जाकर अगर आप वस्तुस्थिति से रूबरू हों तो आप पाएंगे कि उसमें काम नहीं था, समय और धन की बरबादी थी। काम कुछ हुआ तो बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र का काम जरूर हुआ। वह भी मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं कि जब तक एस.डी.ओ. नहीं देता, प्रमाणित नहीं करता। पिछले दिनों सुमित्राजी ने उदाहरण दिया, बेचारा एक लड़का भर्ती होने गया जिसको माना नहीं, वापस आना पड़ा। तो प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में जिस प्रकार आप सोच रख रहे हैं उस प्रकार का काम नहीं हुआ।

उपाध्यक्षजी, मैं अन्त में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ता हुआ एक निवेदन करना चाहता हूं, इस राजस्थान का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है जो अब तक जिला नहीं बनाया गया। डेढ़ लाख की आबादी का शहर है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे मगरा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र का हृदयस्थली का शहर है जहां पर बहुत बड़ा बाजार है। आज अजमेर का कोई बाजार नहीं है। ब्यावर में सबसे बड़ी मण्डी है कपास की, सबसे बड़ी मण्डी है ऊन की।

श्री ललित भाटी : उस समय भैरोंसिंहजी साहब से क्यों नहीं बनवा लिया आपने?

श्री हीरासिंह चौहान : भैरोंसिंहजी साहब ने तो कम से कम आठ जिले बनाये।

श्री ललित भाटी : तो इसी को क्यों छोड़ दिया?

श्री हीरासिंह चौहान : बारां बनाया, राजसमन्द बनाया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठो।

श्री हीरासिंह चौहान : हनुमानगढ़ बनाया, करौली बनाया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक तो आपके राज में भी बनाओ कम से कम।

श्री जीतमल खांट : कांग्रेस के राज में एकाध तो बनाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर मेरा जन्म स्थान है। अच्छे काम के लिए कह रहे हैं। बैठ जाओ। हर बात में विरोध करते हैं। यह अच्छी बात है। ब्यावर मेरा जन्म स्थान है बनने दो।

श्री ललित भाटी : उस समय क्या मापदण्डों में नहीं आ रहा था क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हर अच्छे काम का विरोध मत करो। (व्यवधान) ब्यावर मेरा जन्म स्थान है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय वित्त मंत्रीजी, अवसर है, मौका है, मौका चूकने के बाद कुछ नहीं है। ब्यावर के आसपास की जनता अगर इसको जिला बना दिया जाता है तो आप लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेगी और हम भी आपकी बहुत-बहुत तारीफ करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम ब्यावर को जिला बनाया जाए। ब्यावर को जिला बनाना कोई काल्पनिक बात हो, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। ब्यावर जिला बनने के लिए सभी प्रकार के मापदण्ड रखता है। उससे एक बैकवर्ड जिला पैदा होगा, एक पिछड़ा जिला होगा। वहां लोगों के पास खाने-पीने के खेती के साधन नहीं हैं, मामूली खेती की जमीन है। या तो कोई फौज में हैं या अहमदाबाद नौकरी कर रहे हैं। वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, पहाड़ ही पहाड़ है। मामूली जमीन में आदमी गुजारा नहीं कर सकता। अगर यह जिला बनता है तो जिला बनने के बाद हो सकता है कि भारत सरकार के नोटिस में लाया जाए कि यह बैकवर्ड जिला है, इसके लिए स्पेशल कोई प्रोजेक्ट बना कर यहां के लोगों की आर्थिक हालत और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। यह हंसी-मजाक की बात नहीं है। ब्यावर को जिला बनवाने के पीछे बहुत बड़ा सोच है...

श्री रमजान खान : सीरियस मामला है।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत बड़ा सोच है। जिला बनने के बाद यहां के आसपास के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार की स्थिति का सुधार होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है। (व्यवधान) हां, रायपुर को मिला दो, पूरा रायपुर तैयार बैठा है। रायपुर पंचायत समिति ने प्रस्ताव करके बहुत पहले दे दिया कि इसको जिला बना दिया जाए। आपने मुझे टाइम दिया, जयहिन्द, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफारमेशन।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप : निवेदन है, साहब, मेरा, बहुत महत्वूपर्ण है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि मैं भी शुरू से एक पत्रकार

(श्री रामस्वरूप)

रहा हूं, हमारे दिल में एक दुःख है उसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए। हमारे जो 1952 से अधिकार चले आ रहे हैं उन अधिकारों को सुना जाए। आपसे भी उन्होंने चार दिन पहले निवेदन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, कोई इंफारमेशन की बात नहीं है । माननीय अमरारामजी ।

श्री रामस्वरूप : मुझे विश्वास है कि आप गम्भीरता से उस पर विचार कर रहे होगें। 1952 से जिस प्रकार अधिकार दिये हैं, हां पक्ष की लाबी में, ना पक्ष की लाबी में मिलना-जुलना सारी बातें हैं। एक पत्रकार होने के कारण निवेदन कर रहा हूं, साहब, मैं तो। मैं भी पत्रकार रहा हूं, साहब। यह भी चौथा स्तम्भ है अपना इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनके दुःख को भी समझा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप काहे के पत्रकार रहे?

श्री रामस्वरूप : माननीय गृह मंत्रीजी से भी वे मिल लिये हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी से भी मिल लिये हैं, सबसे मिल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : हां, आप पर भरोसा है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : आपका भरोसा है कि आप जरूर उस बात को सुनेंगे गम्भीरता से।

श्री ललित भाटी : राजेन्द्र सिंह जी, यह सवाईमाधोपुर एक्सप्रेस के पत्रकार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां बिलकुल, मैं पत्रकार रहा हूं। मैं कोई आपसे मजाक थोड़े ही कर रहा हूं। आप इस तरह पत्रकारों की बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, आप मजाक क्यों बना रहे हैं? बिलकुल आप मजाक बना रहे हैं पत्रकारिता को... (व्यवधान) सारा हिन्दुस्तान क्या सारा विश्व पत्रकारिता को मानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर आपको हटाया क्यों?

श्री रामस्वरूप : पत्रकारों के हित के लिए हम जरूर बोलेंगे । आप कैसे हमको ...(व्यवधान) आप कौन होते हो रोकने वाले हमको? आप कैसे रोक सकते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको हटाया क्यों? आपको निकाला क्यों पत्रकारिता से?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजें प्लीज।

श्री रामस्वरूप : मैं उठाऊंगा प्रश्न को, उनके हित के लिए बात कहूंगा । निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, से कि हमारी बात को गम्भीरता से लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं तो पूछ रहा हूं कौनसे अखबार के थे? जापान एक्सप्रेस, जर्मनी एक्सप्रेस, अमरीका एक्सप्रेस, कौनसे अखबार के थे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी। प्लीज।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के बजट 2002-2003 की चर्चा चल रही है। किसी भी सरकार का बजट उस प्रदेश के विकास का बहुत बड़ा आधार, दिशा होता है। तय रूप से राजस्थान की गहलोत की सरकार आने के बाद यह चौथा बजट है, वह बजट लगातार उसी और है जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले आठ बजट रखे। राजस्थान को सम्पूर्ण रूप से कर्जे में डुबोने का काम आम व्यक्ति की खुशहाली का नहीं हो सकता है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को राहत देने का, कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों को राहत देने का काम जो किया है, उसका नतीजा है लगातार राजस्थान पर कर्ज का बोझ। राज्य की राजस्व आय का 63 परसेंट तय रूप से उस कर्जे के ब्याज को चुकाने में लगाया जा रहा है। आम व्यक्ति की खुशहाली के लिए बजट नहीं होने का नतीजा यह है कि लगातार प्रति व्यक्ति आय घटी है। 1998-99 में जो 8,685 थी, 1999-2000 में 8,277 और 2001 में हो गयी 7932 और पिछले वर्ष 2001-2002 की थी 8559। लगातार प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है तो राजस्थान का विकास आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है।

प्रमुख रूप से राजस्थान की 76 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। खाद्यान्न का उत्पादन आप बजट एट ए ग्लांस में देखेंगे तो 1998 में जो 129 लाख मैट्रीक टन था वह उसके अगले वर्ष 1999-2000 में 106.86 हुआ और उसके आगे वाले वर्ष में 100.34 और 2001-2002 में 124.89 मतलब 1998-99 में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह भी राजस्थान का नहीं रहा। पूरे राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता जिसकी आमदनी का जरिया खेती है, हम जब तक उसका विकास नहीं कर पाएंगे, इस बजट का कोई मायना नहीं होगा।

हमारे कृषि विभाग पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन कृषि विभाग किसान को किस तरह से इस खेती की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं, इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शन नहीं देता। अफसोस तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतना है कि राजस्थान पूरे देश में बाजरा उत्पादन करने में सबसे अग्रणी हैं लेकिन आज की तारीख तक राजस्थान जो भी हाई ब्रीड बीज बाजरे का बीजा जाता है, हैदाराबाद में आंध्र

(श्री अमराराम)

प्रदेश का बीजा जाएगा, तमिलनाडु का बीजा जाएगा लेकिन राजस्थान में बीजा जाने वाला बीज आज तक राजस्थान के कृषि विभाग ने पैदा करके विकसित नहीं किया है।

खरीफ में सबसे बड़ी फसल बाजरे की है उसका आज तक बीज विकसित नहीं। कोई भी किसान अगर कृषि विभाग में मिट्टी और जल परीक्षण करवाकर लाएगा तो उसके रासायनिक कम्पोजिशन बता सकते हैं, लेकिन आपके कृषि विभाग का हाल यह है, मैं बाकी राजस्थान की तो नहीं, सीकर में आपका कृषि विभाग है, उसकी बात बताता हूं कि एक भी अधिकारी, इस जमीन और इस पानी में कौनसी फसल बढ़िया हो सकती है यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह जरूर बता देगा कि इसमें फलां तत्व इतने हैं, ये इतने हैं लेकिन कौनसी फसल हो सकती है, इस पानी और मिट्टी में कौनसा उत्पादन बढ़िया हो सकता है, कृषि विभाग का मैं समझता हूं यह तय रूप से तय नहीं है। राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में जो धनी किसान हैं, बहुत बड़े लैण्डलार्ड हैं उनकी जमीन पर जो खून-पसीना बहाता है, जो उस जमीन में पैदावार करता है उसको आज की तारीख में राजस्थान में कोई भी अधिकार नहीं है। जब तक अधिकार नहीं होगा उसकी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। जमीन पर जो पसीना बहा रहा है तय रूप से उसको अगर यह अधिकार होगा या उसको श्योरिटी होगी कि आने वाले सालों में भी पैदावार उसी को करनी है तो उसकी पैदावार बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पैदावार बढ़ेगी तो तय रूप से राजस्थान के बजट में बहुत बड़ा सहयोग जो उत्पादन के माध्यम से, सैल्स टैक्स के माध्यम से आता है वह भी उसके अन्दर हो सकता है। राजस्थान के बजट का बहुत बड़ा भाग चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह जलापूर्ति में हो और चाहे स्वास्थ्य में हो, ग्रामीण क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा हुई है। उसी का नतीजा है कि शहरी आबादी का 1941 से लेकर 2001 तक का हम आंकड़ा देखें तो पहले जहां पन्द्रह परसेंट शहरी आबादी थी, 2001 की जनगणना में वह करीब 24 परसेंट आबादी हो गयी है। शहरी आबादी शहरी परेशानियों का कारण बनी हुई है। 75-76 प्रतिशत आबादी पर पेयजल के बजट का बीस प्रतिशत खर्च होगा और जो 23 परसेंट हैं उन पर अस्सी प्रतिशत खर्चा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं है। पेयजल में राजस्थान की सरकार के बजट का आज तक जो कमोबेश बीस और पच्चीस प्रतिशत के बराबर खर्चा राजस्थान की ग्रामीण 76 प्रतिशत आबादी पर होता है उसको भी मंत्री महोदय काटने की योजना बना रहे हैं।

(श्री अमराराम)

इसके अलावा सैक्टर रिफार्म के नाम से सीकर जिले में, जयपुर की मैं नहीं कह सकता, पच्चीस साल से गांव की टी.एस.एस. का इलैक्ट्रिसिटी का बिल राजस्थान की सरकार के खजाने से पेमेंट होता आया है, सैक्टर रिफार्म के नाम से वह सुविधा जो पच्चीस साल से गांव के लोग लेते आये हैं उसको आप वापस लेना चाहते हैं। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। जिस गांव में पी.एच.ई.डी. की पानी की सप्लाई नहीं है, हो सकता है वहां लागू हो जाए। लेकिन हालत यह है कि पिछले दो साल में सैक्टर रिफार्म के सात करोड़ रुपये सीकर के विभाग में पड़े हैं, एक नया पैसा भी आज की तारीख में रिलीज नहीं हुआ है। कोई भी सुविधा मांगों, आप कहते हैं कि गांव वालों को करना है। अगर 75 प्रतिशत जनता को अपनी पेयजल की व्यवस्था खुद को करनी है तो फिर शहर में क्यों नहीं करनी है? शहर भी अपनी व्यवस्था आप करें।

आप कहेंगे, चालीस साल पहले, पचास साल पहले, आजादी के पहले गांव की व्यवस्था गांव खुद करता था, लेकिन जब सुविधा है तो उसे प्रदान करना हमारी सरकार का दायित्व है, जन कल्याण का दायित्व है। गांव की पेयजल व्यवस्था पर जो कुछ भी खर्च हो रहा था, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि सैक्टर रिफार्म जो केन्द्र सरकार से बहुत बड़ा बजट है, उसका उपयोग बन्द नहीं होगा। जो टी.एस.एस. के इलाके हैं, जहां कुएं से पानी निकालकर गांव वाले पीते हैं और पच्चीस साल से इलैक्ट्रिक बिल देते हैं चाहे वह राजस्थान की सरकार करे, चाहे केन्द्र सरकार करे। राजस्थान के ग्रामीण इलाके अपनी पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए दस या पन्द्रह प्रतिशत का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं आपने दे रखी हैं वे अगर वापस लेंगे तो मैं समझता हूं उसका उपयोग नहीं होगा। जो कुछ भी कमी हो, आज जिस तरह से शिक्षा विभाग में हजारों की संख्या में अध्यापकों की कमी है, उपाध्यक्ष महोदय, वह जो कमी होगी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को उसके लिए भोगना पड़ेगा क्योंकि सुविधाओं का केन्द्र शहर है। जितने भी अध्यापक होंगे, सरकार के शहरी विद्यालय और महाविद्यालय होंगे उनमें तो स्टाफ की पूर्ति होगी और जितनी कमी होगी उसका पूरा का पूरा हर्जाना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की तो हालत यह है कि जितने भी लगा रखे हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमारे जिले के इंचार्ज परसादी लालजी हैं, उनकी मीटिंग में सी.एम.एच.ओ. आये कि अस्सी प्रतिशत हैल्थ कर्मचारी वे हैं जो गांव में रुकते नहीं, जाते नहीं। बहुत बड़ा बजट गांव के नाम से, शिक्षा के नाम से खर्च कर रहे हैं।

(श्री अमराराम)

आज राजीव गांधी पाठशाला का नाम लेकर साक्षरता बढ़ी है, ढोल पीट रहे हैं लेकिन जो रेगुलर स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, यहां तक कि विश्वविद्यालय भी ऐसे नहीं बचे हैं जहां प्राध्यापकों की पूर्ति हो। आप तीन साल में बार-बार घोषणाएं करते रहे हैं प्रशासन गांवों के संग में कि 2 अक्टूबर से जितने भी पद रिक्त हैं सब भर दिये जाएंगे। क्या भर दिये गये? अध्यापकों की नियुक्ति तो हम नहीं कर सकते लेकिन गैस्ट फैकल्टी होगी। आपको बिलकुल असफल मैं समझता हूं। फिर यह किया गया कि इस स्कूल में 15 दिन पढ़ाएंगे, उस स्कूल में 15 दिन पढ़ाएंगे। जितनी कमी है उसको बांटने के लिए। राजस्थान का जितना भी बजट ग्रामीण इलाके के लिये अलाट किया जाता है, कमी होती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता को उठाना पड़ता है। यह हालत बना रखी है कि शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, तमाम जगह से राजस्थान की जो भी वेंकेट पोस्ट होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र की पोस्टें उसमें सबसे पहले खाली रहेंगी और उनका लाभ उनको किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सड़कों की बात हो रही थी, हालत यह है कि इस बजट का पूरा रुपया कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए है। बड़े धनाढ्य लोगों की रोड रिनोवेशन पर छह सौ करोड़ का प्रोजेक्ट बना। राजस्थान के खड्डे पर बड़े भाषण देते थे कि पिछली राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड्डे डाले हैं। उन खड्डों में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रख दिया लेकिन तीन साल के बाद वे खड्डे और बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी सीकर से नागौर जायें तो शायद डीडवाना में उन खड्डों के बीच में रह जाएं, उनके जिले की हालत यह है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप गये नहीं इन दिनों में, आप जरा जाकर देखिये, डीडवाना से कितनी...

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो चार दिन पहले ही जाकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): मैं गया हूं, बीमार होकर आया हूं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : काम चल रहा है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आपको मैंने कहा भी। मैंने कहा इन खड्डों को भरवा दो नहीं तो मेरी कमर टूट जाएगी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आपके आदेश की पालना हो गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब हो रही है।

श्री अमराराम (धोद) : रिनोवेशन का पूरा का पूरा बड़े ठेकेदार को प्लान बना कर दे दिया। जो छोटे-छोटे ठेकेदार थे, बना सकते थे। लेकिन नहीं, केवल बड़े लोगों को ठेका मिलेगा बीस सड़कों का एक साथ। उस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। डामर की सड़क बनी हुई है और एक किलोमीटर में चार लाख रुपये। गांव वालों को अगर आप चार लाख रुपये एक किलोमीटर के हिसाब से दे दें तो रिनोवेशन नहीं, नयी डामर की सड़क बना देंगे और दस साल तक नहीं जाएगी। लेकिन गांव वालों का इनवाल्वमेंट नहीं और ठेकेदारों को रिनोवेशन में चार-चार लाख रुपये आपकी सैंक्शन गयी है। रिनोवेशन में तो आठ लाख होगा। मेरे पास गयी है उसमें चार लाख रुपये किलोमीटर के हैं। डब्ल्यू.बी.एम. बनी हुई हैं, नयी बनेगी और सात किलोमीटर के लिये 1.35 करोड़ का बजट है। अब आप बताइये, कितना कहां जा रहा है? देश और प्रदेश की जनता का पैसा किनके पास जा रहा है? आम जनता के पास न शिक्षा के माध्यम से जाता। बहुत बड़े लोग हैं, खाते-पीते लोग हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं जाते। सरकार का मकसद यह है कि जो अभाव में है उसकी मदद करनी है और जिसके पास पैसा है उससे वसूल करना है, लेकिन इस तरह काम नहीं होगा।

बिजली की जो उत्पादन और सप्लाई का है उसका प्रतिशत खरीफ के बाद में लगातार घटता गया है। 1998-99 में उत्पादन और क्रय करके जितनी बिजली सप्लाई की गयी वह प्रतिशत था 10.72, 1999-2000 में 5.17, 2000-2001 में 4.71 और पिछले वर्ष 2001-2002 में हो गया- 1.56, लगातार जिस तरह से बिजली की रेट्स बढ़ायी हैं, तमाम गरीब उस लाइन से हट गये। जिन दलितों की बात करते हैं, जिनके वोट बहुत बड़े रिकार्ड के रूप में लेते हैं, आपकी सरकार ने आदेश निकाला है कि किसी भी थोड़ा खाते-पीते शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी ने सवर्ण जाति के आदमी से 90 के बाद जमीन खरीदी है और वह अगर कनेक्शन लेना चाहता है, तो वह शिड्यूल कास्ट की प्रायोरिटी में जिन्दगी भर कनेक्शन नहीं ले सकता, कनेक्शन उसको स्पेशल प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा। 1990 के बाद जिसने भी सवर्ण कास्ट से जमीन खरीद ली किसी भी तरह से, अपनी नौकरी के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, उसको इस तरह से मारने का काम किया जा रहा है।

किसान जो कुछ भी पैदा करता है उसको कीमत में किस तरह से लूटा जाता है? पैदावार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, उपभोक्ता को नहीं मिलता और मीडियेटर मालामाल है। यहां पर राजस्थान

(15.46 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री अमराराम)

में समर्थन मूल्य की बात हो रही थी। कुछ खाद्यान्न की कीमत गिरी है, लागत बढ़ी है। खाद्यान्न से हटकर जो चीज पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, सब्जी में मारा जाता है। अभी राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में प्याज हो रही है, हालत यह है कि आम उपभोक्ता को वही प्याज आज से एक महीने पहले आठ से दस रुपये किलो मिलता था और आज जब किसान छह महीने में प्याज पैदा करके लाये हैं, आज सीकर की मण्डी में पचास पैसे किलो हैं। पचास पैसे किलो तो शुरू में है, अगर हालत यही रही तो दो महीने बाद, एक महीने बाद जब प्याज आएगी पच्चीस पैसे किलो भी कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि देश की सरकार ने वे तमाम कृषि उत्पाद जिनका आयात फ्री करने से देश और प्रदेश का किसान तबाह हो सकता था, उनका आयात पूर्ण नियंत्रण मुक्त कर दिया और जिन जिंसों को बाहर जाने से रोकने से किसान तबाह हो सकता था उनको रोक कर तबाह कर दिया कि प्याज बाहर जाएगा नहीं, और बाकी तमाम चीजें आएंगी। किसान जो कुछ पैदा कर रहा है उसको लागत मूल्य ही नहीं मिलेगा। तो जब राजस्थान की 76 प्रतिशत आबादी की क्रय शक्ति नहीं होगी, जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, 76 परसेंट ग्राहक की जेब में पैसा नहीं होगा तो न व्यापार होगा, न उद्योग होगा।

आज हालत है कि यह सरकार उन उद्योगपतियों के पक्ष में इस बजट के माध्यम से खड़ी है। जो रूग्ण उद्योग हैं उनके खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी गयी है, लेकिन जो मजदूर उन रुग्ण उद्योगों के कारण अपनी रोजी-रोटी गंवा चुका है, एक नया पैसा उसके लिये नहीं है। जो उद्योग चल रहे हैं उनमें मजदूरों के अपने अधिकारों के लिये कटौती की जा रही है, उनके लिये अगर मांग उठाएंगे तो राजस्थान सरकार का पुलिस प्रशासन धारा 144 लगाकर जो अधिकार उन्होंने 50-55 साल में लड़ कर प्राप्त किये हैं, उसको भी गैर कानूनी घोषित कर देगा। मजदूर अपनी यूनियन के माध्यम से, एकता के माध्यम से मैनेजमेंट से अपना हक ले सकें, इसके लिये राजस्थान की सरकार उस आम मजदूर के पक्ष में खड़ी न होकर मैनजमेंट और सेठ के पक्ष में खड़ी होगी। तय रूप से जब तक राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता, किसान और मजदूर के हक में हम खड़े नहीं होंगे, हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में नहीं जाएगा, कुछ मुट्‌ठी भर लोगों के लिये होगा। हमारे बजट और सरकार की प्रायोरिटी में राजस्थान के ग्रामीण, शहरी मजदूर और गरीबों की बरबादी नहीं होगी। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान के डिवीजनल हैडक्वार्टर्स को सुन्दर बनाने के लिये ए.डी.बी. से 2318 करोड़ रुपये आएंगे।

(श्री अमराराम)

सुन्दर होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी राजस्थान की जनता को सुन्दर बनाना है या जयपुर को सुन्दर और हैरिटेज होटल बनाकर आर.टी.डी.सी. जो कहे उसको प्रोत्साहन देने की है? सुन्दर जयपुर या जोधपुर बनने से राजस्थान सुन्दर नहीं बन सकता। सभापति महोदय, राजस्थान की करोड़ जनता की जेब में पैसा होगा, खरीददारी होगी तभी राजस्थान खुशहाल हो सकता है, सुन्दर हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार की प्रायोरिटी यह है कि वह डिवीजनल हैडक्वार्टर्स को हैरिटेज सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाएगी। आम गरीब के लिए जो राशन व्यवस्था थी, हिन्दुस्तान की सरकार ने वह राशन व्यवस्था समाप्त की। अब केवल बी.पी.एल. परिवार के अलावा राजस्थान का कोई गरीब जो बी.पी.एल. परिवार में चयनित नहीं हुआ, जो मजदूरी करके रोजी-रोटी कमाता है, उसको राशन में गेहूं नहीं मिलेगा, राशन में चीनी नहीं मिलेगी, केवल केरोसीन तेल मिलेगा। प्रदेश की सरकार इस बात के लिए चिंतित नहीं है। उसमें भी किस तरह से लूट मचाई जा रही है कि राशन कार्ड पर राशन नहीं है। राशन कार्ड पांच रुपए में मिलने के आदेश राज्य सरकार से निकलते हैं, जिला कलक्टर आदेश भेजता है, आप आश्चर्य करेंगे, आपकी विधान सभा क्षेत्र से मिलते हुए नीमकाथाना में एक राशन कार्ड के 90 रुपये लिये जा रहे हैं। 65 रुपये राशनकार्ड के लिये हैं। राशन कार्ड में राशन नहीं होगा, वह केवल जाति, निवास प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक सबूत होगा। 85 प्रतिशत जनता को उस राशन कार्ड से राशन की एक छटांक नहीं मिलेगी। 5 रुपये में मिलने वाला राशन कार्ड 90 रुपये में मिलेगा। जो गरीब और फटेहाल है उसकी जेब पर और डाका डालने का काम हम कर रहे हैं।

परिवहन के बारे में कहना चाहूंगा कि आम जनता जिसमें ट्रैवल कर रही है उसके लिए हमारे बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। आज अभी बहस हो रही थी कि राजस्थान रोडवेज 565 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में राजस्थान का खजाना भरती है। लेकिन आम जनता जिसमें चलती है, हम एक नया पैसा इस बजट के माध्यम से उसकी सुविधा के लिए देने को तैयार नहीं है। क्या हालत है, आप और हम तो चलते नहीं हैं। इस राजधानी में जिसको हैरिटेज सिटी बना रहे हैं, आम पब्लिक मिनी बसों से, प्राइवेट बसों से चलती है। आपने पल्ला झाड़ लिया कि सिटी बसें घाटे में हैं इसलिए नहीं चलायेंगे। इस शहर की अधिकतर आबादी जिस तरह प्राइवेट मिनी बसों से चलती है, शायद उतनी भेड़ और बकरियां भी उस बस में नहीं आ सकतीं जितना लोगों को उसके अन्दर ठूंसते हैं। उनको जो परेशान करते हैं, उनकी जो बेइज्जती

(श्री अमराराम)

करते हैं, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? जयपुर की 70 प्रतिशत आम जनता इन मिनी बसों के द्वारा अपने कार्यालय से घर तक जाती है, उसके लिए हमारे पास एक नया पैसा नहीं है। धनवान लोगों की कारों पर कहीं दचका नहीं लगे, कहीं उसको झटका नहीं लगे इसके लिए जयपुर में सड़कें सुन्दर बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होगा। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर को सुन्दर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, लाइन बिछाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो अपना पसीना बहा रहा है, उस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक पैसा भी बजट से हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो कुछ खर्च करते हैं वह घाटे के नाम पर हमने छोड़ दिया कि ये मिनी बसें ही जाएंगी।

आज यही हालत गांवों की है। सभापति महोदय, आप तो खुद गांवों से आते हैं। आज से 40 साल पहले की बस होंगी, 32 सीटें होगी और 132 सवारी उस बस में जाएंगी। जब वह एक्सीडेंट होगा तो 50 लोग एक साथ मारे जाएंगे। हम इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि 75 प्रतिशत ग्रामीण जनता 32 सीट पर 132 जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के बजट में हम आम जनता जो इस राजस्थान को खुशहाल बना सकती है, उसको छोड़कर बड़े-बड़े सेठों की ओर, प्रवासियों की ओर देखेंगे जो राजस्थान में जन्मे हुए हैं, चाहे वह बजाज हो या दूसरे हों। मेरी पंचायत में, मेरे ही गांव में जन्म कर गये हैं। आपके यहां झुंझुनूं में बिड़ला हैं, लेकिन उद्योग वहीं लगेगा जहां मुनाफा होगा। और किसी बात से उनको कोई प्रेम नहीं है। राजस्थान की 6 करोड़ जनता जो खेत में पसीना बहा रही है, जो कारखानों में पसीना बहा रही है, अगर हम उसको साथ लेकर उसका विश्वास जीतकर राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ही तय रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा। हम यह आशा करें कि बिड़ला आएगा, राहुल बजाज आएगा और राजस्थान को खुशहाल कर देगा तो उनकी चार पीढ़ियां यहां पैदा हुई हैं वे खुशहाल करने के लिए नहीं हैं, वे अपने मुनाफे के लिए पूंजी लगाते हैं और जहां जितना ज्यादा मुनाफा होगा, पूंजी वहीं जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। अभी लक्ष्मण सिंहजी कह रहे थे कि औद्योगिक विकास में पीछे रह गये हैं उनको हम आगे लाने के लिए योजना बनाएं। अब तो सब खुला कर दिया, केन्द्र सरकार ने खुला कर दिया और राजस्थान की सरकार भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है। कल केन्द्रीय विद्युत मंत्री जी आये थे, हमारे राजस्थान के मंत्री और मुख्य मंत्रीजी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जनता के बीच में आप जाएंगे उस दिन पता लगेगा कि उन तारीफों का करन्ट उनको लगा या सुरेश प्रभु को लगा। जिस तरह से बिजली

(श्री अमराराम)

के नाम पर आपने लूट मचायी है, विजिलेंस के नाम पर मचायी है, कह नहीं सकते। अभी चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरी समझ में सबसे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान को चीट करने का काम राजस्थान की इन कम्पनियों ने, हमारे विद्युत मंत्री जी ने किया है। जिस तरह से इमरजेंसी के 19 महीनों में फैमिली प्लानिंग का कोटा देकर आम जनता को पीड़ित करने का काम किया था, आज उसी तरह से विजिलेंस का कोटा और उसमें हिस्सा उन बिजली के अधिकारियों को देकर राजस्थान की आम जनता की, गरीब की जेब काटने का काम इन कम्पनियों ने किया है। अभी आया कि राजस्थान के जो गिने-चुने 500 या 700 उद्योगपति हैं उनमें जो 200 करोड़ रुपया बकाया है, उनसे वसूल नहीं किया जाएगा, उन्होने रोजी-रोटी के लिए उद्योग नहीं लगाया है। 200 करोड़ रुपया इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने अपना घर चलाने के लिए उद्योग लगाया है। तय रूप से उद्योग लगने चाहिए, राजस्थान का औद्योगिक विकास होना चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसा है वे क्यों 200 करोड़ रुपये हमारी बिजली कम्पनियों को नहीं दें? अपना घर चलाने के लिए जो आज की तारीख में टयूबवैल से और बिजली से खेती कर रहे हैं, वे मुनाफा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह उसके परिवार का, उसके पशुओं का काम चल जाए, अकाल पड़े तब उसको हजारों रुपयों का कर्जदार नहीं होना पड़े उसको पशु छोड़ने नहीं पड़े इस बात के लिए लेता है और हम उसका अर्थ लगाते हैं कि कोई भी रेट हम मांगें वह राजस्थान का किसान देगा। जो 14 साल से इंतजार में है, जिसने 14 साल पहले कुआ खोदा, अगर उसकी गणित लगाएंगे तो 50 हजार में कुआं खोदा उसका 4 लाख हो गया। पर उसको हम इंवैस्टमेंट नहीं मानेंगे। किसान जो इंवैस्टमेंट करेगा, सरकार की नीयत है कि यह किसान तो कहीं छोड़कर जा नहीं सकता। हम राहुल बजाज और बिड़ला को सुविधा देंगे तो वे औद्योगिक विकास करेंगे। लेकिन राजस्थान के करोड़ों किसान जो राजस्थान को विकसित देखना चाहते हैं, खुद को और राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सहायता करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी आप पत्र निकाल रहे हैं, इस बिजली की जो लूट मचायी है, इसके प्रचार माध्यम से छूट लेना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली के नाम से लूट है, किसान ने इस अकाल का मुकाबला किया है। एक-एक खेत से, गांव से अकाल को भगाने का काम इस बिजली के माध्यम से हुआ है। उसके लिए प्रोत्साहन मिलने के बजाय उसकी नाड़ काटने का काम किया है। तर्क लगाये जा रहे हैं कि अंडरगाउंड वाटर नीचे जा रहा है।

(श्री अमराराम)

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बजट राजस्थान की खुशहाली के लिए लगे, कुछ लोगों के लिए नहीं लगे। कुछ लोगों को सुंदर बनाने के लिए, कुछ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फोटो छपवाने के लिए नहीं खर्च हो। राजस्थान के गरीब की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता है या नहीं है, वह नहीं आ सकती। शिक्षा में जिस तरह से अभी किया है कि जो गांव में प्राइमरी एजुकेशन है उसमें परमानेंट टीचर नहीं होगा, पैराटीचर होगा । प्राइमरी वालों को मिडल में करेंगे, मिडल वालों का सैकण्डरी में करेंगें। और नीचे से वे बारह सौ रुपए के टीचर । सरकार चाहती क्या है? कि 80 प्रतिशत जो ग्रामीण प्रतिभाएं है वे यहां तक नहीं आ जाएं। आगे तक नहीं आ जाएं। शेयर नहीं कर लें। सभापति महोदय, अभी तो वह इसलिए लगा हुआ है कि उसको अभी झुनझुना लटका रखा है हमारे मुख्य मंत्री जी ने कि थोड़े दिन के बाद में हम परमानेंट कर देंगे। परमानेंट जब तक नहीं करेंगे वह सामना करने के लिए नहीं आएगा। दो साल के लिए ग्राम सेवक लगाये थे, जब वे विधान सभा के सामने आये, परमानेंट तो बाद में किया

(16.00 बजे)

पहले उनको लाठी दी। जो 29 हजार पैराटीचर्स और शिक्षा सहायोगी है उनका ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी है। उसका समाधान करने की ओर हमारे बजट में दो शब्द नहीं हैं, उस ओर हमारी कोई चिंता नहीं है। जिस तरह से बेरोजगारी है, सभापति महोदय, उसी का नतीजा है कि कोटा में दो सौ जवान भर्ती करने हैं फौज में और 50 से 60 हजार जाते हैं । वे फौज में तो भर्ती नहीं होते पर अस्पताल में लाठी खाकर जरूर भर्ती होते हैं। हमारी सरकार ने उनकी बेरोजगारी का बेवजह फायदा उठाकर 40 रुपये रोज कहे कि आपको परमानेंट करेंगे। कब करेंगे, क्यों करेंगे, यह तय नहीं है। हमें राजीव गांधी पाठशालाओं से कोई परेशानी नहीं है, सोनिया गांधी के नाम से और स्कूलें खोल दीजिये हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाला तो कम से कम वहां पूर्णकालिक आप लगाइये। उनके साथ मजाक कर रहे हैं। घूघरी बांट रहे हैं, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो राशन केन्द्र सरकार ने समाप्त किया है, राजस्थान सरकार वाकई में उन गरीबों के लिये चाहती है तो अपने बजट से उस राशन से गरीबों की मदद करे।

अभी राजस्थान में खाद्यान्न आ रहा है, बहुत कम कीमत पर किसान का बिकेगा लेकिन उस गरीब के पास में पूरे साल भर का खाद्यान्न खरीदने के लिये पैदा नहीं हो सकता, कितना ही सस्ता हो जाए। बाजरा 250 से 300 रुपये

(श्री अमराराम)

तक बिका, लेकिन उस गरीब के पास साल भर का बाजरा खरीदने के लिये स्थिति नहीं हो सकती। वही बाजरा जो 250 रुपये से 300 रुपये में बिका, आज 500 रुपये में बिक रहा है। गेहूं अभी 620 रुपये समर्थन मूल्य है, उससे नीचे बिकेगा। लेकिन उस गरीब की हैसियत नहीं है कि वह साल भर तो छोड़िये, एक महीने का भी खाद्यान्न खरीदकर अपने घर ले जाए। आदिवासियों की तो और भी हालत खराब है, वह मक्का जो तीन महीने की पैदा हुई, उसको बेच कर वह अपनी बीमारी के काम में लेता है, वह जाने के लिये किराये के लिये काम लेता है। वह अभी बेचेगा लेकिन 15 दिन के बाद में वापस उसी मक्का को जो ढाई रुपये किलो में उसने बेची पांच रुपये किलो में वही मक्का उसी दुकानदार से खरीद गांव में लाएगा। लेकिन उसके लिये हम चिन्तिन नहीं हैं। राजस्थान में सबसे गरीब आदिवासी की हालत यह है कि और अकाल हो या नहीं हो, कई सौ करोड़ रुपयों से नेशनल हाईवे फोर लेन बन रहा है लेकिन एक मजदूर को काम नहीं। सभापति महोदय, काम नहीं मिलने, घर में कुछ नहीं होने के कारण वह भूख से मरने की स्थिति में है और जब भूख से मरेगा तो हमारे मंत्रीजी खड़े होकर कहेंगे कि वह तो बीमार हो गया, क्योंकि कोई भूखा ही होगा तो तय रूप से बीमार भी होगा। यह तो नहीं है कि भूख से आज मरा और बीमार कल हुए पहले ही स्वर्ग पधार गया, वह खतम हो गया। आज राजस्थान के आदिवासियों की हालत इतनी बदतर है कि उनके राशन की व्यवस्था नहीं। इसलिये राजस्थान में आम गरीब जिसने आपको वोट देकर इस भारी बहुमत से सत्ता में बैठाया, उसकी आस और आस्थाएं टूट गयी हैं। बड़ी सादड़ी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपका बजट सत्ता के चारों ओर घूमने वाले 20 प्रतिशत लोगों के लिए है। मीडिया के लिये भी है, वह सरकार के लिये भी है, नेताओं के लिये भी है। लेकिन वह 80 प्रतिशत जनता जिसने वोट देकर आपको-हमको यहां भेजा है, अगर इस बजट का हिस्सा उन तक नहीं जाएगा, उनके लिये तो इस विधान सभा और बजट का कोई मकसद नहीं होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उन 80 प्रतिशत लोगों की तरफ इन सेवाओं का, इस बजट का भाग जाना चाहिये। इस आशा और विश्वास के साथ, सभापति महोदय, आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, मेरी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2002-2003 के बजट प्रस्तावों का समर्थन करने के साथ अपने विचार, सुझाव आदि प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। किसी भी सरकार का बजट उसकी नीतियों की प्रतिबद्धता एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का दर्पण दिखाता है। निःसंदेह एक कल्याणकारी संकल्प को समेटे नयी दिशा-दृष्टि देने वाले बजट के रूप में यह बजट प्रस्तुत हुआ है और राजस्थान के वित्तीय संसाधनों की स्थिति भी इस बजट से स्पष्ट होती है। खुली किताब की तरह माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया है। राज्य आर्थिक संकट के दुर्गम रास्ते से गुजरता एक चौराहे पर खड़ा है और फिर इसमें केन्द्र की सरकार से केन्द्रीय बजट से हमारा जो हिस्सा करों के रूप में या अन्य योजनाओं के रूप में आता है, उसमें भी इस बार जो कटौती हुई है वह एक तरह से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर बड़ा भारी प्रहार है। इस स्थिति से उबारने के लिये हमको रचनात्मक सुझाव देने होंगे कि राजस्थान के आम-अवाम को हम किस तरह उत्पादन के कार्यक्रमों के साथ, रोजगार के कार्यों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यह सोच और चिन्तन बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रदेश की प्रगति सौहार्द, सद्भाव एवं सहिष्णुता के आधार पर हो सकती है और इस मामले में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जो प्रयास किये हैं विपरीत परिस्थितियों के बीच में, संसाधनों के अभावों के बीच में, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। किन्तु हमको इससे संतोष नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में आने वाले समय में किस प्रकार आधारभूत ढांचा बने, उसके लिये प्रयास करने की, संसाधन बढ़ाने के प्रयासों की महती आवश्यकता है। इस सरकार ने अपने इस बजट के माध्यम से आधारभूत ढाचे को मजबूत करने के लिये कुछ संकेत दिये हैं, उन संकेतों में हैं सड़कों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास और ऊर्जा के सुधार कार्यक्रमों के साथ उत्पादन बढ़ाने वाले सुनियोजित कार्यक्रम इसके साथ-साथ राज्य में पर्यटन नीति इस प्रकार बनाने का प्रयास किया है जिसके आधार पर राजस्थान के बाहर से अधिक पर्यटक आएं और पर्यटन के स्थलों का समुचित विकास हो। यह मोटे तौर से सारा कार्यक्रम रहा है।

इसके साथ-साथ इस कल्याणकारी सरकार का यह ध्येय भी रहा है कि सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। बावजूद इसके कि भारत सरकार के पास हमारे प्रदेश के ऐसे कई गम्भीर मुद्दे और मसले लम्बित हैं जिनके माध्यम से राजस्थान न केवल संसाधनों का विकास कर सकता है वरन् उसका ढांचागत विकास भी काफी सम्भावित है। उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश की जल योजनाएं, विद्युत योजनाएं, खनिज,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पैट्रोलियम, सामाजिक सेवाएं, कल्याण, उद्योग, सड़कें, पुल ऐसे अनेक मामले वर्षों से वहां लम्बित हैं। यदि ये मामले और मुद्दे तय हो जाते हैं तो राजस्थान को गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हों, राजस्थान की जनता ने किसी भावना के साथ वहां निर्वाचित करके हमें भेजा है। केन्द्र में 23-24 दलों की सरकार है और उस सरकार में सबसे प्रमुख भाजपा के लोग हैं उनका यह दायित्व बनता है कि प्रदेश की लम्बित जो अनेक योजनाएं हैं उनको किसी भी प्रकार से पास कराने में रूचि लें जिससे राजस्थान तेजी से आगे बढ़ सके।

आज भी राजस्थान पर कर्जे की बात बहुत कही जाती है और यह सही बात भी है कि कर्जा बढ़ना कुलमिलाकर अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, मजबूरी है। प्राकृतिक आपदा से जूझता राजस्थान जिसको पिछले दो वर्षों में ही 1,001.78 करोड़ रुपये का कर्जा करना पड़ा है। भारत सरकार इन विषम परिस्थितियों के बीच में सारे देश की संघीय व्यवस्था के आधार पर हालात को देखकर जितनी आवश्यकता और अपेक्षा थी उस ओर उदारता से योगदान देने में काफी पीछे रही है और इस स्थिति में मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है राजस्थान की जनता को, राजस्थान के पशुपालकों को जिन्दा रखने के लिए। ये कर्जे वाली बात बार-बार कहते हैं, जब उधर का राज होता है तब कहते हैं कर्जा हमने विकास के लिए लिया, कर्जा हमने राजस्थान की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए लिया, कर्जा हमने राजस्थान की ढांचागत आवश्यक जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लिया। और इधर का राज आता है तो उसकी आलोचना हो जाती है। इसलिए इन सब बातों पर हमें गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। राजस्थान में संसाधन बढ़ाने के मामले में काफी प्रयास किस प्रकार किये जा सकते हैं उनके रचनात्मक सुझाव आने चाहिए।

मेरी दृष्टि से राजस्थान में विपुल खनिज सम्पदा है। यह सर्वेक्षण के आधार पर भी आता है और वैसे भी हमारी जानकारी है, सब लोग घूमते हैं, देखते हैं कि खनिज के मामले में राजस्थान काफी आगे बढ़ सकता है। यदि भारत सरकार के पास खनिज के कोई नियमों में परिवर्तन करने के मामले हों, कोई दूसरे मामले भी हों, पैट्रोलियम वाला मामला भी है, रिफाइनरी वगैरह बढ़ सकती हैं, राजस्थान में हमारे पास भण्डार हैं, तो उन मामलों का निपटारा करना चाहिए जिससे कि राजस्थान के स्थायी संसाधन बढ़ सकें। इसके साथ-साथ पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है, राजस्थान में बेरोजगारी की बात आती है वह उससे मिट सकती है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

अभी थोड़ी देर पहले कहा गया राजीव गांधी स्कूलों के लिए। मुझे पता नहीं राजीव गांधी नाम से नाराजगी है या इन स्कूलों के मामले में है। हम लोग गांवों में रहते हैं, हमारे पास मजरे और ढाणियों के लोग आकर हमें बराबर विवश करते रहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे यहां स्कूलें खोली जाएं। इस बात से वे बहुत प्रसन्न हैं कि राजस्थान में आठ लाख बालक-बालिकाओं का इन राजीव गांधी स्कूलों के माध्यम से स्कूलों में जाने का काम हुआ है। 1200 की बात बार-बार करते हैं। अब अलग-अलग स्थितियां हैं। एक ओर गांवों में बेरोजगार युवक 1200 में काम करने को तैयार बैठा है, वह काम कर रहा है, उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं और आप और हम उसको हतोत्साहित कर रहे हैं उत्साहित करने की बजाय। मैं कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार ने राजस्थान से प्रेरणा प्राप्त की है और शिक्षा गारंटी योजना राजस्थान में राजीव गांधी स्कूलों के माध्यम से आरम्भ की है। इसलिए जैसा मैंने कहा, नाम से आपको भले ही नाराजगी हो सकती है मगर राजीव गांधी विद्यालयों से छोटे-छोटे गांव और ढाणियों में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आयी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके यहां भी खुले हैं और आपके यहां स्कूल भवन भी शायद बने हैं। साथ-साथ इतने भवन भी एक साथ बन चुके हैं। इधर विद्यालय खुला उधर स्कूल भवन बना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई अच्छे काम होते हैं तो उन अच्छे कामों को हमें स्वस्थ परम्परा से स्वीकार करने की आवश्यकता है।

यह सही है कि पिछले कुछ कारणों से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला रहा हो, बिजली के उत्पादन का मामला रहा हो, पानी की कमी रही हो या कुछ नीतियों में कमी रही हो, राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफी गतिशीलता समाप्त-सी हो गई है। राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में।

(16.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कृषि के क्षेत्र में अनेक उद्योग काफी विकसित हो सकते हैं और इस दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एक महत्ती आवश्यकता है। जो औद्योगिक क्षेत्र पहले बने उनमें लगभग सारे ही उद्योग लग चुके। बहुत कम जगह भूखण्ड उपलब्ध हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी, बड़े कस्बों में भी औद्योगिक क्षेत्रों का ज्यादा विकास हो जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोग गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर अपना काम बढ़ा सकें। इसके लिए हमको खास तौर से सोचने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से यह

(श्री रतनलाल ताम्बी)

निवेदन है कि जहां कहीं भी उपलब्ध हो सके इस तरह के नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाएं ताकि आने वाले समय में लोग रोजगार की तरफ बढ़ सकें, यह बहुत आवश्यक है।

इस सरकार ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि सूचना के अधिकार के आधार पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे इस परिकल्पना के साथ राजस्थान में सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की है। यह कदम सराहनीय है, किन्तु हमको इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि उसका क्रियान्वयन और उसकी समीक्षा हो कि उससे कितना लाभ हो पा रहा है। जिस सोच के साथ इसको स्थापित किया गया है उसी सोच के साथ इसे क्रियान्वित होते देखना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं इस दृष्टि से कुछ सुझाव कुछ माननीय सदस्यों ने दिये थे कि हमारी नीतियां अच्छी हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, पर क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है इसको समय-समय पर देखने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की पिछली सरकार ने भी कुछ काम किये हैं, वर्तमान सरकार ने उसको और आगे बढ़ाया। यह मान कर कि बिना शिक्षा के राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता, अनके प्रकार के शिक्षा में परिवर्तन किये। उसमें तेजी लाने का प्रयास किया तो उसको एक नयी प्रयोगशाला बता दिया गया। जब नये कार्यक्रम आप शुरू करेंगे तो वह कार्यक्रम तो प्रयोगशाला के रूप में ही लगेंगे। पर उसकी उपलब्धियां कैसे रहती हैं उसका मूल्यांकन करके आगे बढ़ेंगे, यह हमारी सोच होनी चाहिए। अभी यह मानकर हम इस ओर बढ़ रहे हैं। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जितनी इस साल आशा और अपेक्षा की जा रही थी और जितना राजस्थान ने साक्षरता के स्तर को बढ़ाया और देश में उसकी सराहना हुई उसकी अपेक्षा बजट प्रावधानों में मेरे हिसाब से कमी नजर आती है। गत वर्ष भी सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल, कालेज, उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये थे। हम सबको, राजस्थान की जनता को यह उम्मीद थी कि इस वर्ष उनके व्यापक प्रावधान होंगे। वित्तीय संसाधनों की कमी है, लेकिन हमें राजस्थान को 2004 तक साक्षर बनाना है और शिक्षा को राजस्थान में व्यापक रूप देने का संकल्प हमने जाहिर किया है। आज भी ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर उच्च शिक्षा की या कालेज शिक्षा की महत्ती आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र के 600 बालक आज दूर-दूर तक पढ़ने जाते हैं। संसाधनों की कमी हो सकती है लेकिन यदि हम ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कालेज बहुत दूर हो और जहां बहुत ज्यादा छात्र उपलब्ध हों वहां कुछ कालेजों का प्रावधान रखना

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जरूरी था। लेकिन इसमें कहीं नहीं रखा गया। हमारे क्षेत्र जहाजपुर जैसे अन्य और भी कई क्षेत्र राजस्थान में हैं, 10-15 कालेज राजस्थान में हर साल रखे जाने चाहिए ताकि राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बैकलाग बढ़ रहा है, जो विषमता है वह समाप्त हो सके। इसी तरह हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों की भी बड़ी कमी है। सोच तो यह रहे थे कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में सैकण्डरी स्कूल हो जाएगा। अभी भी हर क्षेत्र में 15 से 20 के बीच में सैकण्डरी हैं। पंचायतें 35 और 40 के बीच में होती हैं एवरेज। तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारा एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सैकण्डरी स्कूल से, 3-4-5 पंचायतों के क्षेत्र को मिलाकर हायर सैकण्डरी स्कूल से हम जोड़ें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी नजर आती है उसको दूर किया जा सके।

पेयजल की समस्या राजस्थान में गम्भीर होती जा रही है। आज मैने 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करके अनुरोध किया था कि भीलवाड़ा जिले में बनास नदी के दोनों किनारे लगभग सवा सौ किलोमीटर तक सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो फलोराइड से, खारे पानी से और जल के अभावमय संकट से जूझ रहे हैं। बीसलपुर सिंचाई योजना बनी उसके कैचमेंट में यह सवा सौ किलोमीटर भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर जिले का सारा पानी जाता है। बीच के गांवों में न एनीकट बन सकते हैं, न बांध बन सकते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि बांध भरने के बाद कितना पानी आगे जा रहा है, चम्बल में उसका असैसमेंट करके जो सिंचाई योजनाएं छोटी छोटी हैं, एनीकट्स हैं उनको बनाये जाने के मामले में भी सोचा जाना चाहिए । यह बहुत आवश्यक है।

इसी तरह से इन क्षेत्रों में पेयजल का स्तर काफी नीचे चला गया। वहां के हैंड पम्पों की हालत देख लो, कुएं बावड़ियों की देख लो, एनीकट और तालाबों की हालत देखो। जैसे कोटा में बैराज बने हुए हैं , हर 15-20 किलोमीटर पर बनास नदी में भी बैराज बन जाएं, कुछ पिक-अप वीयर बन जाएं जिसके माध्यम से जगह जगह पानी रोक लें । बीसलपुर बांध भरने के बाद उनको रोका जा सकता है और उससे 4-5 तहसीलों के सैकड़ों गांवों में जो स्थिति गम्भीर हो गयी है वह रुक सकती है।

इसके साथ मेरा यह सुझाव भी है कि चम्बल नदी का पानी जो कोटा के बाद जा रहा है, उसको किसी तरह हम राजस्थान में रोके चाहे, पीने के लिए चाहे, सिंचाई के लिए। इसके लिए दूरगामी दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पानी संकट से ग्रस्त देश के 215 जिले जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें राजस्थान के 15 जिले भी हैं और उनमें दुर्भाग्य से भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिला वह जिला है जहां 4 से 15 मीटर पानी नीचे जा रहा है। भू-जल सर्वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रिपोर्ट है, उस आधार पर राजसंमद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, झुंझुनूं और कई राजस्थान के जिले उसमें शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान पर आने वाले इस भयंकर संकट का अभी से कुछ सोचे और चिन्तन करे और उसके लिए कोई योजना इस प्रकार की बनाए कि चम्बल का पानी भी हम किसी तरह उपयोग कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ राजस्थान में सिंचाई की बात है, उसकी योजनाएं बन सकती है। जो राजस्थान से बाहर पानी जा रहा है उसका राजस्थान में कैसे उपयोग हो सकता है, इन सारे मामलों का कोई मास्टर प्लान बने। अभी कल बड़ी चर्चा हो रही थी समर्थन मूल्यों की। यहां यह सब बात साफ होती जा रही है कि किसान की हालत खराब है, उसका लागत मूल्य भी उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसे बिजली की दरें भी प्रभावित कर रही हैं, उसको आज बहुत महंगे कुओं से पिलाई करनी पड़ती है दूर-दूर तक पाइप लाइनें जोड़कर और पम्पिंग सैट डीजल से चलाना पड़ता है। भारत सरकार के बजट ने भी इन हालात को और दुरुह बना दिया है। आपने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी तादाद में गैस पर, घासलेट पर, डीजल पर, पैट्रोल पर रेटें बढ़ी हैं। डेढ़ लीटर प्रति लीटर तक शायद मैंने तो मेरे जीवन में एक साथ नहीं सुना। एक साथ डेढ़ रुपया बढ़ना आम जनता पर प्रहार हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिजली की तो कहो ।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, हां, बिजली की भी कह रहा हूं।

श्री ललित भाटी : बिजली के लिए सुरेश प्रभु राजस्थान की बड़ाई करके गये हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : अब आप जब कह ही रहे हो तो मैं सुना ही देता हूं। राजस्थान विद्युत सुधार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुरेश प्रभुजी ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम में राजस्थान सही रास्ते पर चल रहा है और यदि विद्युत विकास कार्यक्रम में भी कोई राज्य सफल होता है तो वह राजस्थान है। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी, ऊर्जा मंत्रीजी और हमारे अधिकारियों की सराहना की और सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन भी राजस्थान में होना बताया है। राज्य में बिजली सुधार के कार्यक्रमों से लगातार प्रभावित होकर उनकी सराहना करते हुए उन्होने यहां तक क्लीन चिट

(श्री रतन लाल ताम्बी)

दे दी कि राजस्थान बिजली सुधार कार्यक्रम में अच्छा है औरं अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। यहां तक कहा कि राजस्थान में यदि बिजली सुधार के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव मिले तो वह भरपूर सहयोग करेंगे। यदि केन्द्र के विद्युत मंत्रीजी ने कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह आपको डुबोने के लिए और भी सराहना करेंगे। आपको अच्छी तरह डुबोने कि लिए और सराहना करेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह केन्द्र के विद्युत मंत्रीजी ने कहा है, प्रधान मंत्रीजी ने कहा है। राजस्थान का दुर्भाग्य यही है कि आप उसी पार्टी के यहां सदस्य हैं, यहां तो आप एतराज करते हैं और आपके भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्रीजी, अन्य मंत्रीजी शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी सराहना करते हैं। आपके और उनके बीच में देख लो क्या फर्क है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की तकलीफें हैं, मैं नहीं मानता कि हम बिजली के संकट से मुक्त हैं। यह सही है कि राजस्थान में उत्पादन का अभाव रहा, बिजली बाहर से लानी पड़ी।

श्री अमराराम (धोद): जनता बधाई दे रही है या नहीं, यह बताओ आप तो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं अब बता रहा हूं न आप बिराजो तो सही।

श्री अमराराम (धोद): लिफ्ट सिंचाई की रेट ठीक है ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह सारा जो ढांचागत सुधार राजस्थान में बिजली का हो रहा है यह तो निश्चित रूप से राजस्थान में आगे जाकर लाभ देगा, पर वर्तमान में जो संकट है उसको सुधारने की आवश्यकता है। आज खास तौर से मैं खुद प्रभावित हूं निवेदन करता रहा हूं बराबर कि हमारे भीलवाड़ा जिले में लगभग 5-6 दर्जन लिफ्ट सिंचाई योजनाएं अच्छी चलती थीं, वे बिजली दरों के कारण और पानी का स्तर नीचे जाने के कारण बरबाद हो गयी हैं और काफी बड़ी तादाद में कर्जा बढ़ रहा है। बिजली की रेटों में स्थाई सेवा शुल्क और उसके साथ सरचार्ज वगैरह अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के ऊर्जा मंत्रीजी ने आपको भी पत्र भेजा है, मुझे भी भेजा कि कई जगह से ये रेटें राजस्थान में कम हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में और वहां के आर्थिक हालात में, लोगों की स्थितियों में फर्क है, इसलिए स्थायी सेवा शुल्क मिनिमम चार्ज और उसके बाद सरचार्ज के मामले में सुधार की आवश्यकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कई जगह निःशुल्क भी तो मिल रही हैं किसानों को, उसका भी तो नाम लो आप। ज्यादा मिल रही है उनका बता रहे हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह विथड्रा कर ली कई जगह तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : कई राज्यों के किसानों को फ्री बिजली मिल रही है।

श्री रतन लाल ताम्बी : विथड्रा कर ली कई जगह।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहीं नहीं किया। पंजाब में मिल रही है, तमिलनाडु में मिल रही है ।

श्री रतन लाल ताम्बी : अच्छा, पंजाब का उदाहरण लें। पंजाब में फ्री बिजली मिल रही थी फिर भी वहां के किसानों ने और वहां की जनता ने चुनाव में नतीजा क्या दिया? यह है स्थिति, इसलिए कोई फ्री बिजली दे सकता है राज्य हमेशा। हम चाहे तो भी नहीं दे सकेंगे इसलिए ऐसी बात करना कोई लाभदायक नहीं है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि हम सारे मामलों में गम्भीरता से सोचें और राजस्थान में जो हालात हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : महंगी होनी चाहिए क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी : महंगी तो नहीं होनी चाहिए। मैं महंगी का कहां कह रहा हूं? पर वर्तमान हालात में जो सुधार की आवश्यकता है उसको हम कैसे ठीक कर सकें। राजस्थान में करीब एक हजार मेगावाट नयी बिजली का उत्पादन हुआ, इससे फर्क आएगा। पिछले सालों में उत्पादन तो हुआ नहीं और कनेक्शन देते चले गये, इसलिए संकट आया। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते आप? राजस्थान की सरकार ने 180 करोड़ की बिजली बाहर से लाकर और महंगी लाकर सस्ती दी, यह तो मानोगे कि नहीं मानोगे? यह सब गलत है? ये स्थितियां हैं, इनके बीच में सरकार जो कुछ कर सकी है वह मैं समझता हूं ठीक है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी आज 125 रुपया राजस्थान सरकार अपनी तरफ से देती है, 75 रुपया भारत सरकार देती है। उसमें राजस्थान के करीब 8 लाख व्यक्तियों को लगभग दो सौ करोड़ रुपये की पेंशन मिलना, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान की सरकार का सोच निश्चित रूप से अच्छा है। अब ऐसी कुछ योजनाएं हैं...

श्री मदन दिलावर : भारत सरकार जो पेंशन दे रही थी उसको भी आपने नहीं दिया है, दूसरे कामों में काम में ले लिया उस पैसे को।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, ऐसा नहीं है। 8 लाख व्यक्तियों को 200 करोड़ रुपया मिल रहा है, मैं तो यह जानता हूं। इस कार्यक्रम को राजस्थान की सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया। कुछ कमियां हो सकती हैं किसी क्षेत्र

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में, उनको ठीक किया जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हैं। मगर इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आज विधवाओं को, वृद्ध लोगों को, अपंगों को सहायता राजस्थान की सरकार की अच्छी सोच है। मेडिकेयर सोसायटी के माध्यम से पूरे राजस्थान के गरीबी रेखा से नीचे के चयनित परिवारों को दवाइयां मिल रही हैं। यह सही है कि जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पा रही होंगी कहीं, पर जितनी मिल रही हैं अच्छा है। तो कुछ काम अच्छे हुए हैं उनकी तो आप कहीं बात ही नहीं करते। सब होने के बावजूद भी कमियां हर राज में रहेंगी, हर व्यवस्था में रहेंगी उनके लिए हम रचनात्मक सुझाव दें और कमियों को निकालें। आपका उद्देश्य भी है कि राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान में रोजगार योजनाएं बढ़ें, गरीबी मिटे। यह उद्देश्य हर जन प्रतिनिधि का रहता है। (व्यवधान) यह भी अच्छी बात है। च्यवनप्राश दे रहे हैं, मजबूती के साथ आप परिस्थितियों का मुकाबला करो और रास्ता दिखाओ।

चिकित्सा के क्षेत्र में बीस साल में बहुत कुछ किया। जो पिछले सालों में नहीं हुआ है। सब सैंटर्स वगैरह बढ़ाने की बात मैं करना चाहता हूं। राजस्थान में कृषि के बाद सबसे बड़ा आधार है तो वह पशुपालन और डेयरी उद्योग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन के औषधालय, चिकित्सालय और सब सैंटर्स के लिए कुछ सुझाव आये होंगे, उनके आधार पर विचार किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के गांवों का समग्र विकास हो सके। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उनको तीसरी बार यहां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। हम ऐसा समझते थे कि तीन बार के अनुभव के पश्चात् राजस्थान का बजट कुछ दिशा लेकर होगा, इसमें कोई लक्ष्य होंगे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट के पेजेज में कमी नहीं आयी लेकिन इस बजट को पूरा पढ़ने के पश्चात् भी कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि बजट का अमुक प्रकार का लक्ष्य है और लक्ष्य के साथ-साथ इस बजट की कोई दिशा है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक ही दिशा और एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा ऋण लो। चार्वाक् ने कहा था– "ऋणम् कृत्वा घृतम पिवतृ, यावत जीवेत् सुखम् जीवेत्" ऋण लेवो, घी पीओ और जब तक जिन्दा रहो वो सुख से रहो। इस सरकार का लक्ष्य और सिद्धान्त केवल मुझे यह एक ही दिखता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट दिल्ली की केन्द्रीय सरकार और फोरेन लैंडिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ., ए.डी.बी. आदि संस्थाओं के सामने एक समर्पण है। इस समर्पण भाव से आपने बजट बनाया। आप विश्वास रखिये कि इस समर्पण के परिणाम बहुत बुरे होंगे। यहां अभी जिक्र कर रहे थे केन्द्रीय सरकार का। मैं आज केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, इसका हिसाब लगा लें कि राजस्थान के बजट में केन्द्रीय सरकार की सहायता का कितना अंश है और केन्द्रीय सरकार की सहायता नहीं मिलती हो और जिस समय मैं मुख्य मंत्री था उस समय केन्द्रीय सहायता इतनी नहीं मिलती थी। आज हर क्षेत्र में काम के लिए केन्द्रीय सहायता मिल रही है लेकिन अफसोस है कि उसी केन्द्रीय सरकार की आलोचना कर रह हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब श्रीमान ताम्बीजी ने प्रधानमंत्री और हमारे विद्युत मंत्री की प्रशंसा की। खुशी इस बात की है कि आज हमारे मंत्रियों के प्रमाण पत्र को लेकर उनकी फोटो मढ़वाते हो, कांच में उनको लगाते हो। मैं ऐसा समझता हूं कि एक अच्छी गति है, अच्छी समझ है। इसी प्रकार से आप +++ करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मैंने आपको निवेदन किया, यह केवल एक औपचारिक बजट है और इस प्रकार का बजट-बजट के रूप में नहीं, आप एक नोटिफिकेशन के रूप में पेश कर सकते थे। इस बजट में है क्या? कोई बात नहीं है सिवाय जो आपने एडिशनल रिसोर्सेज के कुछ प्रस्ताव रखे हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये गोपनीय हैं, बाकी इस सारे बजट में किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं है। अभी कल एक सदस्य बोल रहे थे, गोपनीयता का प्रश्न उन्होंने उठाया कि माननीय धारीवाल जी कोटा यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर वाकआउट कर गये या सदन में नहीं आये। यह उनकी पीड़ा है और सही पीड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, सही पीड़ा इसलिए है कि धौलपुर में इण्डस्ट्री आए उसके लिए तो टैक्स में रियायत कर दी जाए और कोटा में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है उसकी अवहेलना की जाए। मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा। कोटा में आज यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। वहां ओपन यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से जितना शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए वह स्तर सुधर नहीं रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे आपने धौलपुर के साथ रियायत की

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, आप कोटा का हक भी निश्चित रूप से दिलाएंगे और इसी बजट सैशन में इसकी घोषणा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि राज्य की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है। यह मैं नहीं कहता, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी किसी सम्मेलन में जाते हैं तो यह कहते हैं कि राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाया जाए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब जैसे नार्थ ईस्ट है या बाकी जो स्टेट्स हैं। तो सारा काम सरकार के पैसे से करते हैं और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आप रुपया मांगें, साधन मांगें, जहां से भी मिलते हों वहां से लें लेकिन भगवान की कृपा से इस राजस्थान को इतना नीचा न दिखाएं कि राजस्थान एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाए। यह बहुत बुरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहूंगा और निवेदन यह करना चाहूंगा कि आज इस सारे बजट की किस आधार पर तुलना की जाए। मैं तुलना करने के लिए इन्हीं के घोषणा पत्र का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वह घोषणा पत्र यह है– चौपट अर्थ व्यवस्था। और उसमें आपने लिखा है– "1989-90 में आंतरिक एवं भारत सरकार का ऋण व अन्य देनदारियां कांग्रेस के सत्ता छोड़ते समय 6026 करोड़ थी" जो भाजपा के शासन में आठ वर्षों में बढ़ कर 23.361 करोड़ हो गयीं। इस राशि पर 2210 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य को ब्याज चुकाना पड़ रहा है और यह राशि राज्य के कुल राजस्व का 50 प्रतिशत है। राज्य का वित्तीय घाटा भी करीब 3800 करोड़ रुपया सालाना है तथा राज्य की प्रति व्यक्ति पांच हजार रुपये की देनदारी है। राज्य के धनाभाव से विकसित विकास की गति ठप्प हो गयी है और वित्तीय संकट की गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है जिससे राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन चुकाने के लिए पैसे की कमी होने लगी है तथा इधर-उधर अन्य मदों से पैसा निकाल कर कर्मचारियों की तनखाह का भुगतान किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल बिलों, सरकारी ठेकेदारों के बिलों आदि का भुगतान तक राज्य सरकार ने लम्बे समय से रोका हुआ है जो कुलमिलाकर कई सौ करोड़ रुपया पहुंच गया है।" अब यह तो आप मानेंगे कि यह डाकूमेंट मेरा नहीं है, यह डाकूमेंट आपका बनाया हुआ है। इस डाकूमेंट की तुलना वर्तमान आर्थिक स्थिति से की जाए या वित्तीय स्थिति से की जाए तो आपको अपने आप ही अनुमान हो जाएगा कि इसके लिखने की आवश्यकता तो चुनाव के लिए आपको थी। लेकिन इसकी तुलना में आज आपने राजस्थान की वित्तीय स्थिति को कहां तक पहुंचा दिया है, इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर आपको विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा सी.ए.जी. की रिपोर्ट for the year ended 31 March, 2001. उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें आप चाहे नोट कर लें, पेज 27 पर पैराग्राफ 1.11.3 A decline in revenue and fiscal deficits during the year should be seen in the context of higher receipts by way of share of net proceeds of Union taxes and duties assigned to states and more non-plan grants to cover deficit on Revenue Accounts from the Government of India coupled with curtailment of Plan expenditure which was even less than the original plan size. Despite these additional receipts and borrowings taken from the Public Sector Undertakings etc. gross fiscal deficit could not be met fully which resulted in negative cash balance. Restructuring of RSEB into five companies instead of giving any relief to the State Government resulted in additional burden by way of advancing loans and advances to the extent of Rs. 235.31 crore during the year and stood guarantee for Rs. 840 crore. Implementation of the Rajasthan Fiscal Reforms Programme to improve the financial position of the State also did not yield any tangible results. This is evident from the fact that the State Government continued to resort to ways and Means Advances/Overdraft on 349 days.... 365 दिन में से 349 दिन आपने ओवरड्राफ्ट से वेज और मीन्स का एडवांस लेकर काम चलाया है। Implying that this facility from Reserve Bank of India was used more or less as a regular means of financing the State Government's expenditure. Resultantly, Government resorted to increase borrowing for meeting revenue expenditure and to repay the ways and means advances/overdraft taken during the year indicating that the State Government had used long term loans to repay short term loans. All this is bound to push up in future the already high interest burden, leaving very little for development expenditure. During the year the interest Payments increased by Rs. 514 crore (18 per cent) over the previous year and consumed 63 per cent of tax revenue. अब इन दोनों का मुकाबला कर लें तो आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। वह आपने जो एग्जरशन किया था और यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, इस सी.ए.जी.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की रिपोर्ट ने सारा कंक्लूजन निकाला है, यह कंक्लूजन है इस पैरेग्राफ में जो मैंने पढ़कर सुनाया है। इन कंक्लूजन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है।

अब इसके आगे और बताना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, आपका बजटिंग का सिस्टम क्या है। सी.ए.जी. बजट बनाने की प्रक्रिया पर किस तरह से कह रही है, यह पेज है 30. "During 2000-2001 original grant/appropriation of Rs. 19395 crore and supplementary grant of Rs. 8437 crore (43% of the original provision) was obtained. However, at the end of the year there was overall savings of Rs. 2565.57 crore. Cases of unnecessary/inadequate/excessive supplementary provisions, significant savings, persistent savings, unrealistic reappropriation of funds, expenditure without provisions, minus expenditure and non-surrender/excessive surrender of savings had also been noticed during scrutiny of Appropriation Accounts for the year 2000–2001 which is indicative of defective budgeting." इसका मतलब आप बजट भी नहीं बनाना जानते और बजट बनाकर रख दिया। इसलिए मैंने कहा कि आपने औपचारिकता पूरी की है। वास्तव में जिस तरह का बजट पेश होना चाहिए, आपने बजट पेश नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, अब इस आधार पर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि सरकार किस जगह पहुंची है।

मैं इतना कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हम कर्जे में चल रहे हैं। कर्जे के आंकड़े माननीय सदस्यों ने खूब अच्छी तरह से बताये हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लगभग 44000 करोड़ रुपये का कर्जा इस समय है और अगले एक वर्ष के अन्दर और डेढ़ वर्ष के अन्दर यह कर्जा 50000 करोड़ रुपये से ऊपर निकल जाएगा। मैं एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं कि आप कर्जा लें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप कर्जा ले रहे हैं विदेशी एजेंसियों से, आप कर्जा ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, आज कर्जा ले रहे हैं आई.एम.एफ. से, आप कर्जा ले रहे हैं जापान, जर्मनी, और यूरोपियन कंट्रीज से, आप कर्जा ले रहे हैं ए.डी.बी. से। आप इन सारे कर्जे की रेट्स देखें। जो नाबार्ड का कर्जा और हमारी बैंकों का कर्जा है, आपको सस्ती ब्याज दर पर मिल सकता है। ये तो लेते हैं 13 प्रतिशत, 13 प्रतिशत से भी ज्यादा लेते हैं। आप नाबार्ड से कर्जा ले तो नाबार्ड कम ब्याज पर कर्जा देगा। हमारे यहां बैंकों के पास लिक्विड फण्ड्स काफी हैं उनका यदि हम उपयोग करना चाहें तो कम ब्याज के ऊपर रुपया मिलेगा। लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं। मुझे ऐसा खतरा लग रहा है, माननीय वित्त मंत्रीजी, विदेशी कर्जे से कितने देश बरबाद हो रहे हैं। सारा लैटिन अमेरिका बरबाद हो गया। वहां सारा काम, जितने भी नैचुरल रिसोर्सेज थे वे हर तरह से धनी कंट्रीज जो पैसा देते हैं वे धनी देशों के पास चले गये। वहां बेकारी बढ़ी। वहां बेकारी का यह आलम है कि हर पढ़ा-लिखा आदमी कोई न कोई क्रिमिनल गैंग का सदस्य बना है। अपने यहां भी बेकारी बढ़ रही है। हम सब लोगों को एम्प्लायमेंट दे नहीं सकते और हम विदेशी कर्जा लेकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आपको विचार करना चाहिए, ऐसा न हो कि हम विदेशी कर्जे के दवाब में आकर लोगों की रोजी-रोटी की समस्या का समाधान नहीं कर सकें, हम लोगों के सामने इस प्रकार के साधन नहीं जुटा सकें। राज्य सरकार ने एक बार कहा था कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। रोजगार की व्यवस्था किस प्रकार से होगी कि कुछ लोगों को तो हम नौकरी में लेंगे और कुछ लोगों को बैंकों से कर्जा दिला देंगे ताकि वे इस प्रकार से काम कर सकें जिससे उनको रोजगार मिले, इस प्रकार की बात करेंगे। मैं वित्त मंत्रीजी, आपको चुनौती देकर कहता हूं, आप बता दीजिये, कितने बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार देने के लिए बैंकों से सहायता दिलाई है? क्या आपके सैक्रेटेरिएट में, सब जगह पर आपने व्यवस्था की है? इण्डस्ट्रीज के लिए वन विंडो सर्विस कर दी, बाकी के काम आपने सब कुछ कर दिये लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या सैक्रेटेरिएट में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में इस प्रकार की एजेंसी है जो एजेंसी उनके प्रोजेक्ट के आधार पर बैंकों से कर्जा दिलवा कर एक उनकी यूनिट खड़ी करा सके? इस प्रकार की आपने व्यवस्था नहीं की है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर यह नहीं हुआ तो, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं और मैंने हाउस में एक बार पहले भी कहा है, राजस्थान कोई गरीब प्रदेश नहीं है। इसको गरीब मानने वाले उनके दिमाग में बहम है, यह राजस्थान किसी प्रकार से गरीब नहीं है। राजस्थान में नैचुरल प्रोडक्ट्स इतने हैं कि अगर ईमानदारी से इनका दोहन हो और 10 वर्षों तक हम दोहन करके आगे बढ़ जाएं तो हिन्दुस्तान में सबसे प्रास्परस स्टेट यह राजस्थान होने वाला है। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, मुझे डर लग रहा है कि हम विदेशी कर्जे के दवाब में आकर, जैसे लेटिन अमेरिका का फारेस्ट चला गया, उनकी माइन्स चली गईं, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज थे, सारे के सारे पर बड़े-बड़े देशों ने कब्जा कर लिया। मुझे वहम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिए हो रहा है कि आपको जानकारी है, हमने कुछ कम्पनियों को इनके एक्सप्लोरेशन का काम दिया है। यह 1965 के पहले से चल रहा है, आज का नहीं है। 1965 के युद्ध में मैं खुद जब सीमा पर गया था तो गैस निकालने का फ्रैंच कम्पनी को काम मिला हुआ था। काम हुआ नहीं। काम हुआ नहीं तो उसको हटा दिया, दूसरे लोग आये। अब तक जितने भी नैचुरल रिसोर्सेज हो सकते थे, हम उनका उत्खनन ठीक प्रकार से नहीं करा पाये। यह मुझे खतरा लग रहा है कि इधर भारत सरकार कर्जे में दबी हुई, उधर राज्य सरकार कर्जे में दबी हुई है, इस कर्जे के कारण से हमको दबोच कर हमारे नैचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा नहीं कर लें। इसका इंतजाम आपको आज से ही करना पड़ेगा। इस आधार पर आपको इंतजाम करना पड़ेगा कि इस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सके।

दूसरा, मैं तो इतना कह सकता हूं कि आज चाहे कोई सड़क बने या नहीं बने, और कोई व्यवस्था आज हो या नहीं हो, सारी पूंजी इस नैचुरल रिसोर्सेज के उत्खनन में लगा दीजिये। इस सारी आय को निकालने के लिए निकाल दीजिये, राजस्थान से गरीबी अब से ही मिटना शुरू होगी और पांच वर्ष में हम धड़ाके से कह सकते हैं कि राजस्थान के मुकाबले में कोई स्टेट नहीं है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जाइये साउथ में, बैंगलोर की आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी है...(व्यवधान) मैं तो समझा नहीं क्या बोल रहे हैं।

श्री देवीलाल बैरवा : सड़कां पर इतना-इतना गड्ढा होग्या है जो उनको तो बन्द मत कराज्यो, निकलने का ही रास्ता नहीं रहा। गाड़ियां टूट-टट कर पड़ी रही जो उनको तो बनवा दीज्यो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है, आप भाषण में तो बोले नहीं। आप भाषण में तो बोले नहीं।

श्री देवीलाल बैरवा : बोला था। भाषण में बोला, कापी देख लीज्यो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, देवी भाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहता कि सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाएं और सड़कें नहीं बनाई जाएं। आपको इस बात की भी खुशी होगी और तारीफ करनी पड़ेगी। भारत सरकार की कि सड़क के काम में भारत सरकार ने आपको काफी धन दिया है। अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो। अपने हिसाब से तो आप सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। सड़क का उद्घाटन भी पहली ही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बार मैंने देखा सड़क शुरू होती है उद्घाटन करने के बाद। बल्कि एक मंत्री का जो उद्घाटन का सवाल नहीं, मैंने मरम्मत कराने के लिए जो डामर गर्म की जाए उसमें आग लगाते हुए फोटो देखी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम जो कुछ मिल रहा...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप फोटो दिखा दें, श्रीमन्। श्रीमन्, अगर आप फोटो दिखा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है, वह दिखा दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : लालसोट वाले मंत्रीजी से पूछ लें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परसादीलालजी हैं वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लालसोट के मंत्रीजी नहीं हैं, देख लेवें, उनसे बुलाकर पूछ लें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खण्डूरी साहब भी आ रहे हैं उद्घाटन करने। केन्द्र से खण्डूरी साहब भी उद्घाटन करने आ रहे हैं और सड़क की उद्घाटन की परम्परा आपके राज में डली। कांग्रेस ने बड़े-बड़े नेशनल हाईवे बनाये, कभी उद्घाटन नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टाइम बढ़ा दो, टाइम।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने लिंक रोड्स के उद्घाटन करवाये।

श्री संयम लोढ़ा : हमने तो फ्लाई ओवर का...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज में जब पाइप लाइन लगाई गई थी तो पाइपों की पूजा हुई थी, इसलिए इनको याद आ रहा है कि वह...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : गटर की पाइप लाइन डाली गई थी, उनके भी उद्घाटन हुए हैं, गटर की पाइप लाइन के भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिये। एक मिनट, माननीय, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि आप सड़क का उद्घाटन करें। खूब करिये, खूब शिलालेख हो जाएंगे...

श्री शिवनाथ सिंह : फोटो पर ही दिक्कत है, फोटो नहीं आनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, फोटो भी आनी चाहिए। मैं तो यह चाहूंगा कि यह सड़क का उद्घाटन करते वक्त आप लोगों को भी साथ लेकर जाएं तो आपकी भी फोटो आ जाए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कह इतना रहा था, सड़क-सड़क की बात कर रहे हो, तीन वर्षों में इन सड़कों के लिए आपने कितनी धनराशि खर्च की? अब सारा धन दिल्ली से मिला है और दिल्ली से मिला, अच्छा मिला, उद्घाटन करिये, सब कुछ करिये लेकिन भगवान की कृपा से एक बात देख लीजिये कि सड़क के बनाने में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। यह आपकी भी समस्या है, हमारी भी समस्या है। इसको यदि आपने रोक लिया तो जितना पैसा आपको मिल रहा है उससे हम बहुत कुछ काम कर सकेंगे। नई सड़कों का निर्माण हो सकेगा और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत हो सकेंगी। लेकिन इसमें यदि ऐसे ही चल गया जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अपने गांव गया था, गांव जाते वक्त मैंने देखा कि एक सड़क वाइडन कर रहे हैं हरमाड़ा के पास में। सुबह गया गांव और दूसरे दिन गया सीकर। सीकर से वापस आया तो लम्बा वह वाइडन करने का काम उसके ऊपर डामर बिछी हुई थी। अब यह सड़क कैसे बनती है, मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन कई बार विधान सभा के लिए सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए उसकी तकनीक को किताबों में पढ़ा है, इसके नार्म्स क्या हैं उनको देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि मैं पहले दिन गया उस दिन खड्डा खुदा हुआ और दूसरे दिन मैं शाम को सीकर से आया तो उस पर डामर बिछी हुई। तो मैंने पूछा कि भाई यह कौन सी तकनीक है कि जिसमें बिना सोलिंग के, बिना कंकरीट के, बिना काम्पैक्शन के सड़क इतनी जल्दी बन गई कि इसके ऊपर डामर बिछा दें? नतीजा यह निकलेगा कि कभी न कभी कोई बड़ा ट्रोला ऊपर से निकल गया तो वह टूटेगा और टूटते वक्त खुद भी टूटेगा, और लोगों को भी तोड़ कर मानेगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क का पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, मिलने का किसी भी प्रकार से कोई दुरुपयोग न हो, इस बात का ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करें। और इंतजाम एक ही है, उपाध्यक्ष महोदय। यह टैक्निकल लाइन है, हम इसको समझ नहीं सकते। आज मुझे कह दें कि मैं चैक करूं, मैं नहीं कर सकता। खेतसिंहजी को कहें तो कोई चैक नहीं कर सकते। इसके लिए आप तीन-चार एक्सपर्ट्स जो रिटायर्ड हों जिनका कांफीडेंस हो, जो आनेस्ट हों, उन लोगों की एक टीम बनाइये। वह टीम घूमती रहे, उसको चैक करे, खुदवाने की जरूरत पड़े तो खुदवाए और देखकर यह कहे कि यह काम ठीक प्रकार से चल रहा है। मैं यह समझ रहा हूं कि यह जो विदेशी कर्जा मिलता है, यह कर्जा आज मैं कह सकता हूं दावे से, जितना भी आपने रुपया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिया है इसमें केवल कंसट्रक्शन का वर्क ही चल रहा है, केवल कंसट्रक्शन। यह एक तरकीब है कि ऐसे काम पर यह पैसा नहीं लगाएं जिसके काम के कारण से रिटर्नस मिलने लग जाएं और जनता का स्थाई समस्या का समाधान हो जाए। जगह-जगह निर्माण कार्य। अब वे निर्माण कार्य इसलिए करा रहे हैं कि एक तो जिन लोगों की फैक्टरीज हैं उनका इंटरेस्ट है कि उनका माल बिकता रहे, उनको मिलता रहे और मिलता रहे तो उस व्यवस्था से चल रहे हैं। आप निर्माण कार्य करिये, आवश्यक हो वहां करिये लेकिन प्राथमिकता इस प्रकार के काम की नहीं हो जिनके रिटर्नस हमको इमीजियेटली नहीं मिल सकें। प्राथमिकता ऐसे कामों की हो जहां लोगों की जरूरत पूरी हो और ऐसी जरूरत पूरी हो कि जिसको पूरी करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम इस प्रकार के कामों पर पैसा खर्च करें उससे काम नहीं चलेगा।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को कि सरकार ने बजट तो बहुत बनाये, पिछले तीन वर्ष से हम भी देख रहे हैं, पर इस सरकार की कोई प्राथमिकताएं नहीं हैं। किसके ऊपर पहले पैसा खर्च किया जाए, किसके ऊपर दूसरे नम्बर पर खर्च किया जाए, तीसरे नम्बर पर कहा पैसा खर्च किया जाए, इस प्रकार की प्राथमिकताएं तय करेंगे तब जाकर काम चलेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं, मुझे खुशी है कि आपने प्राथमिकता के रूप में शिक्षा को लिया है। शिक्षा को लिया तो बहुत अच्छा किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी, राज्य में केवल 38 प्रतिशत लोग साक्षर थे। हमने कोशिश की और मैं आज अपने मुंह से कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने अपने शासन में पांच बातें प्रमुख रूप से रखीं और माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि मुझे चाहे कहीं भी आप ले जाओ, पांच बातों पर मैं निश्चित रूप से जनता को अपने संबोधन में संकेत किया करता था। पहला संकेत करता था प्राइमरी स्कूल में जाओ, पढ़ो। शिक्षा के ऊपर कितने भाषण दिये होंगे। मैं उतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं लेकिन शिक्षा के ऊपर मैंने लोगों को शिक्षित बनाने के लिए उनको प्रेरणा निश्चित रूप से दी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितनी व्यवस्था कर सकते थे वह व्यवस्था की। स्कूल खोलने की, किताबें, मुफ्त में देने की, यह सब प्रकार की बात की जिसका, और हिन्दुस्तान में हम सबसे आगे इस प्रतिशत के हिसाब से हो गये।

मैं उसी प्रकार से कहता पेड़ लगाने के बारे में, उसी प्रकार से मैं कहता था परिवार नियोजन के मामले में। परिवार नियोजन का मैं, उपाध्यक्ष महोदय, दावा तो नहीं करता लेकिन आज मैं कहता हूं, पहले यह कह देता हूं कि यह परिवार नियोजन हिन्दुस्तान में नहीं हुआ और किसी राज्य में नहीं हुआ तो आप यह मानकर चलें कि एक विस्फोट होगा और इस विस्फोट में न आप टिकेंगे, न हम टिकेंगे। यह परिवार नियोजन राज्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने नहीं किया तो इससे इतनी जबरदस्त अराजकता बढ़ेगी जैसे मैंने उदाहरण दिया लैटिन अमेरिका का, उस प्रकार की स्थिति बनेगी। और तीसरा मैं हमेशा कहता था, उस समय मैंने परिवार नियोजन के मामले में सार्वजनिक रूप से हर सम्मेलन में कहा कि श्री संजय गांधी ने जो पांच सूत्री का कार्यक्रम लिया था, इस पांच सूत्री कार्यक्रम का गुण दोष के हित में था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसमें इतनी एक्ससेज कीं कि इस कार्यक्रम का विड्राअल करना पड़ा। आज भी मैं कहता हूं, उसी संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर, मुख्य मंत्रीजी, आप लेते तो आप जितना भी कर्जा लेते हैं उस कर्जे का सदुपयोग होगा वरना कोई सदुपयोग नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप आलोचना तो जरूर करते हैं, मुझे उस आलोचना की चिन्ता नहीं है पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आपको यह विचार करना पड़ेगा कि हमने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया। इस स्थिति में आप यह लेकर चले कि राजस्थान की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह तय करें और प्राथमिकताओं के आधार पर एलोकेशन करें। एलोकेशन के आधार पर कम्प्लीशन हुआ या नहीं हुआ, उसको अपने एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस के द्वारा चैक करवाते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपके जमाने में क्या-क्या आपने रिकार्ड बनाये हैं। क्या रिकार्ड बनाये है? आर्थिक विकास दर को लगातार दूसरे वर्ष ऋणात्मक रखा।

(17.00 बजे)

1999-2000 में 1.38 व 2000-2001 में -8.84% रही, जबकि 1991 से 1992 तक और 1992 से 1998-99 के बीच राज्य की विकास दर 6.4% रही। अब इसके मुकाबले में आप नेगेटिव चले गये, माइनस में चले गये। यही आपकी उपलब्धि है क्या? यही आपने काम किया है कि राजस्थान की विकास दर 6.54 से नीचे नकारात्मक चली गयी? मैं समझता हूं कि सरकार की योग्यता-अयोग्यता और पैसों के उपयोग का सबसे बड़ा कोई मापदण्ड हो सकता है तो यह मापदण्ड हो सकता है कि आपकी विकास दर कितनी है। मैं इस सम्बन्ध में योजना आयोग का एक एब्स्ट्रेक्ट आपको सुनाना चाहता हूं। योजना आयोग के अनुसार—

"An interesting feature of the differences in performance among the states is that the popular characterisation of the so-called BIMARU states (Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan & U.P.) as a homogenous and backward group (a group originally proposed in the context of communities, its demographic behaviour and social audit) does not hold as far as economic performance is concerned.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Bihar & U.P. were undoubtedly poor performers in the 90s, growing much more slowly than the average. However, the other two members of the group, Rajasthan and Madhya Pradesh performed reasonably well. In 90s, the Madhya Pradesh growth actually accelerated compared with the previous decade. Rajasthan's growth rate was about the same but a very strong growth performance. It was substantially exceeding the average for all 14 states." जो 14 स्टेट्स की स्थिति नहीं थी वो राजस्थान की स्थिति बनी है और आज नेगेटिव ग्रोथ हो गयी है आपकी। नेगेटिव ग्रोथ हो गयी तो राजस्थान का डवलपमेंट क्या होगा, राजस्थान के डवलपमेंट के लिए तो आपके डवलपमेंट की चाहिए रेट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है कि मैंने अपने सात वर्ष के शासन में राजस्थान को बीमारू राज्य से निकाल कर हिन्दुस्तान के 14 राज्यों से ऊपर आर्थिक दृष्टि से पहुंचा दिया। गहलोत साहब, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और निन्दा भी करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान को नेगेटिव ग्रोथ में लाकर छोड़ दिया। यह राजस्थान के लिए अभिशाप है। यह आप चाहे कितनी ही चर्चा करें इन चर्चाओं से इसका समाधान नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, आप यह एस.डी.पी. की बात कर रहे हैं न? स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं न?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसको कंफर्म कर रहा था नेगेटिव ग्रोथ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दे देता हूं आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मेरे पास है इन टर्म्स आफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर है तो ठीक है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप घबरा क्यों रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं ये भी। ग्रोथ रेट और नेगेटिव कैसे बन जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या निकला? सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इसको आप देखेंगे कितनी हुई है 1996-97 में प्रचलित मूल्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर मैं स्थिर मूल्यों पर ही बता देता हूं, टाइम नहीं होगा। स्थिर कीमतों पर। 10.60, 1997-98 में 2.68, 1998-99 में 3.98, 1999-2001 में 1.38, 2000-2001 में 0.84....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अकाल का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे का?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अकाल का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है इसके अन्दर?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अकाल का कंट्रीब्यूशन आप अकाल की बात करोगे तो वह भी बता दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, मैं देखिये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं। ये गुलाब सिंहजी बैठे हुए हैं, यह जब भी मेरा जवाब देते थे तो एक बात कहते थे। जब मैं कहता कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है और यह दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता का कि अकाल पड़ा हुआ है तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बना रखा है उसमें कहते हैं कि 1993-94 में इतना अकाल, 1994-95 में इतना अकाल, 1995-96 में इतना अकाल, वह सारा अकाल। लेकिन, गुलाब सिंहजी, साहब आपको निवेदन कर दूं कि उस समय खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना हुआ यह भी आप देखते जाएं। वह क्यों था? यह क्यों किया? भारत सरकार से पैसा मिल रहा था उस भारत सरकार के पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए उसके लिए योजना बनी थी और उस योजना के आधार पर आप कहें कि अकाल में ही इस प्रकार अब स्थिति बन गई। कैसे बन गई? मुख्य मंत्रीजी तो रोज कहते हैं, गवर्नर एड्रेस में कहा जाता है, बजट में कहा कि नहीं कहा मुझे पता नहीं कि मैंने अकाल को विकास में बदल दिया। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता...(व्यवधान) अब कोई होगा लेकिन मैंने अकाल को विकास में बदल दिया। मैं इस हाउस में एक दिन डिबेट करवाऊंगा और आज मेरी चुनौती स्वीकार कर लें, आपने अकाल को विकास में नहीं बदला, आपने अकाल को और ज्यादा गम्भीर बना दिया। अब ऐसी स्थिति में आप नारे तो बहुत लगा देते हैं कि अकाल को विकास में बदला है, मैं, अकाल मंत्रीजी, आपसे ही कभी पूछूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अकाल मंत्री नहीं हूं, अकाल राहत मंत्री हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब से आप आये हैं अकाल ही अकाल पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। मैं जानबूझ कर बोला हूं, श्रीमान् अकाल राहत मंत्रीजी, मैं जानबूझ कर बोला हूं और जानबूझ कर इसलिए बोला हूं कि आप जब से पधारे हैं तब से अकाल ही पड़ रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : श्रीमान्, आपके राज के आंकड़े भी देख लें तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ही तो मैं कह रहा हूं न, वो जो इनके जवाब में आपके आंकड़े ही काम आते हैं। इन्होंने कहा अकाल का ध्यान नहीं रखा। अकाल तो आपके हिसाब से हमारे यहां भी बहुत पड़ा है। खाद्यान्न में बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकला। ये तो आपके पास आंकड़े बहुत हैं अभी इनको दे दीजिये कि क्या स्थिति थी और क्या स्थिति नहीं थी।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि अब ग्रोथ रेट यदि कम होती है तो यह देश के लिए दुर्भाग्य, राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, विकास कैसे होते हैं? विकास होते हैं योजनाबद्ध। जब 8वीं पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की बनी, 9वीं पंचवर्षीय योजना साढ़े सत्ताईस हजार करोड़ रुपये की बनी, 83% की वृद्धि हुई है, 83%। सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में 8वीं योजना के लिए और 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे एडीटोरियल्स लिखे हैं, इतने बढ़िया समाचार छापे हैं कि राजस्थान गरीबी, बेकारी और भुखमरी और पिछड़ेपन से मुक्त। इस प्रकार की बढ़ी हुई योजना के आकार से होगा। वो एक योजना हमने पूरी कर दी साढ़े ग्यारह सौ की थी...

श्री प्रद्युम्न सिंह : साढ़े ग्यारह हजार की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े ग्यारह हजार की वो लगभग 12 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अब 12 हजार करोड़ तक पहुंचने के बाद 9वीं योजना आयी और 9वीं योजना में मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन आपका सारा हिसाब-किताब देखने के बाद यह 19 हजार करोड़ रुपये में खतम हो जाएगी। 8 हजार करोड़ रुपये इसमें नहीं लगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान से बाहर अन्य किसी राज्य में चले जाइये वहां झगड़ा इस बात का होता है कि हमारी योजनाओं का आकार बढ़े और यहां झगड़ा इस बात का करना पड़ेगा कि हमारी योजना का आकार नहीं बढ़े। अब आप यह कहेंगे कि योजना के लिए ए.आर.एम. आपने नहीं छोड़ा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समय मैंने 8वीं योजना बनायी थी उस समय भी ए.आर.एम. का झगड़ा चला था लेकिन मेरा एक आस्पैक्ट था, डिटरमिनेशन था कि इस योजना को पूरा किया जाएगा। उसके लिए 28 सौ करोड़ रुपये का ए.आर.एम. तय किया था। वो 28 सौ करोड़ रुपये ए.आर.एम. तय किया उसके बाद में यह योजना आयी, इस योजना में कुछ संकट थे। कुछ पे कमीशन के कारण से संकट हुआ जो आपके और मेरे हाथ की बात नहीं थी, उसको सारा देश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भोग रहा है, लेकिन कुछ संकट आया। संकट के बावजूद भी इसमें केवल 28 सौ करोड़ रुपये, उसमें तो 3200 करोड़ था, सारी, इसमें केवल 2800 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. करना था और राज्य सरकार पांच वर्ष में 28 सौ करोड़ रुपये भी ए.आर.एम. नहीं कर सके और केवल साढ़े 27 हजार को घटा कर 19 और साढ़े 19 हजार करोड़ तक आ जाए तो विकास तो होगा योजना के अन्तर्गत, विकास यों नहीं होगा। हेजार्डियस वे में अकाल को विकास में बदल दें, यह स्थिति नहीं आएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि साढ़े 27 हजार करोड़ रुपये की योजना 19 हजार, 20 हजार के बीच में खतम होगी। अब आप यह कहोगे साधन नहीं हैं। हमने साधन जुटाये थे। किस आधार पर जुटाये? एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के आधार पर हमने प्लानिंग कमीशन से ज्यादा पैसा लिया। आपके यहां एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स का खाता ही बन्द हो गया तो भारत सरकार से जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा आपको नहीं मिला जितना योजना का आकार छोटा होगा, जितना आप छोटा करेंगे, कम करेंगे, आप यह मानकर चलिये कि भारत सरकार से जो सहायता मिलती है वह सहायता भी कम होगी और इसमें भी कमी हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा, अभी बाकी पड़ा है समय, हम कोशिश करें और कोशिश करके योजना साढ़े 27 हजार करोड़ की पूरी हो। इस सम्बन्ध में जो भी उपाय हो सकते हैं वह उपाय हम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किस आधार पर चल रही है? राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि 365 दिन में शायद 243 दिन आपने ओवर ड्राफ्ट लिया है। हिन्दुस्तान में कोई राज्य नहीं होगा जिसने 365 दिन में 349 दिन ओवर ड्राफ्ट लिया होगा। और ओवर ड्राफ्ट लेकर आप किन कामों में पैसा खर्च कर रहे हैं? उन कामों के बारे में आप कोई ध्यान नहीं दें, इससे तो कोई काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं इतना बड़ा ओवर ड्राफ्ट लेने के बाद केवल वेज एण्ड मीन्स के नाम पर एडवांस ले और बाकी की चीजों का आप पेमेंट करते रहें, इससे काम नहीं चल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, माननीय वित्त मंत्रीजी, आप स्वीकार करेंगे कि जितने भी आपके कारपोरेशन हैं जितने भी हैं सारे नहीं लेकिन कुछ करपोरेशन की मार्फत आपने मार्केट बारोइंग की हैं। मार्केट बोरोइंग अगर कोई कारपोरेशन करता है, कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट करता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। लेकिन आपने वेज एण्ड मीन्स के खाते में उस सारी बारोइंग को पी.डी. अकाउंट में जमा करा दिया और पी.डी. अकाउंट में जमा करा कर उसका उपयोग किया। मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता के साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्याय है, यह गलत है। बारोइंग होती है, यह नहीं कि बारोइंग नहीं होती है, यह नहीं है कि बारोइंग हमने नहीं की, या कोई राज्य सरकार नहीं करती लेकिन जिस काम के लिये बारोइंग की जाती है उसी काम में उसका उपयोग होना चाहिये। आप अपनी तनखाह चुकाने के लिये वह सारा पी.डी अकाउंट में रुपया रखकर आप दें, यह मैं नहीं कहता, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, यह बात इसी रिपोर्ट में है, ए.जी. की रिपोर्ट में यही बात है। अब ऐसी स्थिति में हम किस बात की उम्मीद करके चल सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि आज दूसरे राज्य हमसे कितने आगे बढ़े हैं। अखबारों में आता है बैंगलोर आगे बढ़ गया, अखबारों में आता है आन्ध्र प्रदेश आगे बढ़ गया, अखबारों में आता है गुजरात आगे बढ़ गया, अखबारों में आता है हरियाणा आगे बढ़ गया। (व्यवधान) आप छोड़िए, मैं आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं। आर्थिक विकास की दृष्टि से गुजरात हमसे आगे है, आर्थिक विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र हमारे से आगे है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कर्नाटक आगे है, आन्ध्र प्रदेश आगे है, केरल आगे है और हम केवल उन राज्यों में हैं जिन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। अब क्या ये चार राज्य हमेशा इसी प्रकार की स्थिति में रहेंगे? मैं ऐसा समझता हूं कि यदि एक मिशन लेकर हम चलें कि यहां विकास करना है तो उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। आपके यहां औद्योगिक विकास के लिये राजस्थान के बाहर जो हमारे लोग गये हुए हैं उनका सम्मेलन बुलाया। एक बार सम्मेलन बुलाया और दूसरी बार अभी आपने उनको और बुलाया है। आप अगर नहीं बुलाते तो आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन आपने उनको बुलाकर उनके मुंह से कुछ कहलवा कर सारे हिन्दुस्तान में एक मैसेज दिया। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज दिया कि राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वीक है, यहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लगा सकता। जो इण्डस्ट्रियलिस्ट आये उन्होंने सही बात कही कि हमने राजस्थान में जन्म लिया है इसलिए हम इण्डस्ट्री नहीं लगाएंगे, हम इण्डस्ट्री इसलिए लगाएंगे कि हमको पैसा मिले। हमारा लाभ नहीं होगा तो इण्डस्ट्री लगाने वाले नहीं हैं। जिस दिन आपकी यह कनक्लेव हुई थी उस समय भी बोल गये और अभी तीन-चार दिन पहले आये उस समय भी बोल गये। इससे वातावरण क्या बना? आज ये लोग सारे संसार में घूमते हैं, अपन तो राजस्थान और राजस्थान से ज्यादा जाएं तो दिल्ली चले जाते हैं लेकिन मित्तल, बजाज और ये सब लोग सारे संसार में घूमते हैं और संसार में इनसे कोई पूछे कि आप राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाने के लिये तैयार हैं कि नहीं? वे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जवाब देंगे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण नहीं है। अब के तो दो बात कह गये, पहले तो यह कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अब के यह भी कह गये कि यहां वातावरण नहीं है और जिस प्रकार की प्रशासन में या शासन में तैयारी चाहिये, स्वागत चाहिये उस प्रकार का स्वागत नहीं है। आपने बहुत प्रचार किया वन विंडो सर्विस। भगवान जाने रोज एडवरटाइजमेंट आ जाए वन विंडो सर्विस। मैं उस एडवरटाइजमेंट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं वन विंडो सर्विस से दो वर्ष से आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, कितने मामलों में आपने डिस्पोजल किया? मुझे मालूम है वन विंडो सर्विस से कागत निकला, पहले तो कई दिनों तक बिजनस रूल्स में आप अमैंडमेंट नहीं कर पाये। बिजनस रूल्स से अमैंडमेंट नहीं करें तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। बिजनेस रूल्स में आपने अमैंडमेंट कर दिये, आज हालात यह है कि एक डिपार्टमेंट से निकल जाए दूसरे डिपार्टमेंट में। आज आपने सैल्स टैक्स के मामले में रियायत देने की बात की है कि हम रियायत देंगे और सैल्स रूल्स टैक्स डैफरमैंट स्कीम और सैल्स टैक्स में रुपये वापस देने की स्कीम, ये दोनों स्कीम आप चलाते हैं। लेकिन वित्त मंत्रीजी, जो भी रुग्ण उद्योग हैं उन रुग्ण उद्योगों को आपने इस बजट में रियायत दी है, सैल्स टैक्स की आपने रियायत दी है कि उनकी बकाया इस प्रकार से वसूल की जाए। मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनका सैल्स टैक्स कितना बकाया है और कितना उसका जमा हो गया, पूरे खाते नहीं मिलेंगे। पूरे खाते मिलेंगे तो वन विंडो सर्विस के माध्यम से जिस तकाजे से आप काम करना चाहते हैं उस प्रकार के तकाजे से काम नहीं होगा। सब कंफ्यूज्ड हैं। ऐसी स्थिति में वन विंडो सर्विस हो, चाहे आपने जो कनक्लेव किया है यह कनक्लेव हो, उसके नैट रिजल्ट नहीं आये। रिजल्ट के रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बता दें कि आपके आने के बाद में राजस्थान में एक भी मल्टी नेशनल कम्पनी आई क्या? एक मल्टी नेशनल कम्पनी राजस्थान में नहीं आई और पिछला रिकार्ड आप देखें तो हमने कोशिश की थी, कामयाब भी हुए। कई मल्टी नेशनल कम्पनियां यहां आईं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल प्रचार से और केवल एडवरटाइजमेंट से आप राजस्थान का फीड करना चाहे तो अपने आप कभी न कभी रिवोल्ट करेंगे। अपने आप ऐसी स्थिति की बात नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था राजस्थान फिस्कल स्ट्रैस में है। मैं आपको याद दिलाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहूंगा, मैं मुख्य मंत्री था तो आप विरोधी दल में बैठते थे। आप और चन्दनमलजी दो बातें लेकर मेरे पीछे पड़ गये। वह यहीं बैठे हैं, सुनते होंगे। एक तो इसलिए कि फिस्कल स्ट्रैस और दूसरी फिस्कल डेफिसिट। आज आपकी क्या स्थिति है? मेरे से अच्छे हैं या बुरे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह मैं अभी आपको आंकड़ों से साबित करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप कर देना, मैं मान लूंगा। मैं आकड़ों से नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी पोजिशन फिस्कल डेफिसिट की है और आप डैट ट्रैप में आ गये हैं और डैट ट्रैप में आकर आप राजस्थान का भला नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का इससे विकास नहीं होगा लेकिन राजस्थान के लिये आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था डैट ट्रैप में ही नहीं है, परकेपीटा इनकम कम हो रही है और परकेपीटा कर्जा जनता का बढ़ रहा है। एक तरफ तो इनकम कम हो रही है और दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है। औद्योगिक मन्दी के कारण से भी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज डब्ल्यू.टी.ओ. रिजीम में कोई कंट्री की इकानामिक पाइंट आफ व्यू से कोई सरहद नहीं रही है। आज डब्ल्यू.टी.ओ. को किस प्रकार से फेस किया जाए, कौनसे आइटम्स का यहां ज्यादा उत्पादन हो, किस प्रकार के आइटम की क्वालिटी क्या है उस क्वालिटी के आधार पर हम वर्ल्ड के काम्पीटिशन में खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आज राजस्थान सरकार की सारी टीम बैठी है मैं उससे पूछना चाहता हूं कि डब्ल्यू.टी.ओ. की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिये आपने कोई अलग से व्यवस्था की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे अफसोस है, मुझे आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : डब्ल्यू.टी.ओ. का सेल हमने अलग बनाया है, स्पेशल सैक्रेटरी को लगाया है। आपने कहा कि आपने कोई व्यवस्था की है इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी और दे दीजिए, I will be very grateful to you. कि उस डब्ल्यू.टी.ओ. की आपने जो व्यवस्था की है, डब्ल्यू.टी.ओ. से कंसर्न्ड एग्रीकल्चरिस्ट, डब्ल्यू.टी.ओ. से कंसर्न्ड इण्डस्ट्रियलिस्ट डब्ल्यू.टी.ओ. से कंसर्न्ड स्माल स्केल सैक्टर इसको कोई जानकारी दी है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट सुनने दें, हल्ला मचाकर तो कुछ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हल्ला किसने मचाया, आपके पास जवाब नहीं है। हल्ले की बात बीच में कहां आ गई? आप सुनाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आराम से बैठिए, आप क्रोध न करें, आप हंसें थोड़ा।

श्री रामस्वरूप : जैसे हमने सुना ऐसे आप भी शांति से सुनो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है प्रतिपक्ष के नेता महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. का सेल बनाया है, क्योंकि कैबिनेट में बात आई थी तो उस वक्त एक स्पेशल सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में उनको इसका इंचार्ज बनाया है। वैसे इण्डस्ट्रीज की डिमांड आ रही है, मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह उसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करके...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब आप यह आज नहीं बता सकते। तो मेरा खण्डन भी नहीं करना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am not Industries Minister, So I cannot tell you at this stage.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मेरा खण्डन भी नहीं करना चाहिए था। मैं आपके हित में बोल रहा हूं, मैं राजस्थान की जनता के हित में बोल रहा हूं। मैं सरकार के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि डब्ल्यू.टी.ओ. की परेशानी केवल राजस्थान में ही नहीं है, सारे देशभर में हैं। मैंने भारत सरकार से भी कहा है कि आप दुनिया भर की संस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, 10-12 एक्सपर्ट्स को 10-12 अर्थशास्त्रियों को आप डब्ल्यू.टी.ओ. रिजीम में लगाइये, वे स्टेट को भी सलाह दें, जनता को भी सलाह दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अफसर तो लगा दिया, आप नाराज होंगे, उस अफसर को लगा दिया एक ऐसे ही धन्धे पर जो कोई काम करने के लायक ही नहीं हो। (व्यवधान) चित भी मेरी, पुट भी मेरी। यह कहने से काम नहीं चलेगा। यह इम्पारटेंट आइटम है, इस इम्पारटेंट आइटम का आपको कुछ न कुछ जारी करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया गया था। आपने उस व्हाइट पेपर में जो बातें हमारी आलोचना में लिखी हैं, उनकी पूर्ति कर दी क्या? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : व्हाइट पेपर आलोचना के लिए नहीं है। White paper was regarding factual position. व्हाइट पेपर जब कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली थी, फैक्चुअल पोजीशन क्या थी, उसके अन्दर उसका वर्णन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस यही है न? (व्यवधान) वर्णन है। आप मेरी सुन लीजिए। वित्त मंत्रीजी, आप मेरी सुन लीजिए। आपने उसमें वर्णन दिया इसलिए दिया कि इसमें सुधार हो। यह तो है ना सुधार हो? आप एक आइटम बता दीजिए जिसमें सुधार हुआ हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो भी हुआ अभी बताऊंगा। (व्यवधान) अभी जब मैं आपको कुछ निवेदन करने की चेष्टा करूंगा कि क्या कारण हुए जिसकी वजह से जो हमने करेक्शन की बात की थी, किन कारणों से हम उसके अन्दर करेक्शन नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह निकम्मा शासन है कि नहीं है, यह तो जनता जानती है। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं अभी बिजली की बात आ रही थी, माननीय सदस्यों ने कहा था कि बिजली की समस्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि रैगुलेटरी कमीशन के सामने इन कम्पनीज ने गलत फिगर्स दिए हैं कि हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन यह आएगी। वह कास्ट आफ प्रोडक्शन लगभग 75 करोड़ रुपए कम आई है। अब कम आई है तो यह पास आन होनी चाहिए कंजूमर को। वह आपने कम्पनीज को कह दिया, कम्पनीज उसको पास आन नहीं कर रहीं। अब कम्पनीज पास आन नहीं कर हैं तो कम्पनीज से आपने वसूल किया वह पास आन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रेट्स का सवाल है बिजली के मामले में, आप देखें राजस्थान में दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में कितना है। कितना कम है, वह जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। एक-दो स्टेट होंगी जिनमें राजस्थान के मुकाबले में ज्यादा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पावर टैरिफ के बारे में बता रहा हूं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यू.पी., दिल्ली States not having SERCs. तमिलनाडु, बिहार और पंजाब इनके मुकाबले में एक स्टेट से थोड़ी बहुत हमारी कमी रहती है, बाकी सारी स्टेट से ज्यादा है। अब आपने यह तय कर लिया क्या कि इस हिन्दुस्तान में रिफार्म्स के नाते केवल हमारी ही तस्वीरें लगाई जाएं? प्रभु साहब से तारीफ कराई जाए?

मैं समझता हूं कि प्रभु तारीफ करें या आप उनसे शाबासी लेना चाहें, मैं एक बात के लिए कहना चाहूंगा कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आप इस बात को भूलकर मत चलिए कि डवलपमेंट कोई एक पार्टी करती है या एक सरकार करती है। एक सरकार ने नींव खोद दी, दूसरी सरकार नींव भरेगी, तीसरा आदमी आएगा वह नींव पर मकान बनाएगा, चौथा दूसरी मंजिल पर मकान बनाएगा, तीसरा मकान तीसरी मंजिल पर बनेगा। लेकिन आप सारी क्रेडिट यही लेकर चलना चाहें कि मैंने ही यह सब कुछ काम किया है, अब आपके कोटा थर्मल है, इसमें सब पार्टियां, सब गवर्नमेंट, सब चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। एक चीफ मिनिस्टर ने पहला काम किया होगा, दूसरे चीफ मिनिस्टर ने दूसरा काम किया, तीसरे ने तीसरी यूनिट बनाई, चौथे ने चौथी यूनिट बनाई। यही सूरतगढ़

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

का मामला है। सूरतगढ़ में पहली यूनिट के लिए आप हमें क्रेडिट दें या नहीं दें लेकिन सिंक्रोनाइज हमने कर दिया था और उसके एक महीने या डेढ़ महीने बाद आपने उसका कामर्शियल उत्पादन शुरू किया। लेकिन क्रेडिट, क्रेडिट आपकी है। मैं समझता हूं कि क्रेडिट आप लें, मुझे कोई एतरात नहीं है लेकिन आपको यह देखकर चलना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की क्रेडिट लेने से क्या काम होगा। आज अगर 10 मील की मैंने सड़क बना दी, आगे अजमेर पहुंचने के लिए 90 मील की सड़क और चाहिए तो जो सरकार आएगी वह बनाएगी। आप यह कहें कि यह सड़क मैंने ही बनाई है, यह कालेज मैंने ही बनाया है, मैंने ही खोला है, यह विश्वविद्यालय मैंने ही बनाया है, तो इस तरह की ठेकेदारी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर आप पब्लिक से एप्रिशिएशन लें तो राजस्थान की पब्लिक की लिटरेसी रेट अब 61 प्रतिशत बढ़ गई है, पहले वाली नहीं है जो आसानी से आपके धोखे में आ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में हम निवेदन करें, इतना लम्बा-चौड़ा खाता है। बिजली की छीजत, बिजली की छीजत के बारे में कहा गया था कि विद्युत चोरी कम करके प्रति वर्ष तीन प्रतिशत विद्युत छीजत कम करनी है। लेकिन वर्ष 2000-2001 में कुल विद्युत 2433 करोड़ यूनिट उपलब्ध हुई तथा शुद्ध विक्रय 1387 करोड़ यूनिट हुई। अब इसमें फर्क है, 43 प्रतिशत छीजत आती है। 43 प्रतिशत आज के दिन आती है। अब इस 43 प्रतिशत छीजत को आप कम करिए। वह छीजत आप कम नहीं करते और बार-बार कहते हैं चोरी है, चोरी है। ट्रांस्मिशन लासेज है ट्रांस्मिशन लासेज को कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी चिन्ता कीजिए। कभी काश्तकार पर और किसी पर। वित्त मंत्रीजी, मैं आपको एक साधन बताऊंगा कि बिजली की चोरी के मामले काश्तकार और गरीब आदमी के उतने नहीं हैं जितने कि उद्योगपतियों के हैं। मुझे मालूम है कि उद्योगपतियों में यदि 10 लाख की बकाया है तो एक-एक लाख में समझौता किया जा रहा है और उनको 9 लाख रुपए छोड़े जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में...(व्यवधान) कितनी फीसदी में, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे चाहूंगा... (व्यवधान) ठीक है सबके बकाया हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, बिजली के मामले में कितने इण्डस्ट्रियलिस्ट में कितना बकाया है और उसके अगेंस्ट में हमने कितनी वसूल की है, उसका एक चार्ट विधान सभा में रखें। जैसे आप जनता के लिए जिम्मेदार हैं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें जानकारी मिले। जब हम काश्तकार के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़पतियों से तो पैसा वसूल नहीं होता और हमारा कनेक्शन काटने के लिए आ जाते हैं, उसको हम जवाब दे सकें कि हम करोड़पतियों के साथ और आम जनता के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। वह तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। यहां बिजली के रेट के मामले में सवाल है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही हैं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी बिजली की रेट और सिंचाई की रेट नहीं ली जाए, आप उसके पक्ष में हैं या खिलाफ? यह मैं क्यों पूछना चाहता हूं? आप और मैं दोनों पंजाब में प्रचार करने के लिए साथ में गये थे और साथ गये थे तो आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। आपने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर वोट दिया जाए, यह कहा। अब वह पंजाब का घोषणा पत्र मेरे पास है, घोषणा पत्र में यह लिखा है :-

"Free power and water to the farmers will continue as heretofore but, in addition, a new subsidy scheme will be introduced to give necessary relief to all those farmers who are operating on only diesel pumping sets for irrigation purposes." वहां आपने इसके लिए वोट मांगे और यहां आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। मुख्य मंत्रीजी पंजाब में जाकर बदल जाएं और राजस्थान में आकर फिर बदल जाएं। पंजाब में लोगों को यह कहें कि इर्रिगेशन और बिजली इसके ऊपर जो पुरानी सरकार ने व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : पंजाब के चुनाव का और घोषणा पत्र का राजस्थान में क्या सम्बन्ध है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सम्बन्ध नहीं है। मैं तो आपका सम्बन्ध बता रहा हूं। आप वोट मांग कर आये हैं ना इस बात पर।

श्री अशोक गहलोत : मैंने जब वहां पर वोट मांगे थे तो आप श्रोता के रूप में वहां बैठे हुए थे क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रोता के रूप में नहीं, मैं बैठा था। बैठा नहीं अपन ट्रेन में साथ गये और ट्रेन में वापस आये। अब इतनी चतुराई तो आप मेरी समझते हो कि आप कहीं जाते हो और कहां नहीं जाते हो, उसकी डिटेल्स मैं ले ही लेता हूं।

श्री अशोक गहलोत : आपकी चतुराई तो मैं नहीं, पूरा राजस्थान समझता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इतनी चतुराई समझते हो, आप साथ गये, साथ आये, खाना साथ खाया। यह सब कुछ किया तो आप कहीं जाकर आ गये, मैं यह पूछ लूं कि मुख्य मंत्रीजी क्या-क्या कह कर आये हैं। वह मैंने पूछा और पूछने के बाद में यह घोषणा पत्र मैं लाया। घोषणा पत्र के आधार पर कह रहा हूं। अब आप पंजाब में इस तरह का भाषण दें और राजस्थान के क़ाश्तकार को कहें कि रिफार्म्स के नाते हमें तो पैसे वसूल करने पड़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अन्तर आने वाला है, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेकारी की समस्या पर जिक्र कर चुका। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन में बेकारों की क्या स्थिति रही है। आपके कांग्रेस शासन में अब तक राज्य में एक भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी नहीं आयी। यह तो आप एडमिट करेंगे। ई.पी.आई.पी., सीतापुरा और भिवाड़ी पूर्व में विकसित हैं। कांग्रेस के राज में एक भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकाई नहीं आयी। इकोनोमिक बोर्ड की मात्र 3 मीटिंग हुई हैं जिसमें लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई। इण्डस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रीको ने एक भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं किया है। बिक्री कर प्रोत्साहन व पूंजी विनियोजन अनुदान समाप्त कर देने के बाद उद्योगपति राजस्थान की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, बिना इंसेंटिव के कोई उपयोग नहीं लग रहा और उसके कारण से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी। बजट का जो आपने प्रोविजन रखा है यह अपने आप में संकेत करता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। 2002 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 26 चयनित मदों में से औद्योगिक उत्पादन 10 मदों में कम रहा। आपका उत्पादन तो घट रहा है। उत्पादन में कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं। लेकिन इंसेंटिव तुरन्त मिल जाए, इंसेंटिव के प्रति उसकी विश्वसनीयता बन जाए कि जो कुछ सरकार ने वायदा किया वह मिलेगा तब जाकर यह काम होने वाला है, वरना कोई काम नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार कई बातें कहती है कि यह काम नहीं हुआ, भारत सरकार ने यह किया, नहीं किया, यह नहीं किया। लेकिन मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, भारत सरकार के बिना कोई राज्य सरकार नहीं चल सकती है। और पिछले 3 वर्षों में तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्रीजी को कि चाहे अनाज के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, राज्य सरकारों को भरपूर सहायता दी है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि सहायता का हम उपयोग नहीं कर पाये। आप हंस रहे हैं, आंकड़े आपके पास हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि हम उसका उपयोग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं कर पा रहे हैं। अब एक-एक बताऊंगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंशदान से संचालित योजनाएं अब इसमें जे.जे.एस.वाई., ए.ई.एस., एस.डी.एस.वाई., ए.आई. ये सारी स्कीम्स हैं, अन्नपूर्णा और ये सब। इसके अन्दर 1999-2000 में शेष राशि 16.58 रह गयी, जो राशि हमने नहीं उठायी। 2000-2001, उपाध्यक्ष महोदय, 140.9 शेष रह गयी, खर्च नहीं कर पाये। 2001-2002 में 150 उपलब्ध हुए थे और 58 हम उसमें खर्च कर पाये। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो कुछ पैसा भारत सरकार से मिल रहा है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में आप टोटल देख लीजिए, यह 1999-2000 और 2001 में योजना का नाम भी है, 36.05 राशि शेष रह गयी जिसको हम खर्च नहीं कर पाये और 2000-2001 में 130.09, यह रह गयी, 2001-2002 में 116.37 लाख रुपया, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनाज जो हमको मिलना चाहिए था, 9 लाख टन अनाज जो गरीबों के लिये मिल सकता था वह 9 लाख टन अनाज हमने भारत सरकार से नहीं उठाया। अब आप यह कहेंगे अनाज अच्छा नहीं था। आजकल 2-3 बातें जरूर कही जाती हैं, अनाज अच्छा नहीं था। अच्छे अनाज को भी बदल दिया। अच्छा अनाज दिया फूड कारपोरेशन ने, आपके एडिशनल सैक्रेटरी ने जाकर कहा, यह खाने योग्य है। वह अनाज वहां से रवाना होकर स्कूलों में पहुंचा, वहां बदल गया। घुघरी, वह घुघरियां वहां बदल गयीं। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने अनाज क्यों नहीं उठाया? जो भारत सरकार ने अनाज आपको एलोकेट किया था वह अनाज क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं बांटा? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि डिफरेंट सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में जो आपको पैसा मिला था वह आपने पैसा क्यों नहीं लिया? इसका प्रमाण यह है कि आप इस बजट को पूरा उठाकर देख लीजिए। मैंने देखा है। मेरी गलती हो सकती है, मेरी नजर वहां नहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि जितनी भी सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं उनमें मैचिंग ग्रांट चाहिए। आप मैचिंग ग्रांट दे नहीं सकते हैं और इस बजट में मैचिंग ग्रांट के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट में प्लान के अन्दर सारा प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लान का नहीं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको बहुत आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बिना फिगर देखे राजनीतिक दृष्टि से आप यह बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कह रहे हैं। मेरे पास फिगर हैं पूरे कि हमने सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में कितना खर्च किया है। आपके कार्यकाल से ज्यादा खर्चा किया है।

श्री अमराराम (धोद) : बाकी रहा कि नहीं? पूरा खर्च कर दिया? यह बता दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बताता हूं, वह भी बताता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, एक ही बता दीजिए, मान जाऊंगा, बजट में प्रोविजन है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल, प्लान के अन्दर प्रोविजन...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लान में होगा। मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, देखिये, Plan is part of the Budget. आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I agree with you.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Plan is part of the Budget, क्योंकि जो रुपया वहां से मिलता है उसके लिये मैचिंग जो आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है उसका प्लान में प्रोविजन करना पड़ता है और प्लान का बजट के अन्दर प्रावधान किया जाता है। कोई बजट से प्लान अलग थोड़े ही होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह किसको कह रहे हैं यह बात? केवल प्लान के अन्दर जो पूरा एलोकेशन है, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वह हर साल कम होता जा रहा है। उस प्लान की फिगर्स को मैंने भी देखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब भारत सरकार का रुपया कम होगा तो मैचिंग ग्रांट तो अपने आप कम होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, भारत सरकार का रुपया नहीं होगा कम आप कोई मद में रुपये लाकर खर्च नहीं कर पाये क्योंकि आप मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाये। ओर मैचिंग ग्रांट इसलिये दे नहीं पाये कि बजट में प्रोविजन नहीं रखा था। आप बजट का प्रोविजन बता दीजिए। यह मैचिंग ग्रांट का, यह अमुक स्कीम्स की मैंने जानकारियां दे दीं उन स्कीम्स के आधार पर कोई आप ऐसा बता दीजिए जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि आपने अमुक प्रकार की व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था के बाद भी कि हम मैचिंग ग्रांट के अभाव में इसको नहीं छोड़ पाये, यह सारा का सारा हमने ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति अब बन रही है, मैंने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कहा, मुख्य मंत्रीजी उस समय नहीं थे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन की समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सब ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलकर यदि नहीं किया और केवल ये नारे लगाते रहे कि प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग, इससे काम नहीं चलेगा। आपने प्रशासन गांव के संग, ये खूब जोर-शोर से प्रचार किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करें। आपकी सरकार है, आप प्रचार करें, जाएं। लेकिन आपने क्या किया? आपने मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र दिया। ज्यादा काम जिसमें लाखों आदमी हों। आपने अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र वह दिये। आपने आबादी के पट्टों के लिये खर्च किया। यह सब कुछ किया। मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र देने में, मुख्य मंत्रीजी, आपको पता है, आवेदक का कितना खर्चा हुआ? अगर यह खर्चे का हिसाब लगा लें, जो मेरे पास जानकारी है वह यह है। पंचायत को रसीद के 10 रुपये देने पड़ते हैं, पाइप पेपर का एक रुपया, स्टाम्प टिकट का दो रुपया, टाइप की एक और 4 कार्बन कापी के 25 रुपये, स्टाम्प पेपर पर आपको 10 रुपये देना पड़ेगा और नोटेरी को आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। फिर जाकर 68 रुपये में सर्टिफिकेट बनता है। 68 रुपये के सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? 6 लाख या इतने लोगों को आपने प्रमाण पत्र दिये हैं, इसका मतलब यह है कि आपने प्रमाण पत्र से इनकम बढ़ा ली। आपकी सरकार की इनकम हो गयी।

एक माननीय सदस्य : पैसे थोड़े ही लिये हैं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : पैसा लिया ही नहीं गया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : निःशुल्क बंटे हैं ये प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र निःशुल्क दिये गये थे। प्रत्येक शिविर में हम खुद गये हैं।

श्री जुगल काबरा : कोई पैसा नहीं दिया गया है। आप कभी गये नहीं हो, आपको क्या पता?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष उनका आजकल इन दिनों में राजस्थान के गांवों से गैप हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सम्पर्क नहीं है, जितना आपका है?

श्री अशोक गहलोत : आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया। आपको इन बातों की जानकारी ही नहीं है कि जिस अभियान की तारीफ गांव-गांव में हो रही है, इस अभियान को लेकर आपकी पार्टी के लोगों ने पहले कोशिश की फेल करने की, उसमें वे कामयाब नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ आपके साफे लगी फोटो की तारीफ हो चुकी। आपकी फोटो बड़ी जोरदार थी। वहां पर साफा लगाकर वह बड़ी शानदार फोटो थी, उसकी तो तारीफ थी बाकी कोई तारीफ नहीं थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप सुन लें। हम सुन रहे थे जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे।

श्री अशोक गहलोत : पहले बायकाट किया गया ''प्रशासनों शहरों के संग'' का, उसके बाद में नौबत यह आ गई, उपाध्यक्ष महोदय, कि इनकी पार्टी के लोगों ने टैंट लगाकर वहां बैठना शुरू कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य इनको गलत जानकारी दे रहे हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य गलत सूचना देते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ। मैं तो मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण-पत्र मुफ्त में दिये गये क्या?

श्री हफीज मोहम्मद : मुफ्त में दिये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

श्री रामस्वरूप : मुफ्त में दिये हैं। वहां पर जो अभियान में दिये हैं मुफ्त में दिये हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी बोलें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मैं कह रहा हूं, मुफ्त में दिये गये। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : आप गलत कह रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कह रहा हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 13 लाख लोगों को जाति प्रमाण पत्र मुफ्त में दिये गये।

श्री रामस्वरूप : एक भी नया पैसा किसी का नहीं लिया गया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 13 लाख दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : एक पैसा भी नहीं लिया गया।

श्री रामस्वरूप : एक भी नया पैसा किसी का नहीं लगने दिया। हमारे क्षेत्र में एक नया पैसा नहीं लगा कहीं पर भी। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : इसके अलावा एक लाख लोगों को पेंशन दी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इस बात को स्वीकार करें कि एक लाख लोगों को पेंशन दी है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 15 लाख मूल प्रमाण पत्र दिये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या दी है?

श्री हफीज मोहम्मद : पेंशन दी है।

श्री रामस्वरूप : पेंशन दी है, एक लाख लोगों ने पेंशन ली इसी के तहत।

श्री हफीज मोहम्मद : इन अभियानों में एक लाख लोगों को पेंशन मिली।

श्री मदन दिलावर : आपने एक लाख को दी न। वह साढ़े तीन लाख लोगों की राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन बन्द की और फिर कह रहे हैं कि एक लाख को दे दी। क्या दे दी आपने लोगों को?

श्री हफीज मोहम्मद : यह असत्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को निःशुल्क प्रमाण-पत्र जारी किये गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों की संख्या, आपने तो दूरदर्शन किये ही किये हैं इसलिए आपको वास्तविकता का पता ही नहीं। वहां पर गांवों में नोटेरी पब्लिक होता ही नहीं है। वहां तो गांव का सरपंच प्रमाणित करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठो, ठीक है।

श्री हफीज मोहम्मद : मैं यह वास्तविकता निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 25 रुपये किस बात के कास्टिंग के आ जाएंगे, यह इम्प्रैक्टिकल बात है, अनरियलिस्टिक बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी, बैठिये।

श्री शिवनाथ सिंह : जो आपने फिगर्स दिये हैं, 68 रुपये का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी, बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे एक बात कहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार देसूरी के खिलाफ, सांसद महोदय के साथ में एक ज्ञापन दिया गया और निपल के कैम्प में फार्मों के 9 रुपये वसूले गये तथा छात्रा आवेदकों को प्रमाण-पत्र जारी करके खारिज कर दिये गये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आपने जो फिगर दिये हैं वे निराधार हैं। न तो वहां नोटेरी का खर्चा लगा है, न वहां कोई टाइप का खर्चा लगा है और न ही कोई और कुछ खर्चा लगा है, यह तो सिर्फ यह सब व्यवस्था कर दी गई थी। 68 रुपये का जो फिगर आपके पास आया है वह मेरे खयाल से गलत इंफार्मेशन है, निराधार है, कोई पैसा इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने में नहीं लिया है।

श्री रामस्वरूप : इनके विधायक यहां नहीं गये, वहां हुआ होगा। हमारे यहां पर तो हुआ ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : कहीं भी नहीं हुआ।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देसूरी तहसील में...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : हमारे यहां पर नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो आदमियों से मुझे बचा लो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक तो शैलेन्द्रजी जोशी से और एक रामस्वरूपजी से। मैं अपनी बात कह सकूं ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : एक सैकण्ड, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने मुसीबत खड़ी कर रखी है रामस्वरूप मीणा को लेकर। रामस्वरूप मीणाजी कह रहे हैं कि साहब, साढ़े तीन साल में आपने एक भी मुद्दा नहीं दिया विपक्ष को। एक मुद्दा विपक्ष ने बनाया है कि रामस्वरूपजी को मंत्री बना दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, बना दो।

श्री अशोक गहलोत : इनका यह कहना है कि अगर आप मुख्य मंत्रीजी यह मुद्दा खतम कर दो तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : कर दो, साहब। हम तो तैयार हैं, साहब, पूरा विपक्ष तैयार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर दो, हम तो तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि रामस्वरूपजी में क्या अवगुण है जिसके कारण से आप मंत्रिमण्डल में नहीं ले रहे हैं, आप यह बता दो मुझे। बाकोलियाजी में और रामस्वरूपजी में क्या अन्तर है? रामस्वरूपजी में और रामकिशनजी में इनमें क्या अन्तर है? यह तो बहुत योग्य आदमी हैं। ऐसे आदमियों को मंत्री आपको बनाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी तो आप सुरक्षा मांग रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप बड़े होशियार हैं, आप सबको गुड़ लगा देते हैं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : जवाब देने के लिए इनको यहां पर बाहर बैठा रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना गुड़ लगाया है आपने? लोगों के कोहनी पर गुड़ लगा दिया। आपने देखी नहीं कि जो बहुज जोर से सरकार के पक्ष में बोल रहे थे उनको यहां देखते तो गुड़ की भेली बंधी हुई थी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच करवाएं कि विद्यार्थियों से या जाति प्रमाण-पत्र में या निवास-प्रमाण-पत्र दिये गये उससे कितने पैसे लिये गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी तो करवाओ अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चुप रहो, इसमें देखिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : आप इतनी ही घोषणा कर दें कि जिन्होंने 10 रुपये का स्टाम्प लगाया है क्या उनको आप सस्पैंड कर देंगे?

श्री धर्मपाल चौधरी : बस यही कह दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बिलकुल ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : 10 रुपये आपके रिकार्ड में हैं, 10 रुपये का सर्टिफिकेट जिन्होंने लगवाया है आपके कार्यालय में, क्या उनको सस्पैंड कर देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने निःशुल्क प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की थी, तो जहां पर शिकायतें आई थीं कि शुल्क लिया गया है, 10 रुपये का स्टाम्प लगाया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह दो, बात साफ हो जाएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : साफ हो जाएगी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : स्टाम्प तो लगाना पड़ेगा, वह कानूनी प्रक्रिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री देवीलाल बैरवा : आपने कहा है वह क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला कार्यालय पर धरना दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : स्टाम्प तो लगाना पड़ेगा, यह कानूनी प्रक्रिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जिला कार्यालय पर धरना दिया है, यह है।

श्री अमराराम (धोद) : किसने लगाया है? उस अधिकारी को और कैम्प इंचार्ज को सस्पैंड करने की घोषणा कर दीजिए आप, हम मान जाएंगे कि नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं सारे क्षेत्रों में गये हैं, आपको मालूम है लगाया गया है या नहीं लगाया गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसके लिए नियमों में जो आवश्यक है, जितना नियमों में आवश्यक है, उससे ज्यादा कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप तो कह दो कि 10 रुपये का स्टाम्प लगाया या नहीं लगाया। आप तो यह बताइये कि 10 रुपये का स्टाम्प लगाया या नहीं लगाया?

श्री राजेन्द्र पारीक : स्वयं भी गया हूं।

श्री हफीज मोहम्मद : कोई जगह नहीं जहां...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 10 रुपये का स्टाम्प लगाया है या नहीं लगाया है और लगाया है तो उनको सस्पैंड कर देंगे, यह घोषणा कर दीजिए आप तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसे लिये हैं न?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं भी गया हूं कैम्प में। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पैसे लिये हैं न? मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि पैसे लिये हैं। पैसे लिये हैं, मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप स्वीकार करो न पैसे लिये हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं पैसे लिये हैं?

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य सचेतक स्वीकार कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह प्लेन पेपर पर दिये हैं हमारे यहां पर।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मुख्य सचेतकजी...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्लेन पेपर पर दिये हैं हमारे यहां पर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं दिये।

डा. किरोड़ी लाल : फिर यह कैसे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके यहां दिये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : बहुत लूट हुई है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहीं पर भी पैसा नहीं लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : यह नहीं कहा है। जहां पर 10 रुपये का स्टाम्प लगाया है वहां पर सस्पैंड करेंगे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे जिले में लिये गये हैं, अलवर में लिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो आप नियम कह रहे हैं, वह नियम या गैर नियमानुसार अलवर में लिया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं, आर्डर।

श्री केसाराम चौधरी : देसूरी तहसील में पैसे वसूले थे उसके खिलाफ कलक्टर को भी ज्ञापन दिया, मगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, एक बात कह दें मुख्य मंत्रीजी, मैं तो संतुष्ट हो जाऊंगा कि बिना पैसे के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी ने कह दिया न। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वित्त मंत्रीजी का कहना नहीं मानेंगे। मुख्य मंत्रीजी कह दें, अनाउंसमैंट कहो, मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दुबारा कह दें, हम सब सुन लें।

श्री हबीबुर्रहमान : यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुना तो अब सुन लें। हां, बिराजिए आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ। मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में वित्त मंत्रीजी की घोषणा का महत्व तो है लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज तो जवाब आपको यही देंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जवाब दे दें पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज तो उनका रिप्लाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी अभी इस चैप्टर को तो बन्द करें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मुख्य मंत्रीजी, थोड़े ही जवाब देंगे। जवाब तो बहस का यह देंगे। वित्त मंत्रीजी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि हमने सबको मुफ्त के अन्दर जाति और निवास प्रमाण-पत्र दिये हैं। किसी से पैसा नहीं लिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आपको इनका कहना मानना नहीं है तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी को बोलने ही नहीं देंगे आप, आप अच्छे चीफ व्हिप हो।

श्री अमराराम (धोद) : अच्छा चीफ व्हिप है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य सचेतक को बोलने की जरूरत नहीं है मुख्य मंत्रीजी के लिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी को बुलवाओ न। यह कभी-कभी तो विधान सभा में आते हैं, बोलने का मौका दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने का मौका दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने का मौका दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य मंत्री सदन का नेता होता है और वह मेरा भी नेता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का तो धन्यवाद दें कि आज आप बोलने के लिए आए हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरे कोई आदेश में नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : बुलाओ न फिर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इनकार करे या हां करे, प्रदर्शन हुए हैं, चिट्ठियां इस सम्बन्ध में आई हैं, मैंने स्वयं ने जाकर जिन्होंने प्रमाण-पत्र लिये हैं, उनसे पूछा है। प्रमाण-पत्र भी कोई मार्च के महीने तक। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी प्रमाण-पत्र कोई एक दो वर्ष के लिए नहीं मिला है, प्रमाण-पत्र...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : छह महीने के लिए है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छह महीने के लिए। अब आप इस बात को लेकर जितना भी प्रचार करना चाहो, एक दिन अच्छा होगा कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : करेक्टर सर्टिफिकेट छह महीने के लिए होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "प्रशासन गांव के संग" इसके ऊपर चर्चा हो जाए और चर्चा हो जाए तो आपको अपने आप पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं किया गया तो जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम इतनी स्कूलें खोल देंगे, दवाखाने खोल देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, मैं आपको आज विश्वास से कहता हूं कि आपने बजट का घाटा जिस प्रकार का रखा है, बजट का घाटा अनकवर्ड जिस प्रकार से रखा है और बजट में रेवेन्यू डेफिसिट जितनी है, उसके कारण से आप अन्दाजा लगाकर चलिए कि कैपिटल एक्सपेंडीचर आपका हो नहीं रहा है। आपने एक नया रिकार्ड बनाया है कि कैपिटल एक्सपेंडीचर से रेवेन्यू को एडजस्ट करने के लिए कितना ज्यादा ट्रांसफर हुआ है आज तक राजस्थान में कभी ट्रांसफर नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 800 करोड़ रुपये अनकवर्ड घाटा आज तक नहीं हुआ। 1300 करोड़ रुपये का घाटा आज तक नहीं हुआ। आपने ये कीर्तिमान कायम किये हैं। यह कीर्तिमान इस राज्य के लिये घातक है। आप कोई व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के आधार पर जनता का सहयोग लेना चाहें राजस्थान के विकास की दृष्टि से तो हम भी सहयोग देने में कोई कसर नहीं रखेगी। मैं अन्त में वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, अभी मेरी तरफ धारीवालजी देख रहें हैं। आप इनकी तरफ देखो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आपकी तरफ देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पहले इनको देखो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आसन की तरफ देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पहले इनको देखो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आसन की तरफ देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, कोटा में विश्वविद्यालय बनना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। कोटा में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जो है वह खुला विश्वविद्यालय है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह कृपा आप आपके टाइम पर ही कर देते न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, खुला खोल दिया। आपने आज तक मांग ही नहीं की। आपने मांग की क्या कभी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस बाबत? यूनिवर्सिटी के बाबत। मेरी बात तो आप सुनते ही क्यों? आप ही के आदमी मांग करते रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सुन कर ही तो बोल रहा हूं मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके मंत्रिमण्डल में जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, वही कुछ नहीं कर पाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक कहावत है। बुरा मत मानना, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। ऊंट देखा आपने?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऊंट तो आप ही देखते रहो उधर वाले। हमारे तो ऊंट नहीं होते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऊंट को आप गुड़ खिलाओ तो धां-धां करेगा और ऊंट के लट्ठ मारो तो भी धां-धां करेगा। अब ऐसी स्थिति में आपका मैंने पक्ष लिया जिसका नतीजा यह निकला। नतीजा यह निकला है जो कभी मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने अगर सही नीयत से पक्ष लिया है तो मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिकल शेप इकोनोमी को देनी पड़ेगी, बिलकुल प्रैक्टिकल शेप। आपने जिस प्रकार से टैक्सेज में रियायत दी है, आप धोखे में मत रहिये कि इसके कारण से जितने भी रुग्ण उद्योग हैं वे पनप जाएंगे। आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारी रुग्णता, रुग्ण उद्योग कौनसा है यह हमारे हाथ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। स्टेट के हाथ में नहीं है और सैंट्रल के हाथ में नहीं है। हमने बी.आई.एफ.आर. के हाथ दे दी। कोई भी उद्योगपति चाहे कि रुग्ण करके मैं सरकार का पैसा रखूं, ब्याज इसका देऊं नहीं, बिजली का टैक्स नहीं देऊं, सैल्स टैक्स नहीं देऊं तो गया बी.आई.एफ.आर. के पास, एप्लीकेशन दी और बी.आई.एफ. आर. से स्टे ले लिया। पांच-पांच वर्ष तक उसका फैसला नहीं होता। हम इस रुग्णता को खत्म नहीं करेंगे, लगभग सात हजार छोटे-मोटे ये रुग्ण उद्योग, सात हजार को अपन खड़ा नहीं करेंगे तो सात हजार में हमारा रुपया ब्लॉक हो गया। सात हजार के कारण से एक चर्चा बहुत होती है कि इतने रुग्ण उद्योग हैं। आप एक अभियान चलाकर, जैसे आपने अब तक बहुत अभियान चलाये हैं। आप यह सारी सरकार अभियान ही अभियान से चला रहे हैं। लगभग 23 के करीब आपने अभियान चलाये, 23 के करीब। अब उन अभियानों में एक अभियान यह और जोड़ लीजिये। वह अभियान यह हो कि जितने भी रुग्ण उद्योग हैं, उन रूग्ण उद्योगों को जल्दी से जल्दी रुग्णता से दूर किया जाए। तो राजस्थान में उनकी रुग्णता ही खतम नहीं होती बल्कि राजस्थान में जो उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं, वे अपने आप आकर्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : टाइम बढ़ा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बढ़ाना पड़ेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। बोलो।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने बजट चर्चा में भाग लिया है, उनका आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मेरे पक्ष के लोगों ने आम तौर से बजट को सराहा है, कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं, कुछ विकास के नये कार्यों की मांग की है। वहीं प्रतिपक्ष ने इस बात की आलोचना की है कि बजट दिशाहीन है, राज्य के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है, प्लान साइज आपने कम किया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात की। पर कैपीटर लोन फैक्टर स्टेट के ऊपर बढ़ रहा है। साथ-साथ अभी प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात समाप्त की उसमें उन्होंने कहा कि आप नुगरे हैं, आपको केन्द्र से पैसा मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नुगरा नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आपने नहीं कहा। आपने नहीं कहा। नहीं कहा। मैं खुद स्वयं अपनी तरफ से कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह जताने की चेष्टा की कि केन्द्र से पैसा आपको मिल रहा है पर आप हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि आपको केन्द्र से कुछ नहीं मिलता। आप एक्स्ट्रा लोन लेकर, विदेशी संस्थाओं से लोन लेकर राज्य को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं और इसके परिणाम बड़े घातक होंगे। यह भी कहा कि मुख्य मंत्रीजी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते हैं राजस्थान के लिये, इससे राजस्थान की साख गिरती है। राजस्थान फांउडेशन के बारे में यहां जिक्रा किया। व्हाइट पेपर के बारे में यहां जिक्रा किया गया।

अब मैं सबसे पहले, श्रीमन्, अपने माननीय सदस्यों से क्षमा चाहते हुए कुछ मूलभूत मुद्दों पर बात करना चाहूंगा, जो बेसिक इश्यूज यहां पर उठाये हैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, उप नेता महोदय ने, पूर्व वित्त मंत्रीजी ने। सबने एक ही बात यहां पर कही, करीब मिलती-जुलती बातें थी। उपाध्यक्ष महोदय, व्हाइट पेपर से चर्चा शुरू करना चाहूंगा। पहले दिशाहीनता के बारे में कहना पसन्द करूंगा कि इस बजट को उन्होंने दिशाहीन कहा है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। इनको इसमें दिशा नहीं दिखती तो मैं यह कहता हूं कि यह इनका राजनीतिक दृष्टिकोण है। हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। श्रीमन्, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्यूरिज्म के ऊपर, उद्योगों के रिवाइवल के ऊपर इस बजट के अन्दर जोर दिया है। मैंने एडिक्वेट प्रोविजन भी इसके लिये किया है और पिछले साल से ज्यादा प्रोविजन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पावर क्षेत्र के बारे में मैं दोहराना नहीं चाहता, खुद आपने स्वीकार किया है। मैं यह बात कहना चाहूंगा, उस सभा के अन्दर जहां पर प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी आये थे कोटा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने के लिये, प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी वहां मौजूद थे, और मैं भी वहां था। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य मंत्रीजी ने वहां जाने का मुझे निर्देश दिया था। कारण बैंगलोर में ए.आई.सी.सी. का सैशन था। आपकी उपस्थिति में प्रधानमंत्रीजी ने बहुत साफ कहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का जो कार्य है वह प्रशंसनीय है। आप उपस्थित थे। अकाल के मैंनेजमेंट के बारे में...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा समझते हैं कि बिजली सुधार कार्यक्रम का मतलब टैरिफ बढ़ाना है। यह नहीं है। यह न मेरे दिमाग में है, न प्रधानमंत्रीजी के दिमाग में है। रिफार्म्स का मतलब यह है कि आप बिजली के वितरण में जितना सुधार कर सकते हैं, सुधार करें। जिसके कारण किसान को सस्ते दामों पर बिजली मिल जाए। कहीं भी आप मुझे बता दें कि रिफार्म्स का मतलब केवल टैरिफ बढ़ाना है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके रिफार्म्स की नई कल्पना होगी। आपके रिफार्म्स की कोई नयी योजना होगी जिसमें कि आप कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब टैरिफ बढ़ाना ही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो इन्क्रीज करना पड़ेगा उस घाटे से उबारने के लिये। यह बात मेरे मुंह में डालकर कहलवाने से... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका मकसद मैं समझता हूं यह रहा। प्राइम मिनिस्टर का मकसद भी नहीं है टैरिफ बढ़ाना।

(18.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, प्रधानमंत्री यह भी जानते हैं कि रिफार्म्स का मतलब केवल टैरिफ बढ़ाना नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : बिलकुल। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ पावर को लेकर तो प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि जो कास्ट आफ प्रोडक्शन आता है पावर का उसका कम से कम 50 परसेंट किसानों से वसूल करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने वही किया है क्या?

श्री अशोक गहलोत : हमने तो नहीं किया फिर भी यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो 50 परसेंट से ऊपर गये।

श्री अशोक गहलोत : मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्रीजी ने कहा उसके बावजूद भी राजस्थान में हमने नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, किया नहीं, हो गया पहले ही कास्ट आफ प्रोडक्शन से ज्यादा ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले रहे हैं यहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं। पावर रिफार्म्स की यहां पर बात चली है, उपाध्यक्ष महोदय। जून, 2000 के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली के अन्दर एक कनक्लेव बुलाया था। कांग्रेस के मुख्य मंत्री और कुछ और लोग भी आये थे। उसके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बाद हम प्रधानमंत्रीजी से मिलने गये थे, राज्य के वित्त मंत्री भी उसमें साथ थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्रीजी ने यह बात कही थी कि कुछ क्रांतिकारी कदम उठाइये। मैं वर्बेटिम रीप्रोड्यूस कर रहा हूं, भूला नहीं हूं। ओपनिंग सेंटेंस प्रधानमंत्रीजी का यह था, 70 मिनट बात हुई थी सब की "क्रांतिकारी कदम उठाइये। मैं यह जानता हूं कि कुछ स्टेट पावर रिफोर्म्स करती हैं तो हमारे दल उसका विरोध करते हैं, कहीं पर दूसरी सरकारें पावर रिफार्म्स करती हैं तो कांग्रेस वाले उसका विरोध करते हैं। ऐसे मामलों के अन्दर एक आम सहमति बननी चाहिए।" इसके ऊपर मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता, यह शार्ट में आपको बता रहा हूं। तो पावर के अन्दर थर्स्ट दिया हमने।

आपके सामने जनरेशन की बात कही। आगे का प्रोग्राम रखा है। नये सबस्टेशंस बनाने के बारे में मैंने बातें कहीं। मैंने यहां पर रोड सैक्टर के बारे में बात की। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। यह बात सही है कि कुल 600 करोड़ का प्रावधान तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया है। यह बात जरूर है कि सी.आर.एफ., पी.एम.जी.वाई. के अन्दर हम को भारत सरकार से पैसा मिल रहा हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि राजस्थान ने उस पैसे को यूटिलाइज मैग्जिमम किया है। भारत सरकार के सचिवों ने, मंत्रीजी ने स्वयं इस बात की तारीफ की है कि राजस्थान सरकार ने मैग्जिमम पैसा उठाया है, इसका उपयोग किया है।

श्री मदन दिलावर : ओनली 20 परसेंट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : छोड़ो, यह आपके समझ के बाहर की बात है। बीच में क्यों बैठे हो यहां?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इर्रिगेशन के ऊपर यहां पर कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं था, मेरा सवाल सीधा था कि सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम की मैचिंग ग्रांट के लिए बजट में प्रोविजन बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, प्रोविजन यह रहा, मंगा लिया पूरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किस योजना के बारे में पूछना चाहते हैं, बोलें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब योजनाओं के बारे में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सब योजना, कौन कौनसी योजना है सब?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी जिन योजनाओं का...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना तो आपको योजनाओं के बारे में सब के बारे में मालूम है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आश्वासित रोजगार योजना...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप सुनिये कृपया। अगर बीच में मेरे उस क्रम को तोड़ कर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनिये। एलोकेशन 2001-2002 का एस.जी.एस.वाई., सैंट्रल का 1759 करोड़ रुपया, स्टेट का 566 करोड़ रुपया। जे.जी.एस.वाई., यह है 56 करोड़ 79 लाख रुपया और स्टेट का 1896 लैक्स आफ रुपीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सैंक्शन बताओ न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सैंक्शंस क्या, खर्चा हो गया। मैं खर्चे की फिगर दे रहा हूं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एलोकेशन बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : खर्चा हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एलोकेशन से क्या है, हमें ही मालूम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खर्चा हो चुका। रुको, बैठ जाओ, फालतू बात करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई? एलोकेशन तो हमें ही मालूम है। एलोकेशन तो सब को मालूम है, कितना परसेंट स्टेट का शेयर है और कितना सेंटर का शेयर है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप तो सैंक्शन बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप +++ आंकड़े पेश कर रहे हैं। यह हमें भी मालूम है कितना सैंट्रल शेयर है, कितना स्टेट शेयर है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : केवल बारां जिले का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गुस्सा करते हैं बिना मतलब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह खाली जोर से बोल कर चाहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कहूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गुस्सा करके हमको प्रभावित नहीं कर सकते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप, श्रीमन्, अपने पीछे वालों को देखिये, उनका क्या हाल हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे मैं आपकी जेब काट रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पीछे मुड़ कर देंखे जरा, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो मुस्करा रहे हैं, आप अपना चेहरा देखे, आपका चेहरा कैसे लाल हो रहा है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पीछे मुड़ कर देखें जरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया, देख लिया, लेकिन आपको गुस्सा इसलिए आया न। आपको तो गुस्सा ऐसे आ रहा था कि जैसे आपकी मैंने जेब काट ली।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, जेब तो नहीं काटी, श्रीमन्, सच कड़वा होता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, एक मिनट रुकें पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप जो डाकुमेंट पढ़ रहे हैं उस डाकुमेंट को कोट कर दीजिये चाहे। आप कौनसे फिगर से बोल रहे हैं, किस पेज पर बोल रहे हैं कुछ बताइये जिससे कि उसको डिसाइफर किया जा सके। आपके फ्लो को हम तोड़ना नहीं चाहते लेकिन आप कोटेशन करैक्टली दे दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, यह फिगर मैंने अभी स्पेशल स्कीम डिपार्टमेंट से ली है। मैंने दोपहर में ही कह दिया था तैयार करके आना क्योंकि यह बात कई दफे बजट भाषण के अन्दर आ चुकी है। मुझे मालूम था और यह मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बता रहे हैं आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, मैं बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह खर्चा बता रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता महोदय पूछ रहे हैं एलोकेशन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, सुन लें, डाक्टर साहब, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं एलोकेशन... (व्यवधान)... प्रोविजन नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से वित्त मंत्रीजी के भाषण के अन्दर इन्टरप्ट किया गया तो यह भाषण कैसे देंगे और यह किस प्रकार से चलेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल इन्टरप्ट नहीं कर रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कृपया आप इनको सुनिये। हमने लीडर आफ अपोजिशन को बराबर सुना है। जब वो बैठना चाहते थे तो वो खुद ही इशारा करते थे और फिर पानी पीकर वापस खड़े होते थे। हमने इतना मार्जिन रखा। आप मेहरबानी कीजिये, इनको सुनिये। इनकी पूरी बात सुनते तो हैं नहीं और पहले से ही आप...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको ब्लड प्रेशर की गोली दे दीजिये, इसकी जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको भी इस बात की जरूरत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिन्ता नहीं करें मेरे ब्लड प्रैशर की। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपको मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, एक सांस में दो बात कहने की यहां चेष्टा की गयी। कई दफे तो कहा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, आपने उस सी.एस.एस. के एलोकेशन के खिलाफ जो आपका शेयर था उसका एलोकेशन ही नहीं किया, कोई प्रावधान ही नहीं किया। चलिये, जब उसका प्रावधान सुनाना शुरू किया तो कह रहे हैं आपने खर्चा कितना किया? श्रीमन् मेरे पास पूरे फिगर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने यह अपने बजट भाषण के अन्दर कहा है, मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर यह बात कही है कि राज्य की स्कीम...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो इस बजट का एलोकेशन बता दीजिये, प्रीवियस वाला नहीं। वे इस बजट का एलोकेशन पूछ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुमित्राजी, बैठिये आप। (व्यवधान) क्या बात कर रही हो?

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्रीजी, आप इस तरह डांटो मत, आप बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दे रहे हो, हमें डांट रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दे रहे हो या डांट लगा रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डांट रहे हैं हमें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पूछना है पूछ लीजिये, यह कोई डिबेट का तरीका थोड़ी ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप एवरी सैकण्ड मिनट अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो यह हाउस कैसे चलेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं करेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, एक घंटे तक आपको सुना है। आप क्वेश्चन कर लेना बाद में, इट्स आल राइट, लेकिन इनको बोलने दीजिये न। आप हर मिनट में खड़े हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी ही चलता है। (व्यवधान) प्लीज, सुन लीजिये। इनको पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फटाफट खड़े होने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको सुन लीजिये पहले, आप बाद में पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सुन रहे हैं न। सुनने के बाद में यह जैसे खेत सिंहजी ने कहा, किसी भी समय भाषण खतम करके जा सकते हैं। भागे हुए हैं पहले।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप मुझे पर भरोसा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भागे हुए हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह नहीं कहा है, न यह जाने वाले हैं। एक-एक सवाल का जवाब देंगे यह, आप शांतिपूर्वक सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आप तो इनके खिलाफ हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम इनके खिलाफ़ हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मालूम क्या संकेत दे रहे हो कि, भाई, ज्यादा बोलेंगे तो भाग जाओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कमाल की बात करते हैं, मेरे पड़ौसी हैं और सबसे नजाकत वाले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको यह भ्रम है कि सैंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स के तहत राज्य सरकार ने जो हम को मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना है उसका प्रावधान नहीं किया। यह बात सत्य से कोसों दूर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो बता दो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बता दिया न आपको। डेटा इतने ही बहुत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता कहां दिया? यह बजट पड़ा, बजट की डिमांड पड़ी, बता दो किस में है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको बताया, आप सुनना नहीं चाह रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बताया? आपने कागज ले लिया और बता दिया।

डा. किरोड़ी लाल : मैचिंग तो बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनो, ऐसे मत करो देखो आप। सच कड़वा होता है। अगर बीच-बीच में इन्टरप्ट करोगे, क्योंकि आप एक बात कह गये अब आपकी बात को मैं कह रहा हूं कि आपके पास सूचना गलत थी तो आपको बुरा लग रहा है, आप सुनना नहीं चाहते। डेमोक्रेसी का जो डिबेट का स्टैंडर्ड है, डिबेट की जो बात है, पार्लियामेंट्री डिबेट के नार्म्स के खिलाफ है कि आप आप अपनी बात कह लीजिये, दूसरे की बात न सुनें। पिछले साल भी यही हुआ था, मैं खड़ा रहा आधा घंटा तब आपने मुझे कहा कि, नहीं, अपनी बात कहेंगे वित्त मंत्रीजी। शांतिपूर्वक हमने सब को सुना, यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उप नेता महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, सबको पिन ड्राप साइलेंस में सुना। अब जब हम कोई बात कहते हैं तब आप उसको सुनना नहीं चाहते। आप जो फिगर कहें मैं आपको देता हूं। ई.ए.एस. के अन्दर 5000...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये फिगर्स तो हैं हमारे पास।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह पूछना चाहता हूं कि बजट में प्रावधान क्यों नहीं रखा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता दीजिए तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बी.एफ.सी. में है। बी.एफ.सी. मैं यहां लेकर नहीं आता?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मंगवा लीजिए बजट की कापी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर गलत बात कहूं तो मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज आ सकता है, मूव ए ब्रीफ आफ प्रिविलेज अगेंस्ट मी। मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा, मैं आपकी मार्फत आश्वासन दे रहा हूं। अगर मैं असत्य बोलूं इस सदन के अन्दर तो आप मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज ले आइये, नम्बर वन।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और नम्बर दो, मैं भिजवा दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप अपनी बात कहते जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिशा की बात कर रहा था, आपने कह दिया कि सी.एस.एस. का एलोकेशन किया कि नहीं किया। ये तो सब बाद के सवाल थे, अभी शुरूआत की थी मैंने। दिशाहीन, अब उनको दिशा खुद को नहीं दिखे तो उसका मुझ पर इलाज है नहीं, श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इर्रिगेशन सैक्टर के अन्दर यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यहां की नहरों और बांधों के बारे में चर्चा की कि उनकी हालत खराब है। हमने नयी योजनाओं के लिए नाबार्ड से लोन लिया और इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक से एक एग्रीमेंट किया जिसके जरिये जो राज्य के पुराने बांध हैं, राज्य की नहरें हैं उनका माडर्नाइजेशन करेंगे। साथ में गंग कैनाल के बारे में प्रावधान किया जो पुरानी पड़ी हुई थी जिसकी सत्तर साल से मरम्मत नहीं हुई थी, रिपेयर्स नहीं हुई थी। नम्बर तीन, जो इण्डस्ट्रीज सिक हो गयी थीं उनके रिवाइबल के लिए पैकेज दिया। ट्यूरिज्म के लिए प्रोविजन बढ़ाया। जो ट्यूरिज्म महत्व की सड़कें थीं उनको इंक्लूड कराया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये दिशा दे रहे हैं क्या आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अब रुकें, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....कि सड़कें बन रही हैं। यह दिशा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां। यह दिशा नहीं है तो क्या है यह? अगर आप कहते हैं कि थ्रस्ट नहीं है तो आप दिशा किसे कहते हैं वह आप बता दीजिए। दिशा कहते किसको हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोई भी म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइये, म्यूनिसिपैलिटी वाले कहेंगे कि मोहल्ले की...

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मैं आपकी दिशा से नहीं चलने वाला हूं, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया न, आप म्यूनिसिपैलिटी का बजट देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है क्या कि ये कचरा उठाएंगे। अब यह कोई दिशा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो दिशा किसे कहते हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा ही होती हैं क्या? कमाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो उत्तर मान लिया आपका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बोलने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक पैकेज दिया हमने, जो सिक इण्डस्ट्रीज हैं उनको डाइबर्सिफाई करने की बात की। राज्य में नये उद्योग लगे हैं उसमें परचेज टैक्स में रिलीफ देने की बात की। यह दिशाहीनता की बात है? मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर व्हाइट पेपर को लेकर एक बात की गयी। साथ-साथ एक बिलकुल डेफिनिट अलग से पाइंट जो आपने कहा उसके बारे में मैं खास तौर से यहां निवेदन करना चाहता हूं, वह भी एक भ्रम पैदा करने की बात यहां पर कही गयी एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट के बारे में। किसी भी फारेन एजेंसी से डायरेक्ट लोन लेने का राज्य सरकार को हक नहीं है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स हों, चाहे जर्मन हो, जर्मनी एड का मामला हो और जापानीज एड का मामला हो, किसी सैक्टर में हो, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नेगोसिएशन करके किसी से लोन नहीं ले सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक नहीं लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर आपने तो यह कहा था कि आप ट्रैप में फंस जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुर्भाग्य है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के बारे में जानते नहीं हैं कि इन पर भी भारत सरकार से काउन्टर गारंटी लेनी पड़ती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप सुनें। यह सारा लोन भारत सरकार से आता है। इतना मुझे मालूम है। यह सारा लोन भारत सरकार के अन्दर मिनिस्ट्री आफ इकानामिक अफेयर्स के थ्रू आता है और इसके ऊपर जो रेट आफ इंट्रेस्ट है वह भारत सरकार तय करती है। यह भी सही है कि रेट आफ इंट्रेस्ट है 12 प्रतिशत की दर से राज्य से लिया जाता है जिसके बारे में राज्य सरकारें बराबर केन्द्र सरकार से कहती आ रही हैं कि इस रेट आफ इंट्रेस्ट को आप कम कीजिए। आपको तीन परसेंट और चार परसेन्ट के ऊपर मिलता है, इस रेट आफ इंट्रेस्ट को कम किया जाना चाहिए।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसके अलावा यहां पर एक बात और कही बार-बार जिसको भी मैं बार-बार दोहराता आया हूं कि आपको भारत सरकार से अधिक पैसा मिला। मैं बार-बार कहता आया हूं कि हमको संविधान के तहत मिलता है। पिछले साल भी मैंने यह बात कही। यह बात बाहर भी कही जाती है। सदन के अलावा बाहर भी इस बात को करने की चेष्टा की जाती है कि राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार के पैसे के ऊपर चल रही है, इनको मदद दे रहे हैं नहीं तो राज्य सरकार फेल हो जाती। यह यहां कही जाती है सदन में और सदन के बाहर भी। यही मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि संविधान के तहत केन्द्र के राजस्व के अन्दर राज्य को हिस्सा पाने का अधिकार है और वह हिस्से का प्रतिशत क्या होगा, इसका फैसला हर पांचवें साल जो फाइनेंस कमीशन अपाइंट होते हैं वह करेंगे। इस बात को बार-बार यहां कहा जाता है और बार-बार मुझे दोहराना पड़ता है। यह बात भी बहुत साफ हो जानी चाहिए कि केन्द्र से जो हमको हिस्सा मिलता है वह किसी की दया के ऊपर प्राप्त नहीं होता है, हमारा कानूनी अधिकार है और कानून के तहत प्राप्त होता है राज्य सरकारों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, फिर ऐसी बात करते हैं। (व्यवधान) फिर हमें बताया क्यों नहीं कि कितना पैसा मिला है।

डा. किरोड़ी लाल : कितना पैसा मिला, साहब? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, सुने जाओ आप तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहा कि राज्य के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है। यह बात निश्चित है कि राज्य के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है। और यहां पर कहा कि जब आपकी सरकार आयी तो आपने व्हाइट पेपर पब्लिश किया और व्हाइट पेपर पब्लिश करके आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया। मैं अगर उसका कंक्लूडिंग पैरा पढ़ूं, श्रीमन्, न तो इनके ऊपर राज्य की वास्तविक स्थिति थी, राज्य की वास्तविक स्थिति से राज्य की जनता को अवगत कराना था जो इसका लास्ट पैराग्राफ है:–

"The situation is certainly of crisis proportion and drastic measures such as economy in expenditure at all levels of government, resource mobilisation, speedy recovery and collection of taxes are called for. However, given the cooperation of the people, especially the public servants, the tax payers, the government is determined to turn the corner." यह बात हमने कही थी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां से बोल रहे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हुआ क्या इसका?

श्री प्रद्युम्न सिंह : व्हाइट पेपर से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्हाइट पेपर के अन्दर दूसरी बात लिखी हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आखिरी पैरा निकालिए। आप आखिरी पैरा पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बता दूं आपको। देखिए, व्हाइट पेपर में आप एक बात का जवाब दें आपने जो डैट का हिसाब दिया वह ग्रास था या नैट था?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जवाब नहीं दें तो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने क्या पूछा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह पूछा कि आपने तेईस हजार करोड़ रुपये जो बताये हैं यह ग्रास डैट था या नैट था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, मैं आपको, यह नैट डैट था, ग्रास डैट था, जो भी डैट साल के आखिर में आता है, That is known as net debt. यह तो जो भी साल के आखिर में, यहां पर लास्ट ईयर भी, इम्तिहान लेने की चेष्टा करते हैं। मुझे भी तीन साल हो गये, प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो शुरू से बचपन से ही जानते हैं बजट का मामला।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जानता तो नहीं हूं। आप शायद बचपन से ही फाइनेंस समझते होंगे। (व्यवधान) मैं तो नहीं समझता। लेकिन यह बात निश्चित है कि नेट डैट जो था स्टेट के ऊपर ग्रास के अन्दर वह शरीक हो जाता है जो कि डे-टू-डे वेज एण्ड मींस की पोजीशन आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिसमें ओवरड्राफ्ट होता है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेट डैट था स्टेट के ऊपर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है। आपको डेफिनिशन की जानकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नेट डैट यह है कि कर्जा लेने के बाद उस पीरियड में आपने चुकाया कितना। चुकाने के बाद जो बचता है वह नैट है, बाकी ग्रास है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपका नैट डैट था। 31 मार्च को...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी राज मजे में चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपका उत्तर सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सत्य कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस बहुत हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्जे के बारे में कहा। अब कर्जा किसलिए बढ़ा स्टेट के ऊपर, अगर उन कारणों में जाना पड़ेगा और क्या उपाय है, जब तक आप उन कारणों के अन्दर नहीं जाएंगे तब तक आप किन कारणों से स्टेट का कर्ज बढ़ा, उन पर तो आपको गौर करना पड़ेगा ही। जब कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली थी उस वक्त 23,840 करोड़ रुपये का कर्जा था स्टेट के ऊपर और करीब रफली 2200 करोड़ रुपये की इंटरेस्ट लायबिलिटी थी। अब अगर आप नोट करेंगे तो उसके बाद फिफ्थ पे-कमीशन की रिपोर्ट, पेंशन का भार आपने जाते जाते आक्ट्राय का एबोलिशन किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लाटरी बन्द की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : की, आपने चालू कर दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम चालू कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो भागती हुई फौजें थीं, इनको तो जितना बेड़ा गर्क करना था वह कर गये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो इनको विथड्रा करने का मन बनाकर आये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पे कमीशन के अनुरूप ग्रांट इन एड में भी इजाफा हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो आयी, आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। आर्थिक मंदी के दौर के कारण से जो रिसीट स्टेट को मिलनी चाहिए थी, जो इजाफा होना चाहिए था टैक्स रेवेन्यू के अन्दर वह इजाफा हो नहीं पाया।

आपको जानकर आश्चर्य होगा, उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 के अन्दर पेंशन के लिए 909 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और करंट ईयर के बजट के अन्दर 2030 करोड़ रुपये का पेंशन का प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपकी गलती थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2030 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भार लिया है जबरदस्ती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पे कमीशन के कारण सैलेरी और वेजेज के अन्दर इजाफा हुआ। ग्रांट इन एड बढ़ी। मैंने आपसे कहा, कुल मिलाकर जो भार बढ़ रहा है, साथ में आपकी 2200 करोड़ रुपये की इंट्रेस्ट की लायबिलिटी है एवरी ईयर। आज इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस पर दुगुनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज दुगुनी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज है 4,372.

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है।

श्री जुगल काबरा : वह इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुगनी?

श्री हीरालाल विश्नोई : इन्होंने कर्जा लिया इनका विकास हुआ, आपका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने समझ की बात है, इनके समझ की बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसके साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान राज्य ही ऐसा नहीं है हिन्दुस्तान के हर राज्य के सामने यह समस्या पैदा हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह व्हाइट पेपर के टाइम पर नहीं था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हिन्दुस्तान के हर राज्य के सामने लेकिन 1996-97 में और 1998-99 में जो आपका इजाफा हुआ है, जो जम्प आपने लिया है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब देखो आप आंकड़े से बात करो तब तो बात समझ में आएगी। यहां केवल यों घुच-पुच करके आधी इधर से आधी उधर से की, आप फिगर से स्पष्ट करिये। (व्यवधान) मतलब फिगर कभी यहां से उठाते हैं कभी यहां से उठाते हैं। बात को कहीं जमने ही नहीं देते हैं। एक्चुअली में जब आप कम्पेरीजन करो तो दोनों की करो, इस समय यह स्थिति थी, इस समय यह है।

श्री हीरालाल विश्नोई : बात तो जमेगी कैसे, कुछ बात को जमने तो दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तर्क से समझाओ तो समझने के लिए तैयार हैं। तर्क से तो समझाएंगे नहीं। आधी बात यहां से करते हैं, आधी बात यहां से करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1997-98 के अन्दर राज्य के ऊपर कुल देनदारियां 19,262 करोड़ की थीं और 1998-99 में देनदारियां बढ़कर 24,170 करोड़ की हुईं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लिया ना यह तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आप लास्ट की बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप एक मिनट सुन लीजिए इसको। अगर आप गौर करेंगे, 1997-98 तक तो वृद्धि जो थी 1996-97 के मुकाबले में 2486 करोड़ की थी और एकदम जम्प लेकर वह वृद्धि आयी 4908 करोड़ की। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि...(व्यवधान) फिजिकल स्ट्रैस के अन्दर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम टोकना नहीं चाहते, आपसे हम डरते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। हम आपको टोकना भी नहीं चाहते और आपसे हम घबराते भी हैं, बीच में बिलकुल छोड़कर चले गये। हमने पूछा हमने कितना छोड़ा था और आज कितना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आगे की फिगर बताओ ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज है 44,685...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चाहोगे जो थोड़े ही बोलेंगे। उनके जंचेगी जो बोलेंगे। आपके कहने से थोड़े ही बोलेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण में बार बार डिस्टर्ब क्यों हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोड़ कर तो कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो आप बात समझना चाहते हो उसके फिगर तो देकर समझाओ ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरा पानी पी लो, गोली ले लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे वही कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अधूरी बात छोड़ देते हो आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह आ रहे हैं उसी लाइन पर आ रहे हैं, आपकी लाइन पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में उछल-उछल कर पूछते हैं, मैं समझता हूं आप एक एक मिनट में खड़े होंगे तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम बिलकुल नहीं होंगे, आप जोड़ कर बताओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम खड़ा होना नहीं चाहते पर आप...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपके नेता महोदय तो समझ चुके खेतसिंह जी की बात के बाद, अब आप क्या समझना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के अन्दर देनदारियां बढ़ीं 5841 करोड़ से, 2001 के अन्दर 3863 करोड़ से, 2001-2002 में 4843 करोड़ से और एस्टीमैट है 5662 का इस साल। कुल देनदारियां 2002-2003 के आखिर में हो जाएंगी 44,379 करोड़ की।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्ट्रैस की बात करते हैं कि राज्य स्ट्रेस के अन्दर आ गया, शुरूआत कहां से हुई थी? राज्य के फाइनेंसेज की हालत बिगड़नी शुरू हो गयी थी अगर आप गौर करें तो 1997-98, 1998-99 से बीज इसके बुव गये थे।

श्री मदन दिलावर : इसलिए आपने अंकुरित करवाया है उन्हें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके बीज तब ही हो गये, मेरे कहने का अभिप्राय है। मैं इसकी दूसरी बात और कहता हूं कि अगर आप इसको देखें, गौर करें, मेरे पास फिगर्स हैं दूसरे राज्यों के भी जो बड़े राज्य और समकक्ष राज्य हैं, मैंने कल रात को इसके फिगर निकाले। आंध्र प्रदेश के अन्दर मेरे पास 2000-2001 के फिगर हैं, लेटेस्ट फिगर नहीं हैं। टोटल डैट आंध्र प्रदेश 29,992 जो 2001 में हो गया 37,993...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके साथ यह भी फिगर बता दो कि तेईस हजार करोड़ रुपये जब हम पर कर्जा था बाकी की स्टेट्स में कितना कर्जा था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am coming to the second point. मैं आपके दूसरे पाइंट के ऊपर आ रहा हूं कि जिस गति से कर्जा बढ़ रहा है जो कारण राज्यों के पक्ष में है, आल इण्डिया है। आज हमारे ऊपर आप कहते हैं कि 29 प्रतिशत आपकी रेवेन्यू रिसीट्स ब्याज की अदायगी में जा रही हैं, यह बात सही है, 29 पाइंट कुछ है। भारत सरकार का तो 47 प्रतिशत है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सारे राज्य इस वक्त कठिनाई के अन्दर हैं। हिन्दुस्तान के सारे राज्य कठिनाई के अन्दर आ गये हैं और सब राज्यों को मिलकर तय करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इस समस्या का निदान होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जवाब खेतसिंह जी के पास है, क्या इन्तजाम करें इसका।

श्री जनार्दन गहलोत : भैरोंसिंहजी के बीज बोये हुए थे जैसे इन्होंने कहा ना हमारे लिये हुए...

श्री खेतसिंह राठौड़ : चौबीस हजार करोड़ कर्जा छोड़ गये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बार-बार भारत सरकार से इस बात को कहा है कि आप इसको ब्लाक लोन के रूप में ट्रीट करें- री-शिड्यूलिंग आफ दी लोन्स। जब तक आप री-शिड्यूलिंग नहीं करेंगे रेट आफ इंटरेस्ट के अन्दर आज भी भारत सरकार से 12 प्रतिशत चार्ज हो रहा है उसको आप कम कीजिए।

स्माल सैविंग्स के पेटे तो उन्होंने ब्याज को कुछ घटाया है लेकिन ओवरआल एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स का जो ब्याज है वह आज भी बारह प्रतिशत चल रहा है, इसमें कमी लाएं आप। दूसरा हमने उनसे निवेदन किया है कि जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स का हमको रुपया है उसके अन्दर भी [illegible]

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रतिशत ब्याज के ऊपर राज्यों को रुपया दें क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा तीन से चार प्रतिशत बहुत-सी योजनाओं में रुपया मिल रहा है जो आप स्टेट को पास-आन कर रहे हैं।

दूसरी बात हमने कहा कि जो हमारा प्लान असिस्टेंस का फार्मूला है गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, जिसकी कि बराबर मांग की जाती रही है, अभी स्टेट को मिल रहा है 70 परसेंट लोन, 30 परसेंट ग्रांट। हम बराबर मांग कर रहे हैं, फिफ्टी लोन फिफ्टी ग्रांट के रूप में इसको किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे आने के पहले केन्द्रीय सरकार कांग्रेस के हाथ में थी उस समय क्या कम किया था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मांग कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी मांग करते आये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां तो ठीक है। मांग करने का...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने भी मांग की है, लगातार मांग करने से क्या होगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जितनी नयी हिली स्टेट्स हैं, जो यहां पर बात कही प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कि आप राजस्थान का अहित कर रहे हैं, राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अन्दर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अहित नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं आप। स्पेशल कैटेगरी ग्रेड्स के अन्दर अभी श्रीमन् राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति डैजर्ट को देखते हुए, हिली ट्रैक को देखते हुए राजस्थान के हित में बात करना राजस्थान का अपमान करना है तो यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय के पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपके पैरामीटर वही हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैरामीटर्स मेरे नहीं हैं, मेरे नहीं हो सकते। आप ध्यान रखिये कि हिली एरिया के लिये और डैजर्ट के लिये आज से नहीं, पहला प्लान बना था, गाडगिल फार्मूला बना था उस समय से लगातार मांग होती जा रही है। यह नयी बात नहीं कह रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह स्वीकार नहीं करें...

श्री जुगल काबरा : वह कह रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अन्दर राजस्थान को नहीं लेना चाहिये। क्या दिक्कत की बात है? राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां है अगर डैजर्ट स्पेशल स्कीम मांगी जाती है, बोर्डर एरिया डवलपमेंट फण्ड भारत सरकार भी तो देती है।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी और वित्त मंत्रीजी ने तय कर रखा है, वह उठेंगे तब यह पानी पियेंगे। जब यह बोलते थे तो वह पानी पी लेते थे। यह प्री-प्लांड मामला है, एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें मैं समझता हूं बहुत ही वाजिब मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप इनकी बात को छोड़ कर इतने माननीय सदस्य बोले, उनके सम्बन्ध में कुछ बोलो। यह तो आपकी मानेंगे हैं नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोन की तो कामन बात थी, व्हाइट पेपर की कामन बात थी, प्लान की कामन बात थी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्लान साइज घटायी वह तो बात बताओ आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पिछले साल विस्तार से आपको जवाब दिया। चलिये प्लान पर सुन लीजिये अब आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले साल तो बजट लीकेज के कारण से घबरा गये थे आप। आप घबरा गये थे...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, बजट लीकेज भी सुन लीजिये आप। प्लान के बारे में आप सुनना नहीं चाहोगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, सुनना चाहते हैं लेकिन आप...

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिये आप उसको टालना चाहते हैं।

श्रीमान्, यहां पर कहा कि प्लान फाइनेंस सारा कर्ज से होगा एर्थ प्लान का। लूणकरणसर से आने वाले सम्माननीय सदस्य भूल गये, एक प्लान के अन्दर 85 परसेंट, एर्थ प्लान लोन के आधार पर हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस बार का कितना है? इस बार का और बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 102 परसेंट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस, फिर क्या है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हो गया फिर?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमारे प्लान के बारे में कहते हो 102 परसेंट, अपने एर्थ प्लान के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपके दोहरे मापदण्ड हैं। आपके दोहरे मापदण्ड हैं बिलकुल। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बढ़ा कितना?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा बढ़ाया लेकिन प्लान साइज छोटी नहीं की, कर्जा लिया हो चाहे कुछ किया हो, प्लान साइज छोटी नहीं हुई। आपने कर्जा भी लिया, प्लान साइज भी छोटी कर दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्योंकि आपकी नाइंथ प्लान की अवधारणा ही गलत थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवधारणा गलत नहीं है, यह कमजोर सरकार के लिए गलत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी अवधारणा ही गलत थी बिलकुल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान को डुबाने का आपने षड्यंत्र किया है इस योजना को कम करके ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपने बिलकुल राजस्थान की पब्लिक को चुनाव के अवसर पर धोखे के अन्दर डालने की चेष्टा की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप क्या कर रहे हैं ? दसवीं योजना बनायी, 102 परसेंट फाइनेंसिंग है उसमें । 102 परसेंट खुद माना है आपने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है प्रतिपक्ष से, निरन्तर इस सदन की वैल एस्टब्लिश्ड परम्पराओं को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा रहा है। पिछली बार जब सदन के नेता बोलने के लिये खड़े हुए, आपको कितनी बार एडजोर्नमेंट लेना पड़ा। राजस्थान के पचास वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सदन के नेता के बोलने में अवरोध पैदा किया गया। इसी प्रकार से अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी बोले, मुख्य मंत्रीजी को एक बार इन्टरप्ट नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुवा): हम बहुत शांत थे। अब आप नयी परम्पराएं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय नयी परम्पराएं कायम कर रहे हैं। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आपने भी रिप्लाई दिया है, हमने शांतिपूर्वक सुना है। अब वित्त मंत्रीजी जब रिप्लाई दे रहे हैं आप बिलकुल शांतिपूर्वक नहीं सुन रहें हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप मुद्देविहीन हो चुके हैं। इनकी जबान का कोई प्रश्न आपके पास है नहीं इसलिये आप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान को गर्त में ले जा रहे हो। राजस्थान को गर्त में ले जा रहे हो इसलिये पीड़ा है इनको। इन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, आप राजस्थान को गर्त में ले जा रहे हो इसलिये पीड़ा है इनको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आगे जो दिख रहा है वह सुनिये, धैर्य से सुनिये जैसे हमने सुना है। धैर्यपूर्वक सुनिये। नयी परम्पराएं कायम मत करिये।

श्री मदन दिलावर : इसीलिये कहते हैं +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 27,500 करोड़ का नाइंथ प्लान बनाया गया..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 27,650 करोड़ का...

श्री प्रद्युम्न सिंह : रफली-रफली, राउंड फिगर में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं आप शांति से सुनिये, वर्ना मैं डिबेट क्लोज करके हाउस एडजोर्न कर दूंगा। कोई और चारा नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : कर दो। कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हर दो मिनट में आप खड़े हो रहे हैं तो वह कैसे बोलेंगे?

डा. किरोड़ी लाल : अब डाउट तो पूछेंगे ही, साहब। जो डाउट्स हैं वह तो पूछेंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष : आपको एक घंटे तक तसल्ली से सुना है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : बीच-बीच में नहीं पूछना चाहिए, आप बाद में पूछना।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है..

श्री हरिसिंह (महुवा) : वित्त मंत्रीजी के जवाब आने के बाद में आपको अधिकार है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इन्टरप्शन नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैंने निवेदन कर दिया कि आप जितना पूछना चाहोगे आपको पूछने दूंगा, फिर क्या बात है? लैट हिम स्पीक। आप उनका फ्लो तोड़ना चाहते हो। सुनना ही नहीं चाहते हो...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा बिलकुल सुनने की है इसलिये चाहते हैं कि जो एतराज खड़े किये हैं उन विषय पर ठीक तरह से जवाब आए। हम यह चाहते हैं और यही सुनना चाहते हैं। लेकिन आप क्या है कि बिंदु को पूर्ण नहीं करते और उसे बीच में छोड़ देते हैं। आप तो अपने बिंदु उठा लीजिये और उसको बोलते चले जाइये। बाद में हमें समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय कटारिया साहब।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप नोट करते जाइये ना। आप हर मिनट में एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आप व्यवधान डाल रहे हैं। आप नोट करते जाइये। जिन-जिनको प्रश्न पूछने हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी के जवाब समाप्त होने के बाद में आप प्रश्न पूछिये। कौन मना कर रहा है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बात ही नहीं समझ रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, प्लीज। माननीय मुख्य सचेतकजी, बिराजें। माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्रीजी एक मिनट में आप चाहो कि आप कहो जो वह बोल लें तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन आप कृपा करके इनको सुन लीजिये। जितना आपको पूछना है पूछ लीजिये। दो-दो मिनट में तो आप खड़े हो रहे हैं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मर्जी आये सो बोलने दो, साहब। बिना तर्क की तो बात बोल रहे हैं..

श्री मदन दिलावर : हां +++ ही करना है तो करने दें..

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बिराजो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नाइंथ प्लान के बारे में पिछले साल भी सवाल उठा तब भी मैंने विस्तार से जवाब दिया और इस साल भी मैं पुनः उसको दोहराना चाहता हूं कि रफली 27,500 करोड़ का इन्होंने प्लान बनाया। हमारे पास वे सब चीजें हैं जो आपकी बेरी कमीशन से बात हुई थी, वह पूरी प्रोसीडिंग मेरे पास मौजूद है। इसमें से मैं पढ़ कर सुना सकता हूं लेकिन मैंने उसके एक्सट्रेक्ट्स लिये हुए हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छा किया..

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने शुरू में कहा था, इस साल भी कहा है कि नाइंथ प्लान की अवधारणा ही गलत थी। गलत किस आधार पर था? उसका आधार देख लो। आप यह मानकर चले थे कि टैंथ फाइनेंस कमीशन के तहत 29 परसेंट का डिवोल्यूशन स्टेट को मिलेगा सेंट्रल शेयर आफ टैक्सेज के अन्दर। इसमें लिखा हुआ है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मिल गया ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मिल गया, मुझे नहीं मिला।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तभी तो आपकी अवधारणा गलत हुई..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं ना कि उसमें डिले हो गयी उसके कारण से आप यह कहते हैं 29 परसेंट मिला ही नहीं। आपको मिला है..

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो वह आप सुनें। तो अवधारणा ही तो गलत हुई। योवर एंटीसिपेशन कि आपने जो एंटीसिपेट किया था..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैंने नहीं किया। वह प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि 29 परसेंट डिवोल्यूशन मिलेगा। वह प्रोसीडिंग बता दीजिये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब ऐसा है प्लानिंग कमीशन ने कहा, आपने माना...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही बात हुई...

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लानिंग कमीशन ने तो कहा था कि आपका प्लान सस्टेनेबल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह प्रासीडिंग में है, आपने कहा था नहीं, सस्टेनेबल है। We will make arrangements of the Finances. उसके अन्दर यह भी लिखा हुआ है। आपका जो डेलीब्रेशन हुआ है उस वक्त उसके तहत टी.एफ.सी. की रिकमण्डेशन 29 परसेंट डिवोल्यूशन उस वक्त के परसेंटेज पर मानी जाती तो 950 करोड़ रुपये स्टेट को एक्स्ट्रा मिलता। वह मिला नहीं। प्लान फिफ्टी करो उससे देन एक्सटर्नली एडेड प्रोजक्ट्स में आपने कल्पना की थी कि इस प्रोजक्ट के तहत 5778 करोड़ रुपया हमको मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बाद की बात है। हम तो उस योजना में..

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज अब आप सुन लो सारा। अब यह बड़ा मुश्किल है। यह तो अनर्थ कर रहे हैं आप। मेरे संग आज यह अनर्थ मत करो आप..

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पाइंट नोट कर लो बाद में पूछ लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो आज आप जैसा सीनियर आदमी अनर्थ पर उतर आया कि हम यह नहीं सुनना चाहते..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप घर जाकर बता देना फिर यह। समझौता हो जाए, साहब, घर आकर बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 5778 करोड़ रुपए एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स का इन्होंने कन्सीव किया कि हमको इतना इस प्रोजेक्ट के तहत रुपया मिलेगा। मिला कितना? 1112 करोड़ और उपाध्यक्ष महोदय, शार्टफाल हुआ 4666 करोड़ का। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इनको उम्मीद थी कि सेंट्रलीस्पोंसर्ड स्कीम्स भी राज्य को ट्रांसफर हो जाएंगी जो ट्रांसफर नहीं हुईं। उसके तहत इन्होंने एनविसेज किया था कि हमको 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक साईमल्टेनियशली फिफ्थ पे कमीशन का जो इम्पैक्ट आएगा उस कैलकुलेशन को इन्होंने काउंट नहीं किया। वह बारह सौ करोड़ रुपये का भार था। पांच साल के अंदर छह हजार करोड़ रुपए हुआ। Shortfall of 4666 crores in the externally added projects, 700 crores shortfall in the central Sponsored Schemes and 950 crores shortall of not getting the revaluation as per the BFC's recommendations. करीब-करीब यह आकर 18 हजार करोड़ रुपए का शार्टफाल रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपा करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पूछ लेना मुझसे, मैं इसको खतम कर लूं..। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : याद कैसे रखेंगे? हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एक मिनट, यह स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं खतम कर लेता हूं, आप पूछ लीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैमोरी खतम हो गयी? (व्यवधान) नोट कर लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह बिलकुल आथेंटिक फिगर्स मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिगर्स के बारे में मैं डिसप्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप बात दें कि जो फीगर्स हमने दी थी उसमें प्लानिंग कमीशन का एप्रूवल है या नहीं है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लानिंग कमीशन की बिना एप्रूवल के होता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो एप्रूवल है ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप प्लानिंग कमीशन के सामने जाते हैं, आप प्लान साइज़ लेकर गये। प्लानिंग क़मीशन कहता है हमारे हिसाब से आपका प्लान इतने का बनता है। मैं भी प्लानिंग कमीशन में दो दफे गया हूं, कि हमारी राय में तो आपका प्लान इतने का बनता है। उसके बाद राज्य के मुख्य मंत्री, प्लानिंग मंत्री इस बात के लिए कहते हैं कि हम इतना एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। हमें इन सोर्स से इतना पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोर प्लान तो आपका इतने का है, बाकी आप प्लान बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद एप्रूवल तो देते ही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कहीं गलती नहीं है। आपने जो एनविसेज किया था एंटीसिपेट किया था आपको मालूम था कि पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, इसका भार आने वाला है। जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी तो उसका भार आने वाला था। आपको यह दिख रहा था। तब आपने क्यों इतना बड़ा प्लान साइज बनाया? छह हजार करोड़ तो उसमें ही गये। 27 हजार का अगर आप मानते हैं तो वैसे ही 21 हजार का रह गया। साढ़े 900 करोड़ रुपए तो आपको कम मिले नाइंथ फाइनेंस कमीशन के तहत, उसके अलावा सी.एस.एस. स्कीम्स नहीं आईं। उसके बावजूद आपने जो 27 हजार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का प्लान एनविसेज किया था वह आपका प्लान 16 हजार करोड़ रुपये का रह जाएगा, 15 हजार करोड़ रुपए का। उसके बाद भी वी शैल बी टचिंग, 20 हजार करोड़ रुपए का प्लान हम अब करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस गलत बात को स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही मिनट में कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका क्या इलाज है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेज में 29 परसेंट का डिवोल्यूशन राज्य सरकार को मिलने वाली बात थी, वह उस समय तय नहीं हुआ, फार्मूला तय हो गया था। हमने कोशिश की कि 29 परसेन्ट से 33 परसेन्ट तक जाएं और इस कोशिश के अंदर समय लगा और अल्टीमेटली उसमें 29 परसेंट से कुछ बढ़ा है। इसलिए आप यह कहें कि हमने धोखा दिया या कम फीगर दी, इसी फिगर को प्लानिंग कमीशन ने मंजूर किया है कि 29 परसेंट सेंट्रल टैक्सेज के अंदर आपको हिस्सा मिलेगा। नहीं मिला, नम्बर एक।

दूसरा, आपने कहा है कि जितने भी फारेन एडेड प्रोजेक्ट्स हैं इसमें पिछली बार आठवें प्लान में भी मैंने दिया था उसको पूरा किया। इस प्लान के बनाने के बाद में हम तो एक वर्ष रहे, चार वर्ष आप रहे। आपने फारेन ऐडेड प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लिया, यह बता दें? तीसरा, आप पे कमीशन की बात कह रहे हैं, मुझे याद है चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बारह सौ करोड़ रुपए से ज्यादा भार नहीं है, हमको यह कहा गया कि कोई चीफ मिनिस्टर्स इस मामले में मांग नहीं करेंगे। हमने मांग नहीं की, केन्द्र सरकार हमारी नहीं थी दूसरे प्रधानमंत्री थे उन्होंने उठाकर अठारह सौ करोड़ रुपये इसको कर दिया तो यह अनएक्सपैक्टेड था। इसको आप फोर्सली नहीं कर सकते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, और थोड़ा समय देना हो विरोधी दल के नेता को तो वह अपनी बात कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट है या और बोलेंगे आप?

श्री हरिसिंह (महुवा) : और बोल लें एक साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर गलत कहेंगे तो मैं टोकूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप टोकेंगे कैसे... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम गलत और सही सबको बरदाश्त करते हैं। अभी आपने इन्टरप्शन किया हमारा कोई बच्चा नहीं बोला, आवाज नहीं की किसी ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलता तो मैं जवाब देता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इन्टरप्शन आप बिलकुल बरदाश्त नहीं करते, हम ध्यान रखते हैं इस बात का आपके इन्टरप्शन को भी हम बरदाश्त कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप नई परम्पराएं कायम ना करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : सिर्फ एक मिनट लूंगा। (व्यवधान) यह जो हायर इंटलैक्चुअल डिस्कशंस हो रहे हैं प्रदेश की जनता न तो इसको समझती है और न हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट है। गांव में लोग बाग यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल में मास्टर आएगा या नहीं आएगा, पानी की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। ये बातें हम सुनना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्रीजी से और यह जो हायर इंटलैक्चुअल डिस्कशंस हो रहा है इस बहस को मेरे खयाल से बाद में कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री शिवनाथ सिंह : और जो काम की बाते हैं जो माननीय सदस्यों ने यहां कही हैं, इस सदन में 200 माननीय सदस्य हैं, तीन-चार का ही ठेका नहीं है कि यह आपस में इतनी अंताक्षरी करते रहें। इसलिए हमको वे बातें जो हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं, हमारे मतलब की हैं वे सामने आनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप उनको बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी, यह बात मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट कर दी, यह नहीं बोलें तो मैं क्या करूं। यह तो मैं पहले कह चुका हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों का उत्तर दूंगा जो मेरे दल के माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं। लेकिन आपने तो बजट की तारीफ की है, अगर मैं इन बातों का उत्तर यहां नहीं दूंगा तो यह प्रचारित किया जाएगा, राज्य सरकार का पक्ष मीडिया में भली-भांति नहीं जाएगा। इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक है कि इन बातों का खुलासा करूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप मीडिया के लिए बोल रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे लिए बोल ही नहीं रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसकी प्रोसीडिंग्स का पार्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं जो नाइंथ प्लान के बारे में डिसक्शन हुआ है। एक सवाल यहां हुआ था कि आपके एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या हुआ, बड़ी मोटी-सी बात है जो एक्सप्लोजन हुआ था यहां पर पोकरण के अन्दर उसके बाद वह आना बन्द हुआ, सैंक्शन लगी हिन्दुस्तान के ऊपर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : The Financing of the 9th period plan was discussed in detailed. The Dy. Chairman noted that the total resources of the State at 1996-97 prices for the 9th Five Year Plan have been estimated at 18110 crores 19 lakhs. The Chief Minister indicated that the State Government has projected a total plan size for 27 thousand crores for the 9th Plan period at the current prices which would be able to finance with the assistance of the Planning Commission, furher A.R.M. by the State. The Dy. Chairman indicated that the over and above the resources indicated by the State Govt. additional amounts and the formula based assistance, transfer of Centrally Sponsored/Schemes to the States alongwith the resources and allocation of 29% of the tax revenue of the State Government would also add to the State's resources. These figures would be sub-summed in the A.R.M. figures which could be adjusted suitably depending upon the inflow of the resources on these two accounts. तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना हुआ यह जोड़ने के बाद में?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर यह कहना कि आपने प्लान साइज को ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट ऑफ प्रिविलेज। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुना रहे थे वह सारी सुनाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या सुनाएं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लानिंग कमीशन का फाइनल डिसीजन आप पढ़कर सुना रहे थे वह कम्प्लीट सुनाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत लंबा है, I can place it on the table of House. मैं इसको टेबल पर रख देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टेबल पर काहे को रख दो आप तो पढ़कर सुना दो ना। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 6 पेज की रिर्पोट है, I don't want to waste the time of the House. मैं हाउस का टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात और कहीं विपक्ष ने, उसके बाद में मैं समाप्त करता हूं इन बातों को। यहां पर सी. ए. जी. रिर्पोट को लेकर जिक्र किया गया, 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन...(व्यवधान)हमारा पढ़ कर सुनाया था। मैं सब सुना रहा हूं, आप चिंता नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो मौजूदा स्थिति है वह पढ़ कर सुनाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप दूसरों के ऊपर इस बात को आरोपित करते रहते हैं, सुन लीजिये। सरकार द्वारा प्राप्त किये गये मार्गोपाय उपाय, 1993-94 में 17.61 करोड़ से 1997-98 में बहुत ज्यादा बढ़कर 1239.55 करोड़ हो गया जिसमें 6939 हुई, प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा तो यहां पर पढ़ कर सुना दिया, 6939 हुई। 1994-95 में प्राप्त ओवर ड्राफ्ट भी 665.52 करोड़ से 1997-98 में बढ़कर 1822.58 करोड़ हो गये जो 138 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक था। दिनों की संख्या जिनमें ओवर ड्राफ्ट लिया गया 1994-95 के दौरान 59 दिन से बढ़कर 1997-98 में 118 दिन हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके तो 349 है। इनके तो 349 है, साहब ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करूं, कहने का अभिप्राय यह है कि दूसरों की तरफ इंगित करते हैं यह सोच कर कि पुराना रिकार्ड समाप्त हो गया, कहीं नहीं मिलेगा। यहां इस साल की सी.ए.जी. रिर्पोट, ठीक है निश्चित रूप से बढ़ा है हमारा वह, पर आपके वक्त में भी कम नहीं था। तब पोजीशन इतनी डिफिकल्ट नहीं थी स्टेट की जो आज इतनी डिफिकल्ट है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 118 दिन और 349 दिन में कोई फर्क ही नहीं है न, वित्त मंत्रीजी? (व्यवधान) 118 और 349 दिनों में कोई फर्क ही नहीं है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले वित्त मंत्रीजी का भाषण सुन लें उसके बाद कोई प्रश्न करना है तो कर लें। यह डिबेट का कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे पूर्व में कह चुका हूं कि सत्य बहुत कड़वा होता है। आप जिन चीजों पर हमको इंगित करते हैं, उन सारी चीजों से आप खुद गुजर चुके हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा): खोद कर गये हैं यहां हम तो लीप रहे हैं यहां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं अपनी पार्टी के सम्माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर आप अधूरी बात छोड़ देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने सारे जवाब दे दिये आपको, कोई अधूरी बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, मैं यह कह रहा हूं कि आपने रेवेन्यू के बारे में जो...

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का यह इंटरप्शन कि माननीय वित्त मंत्रीजी को बोलने नहीं दे रहे हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अयोध्या खा जाएगी, आप कितने ही डोलो। आपको अयोध्या काफी है अगले चुनाव के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वित्त मंत्रीजी अपनी रिप्लाई पूरी कर दें उसके बाद कोई प्रश्न पूछना हो इनको, इनको अपनी शंका का समाधान करना हैं तो करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैंने निवेदन किया कि आप बाद में पूछ लेना। आप पूछ लेना न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं कि फिर उस बिन्दु को छुएंगे नहीं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी कितनी शंकाओं के समाधान का जवाब दें, यह तो नितांत अनभिज्ञ आदमी हैं, इनको कितना बताया जाए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको कह रहा हूं कि यह कुछ भी जवाब नहीं देकर उठ कर चले जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम वित्त मंत्री महोदय का भाषण सुनना चाहते हैं, उनकी रिप्लाई सुनना चाहते हैं। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बार-बार इंटरप्शन कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वित्त मंत्रीजी, कृपा करके एक बिन्दु को और थोड़ा स्पष्ट कर दें जिसके बारे में हमको संदेह है।

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे, आप पूछ लेना, यह बता देंगे बाद में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह संदेह यह है कि आपने जो अपनी आय को, इस पर यह जो विवेचना, आपके टैक्सेज से जो आय हो रही है और उस आय को आप बढ़ा रहे हैं, 1268 करोड़ रुपए आपको अतिरिक्त मिलेंगे, पिछले साल से इनकम में बढ़ोतरी होगी। जहां आपने बिक्री कर के अन्दर सीधा 850 करोड़ की बढ़ोतरी बतायी, इसी तरह से मिला करके 850 करोड़ रुपए, यह मिलाकर 1268 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। पिछले पांच साल का रिकार्ड देख लीजिये, उसमें कभी-भी आपकी आमदनी नहीं हुई है तो यह आएगा कहां से, ये सब घोषणाएं कहां से पूरी होंगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चाहते क्या हो ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह हमारी चिंता का विषय है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यूं ही अड़ंगे आंकड़ों के लगा देते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): माननीय सदस्य, आप बहुत पीछे जा रहे हैं, पांच साल पीछे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई जरूरी थोड़े है कि आप जो कहो वह ही बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप 50 करोड़ का तो टैक्स लगाते हैं, बाद में कहते हो, यह कहां से आएगा?

श्री हीरालाल विश्नोई : अभी इस साल की बात कर रहे हैं यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा, कितनी ही बार अपूरित घाटा छोड़ दिया जाता है। अब आपने कहा यहां पर कि आप कैसे कहां से 845 करोड़ रुपए लाएंगे। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस बारे में मैं जिस दिन एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल आएगा, विस्तार से आपके समक्ष कर साइट उस दिन प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्यों ने कुछ नये स्कूल खोलने की बात कही। यहां पर टी.ए.डी. को लेकर भी बातें हुईं। कुछ माननीय सदस्यों ने नये कालेज खोलने के बारे में बात की। कोटा सम्भाग के माननीय सदस्यों ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि, क्योंकि मैं बजट के उत्तर की तैयारी में लगा हुआ था और मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में विचार-विमर्श नहीं हुआ, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विचार विमर्श कर 16 तारीख को जब एप्रोप्रिएशन बिल पर और फाइनेंस बिल पर रिप्लाई होगा, मैं अपने संसाधनों का आकलन करूंगा, आकलन करके मुख्य मंत्रीजी के समक्ष सारी बात रखूंगा। मेरे पास सारी बातें नोटेड हैं, उनको विगतवार विस्तार से बताऊंगा। विचार विमर्श के उपरांत जो भी निर्णय होगा, उसके बारे में 16 तारीख को चर्चा करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी, एम.एल.एज ने अपना कोटा बढ़ाने की बात भी कही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य की वित्तीय स्थिति है...

श्री उपाध्यक्ष : 16 को बोलना आप, अभी विचार तो करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो राज्य की वित्तीय स्थिति है और मुझे अभी नहीं लगता कि मेरे लिये इस तरफ कुछ करना सम्भव होगा। एक तरफ तो विकास के कार्यों की मांग, एक तरफ इनकी मांग, सब चीजें तो नहीं हो पाएंगी। (व्यवधान) मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पैसा तो विकास के लिये ले रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : कोटा में अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब जगह कालेज भी खुलेंगे, हां।

श्री उपाध्यक्ष : रिप्लाई हो गयी, बिराजो प्लीज। आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आपने समाप्त कर दिया? माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री जर्नादनजी गहलोत। बाकी 16 तारीख को।

आधे घंटे की चर्चा

कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पदों पर हुई पदोन्नतियों में अनियमितता

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के पदों पर कथित अनियमितता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 69(332)/कृषि विपणन के उत्तर जो दिनांक 21 मार्च, 2002 को दिया गया था, उससे उत्पन्न मुद्दे के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था कि आधे घंटे की चर्चा इस पर की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नीति निर्धारित करके कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.8.2000 द्वारा यह निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को, सभी शासन सचिवों को दिया था। देने के बाद यह कहा गया कि सेवा शर्तों में पदोन्नतियों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश दिनांक 27.3.1999 द्वारा गठित मंत्रिगणों की समिति के माध्यम से पुनरवलोकन नहीं हो जाता तब तक विभागीय पदान्नतियां नहीं हो सकतीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य सरकार का कार्मिक विभाग निर्देश दे और कार्मिक मंत्रीजी और राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने यहां तक घोषणा की है कि 16 सी.सी.ए. के नोटिस जब तक हैं उनको कोई ऐसे पदों पर नहीं बैठाया जाएगा जिन पर इंक्वारियां पैंडिंग हों। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मंत्रिमण्डल उप समिति का जब गठन हो चुका है वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में, पांच सदस्य, कैबिनेट के मंत्रीगण की उप समिति, कोई

(श्री जनार्दन गहलोत)

भी विभाग में पदोन्नति उस कमेटी के अन्दर जाये बिना होना सम्भव नहीं। लेकिन उसके बाद भी कृषि विभाग ने और कृषि विपणन बोर्ड ने कुछ पदोन्नतियां की हैं। उसमें यह भी साथ में प्रावधान है कि कोई भी इस मामले में पदोन्नति समिति की बैठक में निर्णय के बाद उसको एक प्रश्नावली पहले से जारी करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि यह परिपत्र के बारे में अनभिज्ञता

(19.00 बजे)

होगी। उसके तहत मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से दिनांक 29.5.2001 को अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2579 द्वारा स्वीकृति चाही गयी थी। जब मंत्रिमण्डलीय समिति की और राज्य सरकार की उसमें कोई स्वीकृति नहीं मिली, स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, यह कहा जाए कि उनको जानकारी नहीं होती तो वे पत्र नहीं लिखते। पत्र लिखने के बाद भी राज्य सरकार की समिति की तरफ से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद भी वहां पर दो एडिशनल चीफ इंजीनियर की पदोन्नति कर दी गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, इसके अन्दर एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जहां एक तरफ प्रशासनिक स्वीकृति 19.2.2000 को आपने मांगी, डी.पी.सी. का नोटिस किस दिन निकला, मंत्री महोदय? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 3.10.2001 को निकला और उसके बाद विभाग को यह चिंता हो गई। अगर इस नोटिस के तहत डी.पी.सी. हो जाएगी तो जिन पदों पर जिन लोगों को बिठाना था, क्योंकि उन पर 16 सी.सी.ए. के नोटिस थे, कई इंक्वायरी पैंडिंग थीं, नोटिस निकालने के बाद दूसरे दिन 4.10.2001 को उनके सारे नोटिस विथड्रा कर लिये गये, क्योंकि उनकी पदोन्नति करनी थी। यह ध्यान उन लोगों को बाद में आया कि नोटिस जारी हो चुके और अगले दिन के बाद पदोन्नति करनी पड़ेगी। उसके अन्दर बीच में आया कि जो नोटिस गये हैं उनके ऊपर इंक्वायरी है, क्योंकि इंक्वायरी भी गम्भीर थी। उपाध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी भी छोटी-मोटी नहीं थी। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वी. पी. विजय पर 17 सी.सी.ए. का 17.8.1998 का नोटिस जारी था। श्री बी.आर. मेहता का 16 सी.सी.ए. का 2794 का पैंडिंग था, 16 सी.सी.ए. का 2999 का पैंडिंग था, 17 सी.सी.ए. का नोटिस 16.5.1994 का बाकी था। 17 सी.सी.ए. का 1.7.2000 का बाकी था, 17 सी.सी.ए. का 7.1.1998 का बाकी था, तो कई मामले थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं एक तरफ 3.10 को नोटिस निकाले, 4 को इनके

(श्री जनार्दन गहलोत)

सारे विथड्रा हों और 5 तारीख को डी.पी.सी. में प्रमोशन हो जाए, मतलब नोटिस निकलें एक दिन पहले, दूसरे दिन विथड्रा हो जाएं और तीसरे दिन उनकी पदोन्नति हो जाए, निश्चित तौर पर लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसके अन्दर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पदोन्नति से पूर्व उक्त पदों को मंत्रिमण्डलीय समिति के पुनरवलोकन हेतु लिखा गया था? मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त पदों को मंत्रिमण्डलीय समिति से पुनरवलोकन करने के पश्चात् बोर्ड को पदोन्नति की बैठक बुलाकर पदोन्नति करने के निर्देश दिये गये थे या पदोन्नति समिति की पुनरवलोकन बैठक बुलाने के निर्देश दिये थे? मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं क्या पदोन्नति समिति की बैठक के लिए बनायी गयी सूचना में, इस संबंध में प्रमाण-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा यह दिया गया? यदि नहीं, तो बिना इस प्रमाण पत्र के पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किस प्रकार किया गया? मैं यह भी, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बोर्ड प्रशासनिक विभाग की जानकारी में था? उप मंत्रिमण्डलीय समिति का पुनरवलोकन कराया जाना आवश्यक था? फिर राज्य सरकार के निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया या नहीं किया? मेरा सीधा आरोप है कि राज्य सरकार के निर्देशों के बिना किया गया? क्या अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक बुलाये जाने से पूर्व मंत्रिमण्डलीय समिति का पुनरवलोकन कराये जाने का राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था? क्या इसके उत्तर में राज्य सरकार के द्वारा पुनरवलोकन कराया जाना आवश्यक बताते हुए पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाये जाने का निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो फिर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के पद की पदोन्नति हेतु इन नियमों की जानबूझकर किस प्रकार अनदेखी की गयी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : और माननीय सदस्य भी हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का पद केवल योग्यता से भरे जाने का प्रावधान है। मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अनुमति लेने का प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसमें कुछ इनके लिए भी छोड़ो।

श्री जर्नादन गहलोत : मेरी बात हो जाए, फिर आगे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड की उप विधियों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु बोर्ड में 25 वर्ष का उसकी सेवा का अनुभव होना चाहिए था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष की सेवा का अनुभव का उसमें नियम बना हुआ है, विपणन बोर्ड के नियम बने हुए हैं उसमें 25 साल का था। लेकिन इसमें एक के 21 वर्ष पूरे हुए थे, दूसरे को 23 वर्ष पूरे हुए थे। फिर इसकी पदोन्नति कैसे कर दी गई? मैं यह भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, क्या आपके इन रूल्स में..

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमको भी बोलने का अवसर देंगे या नहीं ?

श्री जर्नादन गहलोत : आपको जरूर मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो सारे निर्णय हुए, मंत्री महोदय, कोड आफ कंडक्ट में आपके नियमों में यह प्रावधान है कि मंत्री महोदय से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। क्या आपसे ली गई थी? क्या पदोन्नति करने से पहले आपके पास पत्रावली आयी थी? बोर्ड के उसमें है, मैं बता सकता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : सम्बन्धित मंत्रीजी के स्टैंडिंग आर्डर्स...

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरों को बोलने दें।

श्री जनार्दन गहलोत : स्टैंडिंग आर्डर्स जारी किये हुए थे उसके अनुसार इनके पावर्स अधिकारियों को नहीं थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): करौली से आने वाले माननीय सदस्य जी, आपने अपनी बात कह दी, अब और भी सदस्य हैं। साफ बात तो यह है कि भ्रष्टाचार की बात है, इसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच माननीय सदस्य बोलेंगे इस पर।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है, मुझे जानकारी मिली है मंत्री महोदय ने ये आदेश दिये थे, कोर्ट का कोई आर्डर आया, उसमें ये आदेश दिये थे कि सुप्रीम कोर्ट चला जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्रकिया तो चली नहीं, उसके बीच में डी.पी.सी. करके प्रमोशन कर दिया। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? या तो ये मंत्रीजी शामिल हैं इसमें या अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं

(श्री जनार्दन गहलोत)

हैं। दोनों में से कोई एक बात है। या आपका अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है या आप इसके अंदर शामिल हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य उद्देश्य तो किसानों के लिए आधारभूत संरचनाएं पैदा करने का था। मंत्री महोदय, आपके मंत्री बनने के बाद यह अपने उद्देश्यों से भटक गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने पदोन्नति समितियों की बैठक कैसे-कैसे हो, उसके लिए एक-दो नहीं...

श्री संयम लोढ़ा : मैच फिक्सिंग तो नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 30.3.1999 से लेकर 28.3.2000 तक आठ परिपत्र जारी किये और अंतिम परिपत्र जारी किया 28.8.2000 को, जिस परिपत्र का क्रमांक है क्र.प. 10 (3) कार्मिक (क-2) 751, इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि किसी भी विभाग में कोई भी पदोन्नति समिति की बैठक होगी उसमें मंत्रिमण्डलीय उप समिति के सम्मुख पहले प्रस्ताव जाएंगे, प्रस्तावों का मूल्यांकन होगा। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि दिनांक 29.5.2001 को डी.पी.सी. के लिए आपके पास उप शासन सचिव ने अपना पत्र भेजा और आपसे उस पर स्वीकृति जारी की? या यह बात नहीं है? करौली से आने वाले माननीय सदस्य इशारा कहीं दूसरा कर रहे थे, मेरा स्पष्ट आरोप है इसके अन्दर जो-जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, मंत्री महोदय, उसमें आपका संरक्षण प्राप्त है और उसमें आप लिप्त हैं। क्या यह सही है कि दिनांक 7.6.2001 को कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक ने अनुमति मांगी थी कि हम क्या एस.ई. से एडिशनल चीफ इंजीनियरिंग की पदोन्नति कर दें? आपसे जब उन्होंने अनुमति मांगी तब आपने उस पत्र का उत्तर क्या दिया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ एक एस.ई. से एडिशनल चीफ इंजीनियर की पदोन्नति का मामला नहीं है, यह पूरी चेन प्रक्रिया है एक्स.ईएन. से लेकर आगे तक। मैं तो, मंत्री महोदय, जानना चाहता हूं यह कृषि विपणन बोर्ड सरकार का हिस्सा है या स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते इस पर सरकार द्वारा जितने भी परिपत्र जारी किये गये उन परिपत्रों में कोई भी परिपत्र में अनुमति आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है? मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने जिसको पदोन्नत किया, क्या यह सही है कि आज की तारीख में मि. मेहता के खिलाफ एंटीकरप्शन विभाग में आय से ज्यादा अर्जित आय होने के कारण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आरोप-पत्र विचाराधीन है, जांच विचाराधीन है? जब जांच विचाराधीन थी तो किस आधार पर आपने पदोन्नत कर दिया? इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सीधी-सीधी मंत्री महोदय की खुद की मिलीभगत है और इन्होंने इस तरह का आचरण किया है। जिन लोगों के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, एक तरफ सरकार यह कहती है जिन लोगों के खिलाफ 16 सी.सी.ए. में आरोप है, 17 सी.सी.ए. में आरोप हैं ऐसे आरोपियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे। और आपने न केवल फील्ड पोस्टिंग दी है, मंत्री महोदय, आपने उनको प्रमोशन देने का रास्ता खोला है, इसमें आप दोषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लाल। माननीय पारीक साहब, बिराजिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि विपणन बोर्ड का मामला है, यह किसानों की सीधी संस्था है। जिस प्रकार से माननीय करौली से आने वाले सदस्य ने कहा है, इसमें इतना बड़ा स्कैंडल है और उसमें मंत्रीजी भी शामिल हैं। यदि सच्चाई है तो इसकी जांच करवायी जाए, निष्पक्ष जांच करवायी जाए और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए। मेरा यह आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्रीजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कृषि विपणन बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स में से दो को एडिशनल चीफ इंजीनियर बनाने की बात की। यह बात करौली और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बता चुके कि उसके लिए वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनी हुई मंत्री मण्डलीय उप समिति में कोई स्वीकृति नहीं ली गयी। क्या यह सही है कि उसके लिए यह प्रावधान है कि उनको कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए? इन दोनों मिस्टर बी. आर. मेहता और बी. पी. विजय को 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं था? उसमें यह भी अगर कोई इस मिनिमम योग्यता को फुलफिल नहीं करता हो तो आप पदोन्नति नहीं दें, डी.पी.सी. नहीं करें बल्कि आप समायोजन किसी को भी डैपुटेशन पर लेकर अपना काम चला लें। तो डैपुटेशन से काम चल सकता था। जब निर्धारित योग्यता रखने वाले लोग नहीं थे तब उसके बाद आपने क्यों डी.पी.सी. की? मैरिट फुलफिल हो नहीं रही थी। आपने परमिशन ली नहीं। पोस्ट वेकेंट छोड़ देते। उसके बाद स्थिति यह है कि आपकी कथनी और करनी में ऐसा अन्तर है कि एक तरफ तो कार्मिक मंत्रीजी और कार्मिक विभाग यह आदेश निकालता है

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कि जिस किसी के खिलाफ 16 सी.सी.ए. और 17 सी.सी.ए. के मामले पैंडिंग हैं, विचाराधीन हैं उनको आप फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे और दूसरी तरफ उससे उलटा कर रहे हैं। जिनके खिलाफ एंटीकरप्शन में मामला चल रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया, आप उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हो अभियोजन की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा धीरे बोलो तो समझ में आएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, साहब, धीरे बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना जोश क्यों खा रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, धीरे धीरे बोलता हूं।

दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ अपनी आय से ज्यादा सम्पत्ति रखना, 16 सी.सी.ए., 17 सी.सी.ए. के इतने सारे मुकदमे इनके खिलाफ विचाराधीन थे। उसके बावजूद भी बजाय फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के आप इनको क्रमोन्नति दे रहे हो। यानि आपके खरीदने के बाट दूसरे, और बेचने के बाट दूसरे हो रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि श्री बी. आर. मेहता के खिलाफ 26.10.1999 से 16 सी.सी.ए. का मुकदमा...(व्यवधान) यही नहीं, एंटीकरप्शन के अन्दर केस चल रहे हैं। इनको पदोन्नति देने के लिए क्या आपने उन मुकदमों को वापस ले लिया? इतना ही नहीं, पदोन्नति समिति की मीटिंग तो हो रही है आपकी 2001 में...

श्री राजेन्द्र पारीक : दूसरा पेपर तो नहीं आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : 2001 में हो रही है। आप तो जरा समझने की कोशिश करो, समझ से बहुत दूर हो आप। और उसकी डी.पी.सी. की मीटिंग तो आज हो रही है। यानि जैसे आपके अजमेर के विधायक तो आज चुन कर आये हैं, आप इनको कह दो कि इनको 1998 से वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। यानि डी.पी.सी. 2001 में हो रही है और 1999 से आप इनको पदोन्नति और भत्ते देकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हो। मंत्री महोदय, आप पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील सरकार की बात करते हो, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हो, जब से आपने कृषि विपणन राज्य मंत्री का चार्ज सम्भाला है, कृषि विपणन बोर्ड के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आपका इस पर अंकुश नहीं है। अगर आप वास्तव में यह चाहते हो कि किसानों की संस्था इस कृषि विपणन बोर्ड में ईमानदारी से काम हो तो ये दोनों जो पदोन्नतियां दी गयी हैं, जो नियम विरुद्ध हैं, आपके आदेश और आपके सिद्धान्तों के खिलाफ हैं, क्या आप इनको निरस्त करेंगे? क्या आप इसकी लोकायुक्त या किसी उच्च

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अधिकारी से जांच कराएंगे? और जो लोग दोषी हैं जिन्होंने यह काम किया है, जिन्होंने सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचाया है उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का मन रखते हैं क्या? कृपया स्पष्ट बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक सवाल है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल एक सवाल आपसे यह है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वो ही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले रिप्लाई आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलने भी देंगे आप? बिराजें, आप क्वेश्चन पूछ लेना, बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, क्वेश्चन ही पूछना था।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना, आप उनको बोलने दो। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह (कृषि विपणन राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड में दो एडिशनल चीफ इंजीनियर्स के प्रमोशन को लेकर कई तरह की शंकाएं माननीय सदस्यों ने यहां जाहिर की हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जांच की बात भी कही, कुछ माननीय सदस्यों ने सीधा मेरे पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मेरे पर कोई सदस्य भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो मैं आज ही मंत्री परिषद् से ही नहीं...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आप जांच करोगे जब साबित होगा न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने को तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच कराओ आप। जांच कराओ आप जब साबित होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरी बात पूरी तो कह लेने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके मंत्री रहते हुए हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री दीपेन्द्र सिंह : पूरी बात तो सुनो इसके बाद आप कुछ भी कह लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजाद साहब, सुनिये न आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच कराओगे जब ही साबित होगा न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि दो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स को प्रमोशन दिया गया और यह बात भी सही है कि जो मैं क्वेश्चन के जवाब में दे चुका हूं कि निश्चित रूप से उन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स के खिलाफ कुछ इंक्वायरी हुई थी। कुछ इंक्वायरियां कुछ समय पहले खतम हो चुकी थीं, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया जांच में। यह बात तो इसके अलावा सत्य है कि जिस दिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग हुई, मार्केटिंग बोर्ड में किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी पैंडिंग नहीं थी। (व्यवधान) वह बता रहा हूं, आपकी सारी बातें मैंने लिखी है, उनका जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद साहब, सुनो न।

श्री राजेन्द्र पारीक : बहुत उत्साहित हैं माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब। बहुत बड़ा मुद्दा लग गया लगता है आपके हाथ में कोई।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों ने चर्चाएं की हैं उनका खुलासा करना मेरा धर्म बनता है। जो प्रमोशन किये गये हैं वे नियम और प्रक्रिया के तहत किये गये। जिस दिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल खुली चर्चा करवाइये, इतना बड़ा मसला हो गया। पूरे सदन में एकदम स्तब्धता छा गई, पूरे सदन में इतना बड़ा मसला हो गया, इसमें तो खुली चर्चा होनी चाहिए, हर माननीय सदस्य को इस पर पूरा अधिकार है कि वह अपनी तरफ से पूरी जानकारी ले और अपनी तरफ से कुछ कहे।

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो बोलने दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल है माननीय मंत्री महोदय पर आपने इतने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जितने आरोप लगा दिये। इससे बड़ा गम्भीर मसला और क्या हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को तो बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आत्महत्या का सा मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरासर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : पारीक साहब यह चाहते हैं कि आप हत्या कर लो तो इनका नम्बर आ जाए। आपका नम्बर तो फिर भी नहीं आएगा, इनके इस्तीफे के बाद भी नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सरासर आत्महत्या का मामला है। आपके और मंत्री महोदय के बीच में मुझे लगता है, सीधा सीधा कोई फ्रैंडली मैच हो रहा है। यह मेरा सीधा आरोप है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किन्हीं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय के बीच में यह खुला षड्यंत्र है, फिर इनका फ्रैंडली मैच है।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर जनार्दनजी से कहो।

श्री राजेन्द्र पारीक : बिना किसी इंकवायरी, बिना किसी जानकारी के।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, प्लीज, बिराजिये, इनको सुनिए। आर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि विभागीय पदोन्नति समिति के बाद मंत्रिमण्डलीय उप समिति की स्वीकृति लेनी चाहिए थी और एक आदेश का भी जिक्र किया माननीय करौली से आने वाले सदस्य ने। मैं ना नहीं कर रहा हूं, सारी बात स्पष्ट कर रहा हूं। इस प्रमोशन में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जो प्रमोशन किया गया, यह बात सही है कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति में इसकी स्वीकृति नहीं ली गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सर्कुलर का जिक्र किया गया है उस सर्कुलर को मैं आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। इस सचिवालय के समकक्ष आदेश 27.3.1999 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य कर्मचारियों की सेवा अवधि वार्षिक 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 1999 को अत्यधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कारण हुए रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी मामले में विचार–विमर्श कर शीघ्र निर्णय लेने हेतु मंत्रीगण की एक समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है। श्री प्रद्युम्न सिंह वित्त मंत्री, संयोजक, श्रीमती कमला सिंचाई मंत्री सदस्य, श्री गुलाब सिंह शक्तावत सहायता मंत्री सदस्य, डाक्टर चन्द्रभान उद्योग मंत्री, सदस्य, डाक्टर बी.डी. कल्ला कार्मिक मंत्री सदस्य। इस समिति के सदस्य सचिव शासन सचिव वित्त विभाग होंगे। अब जो पोर्शन है वह जरा ध्यान से सुन लें। यह समिति विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विश्लेषण करेगी तथा कितने पदों को पदोन्नति/नई नियुक्ति से भरा जाना है इस बारे में अपनी सिफारिशें करेगी। समिति बेसी (सरप्लस) कर्मचारियों को विभागों/संगठनों में रिक्त पदों के विरुद्ध एब्जार्ब करने के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिश करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी। इसमें विभागों/संगठनों ज़रूर लिखा है लेकिन बोर्ड और निगम स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण इसमें कवर नहीं हो पाते।

श्री जनार्दन गहलोत : फिर संगठन क्या है? यह संगठन क्या है फिर, यह बता दीजिये। डिपार्टमेंटल के अलावा कोई संगठन की एजेंसी राजस्थान सरकार के पास में कोई है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप कह रहे हैं कि बोर्ड कवर नहीं हो रहा तो बात खतम हुई।

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्री महोदय, आप तो जानबूझकर तथ्यों को छिपाना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर तो खतम हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गयी तो खतम हो जाएगी। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य हमारे सामने सही आये ही नहीं।

श्री जनार्दन गहलोत : तथ्यों को छिपाना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर राजस्थान में बोर्ड पर यह कवर नहीं होता तो मामला खतम हुआ। फिर क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : किसका दोष है फिर? इसमें इनका दोष है? आप तथ्य लेकर प्रश्न उठाते? हमने कोई कहा क्या कि आप प्रश्न उठाओ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानकारी अब आई है न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी करके करते।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे परिपत्र का जो जिक्र किया कार्मिक विभाग के कार्मिक क. (2) दिनांक 28.8.2000 का, इसका भी आखिरी पोर्शन जो सम्बन्धित है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु इसमें जो डायरेक्शंस हैं वे हैं– सेवा सम्वर्ग के पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के आदेश दिनांक 27.3.1999 द्वारा गठित मंत्रियों की समिति से विभाग के सेवा सम्वर्ग का विश्लेषण/अवधारण/ पुनरवलोकन कराया जाना आवश्यक होगा। मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा संवर्ग का विश्लेषण/अवधारण/पुनरवलोकन नहीं हो जाता तब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जाएं। यह बात केवल विभाग के लिए है, आटोनामस बाडी के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप तो सीधी बात बता दीजिये कि यह सर्कुलर बोर्ड पर लागू होता है या नहीं होता? सीधी-सी बात तो यह है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने जानकारी की है उसके अनुसार मेरी जानकारी में बोर्ड आटोनामस बाडी होने के कारण इसको लागू नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : फिर ईर्रेगुलरिटी क्या हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बदल गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पदोन्नति सही दी गयी है, यह बोलें आप? इसमें कोई लेनदेन नहीं हुआ, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई अनियमितता नहीं हुई क्या? यह बताओ न आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर ईर्रेगुलरिटी क्या है? (व्यवधान) आपने पूछ लिया है। माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री जनार्दन गहलोत : लेकिन फिर ऐसा है, मंत्री महोदय, फिर आप यह बता दीजिये कि कार्मिक विभाग का कोई ऐसा परिपत्र नगर निगम के ऊपर कोई पालन नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंह जी, बिराजिये प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : जब एक तरफ तो राजस्थान सरकार उनके विज्ञापन तक के लिए नई एजेंसी बना रही है, जन सम्पर्क विभाग तक उनके पावर्स ले रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री जनार्दन गहलोत : जहां तक आपके बोर्डों के विज्ञापन तो जितेन्द्र जी का विभाग देगा, उसका नियंत्रण तो हो गया और आपके बोर्डों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है आपकी सरकार का। आप इस मामले में सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी, आप उनको कम्पैल थोड़े ही कर सकते हो कहने के लिए? क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पैल नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा है कि हम...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...उनके खिलाफ एंटीकरप्शन में मामला है या नहीं है, यह भी बता दें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : ...राजस्थान विधान सभा के सदस्य जिन बातों को जानना चाहेंगे, मंत्री महोदय को जवाब देना पड़ेगा जिन मामलों को वे दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया न। जवाब दे दिया कि बोर्ड पर लागू नहीं होता। जवाब दे दिया कि यह सर्कुलर बोर्ड पर लागू नहीं होता।

श्री जनार्दन गहलोत : फिर आपके संगठन वर्ड का मतलब क्या है? आप संगठन वर्ड का मतलब बता दीजिये कि संगठन का मतलब क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री जनार्दन गहलोत : ...यह संगठन का मतलब कांग्रेस पार्टी संगठन है या बी.जे.पी. पार्टी संगठन है? (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, फिर आप यह बता दें कि संगठन बी.जे.पी. का संगठन है

(श्री जनार्दन गहलोत)

या कांग्रेस का संगठन है? वह मामला परिपत्र में क्यों डाला गया है? कांग्रेस का संगठन है, बी.जे.पी. का संगठन है? संगठन का मतलब क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी, बिराजिये। आप तो मंत्रीजी का जवाब सुनिये। अब चाहें कि आप जो कह रहे हो वह मंत्री एग्री कर लें, जरूरी नहीं है। (व्यवधान) बिराजिये आप। आप उनकी सुनिये न।

श्री जनार्दन गहलोत : सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के जवाब के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतनी-सी जानकारी चाहता हूं कि ये दोनों कर्मचारी, अधिकारी बोर्ड के हैं या प्रतिनियुक्ति पर आये बैठे हैं? डैपुटेशन पर हैं? कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिये न।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप पूछ लो सब। एक एक पूछ लें। हां पूछ लो। श्री सुरेन्द्रजी व्यास। माननीय विश्नोई साहब, एक मिनट, आपको पूछने दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्कुलर की वैल्यू भी एडवाइजरी हो सकती है लेकिन यह मेंडेटरी प्रोविजन है एक तो रूल्स के अन्दर कि 25 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए और एक यह मेंडेटरी है कि उसके खिलाफ कोई 16 सी.सी.ए. की, 17 सी.सी.ए. की इंक्वायरी पैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जिस रोज यह डी.पी.सी. की मीटिंग हुई उस रोज तो डेफिनेटली इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी पैंडिंग नहीं थी। वेकेंसी 1999-2000 की है। माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि 1999-2000 का नहीं, पहले का भी प्रमोशन मिलता है, रिटायर्ड आदमी को भी हाई कोर्ट प्रमोशन देती है, नोशनल प्रमोशन देती है। पर वह उस हालात में देती है कि जब प्रमोशन पोस्ट वेकेंट हुई और वे उसके लिए एलिजिबल थे और कोई वजह से डी.पी.सी. नहीं हो सकी तब वे प्रमोशन देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फिर मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1999-2000 में जब ये वेकेंसीज अंकर हुई हैं उस वक्त बी.पी. विजय के खिलाफ एक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इंक्वायरी और बी.आर. मेहता के खिलाफ छह इंक्वायरी पैंडिंग थी। दोनों को 25 साल का अनुभव प्राप्त नहीं था? इससे यह हो गया कि ये वेकेंसीज कैरी फारवर्ड होती हैं नैक्स्ट ईयर में। 1999–2000 से 2000–2001 में, 2001 से 2001–2002 में और जब आपका अक्टूबर 2001 में हुआ तो जब इनके खिलाफ इंक्वायरी खतम हो गयी तब इन्होंने 25 साल पूरे कर लिये तो एलिजिबल हो गये। तो वहां उस वक्त उनको प्रमोशन 2001 के अन्दर देना चाहिए था पर इनको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से 1999 से जो प्रमोशन दिया है, This speaks the volumes about the malefice of the selection committee. जिसके चेयरमैन धर्मसिंह मीणा हैं, उनकी दुर्भावना निश्चित रूप से इससे परिलक्षित होती है। मंत्रीजी, अगर आप उनको डिफैंड करते हैं तो आपकी दुर्भावना भी परिलक्षित होती है। मुझे नहीं पता कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कहां तक सही कह रहे हैं कि यह आपके बीच में फ्रैंडली मैच हो रहा है। आपके और धर्मसिंह जी मीणा के आपस में कोई नाइत्तफाकी है। पैसा धर्मसिंह जी मीणा ने खाया है, आपने खाया है, किसने खाया है, नहीं खाया है, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन निश्चित रूप से 1999–2000 के अन्दर जो प्रमोशन बैक डेट से दिया है कि जब डिपार्टमेंट के अन्दर कोई एलिजिबल ही नहीं था, अक्टूबर 2000 के अन्दर करके, तो मंत्रीजी इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आरोप लगाता हूं, अगर आप इंक्वायरी नहीं कराते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी। आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो इसमें आपका भी हिस्सा है, इसमें आपके ऊपर भी आरोप लगाता हूं मैं। इमीजिएटली ये तमाम जो अपाइंटमेंट हुए हैं स्टे होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुरेन्द्रजी, हो गया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट खतम कर रहा हूं। प्रमोशन स्टे होने चाहिए। मंत्रीजी, आप बात सुनिये एक मिनट, आप इसकी जुडीशियल इंक्वायरी घोषित करें। यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी। आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसमें दो बातें और स्पष्ट करें कि इनके खिलाफ 16 सी.सी.ए. की जो कार्यवाही थी, जब-जब भी प्रमोशन के अवसर आते हैं तब इनके खिलाफ 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही शुरू हो जाती है। इसके लिए ये कोर्ट में गये, कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट डबल बैंच में गयी। यह डी.बी. में सिविल रिट पिटीशन 342/2001 इसका एक निर्णय हुआ 27.4.2001 के दिन, उस निर्णय में यह स्पष्ट लिखा कि इंटेंशनली इनको रोकने के लिए ये हमेशा आरोप लगाये जाते हैं। "In our opinion, in these circumstances the furnishing of charge-sheet as well as the imposing of penalty even after finding the circumstances in explanation to be existing by ignoring the fact the petitioner-respondent has been stated to be a vigilant officer throughout, just on the eve of promotional exercise makes out it a case of legal malice. Appeal dismissed." मतलब हमेशा इसको रोकने के लिए इसके साथ यह हुआ। इसके कारण से नीचे की कोर्ट से जीता, बोर्ड फिर इसको डबल बैंच में ले गया और डबल बैंच ने भी यह स्पष्ट किया कि इंटेंशनली इसके प्रमोशन को रोकने के लिए ये हमेशा इस पर चार्ज लगाते हैं जो बिलकुल गलत है और इसको डिसमिस किया है। क्या यह सच है?

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द बोल करके, इससे रिलेवेंट है, इससे सम्बन्धित है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बिराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : एक रिलेवेंट बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। इतने लम्बे बोले, सारा इर्रिलेवेंट बोले क्या?

श्री जनार्दन गहलोत : यह रिलेवेंट है, नई बात आई है।

श्री उपाध्यक्ष : आई है तो जवाब देंगे मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य गहलोत साहब का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा, प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न के अन्दर जो सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब में मंत्री महोदय ने बिलकुल स्पष्ट बात कही है कि इनके खिलाफ जिस रोज डी.पी.सी. हुई थी उस रोज किसी प्रकार का कोई प्रकरण पैंडिंग नहीं था और डी.पी.सी. के अन्दर किसी भी प्रकार के जवाब के अन्दर यह नहीं बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से कोई गलत प्रमोशन दिया गया हो। न ही यह प्रश्न कहीं पूछा गया था कि क्या डी.पी.सी. के अन्दर गलत तौर पर प्रमोशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। अत: ऐसी स्थिति के अन्दर आप फैक्ट्स का इसके अन्दर क्या खुलासा कराना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? जब मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि यह इसमें लागू नहीं था और डी.पी.सी. ने जब फैसला कर दिया, जो कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो वह डी.पी.सी. में आगे जाकर देख ले, आगे वह जा सकता है।

श्री जनार्दन गहलोत : अब, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजिये बिराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट...

श्री रामनारायण विश्नोई : यह फोरम नहीं है कि यहां पर आकर मंत्री महोदय से कोई बात पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। हो गई आपकी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपने जिस 25 साल का सेवा काल का जिक्र किया है, कृषि विपणन बोर्ड में जो भी अभियन्ता आते हैं वे कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं तो क्या 25 साल की अवधि जो कृषि विभाग में नौकरी की है, वह कार्यकाल और बोर्ड का कार्यकाल, दोनों को मिलाकर 25 साल गिने जाते हैं? यदि नहीं गिने जाते हैं तो आपके विभाग में पहले मलहोत्रा और रत्नेश को जो-जो प्रमोशन एडिशनल चीफ में दिये गये हैं, उन दोनों मामलो में 25 साल की अवधि सरकार में की गई नौकरी और बोर्ड में की गई नौकरी, दोनों को मिलाकर गिनी है क्या? वह कैसे गिनी गई है?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, आप बहुत बोल चुके। अब आप बोल रहे हैं। नहीं, बिराजिये आप।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी। समाप्त कीजिये आप। मननीय मंत्रीजी।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक शब्द कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 नये बिन्दु आये हैं, उसमें मुझे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप एक बात बता दीजिये, इसमें अगर अनियमितता हुई है तो आप कोई जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जो जो तथ्य, आरोप लगे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप अनियमितता मानते हैं क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं एक मिनट अर्ज कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लैट मिस से। तो कह देंगे कि नहीं है, वह कह देंगे। लैट हिम से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1999-2000 में जो प्रमोशन दिये हैं, अगर वह...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो-जो चर्चाएं और आरोप लगाये हैं, उनका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं जिससे किसी प्रकार का गलत मैसेज प्रोसीडिंग में नहीं जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसीडिंग में नहीं पब्लिक में, प्रोसीडिंग में तो रह जाएंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अब जब प्रोसीडिंग में जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से पब्लिक में भी जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : कुछ चर्चाएं जो यहां आई उसमें मंत्रिमण्डलीय उप समिति के बारे में चर्चा की गई, उसका मैंने स्पष्टीकरण किया। करौली से आने वाले माननीय सदस्य जनार्दन जी गहलोत ने पूछा है कि क्या कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कहा है या पूछा है कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति से एप्रूवल लिया जाना चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। दो पत्र कृषि विपणन बोर्ड ने सरकार को लिखे थे मंत्रिमण्डलीय उप समिति से...

श्री जनार्दन गहलोत : वह प्रावधान नहीं था तो मांगे क्यों उन्होंने? अब यह प्रावधान था? जब नियम उस पर लागू नहीं होते तो उससे परमिशन मांगी क्यों थी? यह बात साफ हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह तो डिनाई कर चुके हैं इस बात को। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो, वह तो डिनाई कर चुके हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : लेकिन इस बात को सरकार ने नहीं किया यह मानते हुए कि मण्डल या बोर्ड स्वायत्तशासी संस्था है इसलिए इसकी बैठक नहीं बुलाई गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका दिमाग कुछ साफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : संशय कर दिया ना समाप्त अब।

श्री जनार्दन गहलोत : जवाब भेजा गया? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार ने जवाब भेजा इस बात का?

श्री दीपेन्द्र सिंह : जवाब नहीं भेजा है, जवाब नहीं भेजा गया।

श्री जनार्दन गहलोत : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार ने जवाब भेजा इस बात का? जवाब नहीं भेजा, आप अपने आप बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : सरकार ने जवाब नहीं भेजा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : गुमराह कर रहे हैं आप सदन को।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : ...आपके एक ही विभाग में है। आपके सब विभागों में भ्रष्टाचार है, क्या बात करते हो। भ्रष्टाचार पुलिस में नहीं है, पी.एच.ई.डी. में नहीं, पी.डब्ल्यू.डी में नहीं हैं? सारे विभाग भ्रष्ट हैं। क्या भ्रष्टाचार की बात करते हो सदन के अन्दर, यह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और फिर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। पी.डब्ल्यू.डी. में परसेंटेज लिया जाता है, पुलिस में लिया जाता है, सारे विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए, क्या विपणन बोर्ड की बात करेंगे? भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाना चाहते हैं तो सरकार को इस मामले में सच्चाई बरतनी पड़ेगी। पुलिस में भ्रष्टाचार है, पी.डब्ल्यू.डी. में 40 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, पी.एच.ई.डी. में जाता है, विपणन बोर्ड में जाता है, सारे विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन आप क्या एक विभाग की बात करोगे? यह सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी, समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह भी बताइये कि वे निर्धारित योग्यता रखते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, समाप्त कीजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल सीधा-सा है, एक मिनट। कृषि विपणन बोर्ड के एक्ट में, रूल्स में कार्मिक विभाग का यहां तक हस्तक्षेप है?

श्री श्रवण कुमार : एक बात के बारे में जब कहा जा सकता है कि आपका एक विभाग भ्रष्ट है, जब पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है, पी.डब्ल्यू.डी. में है, पी.एच.ई.डी. में है...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रश्न के जवाब देना चाहता हूं, यदि आप...

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का सारी सरकार के ऊपर इलजाम लगाया है, यह बहुत गलत बात है। जब तक इसको प्रमाणित नहीं करें, सारी सरकार, सारे महकमे चोर है, ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं या नहीं?

एक माननीय सदस्य : आपके माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, सारे महकमों में भ्रष्टाचार बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, पूरी सरकार को भ्रष्ट बताया गया है, यह गलत है सदन के अन्दर। आप गम्भीरता से लें इस बात को। पूरी सरकार ही भ्रष्ट बताई है।

श्री श्रवण कुमार : मैं कह रहा हूं सारे डिपार्टमेंट भ्रष्ट है। कौन कहता है, नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : पूरी सरकार भ्रष्ट है, जांच कराइये इसकी। कुछ भी कराओ। लेकिन पूरी सरकार ही भ्रष्ट बता दी।

श्री श्रवण कुमार : मैं कह रहा हूं, सारे विभागों में भ्रष्टाचार है। कृषि विपणन बोर्ड की क्या बात करेंगे?

श्री रामस्वरूप : सरकार हमारी है और हमको ही भ्रष्ट बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सारे विभागों में ही भ्रष्टाचार है, सारे विभाग ही भ्रष्ट हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं यहां खड़ी कीं, मैं उस पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझते हुए निवेदन करना चाहता हूं। एक बात कही गई कि कब बैठक बुलाई गई...

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1999-2000 में जो प्रमोशन गलत है, वह बोलो ना आप। (व्यवधान) इसमें एक इश्यु है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप घुमा क्यों रहे हैं? सीधी-सीधी बात कहें आप, निर्धारित योग्यता रखते थे या नहीं रखते थे?

श्री रामस्वरूप : आरोप लगाये जा रहे हैं यहां पर। आप तो सीधी बात करें, आप पर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : आप बता दीजिये कि डी.पी.सी. का नोटिस कब भेजा गया था और विथड्रा कब किया?

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं इस बात से इनकार नहीं करता, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रश्नावली 19.9.2001 को गई थी बोर्ड से सरकार को। इस बात से भी इनकार नहीं करता कि डी.पी.सी. की बैठक के लिए 3.10.2001 को नोटिस निकाला। इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि विभागीय जांच जो समाप्त की गई, वह बैठक के दूसरे दिन 4.10.2001 को की गई। ये तथ्य हैं जिनसे इनकार करने की स्थिति मेरी नहीं है। पदोन्नति पांच तारीख को की गई, यह तथ्य है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता।

श्री जनार्दन गहलोत : विथड्रा क्यों किया?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1999 में वह एलिजिबल थे?

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, लेकिन एक तथ्य यह भी बता दीजिये कि क्या इसके अन्दर राज्य सरकार की स्वीकृति ली गई थी आइदर मंत्रिमण्डल? इसमें कोड आफ कंडक्ट में सरकार की स्वीकृति ली गई थी, यह भी बात दीजिये आप?

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे तथ्यों पर जो शंकाएं हैं, मैं उनको दूर करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। अभी यहां पूछा गया कि 25 साल का अनुभव था क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1999 में नहीं था।

श्री दीपेन्द्र सिंह : निश्चित रूप से इन दोनों अभियन्ताओं का जब प्रमोशन किया गया, बोर्ड की सर्विस प्लस दूसरे जगह से डैपुटेशन पर आने के पहले इस बोर्ड में ये कर्मचारी परमानेंट हो गये, टोटल मिलाकर तो 25 वर्ष की थी, बोर्ड में चाहे तो 25 साल की नहीं थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 2000 में तो थी, 1999 में नहीं थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1999 में नहीं थी, जब प्रमोशन दिया तब नहीं थी। जब से प्रमोशन दिया, तब से नहीं था। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपका नियम ऐसा था क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : 1999 में नहीं थी, 2000 में हुई है। (व्यवधान) आप बिलकुल गलत बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : 1999 में 25 साल पूरे हो गये थे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 2001 में पूरे हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : 2001 में हुए हैं, 1999 में नहीं थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : 1999 में हो गये थे, हो गये थे। मैं कह रहा हूं, हो गये थे। प्रमाणित कराएं कि नहीं हुए।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब डैपुटेशन पर आएंगे, तो दोनों सर्विस को मिलाकर प्रमोशन देंगे...(व्यवधान) अगर पैरेंट डिपार्टमेंट में रहे...

श्री रतन लाल ताम्बी : कृषि विपणन बोर्ड के एक्ट और नियमों में क्या प्रावधान था प्रतिनियुक्ति के बारे में? कार्मिक विभाग का इसमें कहां तक हस्तक्षेप है? (व्यवधान) प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें थीं, इस बारे में वह स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक बात नहीं होगी।

श्री दिग्विजय सिंह : और फिर 25 साल है तो फिर बात दूसरी है। दूसरे विभाग से चलकर आ गये तो वह तो काउंट होगी और दोनों को मिलाकर 25 वर्ष होंगे। (व्यवधान) आप कैसे कह रहे हैं, उसी विभाग में है?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, 25 साल हो गये थे।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आप पर सीधा आरोप लग रहा है, आप स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप पर सीधा आरोप है इसमें तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किस बात की जांच कराएंगे? ये गलत बात कह रहे हैं। पूरे 25 साल 1999 में हो गये उनके। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री विजय को 1991 में और 1992 में 21 वर्ष का अनुभव था और श्री बी. आर. मेहता को 1992 से 93 में 23 वर्ष का अनुभव था...

श्री राजेन्द्र पारीक : इसकी जो है, कृषि विपणन बोर्ड में और दूसरे विभाग में जहां से वे प्रतिनियुक्ति पर आये, उनका अलग-अलग समय बताइये आप। उन दोनों का अलग-अलग समय बताइये प्रतिनियुक्ति पर, कृषि विपणन बोर्ड में उनका कितना समय था और अन्य विभाग में जहां से प्रतिनियुक्ति पर आये, वहां कितना समय था?

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनके सेवाकाल की कुल अवधि बोर्ड और दूसरे विभाग, दोनों मिलाकर 25 वर्ष 6 माह होती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या गलत है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : There is no need of judicial inquiry. ये किस बात की जांच चाहते हैं? जब सारा नियमों के अनुसार हुआ तो किस बात की जांच चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : किसी बात की जांच होगी, कोई जांच होगी। वह विभागीय जांच पहले ही चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप सीधी-सी बात कहिये ना कि इसमें कोई अनियमितता हुई है तो आप जांच कराएंगे क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह : जो माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने सीधा जो सवाल किया, क्या मंत्री के पास फाइल आई और मंत्री के दस्तखत कराये गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें बोर्ड और कारपोरेशन का मामला था, बोर्ड और कारपोरेशन के मामले में मंत्री के पास फाइल नहीं आई, न मेरे दस्तखत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलो। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, प्रोसीजर क्या है? आपके आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आपसे कराये नहीं गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी अजीब बात कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजें न।

श्री राजेन्द्र पारीक : आटोनामस बाडी में कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह अजीब बात कह रहे हैं, मंत्री के पास फाइल नहीं आई। आटोनामस बाडी होना अलग बात है, मंत्री की पावर होना अलग बात है।

श्री संयम लोढ़ा : इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई।

श्री दिग्विजय सिंह : हमारे पास भी यह विभाग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास भी रहा है, यह बात कहना कि मंत्री के पास फाइल नहीं आई... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब यदि आप इजाजत दें तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलत पदोन्नति हुई...

श्री संयम लोढ़ा : कोई नहीं मांग रहा आपका इस्तीफा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जांच कराओगे क्या? जांच करानी है क्या?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो गलत पदोन्नति हुई है तो उसको पदावनत करें। लेकिन यह अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को फंसाने के लिए लाबिंग की जा रही है। कोई गलत पदोन्नति हुई है तो उसको पदावनत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी कोई जांच कराएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : ...कोई एतराज है तो आगे अदालत में जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का शक है और वे यह महसूस करते हैं कि इसमें कोई घपला हुआ है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसकी जांच कराने को मैं तैयार हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : लेकिन एस.टी. के अधिकारी को फंसाने के लिए एक तरीके से मनुवादी लोग-बाग मिलकर लाबिंग की जा रही है।

श्री संयम लोढ़ा : कोई जरूरत नहीं है जांच की। बिलकुल गलत बात है यह, यह बिलकुल शरारतपूर्ण बात है। किस बात की जांच आप कराना चाहते हैं?

श्री दीपेन्द्र सिंह : इसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.42 बजे शुक्रवार; 5 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-243 की सूची)

जैसलमेर तक होकर संचालित बस सेवाओं की मार्गवार समय सारिणी की सूची

क्र.सं.	संचालित आगार	आगमन समय	मार्ग
1	2	3	4
जैसलमेर-बाड़मेर-आबूरोड-जालौर मार्ग			
1.	बाड़मेर	10.00	बाड़मेर-जैसलमेर
2.	बाड़मेर	10.30	बाड़मेर-जैसलमेर
3.	बाड़मेर	11.00	बाड़मेर-जैसलमेर
4.	बाड़मेर	12.30	
5.	बाड़मेर	12.30	
6.	जालौर	13.30	जालौर-सिणदरी-बाड़मेर-जैसलमेर
7.	बाड़मेर	14.00	बाड़मेर-जैसलमेर
8.	बाड़मेर	14.00	बाड़मेर-जैसलमेर
9.	बाड़मेर	16.00	बाड़मेर-जैसलमेर
10.	बाड़मेर	16.00	बाड़मेर-जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर
11.	बाड़मेर	17.00	बाड़मेर-जैसलमेर
12.	बाड़मेर	17.30	बाड़मेर-जैसलमेर
13.	बाड़मेर	17.30	आबूपर्वत-सांचौर-बाड़मेर-जैसलमेर
14.	बाड़मेर	20.00	बाड़मेर-जैसलमेर
15.	बाड़मेर	20.00	बाड़मेर-जैसलमेर
16.	बाड़मेर	21.30	बाड़मेर-जैसलमेर

1	2	3	4
जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर मार्ग			
17.	फलौदी	10.30	फलौदी–जैसलमेर
18.	बाड़मेर	16.00	बाड़मेर–जैसलमेर–फलौदी–बीकानेर
19.	फलौदी	18.00	फलौदी–जैसलमेर
20.	फलौदी	20.00	फलौदी–जैसलमेर
जैसलमेर-जोधपुर-जयपुर मार्ग			
21.	जोधपुर	10.30	जोधपुर–जैसलमेर
22.	डीलक्स	11.00	जयपुर–जोधपुर–जैसलमेर
23.	जोधपुर	11.30	जोधपुर–जैसलमेर
24.	जोधपुर	12.00	” ”
25.	जोधपुर	12.30	” ”
26.	जोधपुर	13.15	” ”
27.	जोधपुर	14.00	” ”
28.	जोधपुर	15.00	” ”
29.	जोधपुर	16.00	” ”
30.	जोधपुर	17.00	” ”
31.	जोधपुर	17.45	” ”
32.	जोधपुर	18.30	” ”
33.	जोधपुर	19.15	” ”
34.	जोधपुर	20.00	” ”
35.	जोधपुर	21.00	” ”
36.	जोधपुर	23.00	” ”
37.	श्रीगंगानगर	09.30	श्रीगंगानगर–अनूपगढ़–मोहनगढ़–जैसलमेर

क्र.सं. 1	आगार 2	प्रस्थान समय 3	मार्ग 4
जैसलमेर-बाड़मेर-आबूरोड-जालौर मार्ग			
1.	आबूरोड	06.00	जैसलमेर-आबूपर्वत वाया बाड़मेर-सांचौर
2.	बाड़मेर	07.00	जैसलमेर-बाड़मेर
3.	बाड़मेर	07.30	जैसलमेर-बाड़मेर
4.	बाड़मेर	08.15	जैसलमेर-बाड़मेर
5.	बाड़मेर	09.00	जैसलमेर-बाड़मेर
6.	बाड़मेर	10.00	जैसलमेर-बाड़मेर
7.	बाड़मेर	10.30	जैसलमेर-बाड़मेर
8.	बाड़मेर	11.00	जैसलमेर-बाड़मेर
9.	बाड़मेर	12.00	बीकानेर-फलौदी-जैसलमेर-बाड़मेर
10.	बाड़मेर	12.30	जैसलमेर-बाड़मेर
11.	बाड़मेर	13.30	जैसलमेर-बाड़मेर
12.	जालौर	14.00	जैसलमेर-बाड़मेर-सिणदरी-जालौर
13.	बाड़मेर	15.00	जैसलमेर-बाड़मेर
14.	बाड़मेर	16.00	जैसलमेर-बाड़मेर
15.	बाड़मेर	17.00	जैसलमेर-बाड़मेर
16.	बाड़मेर	18.00	जैसलमेर-बाड़मेर
जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर मार्ग			
17.	फलौदी	06.30	जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर
18.	फलौदी	13.15	जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर

1	2	3	4
19.	बाड़मेर	17.00	बाड़मेर-जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर
20.	फलौदी	20.30	जैसलमेर-फलौदी-बीकानेर
जैसलमेर-जोधपुर-जयपुर मार्ग			
21.	जोधपुर	06.00	जैसलमेर-जोधपुर
22.	"	07.30	" "
23.	"	08.15	" "
24.	"	09.00	" "
25.	"	09.45	" "
26.	"	10.30	" "
27.	"	11.00	" "
28.	"	12.00	" "
29.	"	12.30	" "
30.	"	13.00	" "
31.	"	14.00	" "
32.	"	15.00	" "
33.	"	16.00	" "
34.	"	17.00	" "
35.	डीलक्स	17.30	जैसलमेर-जोधपुर-अजमेर-जयपुर
36.	जोधपुर	18.00	जैसलमेर-जोधपुर
37.	श्रीगंगानगर	19.00	जैसलमेर-मोहनगढ़-अनूपगढ़-श्रीगंगानगर

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मण्डी प्रांगणों में व्यावसायिक दुकानों हेतु भू–खण्ड आबंटन

246. श्री मान सिंह (पिड़ावा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विभिन्न मण्डी प्रांगणों में गैर विज्ञापित कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु मुख्य सड़क की ओर देखती हुई व्यावसायिक दुकानों हेतु भू–खण्ड आबंटन के स्थान चिन्हित किये गये हैं? यदि हां, तो किस–किस मण्डी प्रांगणों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को लागू करने हेतु कुछ मण्डियों का चयन किया गया था? यदि हां, तो कौन–कौनसी मण्डियों का चयन कब किया गया था एवं वहां उक्त योजना प्रारम्भ की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त योजना को लागू कर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु 34 मण्डी प्रांगणों में भू–खण्ड चिन्हित किए गए हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां। दिनांक 26.2.2000 को इकलेरा मण्डी समिति के मुख्य मण्डी प्रांगण में इस योजना को प्रभावी करने की स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन इस मण्डी प्रांगण की चारदीवारी से लगती हुई भूमि एवं इस हेतु चिन्हित भू–खण्ड राष्ट्रीय राज मार्ग की सीमा में आ रहे हैं। इस कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा सका।

(3) इस रोजगारोन्मुखी योजना को लागू करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य की विभिन्न मण्डी प्रांगणों में व्यवसायिक दुकानों हेतु
चिन्हित भू-खण्डों का विवरण

क्र.सं.	नाम मण्डी	भू-खण्ड संख्या	भू-खण्ड की माप (फीट में)
1	2	3	4
1.	आबूरोड	63	11×20
2.	श्रीगंगानगर	45	11×20
3.	नीमकाथाना	50	11×20
4.	इकलेरा	30	11×20
5.	कोटा	50	11×20
6.	निम्बाहेड़ा	139	11×20
7.	कोटपूतली	14	11×20
8.	पीपाड़शहर	44	11×20
9.	महुवा मण्डावर	35	11×20
10.	बारां	40	11×20
11.	राजसमन्द (नाथद्वारा)	35	11×20
12.	डूंगरपुर	21	11×20
13.	फतेहनगर	25	11×20
14.	सुजानगढ़	28	11×20
15.	झुंझुनूं	16	11×20
16.	चिड़ावा	38	11×20
17.	भीनमाल	26	11×20
18.	पलासाना (सीकर)	15	11×20

1	2	3	4
19.	सादुलपुर	26	11×20
20.	पाली	39	11×20
21.	खानपुर	27	11×20
22.	चित्तौड़गढ़	40	11×20
23.	सरदारशहर	16	11×20
24.	माण्डलगढ़	36	11×20
25.	नदबई	34	11×20
26.	नोखा	14	11×20
27.	मथानिया	16	11×20
28.	फलौदी	48	11×20
29.	बीकानेर फ.स.	29	11×20
30.	बीकानेर ऊन	50	11×20
31.	टोंक	70	11×20
32.	निवाई	115	11×20
33.	पदमपुर	88	11×20
34.	मोहनगढ़	38	11×20

विकलांगों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति में कोताही की जांच

247. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विकलांगों को छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में प्रति वर्ष 29000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी? क्या उक्त लक्ष्य के विरुद्ध छात्रवृत्ति दी गई? क्या उक्त छात्रवृत्ति में प्रतिशत की कमी रही है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों की कोताही के कारण निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कमी रही है? क्या सरकार इसके कारणों की जांच कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में प्रति वर्ष 29,000 छात्रों को छात्रवृति दी जानी थी। इस लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 1999-2000 में 21,346 तथा 2000-2001 में 20,832 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। प्राप्त सभी आवेदकों को उनकी पात्रता के अन्तर्गत छात्रवृति स्वीकृत कर दी गई है। वर्ष 1999-2000 में 26.39 प्रतिशत तथा वर्ष 2000-2001 में 28.19 प्रतिशत कमी रही।

(2) जी नहीं।

"सघन वृक्षारोपण योजना" में स्वीकृत राशि का उपयोग

248. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितनी राशि सघन वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई थी? योजना का कार्यकाल कितना था तथा राज्य सरकार की प्रार्थना पर योजना का कार्यकाल कब-कब व कितना-कितना बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन द्वारा वृक्षारोपण के लिए दी गई राशि का समुचित उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया? यदि हां, तो कितनी राशि समर्पित की गई? विवरण सदन की मेज प रखें।

(3) उक्त योजना के समाप्त होने से कितने कर्मचारी/अधिकारी और वर्कचार्ज श्रमिक अधिशेष हो जायेंगे तथा उनका समायोजन कहां व किस प्रकार किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(4) उक्त योजना से कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ तथा कितना वन क्षेत्र बढ़ा?

उत्तर

(1) जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–आपरेशन के आर्थिक सहयोग से वन विभाग द्वारा राज्य में क्रियान्वित की गई अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास तथा वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि एवं बढ़ाये गये कार्यकाल का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–आपरेशन द्वारा दी गई राशि का समुचित उपयोग किया गया है। परियोजनावार उपयोग की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) परियोजनाओं के अन्तर्गत समाप्त किये गये पदों तथा कार्यरत कर्मियों के समायोजन का विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) इन तीनों परियोजनाओं के अन्तर्गत कुलमिलाकर 2 लाख 74 हजार छह सौ छियासी हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित फोरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में इन परियोजनाओं में सम्मिलित जिलों में वर्ष 1992 से वर्ष 1999 की अवधि में 729 वर्ग कि.मी. वृक्षाच्छादित क्षेत्रों में अभिवृद्धि आंकी गई है।

परिशिष्ट "अ"

जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–ओपरेशन के आर्थिक सहयोग से वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना	योजना का कार्यकाल	मूल स्वीकृत राशि करोड़ रु. में	अवधि अभिवृद्धि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	30.3.1992 से 30.3.1999	176.69	30.3.1999 से 30.3.2000	इस परियोजना के निर्धारित भौतिक लक्ष्य 31.3.1998 तक शत प्रतिशत पूर्ण करा लिए गये थे परन्तु जापानी मुद्रा (येन) एवं भारतीय मुद्रा (रुपया) के विनिमय दर में परिवर्तन हो जाने के कारण मूल स्वीकृत ऋण जो कि जापानी मुद्रा येन में था अवशेष रह गया। परियोजना की ऋण अवधि में ही अवशेष राशि का उपयोग करने के लिए परियोजना के भौतिक लक्ष्यों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गयी थी जिस पर जे.बी.आई.सी. की सहमति के पश्चात् कार्य किया गया। बढ़े हुए भौतिक लक्ष्यों में 2550 हैक्टेयर कार्य शेष रह जाने के कारण इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से समय सीमा में अभिवृद्धि स्वीकृत कराई जाकर यह कार्य भी पूर्ण करा लिया गया।

1	2	3	4	5	6
2.	वानिकी विकास परियोजना	12 अप्रैल, 1995 से 12 अप्रैल, 2002	146.00	अभिवृद्धि नहीं की गई	
3.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	5 फरवरी, 1991 से 5 फरवरी, 1998	107.65	प्रथम अभिवृद्धि 5.2.1998 से 5.2.2000	योजना के मूल भौतिक लक्ष्य पूर्ण करने के लिये अभिवृद्धि की गयी थी।
				द्वितीय अभिवृद्धि 5.2.2000 से 5.2.2002	5106 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु।

परिशिष्ट "ब"

जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–ओपरेशन के सहयोग से वन विभाग द्वारा राज्य में क्रियान्वित की गई परियोजना में मूल स्वीकृत/वास्तविक व्यय एवं वास्तविक व्यय की गयी राशि के विरुद्ध पुनर्भरित राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम परियोजना	मूल स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	परियोजना के अन्त तक वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय की गयी राशि के विरुद्ध पुर्नभरित राशि (करोड़ रुपये में)		
				प्राप्त राशि	राशि जिसका पुनर्भरण किया जाना शेष है	योग
1.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	176.69	293.02	236.28	–	236.28
2.	वानिकी विकास परियोजना	146.00	174.30	130.67	1.00	131.67
3.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	107.65	171.15	144.41	4.84	149.25

परिशिष्ट "स"

जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन की परियोजनाओं से कम हुए पदों पर कार्यरत लोक सेवकों का समायोजन

अरावली वृक्षारोपण परियोजना मार्च, 2000 में समाप्त होने पर 962 पदों में से 685 पद कम किये गये तथा 277 विभिन्न संवर्गों के पद गैर आयोजना मद में स्वीकृत किये गये। कम किये गये पदों पर तत्समय कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों का विभाग द्वारा संचालित अन्य परियोजना तथा योजनाओं/बजट मदों में उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन कर दिया गया था। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिशेष किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई।

अन्य दो परियोजनाओं यथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा वानिकी विकास परियोजना जो वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अन्त में समाप्त हुई के अन्तर्गत विभिन्न नियमित संवर्गों के स्वीकृत कुल 1601 पदों में से 646 पदों को समाप्त किया गया है। इन समाप्त किये गये पदों में से विभिन्न संवर्गों के 362 पद रिक्त थे तथा 284 पदों पर लोक सेवक पदस्थापित थे जिनको विभाग में अन्य योजनाओं/बजट मदों में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित/समायोजित किया जाना तथा अन्य विभागों से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मीयों को पैतृक विभाग में भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जो माह अप्रैल, 2002 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने 1597 कार्य प्रभारित कर्मियों को मजदूरी देना सम्भव नहीं होगा, अत: उन्हें अन्य राजकीय विभागों में समायोजन कराने हेतु सभी सम्भागीय आयुक्तों को मण्डलवार सूचियां भेजी गयी है। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सम्भागीय आयुक्त, अजमेर ने 93 कार्य प्रभारित कर्मचारियों का समायोजन अन्य राजकीय विभागों में स्थायी रिक्त पदों के विरुद्ध कर दिया है। शेष कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्भागीय स्तर पर समायोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति में प्राथमिकता

249. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति देने सम्बन्धी पैकेज की घोषणा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा की गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितने शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति दे दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में उक्त प्रावधान किया गया कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा पर शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को ही अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी जावेंगी? यदि हां, तो उक्त नियमों के प्रावधान के कारण कितने आश्रित नियुक्ति से वंचित रहे?

उत्तर

(1) जी हां। कारगिल युद्ध में शहीदों के आश्रितों के लिये पैकेज की घोषणा दिनांक 5.7.1999 को की गई थी। शहीद सैनिकों 3 आश्रितों को नियुक्ति दे दी गई है। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। इन नियमों के अन्तर्गत कोई प्रकरण नियुक्ति से वंचित नहीं है।

परिशिष्ट "क"

कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई है

क्र. सं.	शहीद का विवरण	आश्रित का नाम	पद जिस पर नियुक्ति दी गई है	नियुक्ति की तिथि	विभाग का नाम
1.	जे.सी. 2125891 सुबेदार सुमेर सिंह राठौड़ गांव व पो. दुधवाखारा, जिला चूरू	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र	कनिष्ठ लिपिक	1.1.2001	एस.डी.एम. कोर्ट, राजगढ़, चूरू
2.	जे.सी. 468659 नायब सुबेदार मंगेज सिंह गांव व पो. हरनावां, तहसील परबतसर, जिला नागौर	श्री विक्रम सिंह, पुत्र	कनिष्ठ लिपिक	22.4.2000	एस.डी.एम. कोर्ट, परबतसर, नागौर
3.	जे.सी. 203567 नायब सुबेदार भंवर सिंह, गांव भैसाणा, तह. सोजत, जिला पाली	श्री भवानी सिंह पुत्र	कनिष्ठ लिपिक	1.1.2000	कोष कार्यालय, पाली

जिला पाली में कारगिल शहीद की विधवा को आबंटित आवास हेतु दी गई राशि में अनियमितता

250. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कारगिल युद्ध में शहीद श्री मोहन काठात की विधवा पत्नी को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए पाली जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नानणा के सरपंच के नाम वर्ष 2000-2001 में चैक भेजा था? यदि हां, तो कितनी राशि का किस तिथि को भेजा था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चैक राशि का गबन उक्त ग्राम पंचायत के संरपच द्वारा करने पर पुलिस स्टेशन सेंदड़ा में मुकदमा सं. 116/2001 अन्तर्गत धारा 409 में शहीद की विधवा पत्नी द्वारा दर्ज करवाया गया? उक्त मुकंदमे में अभी तक चालान नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त मुदकमे का चालान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में कारगिल युद्ध में शहीद श्री मोहन काठात की विधवा पत्नी को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की रायपुर पंचायत समिति द्वारा पंचायत नानणा के संरपच के नाम निम्न राशि व तिथि का चैक भेजा था :-

चैक नं.	दिनांक	रुपये
000906	24.3.2000	10000/-
019120	3.4.2000	10000/-

(2) थाना सेंदड़ा पर मु.पं. 116/2001 धारा 409 भादसं में शहीद की पत्नी श्रीमती शांति देवी द्वारा दर्ज नहीं कराया गया बल्कि विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर श्री खिवाराम द्वारा श्रीमती शांति देवी की दरखास्त पर जांच करके दर्ज कराया गया था। मुकदमे में दिनांक 10.1.2002 को अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(3) प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में दिनांक 10.1.2002 को पेश किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित सम्पर्क सड़कें

251. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने की नीति बनाई है?

(श्री फतेह सिंह)

(2) राज्य में वर्ष 2001-2002 में केन्द्र सरकार के निर्णय के मुताबिक एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले कितने गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की है? जिलेवार व गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-2003 में एक हजार से कम व पांच सौ से अधिक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की केन्द्र सरकार ने नीति बनाई है?

(4) राज्य सरकार पांच सौ से अधिक व हजार से कम वाली आबादी के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत एक हजार से ऊपर जनसंख्या के गांवों को बारहमासी सड़क से 2003 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2001-2002 में 535 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की है। जिलेवार व गांववार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2003 तक केवल 1000 व अधिक की जनसंख्या के गांवों को ही जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(4) जी हां। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसे राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है के अन्तर्गत पांच सौ व एक हजार से कम आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अध्यक्ष राजस्थान आवासन बोर्ड के द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

252. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष के विरुद्ध लगभग 100 करोड़ रुपयों की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है?

(2) क्या उक्त अनियमितताओं की जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मण्डल के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पुनः बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो बार-बार कार्यकाल बढ़ाने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। इसके साथ-साथ राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 2933/2000, 4523/2000, 4525/2000, 2932/2000 दायर की गयी। जिसमें अनेक अनियमितताओं बाबत मुद्दे उठाये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिकाओं का निस्तारण दिनांक 8.12.2000 को कर दिया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को अपने स्तर पर निपटाने की सहमति के आधार पर याचिकाओं को निस्तारित किया है।

(2) जी हां। निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 206/2001 दिनांक 26.6.2001 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी संघ जयपुर के शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की विशेष जांच हेतु एक विशेष जांच दल गठित किया गया। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 6(1) के तहत राज्य सरकार अध्यक्ष का 2 वर्ष के लिये बढ़ाने में सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक के लिये अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

जिला करौली में संचालित परिवहन निगम की बसों का रखरखाव

253. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला मुख्यालय से चलने वाली राजस्थान परिवहन निगम की बसों की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह बेक्रडाउन हो जाती हैं? क्या उक्त से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई बसें उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि करौली से मासलपुर, करौली से कोटामहोली, करौली से चैनपुर बर्ररीया के लिये निगम की बस चलाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उन्हें कब तक चालू करवा दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि जिला

(श्री जनार्दन गहलोत)

करौली के मासलपुर ग्राम से सीधी बस सेवा दिल्ली के लिये उपलब्ध थी? यदि हां, तो क्या वह अब भी चल रही है? यदि नहीं, तो उसे क्यों बन्द कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त बस सेवा को वापस चालू करवाने का विचा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी सामान्यतः यह सही नहीं है। वर्तमान में निगम मुख्यालय पर बस बेड़े की औसत आयु 4.86 वर्ष के विपरीत हिण्डौन आगार के बस बेड़े की औसत आयु 4.43 वर्ष है जो संतोषजनक है, और अधिकांशतः उक्त आगार की बसें ही करौली मुख्यालय से चलती हैं। अतः उक्त बसों की स्थिति खराब नहीं है। जब कोई बस रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है तो निगम की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ब्रेकडाउन हुई बस के पीछे से आने वाली निगम की बस में उक्त बस की सवारियों को बैठाकर उनके गन्तव्य तक पहुंचाया जाता है, अतः यात्रियों को भारी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। निगम समय-समय पर नई बसें क्रय कर उनके आगारों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, इसी क्रम में वर्ष 2001-2002 में उक्त आगार को 15 नई बसें भी दी गई हैं। (परिशिष्ट-1)

(2) दौसा आगार द्वारा करौली-मासलपुर मार्ग पर जयपुर से 12:00 बजे सेवा चलाई जाती है जो करौली 17.40 बजे पहुंच कर वहां से फिर मासलपुर 18.40 बजे पहुंचती है। यही बस मासलपुर रात्रि विश्राम कर उक्त मार्ग से वापस जयपुर आती है। शेष दो मार्गों पर वर्तमान में बस चलाने की कोई योजना नहीं है।

(3) जी हां। अब इसे दिनांक 21.2.2002 को बन्द कर दिया गया है। उक्त सेवा को दिनांक 1.1.2002 को प्रारम्भ कर देखा गया तो जनवरी, 2002 व फरवरी, 2002 में यात्रीभार क्रमशः 38% व 34% प्राप्त हुआ। उक्त आंकड़ों के अनुसार उक्त सेवा की रुपये 6.33 व 5.71 प्रति कि.मी. आय प्राप्त हुई जबकि उक्त पर प्रति कि.मी. परिवर्तनशील लागत ही रुपये क्रमशः 6.92 व 6.66 रुपये आई। जी नहीं।

परिशिष्ट "1"

वर्ष 2001-2002 में हिण्डौन आगार को आवंटित
नई वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या		रजिस्ट्रेशन दिनांक
1.	आरजे 34 पी ओ	231	21.4.2001
2.	"	233	21.4.2001
3.	"	239	9.5.2001
4.	"	240	9.5.2001
5.	"	253	2.7.2001
6.	"	255	6.7.2001
7.	"	260	8.8.2001
8.	"	261	8.8.2001
9.	"	262	18.8.2001
10.	"	280	20.11.2001
11.	"	282	20.11.2001
12.	"	285	5.12.2001
13.	"	294	4.2.2002
14.	"	295	4.2.2002
15.	"	297	11.2.2002

ग्राम पंचायत राजगढ़ (अजमेर) में अनियमित खनन पट्टे

254. श्री ललित भाटी (अजमेर–पूर्व): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अजमेर के गांव राजगढ़, तहसील नसीराबाद में एम.एल. नं. 17/70 मैसर्स कल्याणमल टाक के नाम दिनांक 22.2.1992 तक ही स्वीकृत खनन पट्टा था?

(2) क्या यह सही है कि लीज कन्टीन्यूएशन के प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 27.9.1994 से उक्त प्रावधान लागू किया गया कि लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी कन्टीन्यूएशन लिये नियमानुसार आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे? यदि हां, तो क्या उक्त प्रावधान पश्चात्वर्ती (रेस्ट्रोस्पेक्टिव) लागू किया गया? दिनांक 27.9.1994 को लागू प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत राजगढ़ में खनिज अभियन्ता अजमेर के अधीन किन–किन खनिज पदार्थों के खनन हेतु कितने–कितने क्षेत्र के लिए किन–किन को खनन पट्टा दिया गया है तथा कितनी अवधि के लिए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) खण्ड–3 में वर्णित गत तीन वित्तीय वर्षों में कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिनांक 27.9.1994 को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 24 ए(6) में किये गये संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् नवीनीकरण हेतु प्रेषित आवेदन पत्र पर लीज अवधि लगातार मानी जावे। बल्कि इस तिथि से लागू उक्त संशोधित नियम में यह प्रावधान किया गया है कि लीज अवधि की समाप्ति के एक वर्ष पूर्व नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण यदि लीज अवधि समाप्ति तक नहीं किया जाता है तो लीज की अवधि नवीनीकरण आवेदन पत्र के निस्तारण तक बढ़ी हुई मानी जावेगी। यह प्रावधान पश्चात्वर्ती (रेस्ट्रोस्पेस्टिव) लागू नहीं किये गये हैं। दिनांक 27.9.1994 अधिसूचना की प्रति प्रदर्श–"अ" पर संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के अन्तर्गत खनिज अभियन्ता, अजमेर के कार्यालय क्षेत्र में दिये गये खनन पट्टों का विवरण प्रदर्श "ब" पर संलग्न है।

(4) प्रश्न के भाग संख्या–3 के जवाब में वर्णित खनन पट्टों के पिछले तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की सूचना प्रदर्श–"ब" पर संलग्न है।

प्रदर्श "अ"

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3 SUB-SECTION (1)

GOVERNMENT OF RAINDIA
MINISTRY OF MINES

NEW DELHI, the 27th Sept., 1994.

NOTIFICATION

G.S.R. 724(E). In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1994.

   (2) They shall come into force on the date of Publication in the Official Gazette.

2. In rule 14 of the Mineral Concession Rules, 1960 (herein after referred to as the principal rules), in sub-rule (1).

   (i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

   (ii) the licensee may win and carry for purposes other than commercial purposes :-

      (a) any quantity of such minerals within the limits specified under column 3 of Schedule III without any payment;

      (b) any quantity of such minerals not exceeding the limit specified under column 4 of schedules III, on payment of royalty for the time being specified in the Second Schedule to the Act in respect of those minerals :

Provided that if any quantity in excess of the quantities specified in sub-clause (b) is won and carried away, the State Government may recover the cost of the excess quantity of minerals won and carried away.

(ii) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

(iii) With the written approval of the State Government, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in Schedule III, on payment of royalty for the time being specified in the Second Schedule to the Act, for chemical, metallurgical, ore-dressing and other test purposes.

(iii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

(v) the licensee shall report to the State Government the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery. Consequent upon such reporting, such newly discovered mineral shall be deemed to have been included in the Prospecting licence.

(iv) clause (iv) shall be omitted;

(v) the first proviso to clause (xii) shall be omitted.

3. In rule 16 of the principal rules, in sub-rule (1) for the words " "quarterly report", the words "six monthly report" shall be substituted.

4. Rule 17 of the principal rules shall be omitted.

5. In rule 22 of the principal rules,

(i) in sub-rule (3) clause (e) shall be omitted;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rules (4) and (5) shall be added, namely :—

(4) Once the State Government receives the application or a mining lease and has decided to grant an area to applicant. It must communicate the precise area to the applicant. On receipt of

communication from the State Government of the precise area to be granted, the applicant should prepare a mining plan within six months or such other period as may be allowed by the State Government. The applicant should then submit the mining plan to the State Government who would then sanction grant of lease over that area. The lease deed would be signed whereafter when all other required condition have been fulfilled.

(5) The mining plan shall incorporate:—

(i) the plan of the area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the excavation based on the prospecting date gathered by the applicant or any other person; a tentative scheme of mining plan for the first five year of the lease;

(ii) details of the geology and lithology of the area including mineral reserves of the of the area;

(iii) the extent of manual mining or mining by use of machinery and mechanical devices;

(iv) the plan of the area showing natural water courses, limits of reserves and other forest areas and density of trees, if any, assessment of impact of mining activity on forest, land suface and environment including air and water pollution, details of the scheme of restoration of the area by afforestation, land reclaimation, use of pollution control devices and such other measures as may be directed by the Central Government or the State Government from time to time;

(v) annual programme and plan for excavation from year to year for five years, and

(vi) any other matter which the Central Government may required the applicant to provide in the mining plan.

6. In rule 24A of the principal rules :-

(i) for sub-rule (6), the following shall be substituted namely :-

"(6) If an application for renewal of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (1) is not dispose of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government passes order thereon;"

(ii) for sub-rule (9), the following shall be substituted namely :-

"(9) If an application for first renewal made within the time referred to in sub- rule (8) or within the time allowed by the State Government under the proviso to sub-rule (8), the period that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government passes orders thereon;"

(iii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:

"(10) The State Government may condone delay in an application for renewal of mining lease made after the time limit prescribed in sub-rule(1)"

7. In rule 27 of the principal rules, clause (e) shall be omitted.

8. Rule 35 of the principal rules shall be omitted.

9. In rule 37 of the principal rules,

(i) in sub-rule (1), the first proviso shall be omitted;

(ii) for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(1A) The State Government shall not give its consent to transfer of mining lease unless the transferee has accepted all the conditions and liabilities which the transferer was having in respect of such mining lease."

10. Rule 38 of the principal rules shall be omitted.

11. For Schedule III of the principal rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—.

SCHEDULE III

(See rule 14 (1) (ii) (a) &(b))

Maximum quantities of ares and minerals removable.

Class	Mineral/ore	Quantities that can be carried away without any payment	Maximum quantity that can be carried away by payment of royalty
1	2	3	4
Class I	Asbestos, graphite, mica native sulphur, auriferous rock with visible uranium mineral and uranium bearing minerals, minerals of rare earths group, beryl, tentalite columbite-concentrates of ores of antimony, arsenic, bismuth, chronium, copper, lead, nickel, tin, titanium, tungsten, zinc.	250 KG.	10 tonnes
Class II	Auriferous rock and gravel containing no visible gold, metalliferous ores meant for extracting cadmium, cobalt, mercury, molybdnum, silver, bellium, vanatium, barytes, bitumen, borax, corrundum, emery grossularite, felspar, fluorspar and calcite.	5 tonnes	200 tonnes

1	2	3	4
Class III	Granberious rock without visible uranium minerals, metalliferious ores meant for extracting antimony, arsenic, bismuth, chromium, copper, lead, nickel, tin, titanium, tungsten, zinc and compound ores containing metals of cadmium cobalt, mercury molybdenum, silver, hellium and vanadium, gypsum, limestone iron pyrites, shales, read and yellow ochre, bauxite, matelliferious ores meant for extracting aluminium, iron and manganese.	10 tonnes	200 tonnes
Class IV	Lime-stone, sillimanite, kyanite magnesite, serpentine, steatite, vermiculite, fireclay, kaolin and other refractory materials, coat and lignite.	50 tonnes	200 tonnes
Class V	All other minerals not specified above.	10 tonnes	200 tonnes

12. In form "0" of Schedule I to the principal rules :-

(i) Item 1 and entries relating threto shall be omitted;

(ii) In item 3, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transfer or was having in respect of such mining lease."

Sd/-
(Divaker Dev)
Joint Secretary to the Govt. of India.
F.No. 1/7/1993 M.VI.

Foot Note: The Principal rules were published vide G.S.R. No. 1398 dt. 11.11.1960. These rules were amended vide following notifications:—

1.	Notification	No.	M–II/169(44)/61	Dated	1.9.1961
2.	"	"	M–II/162(58)/61	"	30.4.1963
3.	"	"	M–II/152(ii)/62	"	6.5.1963
4.	"	"	I(22)/62/M–II	"	18.7.1963
5.	"	"	M–II/152(37)/62	"	22.7.1963
6.	"	"	M–II/169(44)/61	"	6.9.1963
7.	"	"	M–II/152(33)/60	"	24.9.1963
8.	"	"	1(26)/66–M–IV	"	4.3.1967
9.	"	"	1(2)/68–M–II	"	23.2.1968
10.	"	"	1(3)/68–M–II	"	30.3.1968
11.	"	"	1(3)/68–M–IV	"	17.1.1969
12.	"	"	1(51)/65–M–II	"	26.2.1969

13.	Notification	No.	1(34)/68–M–II	Date	23.5.1970
14.	”	”	1(33)/67–M–IV (Vol–II)	”	22.7.1971
15.	”	”	1(3)/71–M–VI	”	6.9.1971
16.	”	”	1(26)/71–M–VI	”	14.2.1972
17.	”	”	1(34)/71–M–VI	”	21.5.1973
18.	”	”	1(74)/75–M–VI	”	2.5.1979
19.	”	”	3(51)/74–M–VI	”	16.1.1980
20.	”	”	7(4)/85–M–VI	”	22.9.1987
21.	”	”	7(1)/86–M–VI	”	10.2.1987
22.	”	”	19(9)/87–M–VI	”	14.10.1987
23.	”	”	6(3)/87–M–VI	”	21.12.1987
24.	”	”	7(2)/87–VI	”	13.4.1988
25.	”	”	7(1)/89–M–VI	”	19.10.1989
26.	”	”	7(1)/90–M–VI	”	1.4.1991
27.	”	”	7(3)/92–M–VI	”	7.1.1993
28.	”	”	7(1)/93–M–VI	”	30.3.1994

Sd/-

Technical Asstt. to DMG

परिशिष्ट "ब"

प्रधान खनिज के अन्तर्गत पंचायत राजगढ़ नसीराबाद तहसील में आने वाले खनन पट्टों का विवरण एवं गत तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व का विवरण

क्र. सं.	ख.प.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	नि.ग्रा.	तहसील	क्षेत्रफल	अवधि	राजस्व प्राप्ति 1998-99	राजस्व प्राप्ति 1999-2000	राजस्व प्राप्ति 2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	22/92	श्री नाथूलाल कलवार	फैल्सफार क्वार्ट्स	नयारा	नसीराबाद	5 है०	15.11.1997 से 20 वर्ष	11900.00	8500.00	—
2.	33/98 (19/99आर)	चित्रा मिनरल्स	मा.फै.क्वा.	देराठू	नसीराबाद	32-37 है०	9.6.1980 से 20 वर्ष	12000.00	21848.00	48810.00
3.	27/91 (2/91आर)	हिन्दुस्तान मा. एण्ड मिनरल्स स.	मा.फै.क्वा.	लोहरवाड़ा	नसीराबाद	32-80 है०	24.4.1992 से 20 वर्ष	8952.00	22211.00	15100.00
4.	24/76	हिन्दुस्तान मा. एण्ड मिनरल्स स.	मा.फै.क्वा.	लोहरवाड़ा	नसीराबाद	3.40 है०		584.00	4384.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	31/78 (2/99आर)	श्री इन्दलाल जोशी	मा.फै.क्वा.	राजगढ़	नसीराबाद	7–3 है०	13.2.1980 से 20 वर्ष	31163.00	35457.00	35000.00
6.	5/96	जय श्री मिनरल्स	मा.फै.क्वा.	सनोद	नसीराबाद	42–66 है०	30.12.1974 से 20 वर्ष	3840.00	46500.00	42500.00
7.	11/73 (41/93आर)	जैन मिनरल्स	मा.फै.क्वा. सोप. एमरल्ड	राजगढ़	नसीराबाद	45–99 है०	30.12.1974 से 20 वर्ष	3000.00	2914.00	10000.00
8.	17/70 (1/91आर)	कल्याण मल टाक एण्ड सन्स	मा.फै.क्वा. सोप. वर्मी. केलसा.एसब.	कासिया राजगढ़	नसीराबाद	51–69 है०	23.2.1972 से 20 वर्ष	12414.00	15000.00	30000.00
9.	22/81	खत्री मिनरल्स	मा.फै.क्वा. क्वार्टस	भीमपुरा	नसीराबाद	90 है०	20.12.1982 से 20 वर्ष	50456.00	21755.00	50400.00
10.	9/92	श्री कृपाकिशन शर्मा	फै. क्वार्टस	झड़वासा	नसीराबाद	36 है०	4.1.1993 से 20 वर्ष	6700.00	11200.00	19500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	13/86	श्री मूलचन्द काबरा	सोप.एस.बस.	कासिया	नसीराबाद	90 है०	25.7.1987 से 20 वर्ष	71000.00	78750.00	72450.00
12.	33/74 (17/95आर)	श्री मंगल चन्द सेठी	मा.फै.क्वा.	नांदला	नसीराबाद	36–67 है०	21.2.1996 से 20 वर्ष	6602.00	17305.00	7336.00
13.	38/85 आर	मनिआर सैल्स कारपोरेशन	मा.फै.क्वा.	तिलाना	नसीराबाद	33–45 है०	19.6.1987 से 20 वर्ष	15000.00	14000.00	20000.00
14.	8/83	ओसवाल एण्ड कम्पनी	मा.फै.क्वा.	तिलाना	नसीराबाद	129–40 है०	15.3.1984 से 20 वर्ष	38844.00	49217.00	118651.00
15.	36/79 (19/98आर)	सर्वश्री ओम मायका एण्ड कं.	मा.फै.क्वा.	तिहारी	नसीराबाद	8–69 है०	18.10.1980 से 20 वर्ष	34200.00	11400.00	54748.00
16.	7/92	श्री सुशील कुमार सेठी	मा.फै.क्वा.	बेवन्जा	नसीराबाद	44–00 है०	29.12.1992 से 20 वर्ष	5000.00	11640.00	13974.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	6/92	श्री सुशील कुमार सेठी	मा.फै.क्वा.	सनोद	नसीराबाद	37–50 है०	5.7.1993 से 20 वर्ष	7000.00	6950.00	13500.00
18.	9/85	श्री ताराचन्द जैन	मा.फै.क्वा.	तिलाना	नसीराबाद	47–75 है०	20.2.1986 से 20 वर्ष	12375.00	8646.00	24650.00
19.	7/93	सर्वश्री जैन मिनरल्स एवं सोप.	एमरल्ड आदि	राजगढ़	नसीराबाद	46–32 है०	22.9.1998 से 20 वर्ष	—	8000.00	7980.00
20.	20/91	श्री शांतिलाल जैन	मा.फै.क्वा.	आशापुरा	नसीराबाद	5–00 है०	1.5.2000 से 20 वर्ष	700.00	700.00	15000.00
21.	29/94	श्रीमती कान्ता जैन	फै.क्वा.	मोहनपुरा	नसीराबाद	5–00 है०	22.9.1998 से 20 वर्ष	—	150.00	350.00
22.	38/75 (33/95आर)	श्री रमेश चन्द टांक	मा.फै.क्वा. केल.	राजपुरा	नसीराबाद	5–13 है०		1634.00	3000.00	6650.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	14/96	श्री ओमप्रकाश शर्मा	फै.क्वा.	बनेवड़ा	नसीराबाद	5–00 है०	26.3.1999 से 30 वर्ष	300.00	300.00	5000.00
24.	13/96	श्री प्रभुदयाल करोल	फै.क्वा.	बलवन्ता	नसीराबाद	5–00 है०	22.6.1999 से 20 वर्ष	—	—	—
25.	22/97	श्रीमती रंजनी कट्टा	फै.क्वा.	मोडी	नसीराबाद	5–00 है०	18.2.2000 से 30 वर्ष	—	—	3375.00
26.	16/96	दीपिका सोनेजी	फै.क्वा.	आशापुरा	नसीराबाद	5–00 है०	15.7.2000 से 20 वर्ष	—	—	9050.00
27.	1/96	श्रीमती अनूप देवी सेठी	मा.फै.क्वा.	रायसर	नसीराबाद	5–00 है०	6.2.2001 से 20 वर्ष	—	—	—
28.	44/79 (/आर)	हिन्दुस्तान एण्ड मिन. स.	मा.फै.क्वा.	सनोद	नसीराबाद	32–58 है०	29.9.1981 से 20 वर्ष	6271.00	7227.00	15500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	3/83	हिन्दुस्तान मिनरल्स	मा.फै.क्वा.	सनोद	नसीराबाद	36–40 है०	3.4.1984 से 20 वर्ष	15076.00	15276.00	24785.00
30.	3/90	नरेन्द्र कोठारी	फै.क्वा.	नागेलाव	नसीराबाद	36–00 है०	9.4.1992 से 20 वर्ष	2160.00	2160.00	5040.00
31.	27/75 (/आर)	श्री यशवंत सोनेजी	मा.फै.क्वा.	लोहरवाड़ा	नसीराबाद	4 बीघा	17.10.1976 से 20 वर्ष	200.00	200.00	5677.00
अप्रधान खनिज										
1.	ख. प. 45/89	श्रीमती माला जैन	चुनाई पत्थर	राजपुरा	नसीराबाद	100×100 वर्ग मीटर	27.7.1989 से 20 वर्ष	6860.00	6860.00	6860.00

ह०/–
खान अभियंता
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
अजमेर

मेड़ता सिटी (नागौर) स्थित तिलम संघ में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन

255. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य तिलम संघ की मेड़ता सिटी (नागौर) इकाई बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो कब से बन्द की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाई में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत थे? उक्त में से कितने कर्मचारी/अधिकारियों को कहां-कहां पर समायोजित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तिलम संघ की मेड़ता सिटी इकाई को वापस शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मेड़ता सिटी इकाई को दिनांक 15.4.1998 से बन्द कर दिया गया है।

(2) मेड़ता सिटी इकाई में 40 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे। इन कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी को अन्य संस्थाओं में समायोजित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। मिल के किसी भी प्रकार से लाभप्रद स्थिति में नहीं चलने की सम्भावना के कारण शुरू करने का विचार नहीं रखती है।

कृषि विपणन बोर्ड अजमेर में अधीक्षण अभियन्ता का रिक्त पद

256. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड अजमेर में अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या उक्त सभी पदों पर अभियन्ता कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन?

(3) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(4) अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता का कार्यभार कब से दे रखा है? उक्त पद अन्य अधिकारी को उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया?

(5) क्या सरकार अब अधीक्षण अभियन्ता को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड अजमेर में अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का एक-एक पद स्वीकृत है।

(2) अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त अजमेर का पद रिक्त है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर श्री भीम सिंह टांक कार्यरत हैं। अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त अजमेर के रिक्त पद का कार्य श्री भीम सिंह टांक, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड अजमेर अपने कार्य के साथ-साथ दिनांक 9.10.2001 से कर रहे हैं।

(3) जी, हां। अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त अजमेर का पद दिनांक 6.10.2001 से रिक्त है। यह पद श्री बी.आर. मेहता, अधीक्षण अभियन्ता की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुआ है।

(4) अधिशासी अभियन्ता, खण्ड अजमेर को अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त अजमेर का कार्यभार दिनांक 9.10.2001 के पश्चात् से दिया हुआ है। बोर्ड का अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय एक जगह होने से अधिशासी अभियन्ता अजमेर को ही वृत्त में वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता होने के कारण अधिकतम का चार्ज दिया जाना उचित समझा गया।

(5) जी हां। बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र पदस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के निर्वाचन बोर्ड का गठन

257. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के निदेशक मण्डल के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

(2) उक्त निगम में प्रशासक कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? क्या सरकार निदेशक मण्डल का गठन शीघ्र करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के निदेशक मण्डल के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

(2) निगम में प्रशासक की नियुक्ति राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जा सकती है। अधिनियम की धारा 36(1) के अन्तर्गत लगाये गये प्रशासक की अवधि निश्चित नहीं है, परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 36(1-ख) में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रशासक की अवधि अधिकतम दो वर्ष निर्धारित है।

(समाज कल्याण मंत्री)

जी हां। नया सहकारी कानून अधिनियमित होने के पश्चात् उक्त अधिनियम में निर्वाचन के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराये जावेंगे।

स्टेट ट्रेडिंग विभाग द्वारा बेची गई लकड़ी से प्राप्त आय

258. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में स्टेट ट्रेडिंग विभाग ने कुल कितने की इमारती व जलाऊ लकड़ी बेची?

(2) उक्त अवधि के दौरान लकड़ी कटाई, ढुलाई व चक्का लगवाई पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

(3) उक्त दो वर्षों में संस्थापन खर्च क्या रहा है?

(4) यात्रा व्यय मय दैनिक भत्ता, हर स्टेट ट्रेडिंग उपवन मण्डल में कितना-कितना व्यय किया है? उपवन मण्डलवार खर्चे की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में स्टेट ट्रेडिंग विभाग को शुद्ध आय कितनी हुई?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में विभाग द्वारा कुल राशि 1179.99 लाख रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2001-2002 में (28.2.2002 तक) 1140.82 लाख रुपये की ईमारती एवं जलाऊ लकड़ी बेची गई।

(2) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लकड़ी की कटाई एवं चट्टा लगाई पर राशि 237.64 लाख रुपये एवं ढुलाई पर राशि 146.05 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। वित्तीय वर्ष 2001-2002 (28.2.2002) तक में लकड़ी की कटाई एवं चट्टा लगाई पर राशि 151.62 लाख रुपये तथा ढुलाई पर राशि 125.23 लाख रुपये व्यय हुई।

(3) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में विभागीय कार्य वृत्त एवं विभिन्न विभागीय कार्य मण्डलों में संस्थापन मद पर 203.91 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में (28.2.2002 तक) इन कार्यालयों में संस्थापन पर व्यय 191.30 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ है।

(4) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में (28.2.2002 तक) प्रत्येक विभागीय कार्य मण्डल व विभागीय वृत्त कार्यालय में यात्रा व्यय मय दैनिक भत्ते पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) उक्त अवधि में विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा अर्जित की गई आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 (28.2.2002) तक विभिन्न विभागीय कार्य मण्डलों एवं विभागीय कार्य वृत्त में यात्रा व्यय मय दैनिक भत्ते के व्यय का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्यालय	वर्ष 2000-2001 (व्यय लाखों में)	वर्ष 2001-2002 (28.2.2002 तक) व्यय लाखों में
1.	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर	0.47	0.68
2.	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़	0.57	0.29
3.	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर	0.89	0.30
4.	विभागीय कार्य वृत्त जयपुर	0.16	0.19
	योग	**2.09**	**1.46**

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 (28.2.2002) विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा अर्जित आय का विवरण

	वर्ष 2000-2001 की आय (लाख रुपये में)	वर्ष 2001-2002 (28.2.2002 तक) की आय (लाख रुपये में)
लकड़ी कोयला योजना, फर्नीचर बिक्री एवं बांस बिक्री से आय	1447.61	1321.92

बी.एच.ई.एल. भिवाड़ी, द्वारा खराब बिजली मीटरों की आपूर्ति

259. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बी.एच.ई.एल., भिवाड़ी द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को कुल कितने मीटर सप्लाई किये गये थे तथा उक्त की क्या कीमत थी?

(2) उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किये गये कितने मीटर गारंटी अवधि में खराब हुए? विद्युत नियामक आयोग तथा फर्म के बीच क्या संविदा थी? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने मीटर फर्म को मरम्मत के लिये लौटाये तथा कितने मीटर फर्म ने ठीक कर कब-कब वापस भेजे?

(4) उक्त में से कितने मीटर खराब पड़े हैं उनकी क्या कीमत है? उक्त मीटर कब से खराब हैं तथा उक्त समय अवधि की भरपाई कौन करेगा और कितने मीटर फर्म ने मरम्मत वास्ते प्राप्त किये जो नहीं लौटाये? क्या उक्त फर्म वर्तमान में चालू है? यदि नहीं, तो वो कब से बन्द है?

(5) क्या फर्म के विरुद्ध सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई? क्या सरकार उक्त मुकदमे की जांच सी.बी.आई. से कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या 5000 मीटर सैंट्रल स्टोर जयपुर से आये थे? क्या उनको वापस भेजे? क्या 140 मीटर अलवर में आये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बी.एच.ई.एल., भिवाड़ी द्वारा तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को कुल 184132 मीटर सप्लाई किये गये थे जिनकी कुल कीमत 18.41 करोड़ रुपये थी।

(2) फर्म द्वारा सप्लाई किये गये कुल मीटरों में से 31618 मीटर गारंटी अवधि में खराब हुए। विद्युत नियामक आयोग एवं फर्म के बीच कोई संविदा नहीं हुई थी बल्कि यह संविदा फर्म एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बीच हुई थी। संविदा के अनुसार सप्लाई किये गये मीटरों की गारंटी अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। संविदा की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मीटर प्राप्ति पूर्व निर्धारित माप दण्डों व आई.एस.एस. के अनुसार मीटरों का निरीक्षण एवं टैस्टिंग करवाई गई थीं। मीटर प्राप्त होने के बाद नियमानुसार मण्डल की प्रयोगशालाओं में भी मीटरों को टैस्ट किया गया था। अधिकारियों के साथ सामान्य बैठक के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष श्री पी.एन.भण्डारी को यह बताया गया कि ये मीटर अधिक लोड पर ठीक तरह से काम नहीं करते, अत: उन्होंने उस बैठक में ही यह आदेश दे दिये कि उक्त कम्पनी का भुगतान रोक दिया जावे तथा सभी मीटरों को ठीक करने के लिए बाध्य किया जावे। इसके पश्चात् कम्पनी के प्रतिनिधि दल ने बताया कि मीटर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शत-प्रतिशत सही थे तथा

(ऊर्जा मंत्री)

आई.एस.एस. के मानकों के हिसाब से 400 प्रतिशत लोड अधिक डालने पर भी मीटर ठीक काम करना चाहिए। जबकि ये मीटर 500 प्रतिशत के अतिरिक्त लोड पर भी ठीक से काम कर रहे थे तथा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद में यह प्रमाणित हो गया कि मीटर बिलकुल ठीक थे और उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी फिर भी उन पर दबाव डाला गया कि मीटर की क्षमता को बढायें। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि नियमानुसार इस प्रकार की क्षमता बढ़ाने की न तो आवश्यकता है और न ही वे कानूनन इसके लिए बाध्य है। परन्तु फिर भी विद्युत मण्डल के विशेष जोर देने पर उन्होंने उनकी क्षमता बढ़ाने का कार्य अपने हाथ में लिया तथा 85894 मीटर्स की क्षमता बढ़ाई गई, अत: यह स्पष्ट है कि मीटर सभी दृष्टि से ठीक थे और जिनकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई वे भी निर्धारित मापदण्डों पर खरे उतरे थे।

फर्म को क्षमता बढ़ाने हेतु 90914 मीटर्स दिये गये थे जिनमें से फर्म द्वारा 85894 मीटर्स क्षमता बढ़ाकर वापस भेज दिये गये तथा 5020 मीटर फर्म द्वारा नहीं लौटाये गये। वर्तमान में राजस्थान की विभिन्न मीटर प्रयोगशालाओं एवं भण्डारों में 31618 मीटर खराब पड़े हैं। जिनकी खरीद कीमत लगभग 316.18 लाख रुपये है। संविदा के अनुसार गारंटी अवधि में खराब हुए मीटरों को फर्म के द्वारा ठीक करने या बदलने का प्रावधान था। लेकिन फर्म के बन्द हो जाने की वजह से उपरोक्त खराब मीटरों को न तो ठीक किया गया है और न ही बदला गया है। उक्त फर्म मई, 1999 से बन्द है एवं फर्म की फैक्टरी वाणिज्य कर विभाग राजस्थान सरकार के कब्जे में है।

(4) वर्तमान में राजस्थान की विभिन्न मीटर प्रयोगशालाओं एवं भण्डारों में 31618 मीटर खराब पड़े हैं, जिनकी खरीद कीमत लगभग 316.18 लाख रुपये है। ये सभी मीटर गारंटी अवधि में हैं। फर्म के पास 5020 ऐसे मीटर्स हैं जो कि उसे मीटर की क्षमता में सुधार हेतु दिये गये थे एवं फर्म द्वारा लौटाये नहीं गये हैं। उक्त फर्म वर्तमान में बन्द है। उक्त फर्म का निगम के पास विभिन्न मदों में लगभग एक करोड़ नौ लाख रुपये उपलब्ध है।

(5) फर्म के विरुद्ध सोडाला थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के जवाब में थाना अधिकारी, सोडाला पुलिस स्टेशन ने अपने पत्र दिनांक 6.6.1999 द्वारा बताया कि यह केस सिविल प्रकृति का है इसलिए इसे राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष उठाया जाये क्योंकि उनके द्वारा बी.एच.ई.एल. की फैक्टरी को सील करके अपने कब्जे में लिया गया था। अत: इस सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग को दिनांक 11.6.1999 को पत्र लिख दिया गया था जिसका अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) जी हां। 5000 मीटर जो फर्म को संशोधन के लिए दिये गये थे वे सैंट्रल स्टोर, जयपुर से भेजे गये थे और अभी तक वापस नहीं आये हैं। उक्त 5000 मीटरों में अलवर से आये 140 मीटर भी शामिल हैं। फर्म द्वारा कुल 5020 मीटर लौटाने शेष हैं।

परिशिष्ट "अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
(PROCUREMENT CIRCLE-I)
NEW HOTEL BUILDING, AJMER ROAD,
JAIPUR-302006

PURCHASER'S ADDRESS		**SUPPLIER'S ADDRESS**	
Telegram	: SEPRORSED	Telegram	: VIKTRON DELHI
Telephone	: 373622	Telephone	: 6831941 6836541
Telex	: SPECIN-365-2278	Telex	: 31-65064
Fax	: 0141-368134	Fax No.	: 91-11-6840641

No. SE/PROC.I/TN-1514/SPO.IV/PO.-450 DATED : 30.3.1995

M/s Vikas Hybrids & Electronics Ltd.
B-378, New Friends Colony,
New Delhi-110065.

Sub. : Supply of single phase Static Energy Meters against No. SE/Proc.I/TN-1514

REF. :
1. Your tender offer No. VII:ED:94:295 dt. 6.7.1994
2. Our telegram dt. 19.11.1994 & confirmation copy vide No. SE/PROC.I/SPO-IV/D.2651 Dt. 19.11.1994
3. Your letter No. VH/EM/5956 dt. 21.11.1994.
4. Your letter No. VH/EM/725 dt. 25.11.1994.
5. Your letter No. Nil dt. 31.12.1994.
6. Your letter No. Nil dt. 16.1.1995.
7. Your letter No. Nil dt. 24.1.1995.
8. Our letter of acceptance vide telegram dated 28.1.1995 & its confirmation copy No. RSEB/SE/PROC.I/TN1514/ D. 3563 dt. 28.1.1995.

Dear Sirs,

With reference to your above quotation and subsequent correspondance this detailed purchase order is placed on you for the supply of Single Phase Static Energy Meters for the quantities and the prices detailed hereunder. The terms and conditions shall be governed by the 'General Conditions of the Contract' appended at Annexure-II except as detailed/modified herein below :—

2. SCHEDULE OF MATERIAL & PRICES

S. No.	Particulars of Items	Qty. in Nos.	Ex-Works Price/Unit in Rs.	Total Amount in Rs.
	Type VH-BL-011 AC Single Phase 2 wires, whole current static Kwh. energy meters, class 2.0 suitable for 240V AC. 50 cps, system with hinged type terminal cover having Anti temper features & with meter base & cover of Sheet Steel of 20 Gauge (0.914 mm) alongwith 4 Nos. of crimping pins, conforming to IS:13779/- 1993 with latest amendments & Generally conforming to the GTP available at Annexure-I. The meter shall carry ISI certification mark as per IS;13779/1993 & shall be of following rating:			
	(a) 5-20A	200000	885.47	177094000
				177094000

(Rs. Seventeen crores seventy lacs ninty four thousand only.)

3. PRICES

(a) The prices mentioned in clause No. 2 "Schedule of Material & Prices" are FIRM and are for delivery FOR exworks inclusive of thermocol packing box of each meter and forwarding charges and cost of one set of Crimping Pins. The above prices are exclusive of Excise Duty @ 10% & RST @ 2% against statutory issuance of the statutory declaration form. Any statutory variation in the existing rates of taxes/duties on finished goods only during the contracted delivery schedule shall be subjected to further adjustment accordingly. But for claiming any statutory variation in taxes/duties, you shall furnish the documentary evidence/proof in support of such claim for our scrutiny and approval. The Excise Duty will be paid on Ex-works prices.

(b) To cover freight & insurance charges, a sum of Rs. &.50 per meter shall be paid extra to you. The element of Freight & Insurance Charge is fixed and as such no variation therein shall be allowed and you are not required to produce any documentary evidence to claim such charges.

(c) Octroi duty, if payable, shall be borne by the Board and the same shall be paid by the Conssignee(s).

(d) The above Ex-works prices are after considering the benefits available under MODVAT Scheme.

4. DELIEVERY PERIOD

(I) You shall commence the supplies after 8 weeks from the date of receipt of this detailed purchase Order. The first delivery will be for 10000 (Ten Thousand) meters for first month. The balance deliveries will be @ 30000 Nos. (Thirty Thousand Nos.) meter per month thereafter.

(II) The meters on receipt of Inspection clearance shall be despatched duly insured to the various consignees as per despatch instructions (to be issued separately) on 'freight paid' basis and not on 'freight to pay' basis as the freight & insurance charges will be paid extra @ Rs. 6.50 per meter to make the prices F.O.R. destination anywhere in Rajasthan.

(III) In case of Road Transport price are FOR delivery upto consignee stores/sites.

5. DELAY IN DELIVERY

(a) The provision of clause 1.24 of the General Condition of Contract shall be applicable.

(b) In the event of of delay in payments, beyond 21 days, from the date of receipt of bills/bank intimation or completion of all contractual formalities whichever is later, delivery period will be extended on Pro-rata basis on balance supplies without any financial liabilities on the Board.

6. SECURITY DEPOSIT

You are to furnish 2% Bank Guarantee towards Security Deposit as per clause No. 1. 60 of the General Condition of Contract on non-judicial Rajasthan State stamp paper worth Rs. 75/-.

7. TERMS OF PAYMENT/MODE OF PAYMENT :

Deleted and replaced as under

(a) Payments shall be made under leasing arrangement to be mutually decided upon by the supplier & the purchaser. Detailed proposals for the same shall be furnished by you at the earliest for our acceptance.

Payment shall be released after completion/acceptance of the following contractual formalities:

(1) Contranct Agreement on Rajasthan Non-Judicial Stamp paper worth Rs. 10/-.

(2) Latest & valid ITCC & STCC.

(3) Furnishing of 2% Security Bank Guarantee.

(4) Furnishing of 10% Bank Guarantee towards performance.

(b) The Payment of excise duty will be made against the production of excise gate passes.

(c) The Bank Commission charges, if any, shall be borne by the supplier.

(d) The adjustment in regard to the amount recoverable, if any in terms of sub-clause No. 1.24 (a)(i) (as mentioned at Sr. No. 5 of this order) of General Condition of Contract shall have to be deposited by you from on demand within 15 days of such intimation by the purchaser failing which it shall be adjusted from the deposit/balance payment as may be available with the Board and/or in any other manner as may be deemed appropriate by the purchaser.

8. MARKING OF SERIAL NUMBER ON METER

Serial number of the meter should be marked on Name plate of Meter and additionally the serial number should also be marked on the base.

9. You shall furnish one sample meter of 5-20A rating with anti temper features for our approval before commencement of supply.

10. INSPECTION & TESTING

It shall be governed by the clause No. 1.27 of the General Condition of Contract to which the following are added as under:

(a) Inspection & Testing of meters shall be carried out by the Purchaser's representative. All acceptance tests as laid down in

ISS : 13010/1990 shall be carried out on every lot. The number of samples for the test on each lot shall be selected as per the provision of the ISS. In case the meter offered for inspection are in bulk quantities, then the same shall be sub divided into small lot such that the size of each lot shall not be more than 5000 Nos.

(b) Thickness of meter base & cover and terminal cover shall also be measured and recorded in the Inspection note.

11. DESPATCH INSTRUCTIONS

The material shall be despatched to the consignee as per the despatch instructions to be conveyed later on.

12. TEST CERTIFICATES

(a) The type test certificates for all the tests for S-20A ratings of single phase static energy meters with anti temper features under order from any independent laboratory in accordance with IS: 13779/1993 shall be furnished by you before commencement of supply.

(b) Three sample meters out of the first offered lot, shall be selected at random by the Inspacting Officer for getting it type tested by you in any independent test house as per IS: 13779/1993 and the charge for the same shall be borne by you.

13. MAINTENANCE & GUARANTEE

It shall be governed by clause 1.40 of GCC except that the guarantee shall be for a period of 5 years from receipt of last consignment.

14. MODE OF GUARANTEE

You are to furnish 10% bank guarantee towards performance as per clause No. 1.41 of the General conditions of Contract on

Non-Judicial Rajasthan stamp paper worth Rs. 75/- for a period of 5 years from receipt of last consignement.

15. CONTRACT AGREEMENT

(a) This order shall be governed by the General Condition of Contract except where modified by this order in such case the later shall prevail.

(b) The contract agreement shall be executed in the manner detailed at clause No. 1.6 of General Condition of Contract before claiming any payments.

16. INCOME TAX & SALES TAX CLEARANCE CERTIFICATES

Latest & valid ITCC & STCC shall be furnished on receipt of this order for acceptance before claiming any payment.

17. ARBITRATION

Clause No. 1.58 of General Conditions of Contract is deleted.

18. CIVIL SUIT

All dispute, differences or questions whatsoever which may arise between the purchaser & Supplier upon or in relation or in connaction with this contract shall be deemed to have been arisen at Jaipur (Rajasthan) and no court other than the courts in Jaipur (Rajasthan) shall have jurisdiction to antertain or try the same.

Yours faithfully

Sd/-

(Kailash Joshi)

Superintending Engineer (Proc. I)

Encls. : 1. Guaranteed Tenchical particulars (Annexure–I)
2. General conditions of contract (Section-2) (Annexure–II)

तहसील गंगधार (डग) में अकाल राहत कार्य

260. श्री मदन लाल वर्मा (डग): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील गंगधार में जून, 2001 से सितम्बर, 2001 तक हुई अल्प वर्षा के कारण अकाल की स्थिति बनी एंव पेयजल संकट गहराने लगा है और रोजगार की समस्या खड़ी हो गयी है तथा मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में अन्य कोई राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार किसानों की सभी प्रकार की सरकारी वसूली रोकने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील गंगधार में जून, 2001 से सितम्बर, 2001 तक 518 मि.मी. वर्षा हुई जिससे खरीफ फसल में खराबा हुआ। फसल गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पेयजल संकट ग्रीष्म ऋतु में हो सकता है तथा वर्तमान में रोजगार की समस्या नहीं है, जिससे मजदूर पलायन नहीं कर रहे हैं।

(2) प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।

(3) अभाव स्थिति की घोषणा के उपरांत राहत कार्य आरम्भ किये जाने बाबत निर्णय लिया जावेगा।

(4) अभाव स्थिति की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही वसूली स्थगित किये जाने की कार्यवाही पर विचार करना संभव होगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी को सड़क विकास हेतु आबंटित राशि

261. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरित करो योजना राशि रु. 450 करोड़ गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये भारत सरकार की योजना राशि रु. 100 करोड़, न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत राशि रु. 30 करोड़ की योजना केन्द्रीय सड़क निधि योजना राशि रु. 147 करोड़, 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने की योजना राशि

(श्री कन्हैया लाल)

रु. 263 करोड़, सड़क रखरखाव योजना राशि 600 करोड़ रु. कुल 1590 करोड़ रुपयों की योजनाएं राज्य में सड़कों के लिये बनाई गई हैं? यदि हां, तो कब-कब? योजनावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लिये अब तक कितनी-कितनी राशि आबंटित/खर्च की गई? योजनावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार आगामी दिनों में उक्त विधान सभा क्षेत्र को उक्त योजनाओं के तहत सड़क विकास के लिये राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौनसी योजना के तहत कितनी राशि एवं कब तक?

(4) क्या सरकार ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की भंयकर दुर्दशापूर्ण 120 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुधारने के लिये माननीय विधायकों से सूची मांगी थी? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सड़कों पर शीघ्र पुनः डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, योजनावार विवरण प्रपत्र "अ " में सलंग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लिए आबंटित/खर्च की गई राशि का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3)योजनावार विवरण प्रपत्र "स" में सलंग्न है।

(4) जी हां, प्रथम चरण की (वर्ष 2001-2002)नवीनीकरण की स्वीकृतियां जारी कर कार्य शुरू करवाये जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण (वर्ष 2002-2003) के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(5) जी हां। प्रथम चरण के कार्य लगभग माह जून, 2002 तक एवं द्वितीय चरण के कार्य मार्च, 2003 तक कराये जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र "अ"

राज्य में सड़कों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का विवरण

1. राज्य में पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये राशि 110.51 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जो दिनांक 23.12.2000 को 7.03 करोड़, 19.1.2001 को 63.80 करोड़, 26.2.2001 को 29.68 करोड़ तथा 22.3.2001 को 10.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

2. न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के तहत राशि 29.84 करोड़ 23 दिसम्बर, 2000 को प्राप्त हुए।

3. 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने की राशि 263.08 करोड़ 27 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हुई।

4. **भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियां**

क्र. सं	स्वीकृति राशि (लाखों में)	संदर्भ
1.	5353.00	आर.डब्लू./एनएच/12030/1/2000-एनएच.4 (आर.जे.) दिनांक 7.2.2001
2.	7775.00	आर.डब्लू./एनएच/12030/1/2000-एनएच.4 (आर.जे.) दिनांक 11.5.2001
3.	3155.50	आर.डब्लू./एनएच/12030/1/2000-एनएच.4 (आर.जे.) दिनांक 9.8.2001
4.	1550.00	स्वीकृति निरस्त। आर.डब्लू./एनएच/12030/1/2001 एनएच-4 (आर.जे.) दिनांक 11.5.2001
कुल स्वीकृति	**14733.50**	

5. **बनाओ चलाओ हस्तांतरित करो योजना**

कुल 17 कार्य राशि 453.41 करोड़ रुपए।

प्रपत्र "ब"

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वर्तमान स्थिति
1.	बनाओ, चलाओ और हस्तानान्तरित करो	—	शून्य	शून्य	—
2.	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	अप्रोच सड़क सिंदोली	11.00 लाख	7.63 लाख	कार्य पूर्ण
3.	न्यूनतम सेवा	मिसिंग लिंक बांसखो से भूड़ला	4.00 लाख	—	डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक पूर्ण डामरीकरण करना शेष है
4.	केन्द्रीय सड़क निधि योजना	—	शून्य	शून्य	—
5.	सड़क रखरखाव योजना	—	शून्य	शून्य	—
फेज प्रथम					
1.	लिंक सड़क तूंगा से देवगांव, 2 किमी.		5.00	0.30	पेच रिपेयर का कार्य प्रगति पर है
2.	बस्सी तूंगा सड़क, 6 किमी.		15.00	2.22	कार्य प्रारम्भ करना है
3.	कानोता से सांभरिया, 8 किमी.		20.00	—	"
4.	बस्सी देवगांव, 8 किमी.		19.20	—	"
5.	देवगांव से काशीपुरा सड़क, 4.25 किमी.		11.00	—	"
6.	नांगल बैरसी धूला सड़क, 1 किमी.		2.50	—	"
7.	एन.एच.11 से धूलावाया दोपर, 7 किमी.		13.25	1.20	"
8.	बैनाड़ा श्रीजी से सेवापुरा, 4 किमी.		9.60	—	"
(ब)	**कृषि उपज मण्डी द्वारा किये जाने वाले कार्य**				
9.	सम्पर्क सड़क खतैपुरा, 3.70 किमी.		12.00	—	कार्य कृषि उपज मण्डी द्वारा सम्पादित किये जाने हैं
10.	बस्सी से सांभरिया, 7 किमी.		15.00	—	
11.	सम्पर्क सड़क हंसमहल से भटेरी, 6 किमी.		15.00	—	
12.	बस्सी सांभरिया सड़क से पालावाला, जाटान, 3 किमी.		8.00	—	
		योग	**145.55**		

प्रपत्र "स"

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों का विवरण

सूची– सड़क रखरखाव कार्यक्रम (आर. यू. पी.) प्रस्तावित फेज-द्वितीय

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई	प्रस्तावित राशि
1.	तूंगा से देवगांव	4.00	10.40
2.	बस्सी तूंगा से रजवास वाया माधोगढ़	3.00	9.60
3.	बस्सी तूंगा सड़क से हाथीपुरा	1.70	5.44
4.	बांसखो से पटेरा वाया पाटन	6.00	15.60
5.	जटवाड़ा से बढ़ावा	7.00	16.80
6.	बस्सी तूंगा सड़क से करणगढ़ वाया मासांडीपुरा	4.00	9.60
7.	सम्पर्क सड़क जटवाड़ा	2.00	5.20
8.	बांसखो फाटक से नई का नाथ	3.00	7.20
9.	सांभरिया सड़क से गोनेर वाया सांख	5.00	12.00
10.	चाकसू तूंगा सड़क कोटखावदा गांव	2.00	15.00
11.	आगरा सड़क से चावंडिया वाया श्यामपुरा	4.00	10.40
12.	तूंगा से महादेवपुरा	2.00	6.00
13.	चाकसू गरूड़वासी सड़क	4.00	10.40
14.	नांगल बैरसी से धूला	3.35	8.71
15.	माधोगढ़ से तेली का तिबारा	0.50	1.30
16.	प्रहलादपुरा से जयराम का बास	2.00	4.80
	योग	**53.55 किमी.**	**148.45 लाख**

प्रपत्र "स"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बस्सी विधान सभा क्षेत्र प्रस्तावित कार्य

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	प्रस्तावित लम्बाई	प्रस्तावित राशि	
1.	हरध्यानपुरा	1440	1.70 किमी.	20.04	स्वीकृत
2.	खिजूरिया सिवाडियान	1247	1.20	13.04	स्वीकृति
3.	हरडी	1149	0.60	9.12	वर्ष 2002–2003
4.	धनाउखुर्द	1147	0.80	8.96	तथा 2003–2004
5.	छतरपुरा	1114	2.00	18.40	में मिलने की
6.	बोराई	1081	2.60	28.52	सम्भावना है
7.	विमलपुरा	1075	1.00	10.20	
8.	अभयपुरा	1005	2.10	23.42	
9.	किशनपुरा	1003	2.00	22.40	
10.	ठिकरिया मीणा	1037	8.00	93.40	
11.	देहलाला	1229	3.50	36.20	
12.	ताजखां का बास	1115	5.00	55.80	
			योग	339.50	

साकेत नगर ब्यावर (अजमेर) में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव

262. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ब्यावर स्थित आवासन मण्डल के साकेत नगर को सम्पूर्ण रूप से नगर परिषद्, ब्यावर को हस्तान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त नगर में आधारभूत नागरिक सुविधाएं नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो किन कारणों से व कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल की ब्यावर स्थित साकेत नगर योजना नगर परिषद्, ब्यावर को दिनांक 1.5.1992 को हस्तान्तरित कर दी गई है।

(2) जी हां। नगर परिषद् ब्यावर द्वारा साकेत नगर में सड़कों, सीवर लाइन, रोशनी एवं सफाई व्यवस्था का कार्य समय समय पर करवाया जा रहा है। सूची संलग्न है।

आवासन मण्डल साकेत नगर में करवाये गये निर्माण कार्यों का विवरण

1.	(1)	साकेत नगर गली नं. 1 में पेवर सड़क निर्माण कार्य वर्ष 1997–1998 में करवाया गया राशि	147961.00
	(2)	ब्रह्मानंद मार्ग से साकेत नगर तक डब्ल्यू बी. एम सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1999–2000	32641.00
	(3)	साकेत नगर सैफिटंग टैंक सफाई कार्य	70588.00
	(4)	साकेत नगर सैफिटंग टैंक मरम्मत कार्य	128713.00
		योग	**3,09,903.00**

2. नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा समुचित सफाई व्यवस्था हेतु 10 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।
3. समुचित रोशनी व्यवस्था है। रखरखाव व विद्युत व्यय परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

ह०/-
आयुक्त,
नगर परिषद्, ब्यावर

राजस्थान पथ परिवहन निगम का निजीकरण

263. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो कितने घाटे में व कब से है? उक्त घाटे के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिये कोई कार्य योजना या सुधार के कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य पथ परिवहन निगम को निजी हाथों में सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्ष 1997-98 से घाटे में चल रहा है। घाटे का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	घाटा (लाख रुपये में)
1.	1997-1998	2398.61
2.	1998-1999	4401.36
3.	1999-2000	7379.14
4.	2000-2001	8561.20
5.	2001-2002 (फरवरी, 2002 तक)	5473.47

निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारणों का विवरण परिशिष्ट "1 " पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "1"

राजस्थान परिवहन निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण

(1) दिनांक 1.1.1997 से निगम कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देने के पश्चात् संस्थापन लागत में प्रति वर्ष अत्यधिक वृद्धि होना।

(2) डीजल की दरों में बार-बार वृद्धि होना।

(3) राज्य में बड़ी रेल लाइनों पर रेल सेवाओं का विस्तार होना एवं रेल यात्री किराया निगम बसों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने से निगम बसों को कम यात्रीभार मिलना।

(4) राज्य में लगातार गत तीन वर्षों से सूखे की स्थिति होने से यात्रीभार में कमी होना।

(5) वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण वर्ष 1999-2000 में आवश्यकतानुसार नयी बसें नहीं खरीद पाना।

(6) गत वर्षों में चार पहिया निजी वाहनों की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना।

परिशिष्ट "2"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:-

(1) निगम सेवाओं की रीशिड्यूलिंग की जा रही है ताकि सेवाओं का समानान्तर संचालन न हो।

(2) बसों को साफ सुथरा रखने, बस स्टैण्ड और शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है।

(3) निगम वाहन सेवाओं की गुणवत्ता, यथासमय पाबन्दी, ब्रेक डाउन रहित सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

(4) बसों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(5) प्रत्येक बस के रवाना होने से पहिले पूर्णतया बुकिंग की व्यवस्था की गई है।

(6) बसों के अच्छे रखरखाव हेतु केन्द्रीय कार्यशालाओं तथा आगार कार्यशालाओं को अत्याधुनिक स्वचालित उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

(7) जयपुर में 27 विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर से सीधे आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अन्य आगार मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर से बुकिंग की व्यवस्था की गई है/की जा रही हे।

(8) व्यय में 20 प्रतिशत मितव्ययता करने का संकल्प लिया गया है।

(9) निगम बसों में यात्रा हेतु यात्रियों का आकर्षण वृद्धि करने एवं टिकट लेकर ही यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 से तीन प्रकार की अभिनव टिकट लाटरी ईनामी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(10) रिटर्न टिकट तथा मासिक पासों में एक साथ निर्धारित अवधि का लेने पर आवश्यक छूट दी जाकर यात्रियों का निगम बसों की और रूझान बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

(11) निगम बस यात्रियों के सुझाव एवं शिकायत हेतु हैल्प लाइन सेवा क्रमांक 9610300900 एवं इंटरनेट WEBSITE WW.RSRTC.COM प्रारम्भ की गई है।

(12) गैर संचालित आय में सुधारात्मक तथा अधिक आय अर्जित करने के प्रयास जारी है।

(13) डीजल औसत और टायर लाइफ में सुधार किया जा रहा है।

(14) प्रशासन में गति और वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(15) परिचालकों द्वारा बिना टिकट यात्री ले जाने तथा कम आय लाने से निगम को उबारने हेतु परिचालकों के लिए एक ग्रीन कार्ड योजना लागू की गई है।

(16) अकर्मण्य एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृति दी जा रही है।

(17) निगम बसों की प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(18) निगम प्रबन्धन द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को गीयर अप किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी में अनुशासन कायम रखने के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे व्यय में कमी के साथ साथ यात्री भार में वृद्धि हो।

(19) नि:शक्तजनों एवं अन्य व्यक्तियों को दी जा रही रियायती एवं नि:शुल्क यात्राओं के पुनर्भरण का प्रयास भी किया जा रहा है।

मातरमाता वन खण्ड (सिरोही) में जारी अवैध खनन पट्टे

264. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में जिला सिरोही के मातरमाता वन खण्ड में कब-कब व किस-किस को खनन अनुज्ञा पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? उक्त क्षेत्र में खनन् अनुज्ञा पत्र कितने आवेदन विचाराधीन हैं? पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र किस अधिकारी के स्तर पर स्वीकृत किये?

(2) क्या उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र को जारी करने के पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया? क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में वन विभाग से मांग की गई थी? उक्त जारी अनुज्ञा पत्र के संबंध में क्या वन विभाग ने कोई पत्र खान विभाग को लिखे हैं? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि के संबंध में, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है? गजट नोटिफिकेशन संख्या एफ.7/147 रा.क.62 दिनांक 12-5-1962 की प्रति सदन के मेज पर रखें? क्या सरकार उक्त अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने व भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) खान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में वन विभाग द्वारा दिनांक 3.11.1992 एवं 7.8.1997 को प्रमाणित जी.टी. शीट के आधार पर मातरमाता वन खण्ड की सीमा में उपलब्ध वनभूमि रहित क्षेत्रों में निम्नानुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं :-

1. श्री दलपत सिंह को क्षेत्र उत्तरा कलदरी में दिनांक 23.9.2000 को।
2. श्री मांगीलाल को क्षेत्र देवा का बेरा में दिनांक 16.5.2001 को।
3. श्री नारायण लाल को क्षेत्र देवा का बेरा में दिनांक 26.9.2001 को।
4. श्री एस.एन. शर्मा के पक्ष में क्षेत्र देवा का बेरा में दिनांक 20.2.2001 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति जारी की गई, किन्तु संविदा निष्पादन शेष है।
5. श्रीमती सावित्री देवी शर्मा को क्षेत्र विरोली में दिनांक 29.1.2002 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति जारी की गई, किन्तु संविदा निष्पादन शेष है।

मातरमाता वन खण्ड में प्रधान खनिज के अन्तर्गत पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र के 13, खनन पट्टों के 16 एवं अप्रधान खनिज के अन्तर्गत खनन पट्टों के 14 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। उक्तानुसार क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा एवं क्रम संख्या-5 पर अंकित पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र

(राज्य मंत्री, खनिज)

अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी नहीं। खनिज नीति, 1994 लागू होने के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के पूर्व वन विभाग द्वारा प्रमाणित जी.टी.शीट के आधार पर आवेदित क्षेत्र की वन रहित होने की पुष्टि होने पर वन सीमा से न्यूनतम 25 मीटर छोड़ कर पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाणित जी.टी.शीट के आधार पर वन रहित क्षेत्र में क्रम संख्या-2 से 5 पर अंकित कुल 4 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं। क्रम संख्या 1 पर अंकित पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति वन विभाग के साथ संयुक्त सीमांकन करवा कर तथा सम्बन्धित तहसीलदार से वन रहित क्षेत्र की पुष्टि के उपरान्त वन सीमा से 25 मीटर छोड़ कर क्षेत्र का संविदा निष्पादन किया गया है। वन विभाग द्वारा खान विभाग को लिखे गये पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 12.5.1962 जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। स्वीकृत किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करने का विचार नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नादौती (करोली) में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

265. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नादौती में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक उक्त कोर्ट खोल दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वर्ष 2002-2003 में उक्त अदालत खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1)नादौती में सिविल जज (क. ख.) न्यायालय (मुन्सिफ न्यायालय) का सृजन का मामला माननीय उच्च न्यायालय में कमेटी के समक्ष लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर ही नादौती में सिविल जज (क.ख) (न्यायालय) (मुन्सिफ न्यायालय) खोला जा सकेगा।

(2) किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश (क.ख.) (मुन्सिफ न्यायालय) की स्थापना उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर न्यायालय सृजन हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन आदि की उपलब्धता पर, माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में राज्य में अब तक 202 सिविल न्यायाधीश (क.ख.) (मुन्सिफ कोर्ट) खोले हुए हैं, एवं वित्तीय वर्ष 2002-2003 में खोले जाने वाले कोर्टों की संख्या, नये न्यायालय सृजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में मा. कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है।

कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ द्वारा सड़कों की मरम्मत

266. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ की वार्षिक आय कितनी है? वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2001 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी आय के अनुसार मण्डी क्षेत्र के गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करती है? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ ने वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक कितनी राशि के प्रस्ताव किन-किन सड़कों के डामरीकरण के लिये भेजे एवं कितने स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई ग्रामीण डामरीकृत सड़कों पर मरम्मत का काम अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो मरम्मत योग्य कौन-कौन सड़कों की मरम्मत व्यवस्था सरकार कब तक एवं किसके द्वारा करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ की वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2001 तक आय निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	वर्ष	कुल आय
1.	1998-1999	1.08 करोड़
2.	1999-2000	1.43 करोड़
3.	2000-2001	0.98 करोड़
4.	2001-2002	0.64 करोड़

(अप्रैल, 2001 से दिसम्बर, 2001 तक)

(2) जी हां। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा सड़कों की मरम्मत पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रुपए 23.76 लाख व्यय किये गये। अब राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समिति की बैठक दिनांक 18.01.2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्मित मण्डी समिति की सड़कों की मरम्मत बोर्ड द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ द्वारा प्रश्नांकित अवधि में सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव एवं स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या व दिनांक	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई	अनुमानित प्रस्तावित लागत (लाख रुपये में)	प्रस्तावित वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	14/9.1.1998	प.मु. खरोट से केरवास	4 कि.मी.	30.22	1998–1999	बचत के अभाव में निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की गई।
		बसेरा से बड़ौठा पं. मु.	4 कि.मी.	30.22	1998–1999	बचत के अभाव में निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की गई।
2.	18/24.4.1998	डूंगलावाणी से बोरी	2 कि.मी.	9.61	1998–1999	राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9/11/कृषि ग्रुप–2/पार्ट–II दिनांक 11.6.1998 से स्वीकृति की गई। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रशासनिक राशि 10 लाख।
3.	10/26.10.1999	पंडाना सम्पर्क स. (गांव गोद अन्तर्गत)	4.5 कि.मी.	46.00	1999–2000	प्रस्ताव सड़क नीति अन्तर्गत नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई।

1	2	3	4	5	6	7
4.	6/24.5.2000	बसेरा से बड़ौठा	3 कि.मी.	25.70	2000–2001	निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की गई। निदेशालय के पत्र क्रमांक 28187–363 दिनांक 30.07.2001 द्वारा पुनः नये सिरे से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये प्रभावी सड़क नीति अनुसार नये सिरे से मण्डी से प्रस्ताव चाहे गये। मण्डी से पुनः प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।
5.	6/24.5.2000	भधूण्डाला से चकुण्डा	5.20 कि.मी.	42.92	2000–2001	,, ,,
6.	6/24.5.2000	चित्तौड़गढ़ रोड से मेरिया खेड़ी	5 कि.मी.	35.12	2000–2001	,, ,,
7.	7/24.5.2000	विरावली से मुण्डावरा	6 कि.मी.	49.92	2000–2001	,, ,,

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित व्यक्ति

267. **श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्ष 2001-2002 में "राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन" व विधवा पेंशन के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने आवेदकों को पेंशन दी गई और कितनों के आवेदन निरस्त किये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्ष 2001-2002 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राज्य वृद्धावस्था पेंशन व विधवा अवस्था पेंशन के लिये निम्न संख्या में व्यक्तियों ने आवेदन किये:-

क्र.	नाम योजना	व्यक्तियों की संख्या
1	राष्ट्रीय वृद्धावस्था	32
2	राज्य वृद्धावस्था	2
3	विधवा	71
	कुल	105

(2) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में कुल 105 व्यक्तियों को पेन्शन जारी की गई एवं कोई भी आवेदन निरस्त नहीं हुआ।

राज्य में कार्यरत हाट मिक्स प्लांट

268. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना):** क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने होट मिक्स प्लान्ट लगे हुए हैं?

(2) क्या होट मिक्स प्लान्ट को प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है? यदि हां, तो कितनों के पास प्रमाण पत्र हैं और कितने बिना प्रमाण पत्र के चालू हैं?

(3) बिना प्रमाण पत्र के चल रहे प्लांटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कुल 133 होट मिक्स प्लांट स्थापित हैं। चूंकि इस प्रकार के होट मिक्स प्लांट अस्थाई एवं चल (मोबाइल) प्रकृति के होते हैं अतः कार्यरत होट मिक्स प्लांट की संख्या में परिवर्तन होता रहता है।

(2) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत होट मिक्स प्लांट को "प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र" जारी किए जाने का प्रावधान नहीं है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु होट मिक्स प्लांट को राज्य

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना एवं संचालन की सम्मति (कन्सेन्ट)प्राप्त करना आवश्यक है।

कुल 13 होट मिक्स प्लान्ट्स ने मण्डल से स्थापना संचालन हेतु सम्मति (कंसेंट) प्राप्त कर रखी है जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति के बिना कार्यरत 29 होट मिक्स प्लांट्स को मण्डल द्वारा वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है। इनमें से एक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की जा रही है।

परिशिष्ट ''अ''

होट मिक्स प्लांट्स की सूची जिन्होंने राज्य मण्डल से सम्मति प्राप्त नहीं कर रखी हैं एवं मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम एवं पता	कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1.	मैसर्स भवन एवं पथ निर्माण बोहरा एण्ड कम्पनी, हायर सैकण्ड्री स्कूल के पास, सोजत पाली रोड, सोजत सिटी (पाली)	दि. 11.5.1999 को नोटिस जारी
2.	मैसर्स नारायण सिंह गुलाब सिंह राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एन.एच.14) साण्डेराव के पास, पाली	दि. 27.11.1999 एवं 31.3.2001 को नोटिस जारी
3.	मैसर्स हाट मिक्स प्लांट पी.डब्ल्यू.डी. रंगबाड़ी, कोटा	दि. 21.7.2001 को नोटिस जारी
4.	मैसर्स चेतक एन्टरप्राइजेज, ग्राम बारानी, जिला बूंदी	दि. 19.7.2001 को नोटिस जारी
5.	मैसर्स आर.पी.गोयल, ग्राम सिमलेटी, महुवा, दौसा	दि.12.4.2001 को नोटिस जारी

1	2	3
6.	मैसर्स भवन एवं पथ निर्माण बापी मोड़, दौसा	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
7.	मैसर्स अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बापी मोड़, दौसा	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
8.	मैसर्स घोसी स्टोन क्रेसर ग्राम सावासा, तहसील लालसोट	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
9.	मैसर्स सिंघल कंस्ट्रेक्शन, दौसा	दि. 12.7.2001 को नोटिस जारी
10.	मैसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज, बिहारीपुरा, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जयपुर	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
11.	मैसर्स शिव कंस्ट्रेक्शन कम्पनी ग्राम भांकरी, दौसा	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
12.	मैसर्स राजेन्द्र सिंह मागू, ग्राम बीलवा, 23 किमी. ने हा. 12 टोंक रोड, जयपुर	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
13.	मैसर्स कृष्णा कंस्ट्रेक्शन, नाई की थड़ी, बाइपास, रामगढ़, जयपुर	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
14.	मैसर्स सूर्या कंस्ट्रेक्शन कम्पनी ग्राम सोहेला, टौंक	दि. 29.6.2001 को नोटिस जारी
15.	मैसर्स रणवीर एण्ड कम्पनी, ग्राम बिलाहेड़ी, तहसील तिजारा	दि. 20.3.2002 को नोटिस जारी
16.	मैसर्स अमर एंटरप्राइजेज, काकानी, जोधपुर	दि. 17.9.2001 को नोटिस जारी
17.	मैसर्स अमर एंटरप्राइजेज, काकानी, जोधपुर	दि. 17.9.2001 को नोटिस जारी

1	2	3
18.	मैसर्स नरेश चन्द द्विवेदी, ग्राम सावड़ी के पास, अलवर	सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
19.	मैसर्स सिंहल बिल्डर्स, सेवर घना बाइपास रोड, भरतपुर	वायु अधिनियम की धारा 31 ए के तहत दि. 9.12.1999 को जल विद्युत संबंध विच्छेद करने हेतु निर्देश जारी किये गये। वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत न्यायालय, भरतपुर में वाद लम्बित।
20.	मै. जी.एस. सिंहल एण्ड कल्याण प्रसाद अग्रवाल, वैर रोड, बयाना, भरतपुर	दि. 2.3.2002 को नोटिस जारी
21.	मैसर्स कैलाश चन्द ग्राम बौराई, भरतपुर	दि. 2.3.2002 को नोटिस जारी
22.	मैसर्स रामेश्वर प्रसाद शर्मा, ग्राम आमोली, वैर, भरतपुर	दि. 18.6.2001 को नोटिस जारी
23.	मैसर्स जय बाबा कंस्ट्रेक्शन कम्पनी, रतलाम रोड 1, बांसवाड़ा	दि. 7.2.2002 एवं 16.3.2002 को नोटिस जारी
24.	मैसर्स जी. आर. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, डाकन कोटड़ा, बांसवाड़ा रोड, जिला उदयपुर	दि. 9.2.2001 को नोटिस जारी
25.	मैसर्स इरकोन इंटरनेशनल, टोडी, तहसील आमेर, जयपुर	उद्योग की सम्मति दि. 30.11.2001 को समाप्त हो गई, उद्योग को सम्मति नवीनीकरण हेतु दिनांक 22.3.2002 को पत्र लिखा गया।
26.	मैसर्स राजेश स्टोन क्रेशर गोडा पहाड़, झुंझुनूं	सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी हेतु दिनांक 17.1.2002 एवं 18.3.2002 को पत्र लिखे गये।

1	2	3
27.	मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी गोडा पहाड़, झुंझुनूं	सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी हेतु दिनांक 5.12.2001, 22.1.2002 एवं 18.3.2002 को पत्र लिखे गये।
28.	मैसर्स होट मिक्स प्लांट, मालखेरा, सीकर	दि. 22.3.2002 को नोटिस जारी
29.	मैसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, जगन्नाथपुरी आमेर, जयपुर	दि. 11.7.2001 व 19.10.2001 को नोटिस जारी

परिशिष्ट "ब"

हाट मिक्स प्लांट्स की सूची जिन्होंने राज्य मण्डल से सम्मति प्राप्त कर रखी है

क्र.सं.	नाम एवं पता	विवरण
1	2	3
1	मैसर्स महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बाड़मेर	संचालन हेतु सम्मति वैध
2	मैसर्स आर. पी. गोयल, भरतपुर रोड,डीग	संचालन हेतु सम्मति वैध
3	मैसर्स आर. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी ग्राम झोलारी, कांगा, भरतपुर	स्थापना हेतु सम्मति
4	मैसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल, ग्राम चिकानी, अलवर	संचालन हेतु सम्मति वैध
5	मैसर्स करण यादव, विजय मंदिर रोड, अलवर	स्थापना हेतु सम्मति

1	2	3
6	मैसर्स बी.एस.सी.आर.बी.एम., पाली, नीमराणा, अलवर	संचालन हेतु सम्मति वैध
7	मैसर्स गुप्ता केशर कम्पनी, रारकण का पचा, सागवाड़ा रोड, डूंगरपुर	संचालन हेतु सम्मति वैध
8	मैसर्स पी.सी.जैन एण्ड कम्पनी, जरी, माही रोड, बांसवाड़ा	संचालन हेतु सम्मति वैध
9	मैसर्स मुकेशजी गोयल, रिषभदेव, जिला उदयपुर	संचालन हेतु सम्मति वैध
10	मैसर्स सईद इकबाल, ग्राम डाकन कोटड़ा, उदयपुर	संचालन हेतु सम्मति वैध
11	मैसर्स रामचन्द्र कुमावत, कुमावतों का गुड़ा, खगनोर रोड, उदयपुर	संचालन हेतु सम्मति वैध
12	मैसर्स ज्ञानाराम कांट्रेक्टर, रेवासा, तहसील दांतारामगढ़, सीकर	संचालन हेतु सम्मति वैध
13	मैसर्स जयश्री श्याम बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रेवासा, तहसील दांतारामगढ़, सीकर	संचालन हेतु सम्मति वैध

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में विद्युत आपूर्ति

269. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गांव बिलोनी में 2 वर्ष पूर्व घरेलू उपभोक्ता के जमा डिमाण्ड नोटिस की राशि के बाद भी उन्हें विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत फीडरों व ग्रिड सब स्टेशन से जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक ओसतन कितनी-कितनी विद्युत कितने-कितने समय हेतु आबंटित कर उपभोक्ताओं को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बिलोनी में दिनांक 26.2.2000 को 63 घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति आवेदक 1458 रुपये के मांग पत्र जमा किये गये थे। ग्राम बिलोनी की 11 के.वी. लाइन के 23 पोल की लाइन क्षति ग्रस्त होने के कारण इन उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके थे। उक्त लाइन को सही करने के लिए 1,84,000 रुपये का तकमीना बनाया गया है। तत्कालीन विद्युत मण्डल के आदेशों के अनुसार प्रथम फेज में उन क्षतिग्रस्त लाइनों का कार्य पूर्ण कर चालू करना था जिनमें 50,000 रुपये तक सामान की लागत आती है। चूंकि उपरोक्त गांव का तखमीना अधिक था अत: उक्त कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। इसी कारण आवेदकों को दिनांक 11.9.2001 को 50,000 रु. से अधिक लगने वाले समान की अनुपातिक कीमत 2126 रु. का अतिरिक्त राशि के लिए संशोधित मांग पत्र जारी किया गया। इस संशोधित मांग पत्र की राशि उपभोक्ताओं द्वारा जमा नहीं करायी गई। इसी कारण आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये जा सके। वर्तमान में इन आवेदकों की पत्रावलियां लम्बित चल रही हैं। इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, इसके उपरान्त इन आवेदकों को कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी को 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन धौलपुर से 33 के.वी. धौलपुर बाड़ी लाइन जाती है, से जुड़े तीन 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। तीनों 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता व उनसे निकलने वाले 11 के.वी. फीडरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है। जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक इन सब-स्टेशनों के ग्रामीण फीडरों को ब्लाक में 6 से 7 घंटे व शहरी क्षेत्र बाड़ी को विद्युत उपलब्धता के अनुसार लगातार विद्युत आपूर्ति की गई है। इस अवधि में धौलपुर ग्रिड सब-स्टेशन से 33 के.वी. बाड़ी लाइन को जो विद्युत आपूर्ति (यूनिटों में) की गई है उसका विवरण परिशिष्ट 'ब' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में स्थापित 33 के.वी. सब स्टेशनों व उनसे निकलने वाले 11 के.वी. फीडरों का विवरण

क्र. सं.	33/11 के.वी. सबस्टेशन का नाम	क्षमता एम.वी.ए. में	11 के.वी. फीडरों का नाम
1.	बाड़ी	7.9	1. गूमठ फीडर
			2. वाटर वर्क्स फीडर
			3. रीको फीडर
			4. होद फीडर
			5. पंजाबीपुरा फीडर
			6. सन्तनगर फीडर
			7. सहेदी फीडर
2.	बसेड़ी	1.6	1. बसेड़ी फीडर
			2. सरना फीडर
			3. पीपरोन फीडर
			4. गमोधन फीडर
3.	सरमथुरा	3.15	1. रीको फीडर
			2. वाटर वर्क्स फीडर
			3. वारोली फीडर
			4. चांदपुरा फीडर

परिशिष्ट "ब"

जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक 33 के.वी. धौलपुर-बाड़ी लाइन को की गई विद्युत आपूर्ति (यूनिटों में)

क्र.सं.	माह	विद्युत यूनिट	फीडर का नाम
1.	जनवरी, 2001	21,27,166	33 के.वी. बाड़ी फीडर
2.	फरवरी, 2001	18,48,633	"
3.	मार्च, 2001	25,61,633	"
4.	अप्रैल, 2001	22,64,766	"
5.	मई, 2001	23,96,933	"
6.	जून, 2001	25,42,867	"
7.	जुलाई, 2001	27,77,033	"
8.	अगस्त, 2001	27,98,333	"
9.	सितम्बर, 2001	27,97,166	"
10.	अक्टूबर, 2001	28,97,866	"
11.	नवम्बर, 2001	26,82,833	"
12.	दिसम्बर, 2001	28,12,500	"
13.	जनवरी, 2002	25,91,866	"

उप खण्ड डीग (भरतपुर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद की स्वीकृति

270. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला भरतपुर के डीग उप खण्ड में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की क्षतिग्रस्त सड़कें

271. **श्री अमीन खान** (शिव): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कौन-कौनसी क्षतिग्रस्त सड़कें इस साल आर्मी से मरम्मत हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत आर्मी द्वारा नहीं की गई।

नगरपालिका कुचामन सिटी में अपना घर योजना के तहत प्राप्त आवेदन -पत्र

272. **श्री हरीशचन्द कुमावत** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 के अन्तर्गत "अपना घर योजना" के संबंध में यह निर्देश थे कि इस प्रकार की योजना में बनाये जाने वाले नवीन आवास के लिये आवेदन पत्र प्राप्त किये जावें? क्या उक्त निर्देशों की अनुपालना उक्त अभियानों में की गई है? यदि हां, तो कुचामन सिटी नगरपालिका क्षेत्र में किस-किस व्यक्तियों के कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कुचामन नगरपालिका क्षेत्र में जिन 20 गाड़ियां लूहारों को भूमि आबंटन कर दी गई है और इन्हें पट्टे भी आबंटित कर दिये गये है? क्या सरकार उक्त बस्ती के लोगों को अपना घर योजना का लाभ दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 के अन्तर्गत अपना घर योजना के सम्बन्ध में यह निर्देश थे कि अपना घर योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अभियान के दौरान स्थलों का चयन कर लिया जावे ताकि इस योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब ना हो। नगरपालिका कुचामन क्षेत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) जी हां। नगरपालिका, कुचामन सिटी द्वारा 20 गाड़िया लुहारों को भूमि आबंटित कर पट्टे दिये जा चुके हैं। अपना घर योजना की निर्धारित नीति अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-432 का विवरण)

आवास विकास संस्थान द्वारा जैसलमेर में अधूरे छोड़े गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम एवं जगह	कार्य की भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	1 क्वार्टर बी पोस्ट पोकरण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
2.	कार्यालय भवन निर्माण, बी पोस्ट पोकरण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
3.	अधीनस्थ कर्मचारी के एक क्वार्टर का निर्माण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
4.	2 अधीनस्थ कर्मचारियों के क्वार्टर निर्माण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
5.	हैड कांस्टेबल क्वार्टर, पोकरण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
6.	कांस्टेबल क्वार्टर, पोकरण	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया	निरस्त
7.	समाज कल्याण विभाग, रामगढ़ के छात्रावास का निर्माण	अपूर्ण	
8.	पी.एच.सी. भवन, देवा का निर्माण	अपूर्ण	

1	2	3	4
9.	आयुर्वेदिक भवन, मोहनगढ़ का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
10.	जैसलमेर में बैरेक्स का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
11.	सी.एच.सी. भवन, रामगढ़	अपूर्ण	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये कार्य किया गया।
12.	डाक्टर्स क्वार्टर्स, रामगढ़ का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
13.	नर्सिंग स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
14.	पुलिस थाने के आवासीय भवनों का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
15.	पुलिस थाना सेम में आवासीय भवनों का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
16.	पुलिस थाना सेम में कार्यालय भवनों का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।
17.	जैसलमेर में अनुसूचित जन जाति के छात्रावास का निर्माण	अपूर्ण	अधूरे कार्य को कार्यकारी संस्था बदल कर कार्य पूर्ण कराया गया।

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-434 की सूचना)

जो कार्य प्रगति पर है उसकी सूचना

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	राशि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1.	**रामनिवास बाग का रखरखाव**			
(अ)	टूट फूट/मरम्मत आदि का कार्य	मै. बनवारी लाल	रु. 24 लाख	जुलाई, 2002
(ब)	पाइप लाइन मरम्मत/ लगाने का कार्य	मै. विनोद कुमार गोयल	रु. 12 लाख	मई, 2002
(स)	फव्वारों की मरम्मत/ लगाने का कार्य	–	रु. 10 लाख	निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।
(द)	उद्यान विकास कार्य	– –	रु. 79.55 लाख	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विचाराधीन
2.	**शहरी क्षेत्रों की डेयरी शिफ्टता योजना**			
(अ)	रामल्यावाला डेयरी योजना सीकर रोड में WBM सड़क का कार्य	मै. रामा कंस. कम्पनी	रु. 21.23 लाख	15.4.2002
(ब)	रामल्यावाला डेयरी योजना सीकर रोड में नाली व चारदीवारी का कार्य	मै. नवजीवन कंस. कम्पनी	रु. 31.08 लाख	23.5.2002
(स)	हरचंदपुरा बाल्यावाला डेयरी योजना में WBM सड़क का कार्य	मै. घोशल्या कंस. कम्पनी	रु. 21.67 लाख	10.4.2002

1	2	3	4	5
(द)	हरचंदपुरा डेयरी योजना में नाली क्रासिंग एवं चारदीवारी का कार्य	मै. जैन एण्ड कम्पनी	रु. 16.88 लाख	30.4.2002
(य)	सूरजपुरा भाटा वाला डेयरी योजना में WBM सड़क निर्माण	मै. राज एंड ब्रदर्स	रु. 15.14 लाख	कार्य पूर्ण हो चुका
(र)	सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना में चारदीवारी निर्माण	मैं. राकेश कंस. कम्पनी	रु. 12.24 लाख	कार्य पूर्ण हो चुका
3.	**ट्रांसपोर्ट नगर योजना**			
(अ)	सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में ब्लाक ए पार्ट प्रथम का विकास	मै. भाम्भू कंस. कम्पनी	रु. 89.23 लाख	12.7.2002
(ब)	सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में ब्लाक ए पार्ट द्वितीय का विकास	मै. भाम्भू कंस. कम्पनी	रु. 80.99 लाख	12.7.2002
(स)	सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में ब्लाक बी का विकास कार्य	मैं भाम्भू कंस. कम्पनी	रु. 84.88 लाख	12.7.2002

अन्य विचाराधीन कार्यों का विवरण

1. जयपुर फिल्म सिटी योजना	योजना पर लगभग रुपये 26.00 लाख का कार्य प्रस्तावित है। निविदाएं आमंत्रित कर मैं अग्रवाल एवं अग्रवाल कलकत्ता को योजना की प्लानिंग हेतु कार्य दिया गया है।
2. घाटगेट के पास नया दरवाजा	इस कार्य पर लगभग 10.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पुरातत्व विभाग से स्वीकृति आने पर कार्य को हाथ में लिया जावेगा।
3. सैंट्रल स्पाइन योजना	प्रथम चरण में प्रस्तावित विकास कार्यों हेतु रुपये 107.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दिनांक 11.3.2002 को निविदाएं प्राप्त कर ली गयी हैं। जिन्हें स्वीकृत होने के उपरान्त 4 माह में कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा।
4. ट्रांसपोर्ट नगर योजना	अजमेर रोड ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण में सड़क निर्माण हेतु 86.00 लाख की प्र. एवं वि. स्वीकृति दी जा चुकी है।
5. राजधानी के सभी प्रवेश मार्गों की सौंदर्यन योजना	मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज से मानचित्र तैयार कराये जा रहे हैं।
6. शहरी क्षेत्रों को डेयरी शिफ्टता योजना	भाटावाला सांगानेर, नांगल पुरोहितान व हरचंदपुरा बाल्यावाला में डेयरी विस्तार योजना स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-437 का विवरण)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं को वाणिज्य भू-खण्डों/निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भू-खण्डों भवनों के आबंटन विक्रय से अब तक वसूली की गयी राशि व बकाया का योजनावार विवरण निम्नप्रकार है

क्र. सं.	योजना का नाम	वसूल की गई राशि (लाखों में)	बकाया राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर	1005.23	072.19
2.	मानसरोवर, जयपुर	1555.00	014.51
3.	नाहरी का नाका, जयपुर	0040.05	—
4.	वन विहार, जयपुर	0005.64	—
5.	जवाहर नगर, जयपुर	0873.60	—
6.	मालवीय नगर, जयपुर	0632.24	—
7.	ज्योति नगर, जयपुर	0002.51	—
8.	स्काउट फिल्ड, सवाईमाधोपुर	0000.65	—
9.	गुप्तेश्वर रोड, दौसा	0018.83	
10.	टोंक	0000.92	002.76
11.	चौपासनी, जोधपुर	0704.86	047.68
12.	प्रताप नगर, जोधपुर	0005.28	—
13.	मधुवन, जोधपुर	0041.48	—
14.	कुड़ी भगताजनी, जोधपुर	0108.06	—

1	2	3	4
15.	बालोतरा	0002.02	—
16.	पाली	0010.08	—
17.	सिरोही	0009.27	—
18.	पंचशील, अजमेर	0011.25	001.85
19.	वैशाली नगर , अजमेर	0021.15	—
20.	आनासागर, अजमेर	0001.15	—
21.	किशनगढ़	0004.15	—
22.	ब्यावर	0008.00	—
23.	गोविन्दनगर, राजसमन्द, उदयपुर	0005.46	—
24.	शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	0018.51	—
25.	निम्बाहेड़ा, उदयपुर	0000.90	—
26.	चन्द्रशेखर आजाद नगर, उदयपुर	0021.26	—
27.	गोवर्धन विलास	0029.93	—
28.	माही योजना बांसवाड़ा	0007.80	1.97
29.	मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0023.30	—
30.	पवनपुरी, बीकानेर	0036.07	—
31.	नागौर	0001.12	—
32.	हनुमानगढ़	0009.91	—
33.	जवाहर नगर, हनुमानगढ़	0012.04	—
34.	श्रीगंगानगर	0000.84	—
35.	दादाबाड़ी कोटा	0006.60	—
36.	दादाबाड़ी विस्तार, कोटा	0000.68	—
37.	विज्ञान नगर सैक्टर 2 कोटा	0001.00	—
38.	विज्ञान नगर सैक्टर 3 कोटा	00024.90	—
39.	महावीर नगर कोटा सैक्टर 1	0003.49	02.14

1	2	3	4
40.	महावीर नगर सैक्टर 4 कोटा	0000.26	—
41.	महावीर नगर सैक्टर 5 कोटा	0009.97	—
42.	महावीर नगर सैक्टर 6 कोटा	0005.21	—
43.	सुनेल	0005.05	—
44.	रंगबाड़ी	0015.40	46.16
45.	महावीर नगर सैक्टर कोटा	0033.04	2.04
46.	महावीर नगर विस्तार सैक्टर 3 कोटा	0008.71	—
47.	तलबाड़ी कोटा	0017.11	3.18
48.	बलभबाड़ी कोटा	0016.17	1.11
49.	रंगबाड़ी कोटा	0009.96	7.96
50.	विकास नगर बूंदी	0003.62	—
51.	एम.एन.जी.पी.	0002.27	—
52.	सी.ई.बी. अलवर	0017.42	—
53.	एस.डब्ल्यू.बी. अलवर	0012.09	—
54.	एन.ई.बी. अलवर	0001.17	9.09
55.	एन.ई.बी. विस्तार अलवर	0002.55	—
56.	भिवाड़ी	0076.97	—
57.	भरतपुर	0000.63	—
58.	झुंझुनूं	0033.70	3.14
	योग	5536.53	215.78

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट -1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-438 की सूची)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा (लीज डीड) जारी नहीं करने का कारण
1.	श्री किशन मीणा	51 ए	समिति द्वारा जारी मूल साइट प्लान की प्रति पेश न करने के कारण
2.	श्रीमती रामपति गुप्ता	6	मूल आबंटी का मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश न करने के कारण
3.	श्रीमती मुन्नी देवी	133	आबंटी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के कारण
4.	श्री ज्ञान सिंह	53 बी व सी	आच्छादित क्षेत्र कम होने के कारण भूखण्ड निरस्त किया गया एवं मूल दस्तावेज आबंटी को लौटा दिए गए।

परिशिष्ट -1 "ए"

शेष 17 व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार हैं

क्र.सं.	नाम भू-खण्डधारी (आबंटी)	भू-खण्ड संख्या
1.	श्रीमती सुनीता शर्मा	125
2.	श्री मुरालीलाल गुप्ता	114
3.	कु. दीपिका	111
4.	रति चौधरी	105
5.	श्री कमलेश कुमार	112
6.	श्री अनरुद्ध साहनी	144
7.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	68
8.	श्रीमती मधु मिश्रा	57
9.	श्री जगदीश	44
10.	श्रीमती पगेम रतन	113
11.	श्री रणजीत सिंह	115
12.	श्री नेनूराम	1
13.	श्री बृजमोहन	76
14.	सुभाषी मेहता	78
15.	श्री राधारमण	54
16.	श्रीमती रूकमणी	82
17.	श्री रोहित सिंह	47

परिशिष्ट–2

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल जिसका नियमन किया (वर्गगज)	क्षेत्रफल जिसकी राशि जमा की गई (वर्गगज)	अधिक राशि जमा का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री हनुमान प्रसाद जैन	39	179.81	184.16	सड़क में आयी भूमि 2½ फीट काटने के कारण। 184.16 के स्थान पर 179.81 वर्गगज का बनाया गया।
2.	श्रीमती सविता शर्मा पत्नी श्री एम.जी. शर्मा	122	266.84	272.22	यह भूखण्ड कार्नर का होने के कारण कार्नर की गोलाई काटने के कारण 272.22 के स्थान पर 266.84 वर्गगज का साइट प्लान जारी किया।
3.	श्री अशोक भारती पुत्र श्री शांति स्वरूप गौड़	38ए	73.28	85.22	इस भूखण्ड का उप-विभाजन (सब-डिविजन) हुआ है तथा यह कार्नर भूखण्ड होने के कारण साइट प्लान 85.22 के स्थान पर 73.28 वर्गगज का जारी किया गया है।
4.	श्रीमती लज्जावती देवी पत्नी श्री ब्रजमोहन गुप्ता	10	271.28	276.66	यह भूखण्ड कार्नर भू-खण्ड है कार्नर की गोलाई काटने के कारण साइट प्लान 276.66 के स्थान पर 271.28 वर्गगज का जारी किया गया।

1	2	3			4
5.	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री त्रिलोक राज	121	211.28	216.67	यह भूखण्ड भी कार्नर भूखण्ड है कार्नर की गोलाई काटने के कारण साइट प्लान 216.67 वर्गगज के स्थान पर 211.28 का भूखण्ड कार्नर होने के कारण ।
6.	श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री बृजवासी	130	267.90	278.39	गोलाई काटने पर 278.39 के स्थान पर 267.90 वर्गगज का साइट प्लान जारी किया।

परिशिष्ट-3

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज	भूखण्ड का क्षेत्रफल जो सुविधा क्षेत्र में लिया गया वर्गगज
1.	श्रीमती धापू देवी	103ए	507.09	507.09
2.	श्रीमती धापू देवी	103 बी	188.89	188.89
3.	श्री एन. के मल्होत्रा	104	277.77	277.77
4.	श्रीमती रति चौधरी	105	377.77	377.77
5.	श्रीमती पुष्पा प्रयर्दशनी	111	314.16	314.16
6.	श्रीमती कमलेश कुमारी यादव	112	314.16	314.16
7.	श्री प्रेम रतन मण्डाना	113	278.05	278.05
8.	श्री मुरारी लाल गुप्ता	114	317.77	317.77
9.	किरन बाला लखेरा	143	175.00	175.00
10.	श्री हनुमान सहाय सोनी	143 ए	77.77	77.77
11.	श्री अनुरुद्ध सहानी	144	270.00	270.00

परिशिष्ट-4

क्र. सं.	नाम आबंटी	भूखण्ड संख्या	कुल क्षेत्रफल वर्गगज	सड़क की चौड़ाई से प्रभावित क्षेत्रफल
1.	श्री नेनूराम मीणा	01	61.63	आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध न होने पर निरस्त
2.	श्री कल्याण सहाय मीणा	54	204.00	137.5 वर्गगज
3.	श्रीमती सावित्री देवी	50	192.00	78.33 वर्गगज
4.	श्री ज्ञान सिंह	53बी	97.08	8.33 वर्गगज
5.	श्री ज्ञान सिंह	53सी	84.79	9.16 वर्गगज

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–445 की सूची)

(अन्य पिछड़ा वर्ग) ओ. बी. के पुलिस उप निरीक्षकों की
नियुक्ति दिनांक 1.4.1997 से 1.2.2002 तक

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	जाति	नियुक्ति जिला
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सांवरमल यादव	ग्राम नाथूकीवाड़ी, पो. अजर का थाना, मण्डावर, जिला अलवर	अहीर	भरतपुर
2.	श्री रामावतार पुत्र श्री रघुवीर सिंह	ग्राम रोनीजा, पो. लाजपुर, जिला अलवर	अहीर	भरतपुर
3.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल	ग्राम सागा, थाना–सींघाणा, जिला झुंझुनूं	अहीर	अलवर
4.	श्री कुलराज सिंह पुत्र श्री भगत सिंह	ग्राम विरामपुर की हवेली, थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर	गुर्जर	करौली
5.	श्री निरंजन प्रताप पुत्र श्री चण्डीदान	ग्राम विनय कुटीर, मोड़ी लेन, सिरोही	चारण	पाली
6.	श्री श्याम सिंह रत्नू पुत्र श्री चैनदान	42–ए, शक्ति नगर, लक्ष्मीनगर के पास, जोधपुर	चारण	बाड़मेर
7.	श्री मनीष देव पुत्र श्री मावाराम	सम्पूर्णानन्द कालोनी, सिरोही	चारण	जालौर
8.	श्री नरपत सिंह पुत्र श्री लादू सिंह	ग्रा.पो. रेवड़ी, तहसील सालवा, जिला जोधपुर	चारण	बाड़मेर
9.	श्री बलभद्र सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह	ग्राम जसपाली पीपाड़ सिटी, जोधपुर	चारण	जालौर

1	2	3	4	5
10.	श्री दीपक यादव पुत्र श्री भोलाराम	ग्राम रोडी उदेपुरिया, पोस्ट हरमाड़ा, जिला जयपुर	चारण	चित्तौड़गढ़
11.	श्री देवीदान पुत्र श्री सूरतदान बारेठ	पो. लापुतड़ा, थाना गिड़ा, तहसील बायन्द, बाड़मेर	बारेठ	उदयपुर
12.	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रूपचन्द	गांधी पार्क के पास, गांधीनगर, मदनगंज–किशनगढ़, अजमेर	बारेठ	उदयपुर
13.	श्री अनिल देवल पुत्र श्री मूल सिंह	324, लक्ष्मीनगर, थाना महामंदिर, जोधपुर	बारेठ	उदयपुर
14.	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल	ग्राम सागा, थाना सिंघाणा, जिला झुंझुनूं	यादव	अलवर
15.	श्री मुकेश यादव पुत्र श्री गेन्दीलाल यादव	प्लाट नं. 66, बालमंदिर बजरिया, सवाईमाधोपुर	यादव	अलवर
16.	श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री रामकिशन	ग्रा.पो. कल्याणपुरा, तह. वैर, जिला भरतपुर	गुर्जर	स.माधोपुर
17.	श्री भगवत सिंह पुत्र श्री शिवकरण	ग्राम अगुणावास देसनोक, तहसील बीकानेर	चारण	बूंदी
18.	श्री शेषकरण पुत्र श्री अर्जुन राम	ग्रा.पो. कजोई, पो. फलसूंड पोकरण, जैसलमेर	चारण	बाड़मेर
19.	श्री हीरालाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद	ढाणी रूपनगर, वाया किशनगढ़, अजमेर	माली	बूंदी
20.	श्री संजीव स्वामी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	रामदेवजी के मन्दिर के पास, फड़ बाजार, बीकानेर	स्वामी	बूंदी
21.	श्री सतीश सिंह पुत्र श्री मदरूप सिंह	ग्राम बोरली तह. सांचौर, जिला जालौर	राव	बूंदी
22.	श्री फूलचन्द पुत्र श्री कैलाश चन्द्र	5, गणेश कालोनी, जोरावर सिंह गेट, जयपुर	दर्जी	दौसा

1	2	3	4	5
23.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री देवीदान सिंह	ग्राम मथानिया, जिला जोधपुर	चारण	पाली
24.	श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री चेतराम	ग्राम आउटर सिगनल के पास, भादरा, हनुमानगढ़	अहीर	झालावाड़
25.	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री विशाल दान	रामपुर गली नं. 20, बंगाली नगर, बीकानेर	चारण	जोधपुर शहर
26.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कल्याण मल	न्यू कालोनी रामनगर, भवानी मण्डी, झालावाड़	सुनार	बारां
27.	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेश दान	ग्राम चान्द्रावाला, पोस्ट सोजत थाना सोजत, जिला पाली	चारण	जयपुर शहर
28.	श्री कैलाश दान पुत्र श्री हेतदान	ग्राम बियादा पो. एवं थाना–बाड़मेर, जिला बाड़मेर	चारण	जयपुर शहर
29.	श्री कमल किशार पुत्र श्री बन्शीलाल	ग्राम लोदिया, तह. फलोदी, जिला जोधपुर	सुनार	जयपुर शहर
30.	श्री कमल नैन पुत्र श्री किशन लाल	ग्राम जैतपुर नगर, पोस्ट जैता नगर, जिला सीकर	मोयल	जयपुर शहर
31.	श्री करण सिंह पुत्र श्री शुभकरण सिंह	ग्राम जोधपुर, तहसील जोधपुर शहर, जिला जोधपुर	चारण	जयपुर शहर
32.	श्री नागरमल पुत्र श्री हीरालाल	ग्राम धोलखेड़ा, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं	कुमावत	जयपुर शहर
33.	श्री रमेश सैनी पुत्र श्री मालीराम	ग्राम धीगढा, पो. चिरान, जिला झुंझुनूं	माली	जयपुर शहर
34.	श्री हेमराज पुत्र श्री संजीव राम	ग्राम बबाई तह. खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	गुर्जर	जयपुर शहर

1	2	3	4	5
35.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हुक्मा राम	लोहावट तह. फलौदी, जिला जोधपुर	गुर्जर	उदयपुर
36.	श्री विजेन्द्र यादव पुत्र श्री राधागोपाल	मकान नं. 66, सेठी कालोनी, जयपुर	यादव	अलवर
37.	श्री लाखन सिंह पुत्र श्री बृजलाल	ग्राम वाडावाजिद, थाना नादौती, जिला करौली	गुर्जर	अलवर
38.	श्री राजीव यदवंशी पुत्र श्री किशनसिंह	ग्राम हमराजपुरा, थाना सीकरी, जिला भरतपुर	माली	अलवर
39.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगमाल सिंह	वार्ड नं. 7, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर	कुम्हार	पी.टी.एस. किशनगढ़
40.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नाथाराम	ग्राम काकराम, तहसील थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	खाती	9वीं बटा. आर.ए.सी. टोंक
41.	श्री पदम दान पुत्र श्री सागर दान	भू.पू. सैनिक कालोनी, तख्तगढ़, जिला पाली	चारण	पी.टी.एस. जोधपुर
42.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री हरिनारायण	ए-44, जय अम्बेनगर, जयपुर	यादव	5वीं बटा. आर.ए.सी. जयपुर
43.	श्री विश्राम सिंह पुत्र श्री रामकरण	ग्राम स्यालावास कलां, बांदीकुई, जिला दौसा	गुर्जर	9वीं बटा. आर.ए.सी. टोंक
44.	श्री परमेश्वर लाल पुत्र श्री हनुमानाराम	ग्राम सिरली, रेलवे स्टेशन, दूदवाखारा, चूरू	यादव	एस.पी.जी. नई दिल्ली
45.	श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री गोपाल लाल	ग्राम नई पारसोली, थाना आसीन्द, भीलवाड़ा	कुमावत	9वीं बटा. आर.ए.सी. टोंक

1	2	3	4	5
46.	श्री अनूप सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह	अर्जुन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	यादव	12वीं बटा. आर.ए.सी. नई दिल्ली
47.	श्री रावआनन्द सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	ग्राम कांसली, तह. थाना कोटपूतली, जयपुर	अहीर	5वीं बटा. आर.ए.सी. जयपुर
48.	श्री सुखदेव पुत्र श्री दुर्गादास	ग्राम सुरपालिया, तह. जायल, नागौर	चारण	12वीं बटा. आर.ए.सी. नई दिल्ली
49.	श्री रामनिवास पुत्र श्री रिछपाल योगी	ग्राम किठाला, थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनूं	योगी	5वीं बटा. आर.ए.सी. जयपुर
50.	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल	ए-10, आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	माली	10वीं बटा. आर.ए.सी. बीकानेर
51.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कैलाश दान	ग्राम उजला, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर	चारण	10वीं बटा. आर.ए.सी. बीकानेर
52.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मिश्रालाल	देवली, टोंक	दर्जी	5वीं बटा. आर.ए.सी. जयपुर
53.	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश	475 डी. पीलवा हाउस नागौरी गेट, जोधपुर	जांगिड़	6वीं बटा. आर.ए.सी. धौलपुर
54.	श्री केवलनाथ पुत्र श्री ईश्वरनाथ	मु.पो. पालड़ी थाना खैरपा, जोधपुर	योगी	जालौर

1	2	3	4	5
55.	श्री सहीराम पुत्र श्री चन्दगीराम	ग्राम पुलालिया, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	यादव	जयपुर शहर
56.	श्री राजाराम पुत्र श्री रामहेत गुर्जर	ग्राम नाहरकलां, पोस्ट काली पहाड़ी, जिला दौसा	गुर्जर	टोंक
57.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री कैलाश दान	मु.पो. मथानिया, तह. ओसिया, जोधपुर	चारण	श्रीगंगानगर
58.	श्री नाथू सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह	मु.पो. छिड़िया, तह. भोपालगढ़, जोधपुर	चारण	बीकानेर
59.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहनलाल	मु.पो. राईकाबेरा, गंगरा, पूजना मण्डौर, जोधपुर	भाटी	बीकानेर
60.	श्री श्यामसिंह पुत्र श्री जयसिंह	नि. नैनवां चारणान, जिला जोधपुर	चारण	राजसमंद
61.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण दान	ग्राम रामपुरिया थाना पोकरण, जिला जैसलमेर	चारण	उदयपुर
62.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह	चांदपोल के बाहर गोरमे बाजार, जोधपुर	चारण	उदयपुर
63.	श्री दिग्पाल सिंह पुत्र श्री रतनसिंह	ग्राम छानाराजकी धान नवलगढ़, जिला झुंझुनूं	चारण	जयपुर शहर
64.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भारत सिंह	6बी. 36 महावीर नगर, 3 कोटा	रावणा राजपूत	कोटा
65.	श्री कमलपुरी पुत्र श्री धन्नालाल	ग्राम देवाका बास, वाया बधाल, तह. फुलेरा, जिला जयपुर	गोस्वामी	जोधपुर
66.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रताप बहादुर	ग्राम काचरिया, फुलेरा नागौर	कुमावत	अजमेर

1	2	3	4	5
67.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर	चारण	जयपुर शहर
68.	श्री रूप सिंह पुत्र श्री भानूदान सिंह	बिराई चारणान, तह. शेरगढ़, जोधपुर	चारण	बांसवाड़ा
69.	श्री अभय सिंह पालरिया पुत्र श्री किशनलाल	ग्राम बालोटा गाडा, पोस्ट श्रीनगर, किशनगढ़, अजमेर	सैनी	जयपुर शहर
70.	श्री सुमेरदान पुत्र श्री इन्द्रदान	ग्राम पोस्ट गूंगा, तह. शिव, जिला बाड़मेर	चारण	उदयपुर
71.	श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री गोपाल वर्मा	नि. नयाखेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर	जाट	झुंझुनूं
72.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कैलाश दान	कैलाश कुंज, 118–ए, मोहन नगर, एस.बी.जे.एस. कालोनी, जयपुर	चारण	हनुमानगढ़
73.	श्री सरद तंवर पुत्र श्री मोहनलाल	ग्राम रामचौक जालौरियान का बास, नागौरी गेट, जोधपुर	माली	उदयपुर
74.	श्री आदर्श कुमार पुत्र श्री आशाराम	58, पालीवालों का बास, कोतवाली, पाली	माली	उदयपुर
75.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह	लक्ष्मीविलास एनवन पावटा बी रोड, जोधपुर	माली	उदयपुर
76.	श्री चेहल सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह	जयसिकंदर शिवद्वारा लखसिंह चौराहा, इन्द्रा कालोनी, बाड़मेर	माली	उदयपुर
77.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंशीधर	ग्राम शिमला, पोस्ट खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	यादव	जयपुर शहर
78.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीवन सिंह	प्लाट 194, करणपथ, जयपुर	चारण	अलवर

1	2	3	4	5
79.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री केशरदेव	ग्राम चिराना, पोस्ट चिराना, जिला सीकर	स्वामी	जयपुर शहर
80.	श्री कुशाल सिंह पुत्र श्री रामसिंह	नि. ढाणी पाणीवाला, पो. महुवा, जिला सीकर	गुर्जर	झुंझुनूं
81.	श्री राणीदान सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह	ग्राम पोस्ट उज्ज्वल, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर	उज्जवल	गंगानगर
82.	श्री भूरी सिंह पुत्र श्री हरीश चन्द्र	ग्राम सरायगजरा, निहालगंज कोठ, धौलपुर	दरोगा	कोटा शहर
83.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री मेघसिंह	मु.पो. देशनोक, बीकानेर	चारण	जालौर
84.	श्री सुन्दर कुमार पुत्र श्री लिखमाराम	ग्राम लौहावट, तह. फलौदी, जिला जोधपुर	चारण	उदयपुर
85.	श्री आनन्द यादव पुत्र श्री नवलकिशोर	50, पटेल नगर, राममंदिर, हवासड़क, जयपुर	यादव	कोटा शहर
86.	श्री प्रवीण टांक पुत्र श्री अम्बालाल टांक	249, नीमचमाता स्कीम देवली, जिला उदयपुर	टोंक	कोटा नगर
87.	श्री दौलत कुमार पुत्र श्री देवीलाल	ग्राम नगरकोट, पोस्ट देवली, जिला टोंक	साहू	जयपुर शहर
88.	श्री ईश्वर प्रसाद पुत्र श्री हेमराज	ग्राम राखी, पो. डूंगराना भादरा, हनुमानगढ़	खाती	जैसलमेर
89.	श्री पूरण मल पुत्र श्री भागीरथ	ग्राम रानौली थाना रानौली, जिला सीकर	यादव	जयपुर शहर
90.	श्री कुलदीप पुत्र श्री हरिसिंह	ग्राम चारणवास, तह. चौमूं, जिला जयपुर	चारण	गंगानगर

1	2	3	4	5
91.	श्री शिवराज पुत्र श्री आसूदास	नि. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर	चारण	जयपुर शहर
92.	श्री लीलाधर पुत्र श्री नेमीचन्द	मु. मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली	चारण	उदयपुर
93.	श्री गोपाल दास पुत्र श्री रेणुमल	म.नं. 422, किशोर नगर, सांगानेर, जिला जयपुर	सिंधी	जयपुर रेंज (प्रथम)
94.	श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री बंशीधर	ग्राम फतेहपुर, थाना फतेहपुर, जिला सीकर	भोजकी	जयपुर शहर
95.	श्री जयदेव पुत्र श्री किशोरदान	ग्राम चारण की ढाणी कालियासर, जिला झुंझुनूं	चारण	जयपुर शहर
96.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	ग्राम मोवड़ा, शिवाजी गेट, पुलिस चौकी के पास, जोधपुर	चारण	उदयपुर
97.	श्री मोहन लाल पुत्र श्री मोतीलाल	5, शंकर कालोनी, नहर रोड, गंगापुर सिटी, करौली	गुर्जर	बून्दी
98.	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री पुरुषलाल सवेनी	38, भड़भूजा घाटी, उदयपुर	सोनी	झालावाड़
99.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मेघराज कविया	ग्राम वासीन कवियाना, तह. रायपुर, ज़िला पाली	चारण	उदयपुर
100.	श्री बृजमोहन पुत्र श्री रामकिशन	नि. कांचिवास, पो. बाणेका जिला दौसा	चारण	टौंक
101.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री फूलचन्द	सपेरा पो. खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	गुर्जर	जयपुर शहर
102.	श्री शक्तिदान पुत्र श्री मलदान	ग्राम सेमेलर, तह. शेरगढ़, जिला जोधपुर	चारण	उदयपुर

1	2	3	4	5
103.	श्री श्यामराज पुत्र श्री सांवरदान	नि. नियाज, तह. जैतारण, जिला पाली	चारण	बांसवाड़ा
104.	श्री आशाराम पुत्र श्री लल्लूराम	ग्राम गोरधनपुरा, तह. राजगढ़, जिला अलवर	गुर्जर	कोटा ग्रामीण
105.	श्री गणेश कुमार पुत्र श्री सूरज सिंह	ग्राम छोरा थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	सैनी	जयपुर शहर
106.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	ब्राह्मणों की गली, मेदचौक, जोधपुर	सैनी	डूंगरपुर
107.	श्री सहिमानसू सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	बीटवाड़ा थाना, सादड़ी, जिला पाली	राव	राजसमन्द
108.	श्री हनुमन्त सिंह पुत्र श्री रूप सिंह	रामपुरा भाईयान, थाना मथानिया, ओसिया, जोधपुर	राव	चित्तौड़गढ़
109.	श्री उगमराज पुत्र श्री किशन सोनी	ग्राम तेना, तह. शेरगढ़, जिला जोधपुर	सोनी	डूंगरपुर
110.	श्री धोदराम पुत्र श्री भोलाराम	ग्राम पांडौली, तह. नीमकाथाना, जिला सीकर	गुर्जर	जयपुर शहर
111.	कु. ज्योतिचारण पुत्री श्री सूरज सिंह	ग्राम सिंऊ, पो. गोठन, तह. मेड़ता, जिला नागौर	चारण	जोधपुर शहर
112.	श्री मजीद खां पुत्र श्री शफी मोहम्मद खां	गांधी बड़ी, तह. भांडरा, जिला हनुमानगढ़	मुसलमान	जोधपुर शहर
113.	श्री इन्द्र कुमार पुत्र श्री आत्माराम	वार्ड 3, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर	प्रजापत	जैसलमेर
114.	श्री बनी सिंह पुत्र श्री पहाड़ राम	चूड़ला, पो. हकड़ी, तह. बानसूर, जिला अलवर	गुर्जर	झालावाड़

1	2	3	4	5
115.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री बलवीर सिंह	ग्राम भूपसेड़ा, तह. बानसूर, जिला अलवर	यादव	झालावाड़
116.	श्री महेश सिंह पुत्र श्री भैरूंसिंह साहू	नि. निगलेश्वर, तह. बाली, जिला पाली	साहू	भीलवाड़ा
117.	श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	नि. लालना खुर्द, थाना परबतसर, जिला नागौर	स्वामी	जयपुर शहर
118.	श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री गणपत लाल	जिला जोधपुर	वर्मा	आई.बी. जयपुर
119.	श्री सुबोध पुत्र श्री कजोड़मल	ग्राम सुन्दरपुरा, जिला सीकर	जांगिड़	उदयपुर
120.	श्री सीताराम पुत्र श्री घासीराम सोनी	सासेडी, तह. बहरोड़, जिला अलवर	सोनी	जयपुर ग्रामीण
121.	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल	ग्राम नवानी, पो. नानेड़ा, जिला टोंक	यादव	जयपुर ग्रामीण
122.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री सांवतसिंह	ग्राम, पो. सिंगादरी, तह. लक्ष्मणगढ़	बारेठ	सीआईडी (आईबी)
123.	श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री रघुनाथ	ग्राम पोस्ट जोबनेर, जिला जयपुर	कुमावत	सीआईडी (आईबी)
124.	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह	ग्राम डीसा, पो. कालडेरा, तह. आमेर, जिला जयपुर	यादव	कोटा शहर
125.	श्री शैतान सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह	ग्राम खुड़ाला, तह. बाली, जिला पाली	सोलंकी	बीकानेर
126.	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री कैलाश दान	ग्राम खेराड़ी, तह. जैतारण, जिला पाली	चारण	हनुमानगढ़
127.	श्री मनीष दान पुत्र श्री अचल दान	ग्राम मथानिया, जिला जोधपुर	चारण	जयपुर

1	2	3	4	5
128.	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप	ग्राम दौरासर, थाना भादशो, जिला झुंझुनूं	दरोगा	झुंझुनूं
129.	श्री उदय सिंह पुत्र श्री श्रीराम	गांव कानतोपुर, जिला अलवर	यादव	जयपुर
130.	श्री हेमन्त पुत्र श्री केसर देव	30, शांतिपथ, शास्त्रीनगर, जयपुर	दर्जी	जयपुर
131.	श्री लूणसिंह पुत्र श्री पहाड़ा राम	नि. मोहनगढ़, जिला जैसलमेर	रावला राजपूत	जोधपुर शहर
132.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री घासी	ई-10, ज्योतिनगर, जयपुर शहर	माली	दौसा
133.	श्री जयपाल पुत्र श्री धर्मपाल	महक चौक, अलवर	सुनार	जयपुर
134.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री अर्जुन राम	गांव बिचावा, खुनखुना, जिला नागौर	राव	अजमेर
135.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल	अग्रवाल धर्मशाला के पीछे, देवली, टौंक	राव	5वीं बटा. आर.ए.सी. जयपुर
136.	श्री रामकिशन पुत्र श्री चिरंजीलाल	ग्राम कल्याणपुरा, पो. मानपुरा, तह. बानसूर, जिला अलवर	यादव	भरतपुर
137.	श्री धीरज वर्मा पुत्र श्री देवीलाल	म.नं. 685, सुखसदन लवाण का घेर, सुभाष चौक, जयपुर	वर्मा	कोटा
138.	श्री पुखराज सारण पुत्र श्री मदनलाल सारण	ग्राम भूपनगर, वाया किशनगढ़, जिला अजमेर	दर्जी	कोटा
139.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह	राजकीय बागड़ अस्पताल के पीछे, आदर्श नगर, डीडवाणा, नागौर	चारण	त्यागपत्र जयपुर

1	2	3	4	5
140.	श्री अरुण पुत्र श्री नरसिंहदान	मु. दानसनी थाना केरला, तह. रोहट, जिला पाली	चारण	त्यागपत्र जयपुर
141.	श्री समीरदान पुत्र श्री प्रताप सिंह	ग्राम आहौर, जिला जालौर	चारण	त्यागपत्र जयपुर
142.	श्री दिलीप कुमार वर्मा पुत्र श्री गणपतलाल वर्मा	म.नं. 163, शास्त्री नगर, पावटा, जोधपुर	वर्मा	अजमेर
143.	श्री मुकेश चालवा पुत्र श्री खेमचन्द्र	दिव्य क्लनिक नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर	चालवा	करौली
144.	श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री बाबूलाल	नारायण निवास, नयाबास, अलवर	यादव	धौलपुर
145.	श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरासिंह चौहान	मु.पो. कागुता, तह. रायपुर, जिला पाली	रावत्र राजपूत	जयपुर रेंज (प्रथम)
146.	श्री सजन सिंह पुत्र श्री भंवरदान	बिराई, तह. शेरगढ़, जिला जोधपुर	चारण	जयपुर शहर
147.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवानी दान	सुभाष नगर, पाली	चारण	जयपुर शहर (बरखास्त)
148.	श्री रामकिशन पुत्र श्री अचलदान	ग्राम देथाकुंज, रायकालोनी, बेरियों का बास, बाड़मेर	चारण	जोधपुर शहर
149.	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री शांति कुमार	म.नं. 1676, बाबा हरिशचन्द मार्ग, जयपुर	वर्मा	एस.सी. आर.बी. जयपुर

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–452 की प्रति)

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बारां (पश्चिम)

क्रमांक : एफ ( )तक./मवअ/2002/467　　　　दिनांक : 25.1.2002

निमित :-

तहसीलदार,
छीपाबड़ौद।

विषय :- ग्राम मालोनी तहसील छीपाबड़ौद में आबंटन निरस्त करने तथा अमल–दरामद करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मालोनी में अतिक्रमण सम्बन्धी विधान सभा प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 1.12.2001 को संयुक्त सर्वे किया गया तथा विवादित खसरा नम्बर 74,127,140,248 व 252 में राजस्व विभाग द्वारा आबंटन भी किया गया है।

वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार मौजा मालोनी के उक्त खसरानका रकबा वर्ष 1967 में रक्षित वन घोषित हो चुका था तथा इसके रकबे की विगत इस प्रकार है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	कुल रकबा बीघा/बिस्वा	वनखण्ड का रकबा	राजस्व विभाग का रकबा
1.	74	1261/	1225 बीघा	36 बीघा
2.	127	895/19	862 बीघा/13	33 बीघा 6 बिस्वा
3.	140	596/17	578बी/14 बि.	18 बीघा 3 बिस्वा
4.	248	149/12	141बी./11बि.	8बीघा 1 बिस्वा
5.	252	250/11	247 बी./7 बि.	3 बीघा 4 बिस्वा

उपरोक्त वर्णित खसरान में राजस्व विभाग द्वारा 80 व्यक्तियों को 665 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आबंटन कर देने के कारण राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में वन विभाग का रकबा इस प्रकार रहता है:-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	वन विभाग का रकबा
1.	74	1221 बीघा 7 बिस्वा
2.	127	582 बीघा 16 बिस्वा
3.	140	433 बीघा 19 बिस्वा
4.	248	141 बीघा 16 बिस्वा
5.	252	108 बीघा 7 बिस्वा

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 74,127,140,248,252 में वन विभाग के रिकार्ड एवं राजस्व रिकार्ड में रकबे की भिन्नता अमल–दरामद की कमी से तथा आबंटन हो जाने से चल रही है। तथा इन खसरान की 567 बीघा 10 बिस्वा जमीन आबंटन के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद से शेष है। अतः आपको उक्त खसरान में राजस्व विभाग द्वारा आबंटित की गई 80 व्यक्तियों की सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया आप अपने स्तर से नियमानुसार आबंटन निरस्त करने का कष्ट करें तथा यह आबंटन किस किस व्यक्ति को कब-कब किया गया की सूचना मय आदेश की फोटो प्रति भिजवाने का कष्ट करें। वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इस कार्यालय को जमाबन्दी की नकल भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलंग्न :- 4 किता (सूची आबंटन)

भवदीय
ह०/-
मण्डल वन अधिकारी
बारां (पश्चिम)

क्रमांक : एफ( )तक./भवन/2002/468-69 दिनांक : 25.1.2002

1. प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर बारां को प्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा रक्षित वन भूमि का आबंटन नियमानुसार नहीं होने से निरस्त करने एवं "वन भूमि" को राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने बाबत तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबड़ौद को दी जाकर लेख है कि आप व्यक्तिशः तहसीलदार छीपाबड़ौद से सम्पर्क कर अमल–दरामद करावे तथा आबंटितयों से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त कर इस कार्यालय को भिजवावें।

ह०/-
मण्डल वन अधिकारी
बारां (पश्चिम)

राजस्व विभाग द्वारा ग्राम मालोनी के खसरा नम्बर 54, 127, 140, 248 एवं 252 में आबंटित काश्तकारों की सूची

क्र. सं.	नाम आबंटित काश्तकार	खसरा संख्या	रकबा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	गोपाल S/o औंकार चमार शाकिन–देह	74	5)	
2.	बूला S/o लटूर सहर	74	2 ।)	
3.	भंवर सिंह S/o माधो सिंह, राजपूत शा.देह	74	5)	
		74	3 ।।।)3	
4.	गोडू S/o किशना चमार	74	5)	
5.	राजाराम S/o गोरधन अहीर शा.देह	74	8 ।।।)3	
6.	रघुनाथ सिंह S/o हीरासिंह राजपूत शा. देह	74	10)	
	योग		**9 ।।।)3**	
7.	रतन सिंह S/o अजय सिंह राजपूत	127	6)	
8.	जतन बाई बेवा किशन सिंह राजपूत	127	10)	
9.	कालू S/o माधो धाकड़	127	2	
10.	गोपाल S/o ओंकार नयार शकिन–देह	127	5)	
11.	नोला S/o केशो चमार	127	10)	
12.	दुर्गालाल, रामनरेश वगैरह धाकड	127	5)	
13.	बद्रीलाल, प्रताप, काना S/o गोमदा चमार	127	10)	
14.	बिरमचन्द्र S/o किशन लाल, गादरी	127	5)	
15.	बहादुर सिंह, गोविन्द सिंह वगैरह	127	10 ।।।)3	
16.	मथुरा धाकड़ नि. सुखनेरी	127	2 ।।।)3	

1	2	3	4	5
17.	माधो S/o किशना चमार शा.देह	127	10)	
18.	मान कंवर बाई पुत्री धूलीलाल राजपूत शा.देह	127	5)	
19.	रतन सिंह S/o कानसिंह राजपूत शा. देह	127	6)2	
20.	रामनाथ S/o भैरूं धाकड़ सुखनेरी	127	1।।।)3	
21.	रतन सिंह S/o गम्भीर सिंह, राजपूत	127	6)	
22.	लक्ष्मण S/o गणेश लाल गाडरी शा. देह	127	7।।।)1	
23.	सुरेन्द्र सिंह वगैरह	127	1)	
24.	हरनारायण, बजरंग लाल, बद्रीलाल वगैरह, धाकड़	127	9)4	
	योग		**125)3**	
25.	अखेराज सिंह राजपूत शा. देह	127/284	10)	
26.	उम्मेद सिंह S/o मणी सिंह, राजपूत	127/285	10)	
27.	बन्शीलाल S/o	127/286	12)	
28.	शिव सिंह S/o भैरूं सिंह, राजपूत	127/287	51)3	
29.	धूल सिंह, राजपूत शा. देह	127/288	5)	
30.	किशोर सिंह S/o माधो सिंह राजपूत सा. देह	127/289	10)	
31.	मांग्या, भंवरया S/o बख्शू चमार	127/290	20)	
32.	अयोध्या बाई/छोट्या	127/291	7।।)	
33.	मदन लाल, नारायण, कालू, चमार वगैरह	127/291	7।।)	

1	2	3	4	5
34.	बजरंग लाल S/o पन्ना नाई सा. देह	127/292	10)	
35.	प्रभु, बलूद, भैरूं नाई	127/293	10)	
36.	शिवराम सिंह S/o चैन सिंह नरूका	127/294	9।।)2	
37.	भोली S/o आगी सहर सा. देह	127/294	5)	
38.	रामेश्वर पुत्र किशना नाई	127/295	6।।)	
39.	कन्हैया लाल वल्द, किशना अहीर सा. देह	127/297	8।।)	
40.	नारायण, लक्ष्मण, परमानन्द गाडरी, सा. देह	127/298	15)	
41.	बदरा वल्द भैरूं धाकड़ देह	127/299	15)	
42.	मथुरा पन्ना धाकड़, सुखोरी	127/300	10)	
	योग		**130।।।)**	
			45।।)3	
			185)	

खसरा नम्बर 127 का कुल आबंटित
रकबा 125)3 + 185) = 310)3

43.	कंवरलाल S/o किशनदास बैरागी सा. बिलेण्डी	140	15)	
44.	कालू S/o माधो धाकड़, सुखनेरी	140	10)	
45.	गोगदी चमार, सा. देह	140	10)	

1	2	3	4	5
46.	छोटेलाल S/o उदयलाल राजपूत, सा. देह	140	5)	
47.	दीन्या S/o नारायण चमार	140	10)	
48.	नन्द सिंह S/o इन्द्रसिंह राजपूत शा. देह	140	9 I)	
49.	भंवर सिंह S/o सरदार सिंह वगैरह	140	10)	
50.	माधो सिंह S/o किशोर सिंह सा. देह	140	15)	
51.	मोहन सिंह S/o किशन सिंह सा. देह	140	20)	
52.	रामलाल, किशना, रामदयाल चमार वगैरह, सुखनेरी	140	20)	
53.	रामेश्वर S/o किशना सा. देह	140	I I)3	
54.	माधो सिंह S/o किशोर सिंह राजपूत, सा. देह	140	15)	
	योग		**143 I I I)3**	
55.	मदन लाल S/o मांगीलाल हरिजन	248	8)1	
	योग		**8)1**	
56.	भोमिया सिंह S/o मोहन सिंह सा. देह	252	6 I I)	
57.	मांगीलाल, मदन वल्द, जीवन चमान, बिलेण्डी	252	4 I I I)2	
58.	रामगोपाल वल्द, मदनलाल वगैरह	252	5)	
59.	मथुरा पुत्र भैरूं धाकड़ नि. सुखनेरी	252	4 I I I)2	
60.	माधो पुत्र नन्दा माली, बिलेण्डी	252	7)	
61.	माधो S/o गौरू नाई बिलेण्डी	252	7)	
62.	महेन्द्र सिंह राजपूत	252/253	11)4	

1	2	3	4	5
63.	बद्रीलाल, रामनारायण वल्द, रामनाथ धाकड़ नि. सुखनेरी	$\frac{252}{254}$	6।)	
64.	लक्ष्मी नारायण S/o लालाराम सुखनेरी	$\frac{252}{255}$	7।।।)	
65.	बाला S/o नारान वगैरह धाकड़, सुखनेरी	$\frac{252}{256}$	7।।)	
66.	नन्द किशोर S/o गजानन्द धाकड़ सुखनेरी	$\frac{252}{257}$	2।।।)3	
67.	जयलाल S/o नाथूलाल धाकड़ सा. देह	$\frac{252}{311}$	10)	
68.	कालू S/o रतनलाल धाकड़, सुखनेरी	$\frac{252}{312}$	5)	
69.	नन्द किशोर S/o माधोलाल धाकड़, सुखनेरी	$\frac{252}{313}$	10)	
70.	मानकंवर बाई/धूली सिंह राजपूत	$\frac{252}{314}$	10)	
71.	चान्दमल S/o राधा नाई वगैरह	$\frac{252}{315}$	10)	
72.	मांगीलाल/देवलाल कुम्हार बिलेण्डी	$\frac{252}{316}$	5)	
73.	झुंथा S/o मांगीलाल सा. देह	$\frac{252}{317}$	5)	
74.	गुलाब चन्द S/o धूल्या कुम्हार बिलेण्डी	$\frac{252}{318}$	10)	
75.	हरनारान वल्द भैरूं कुम्हार, सा. बिलेण्डी	$\frac{252}{319}$	8)	

1	2	3	4	5
76.	गोरधन S/o नन्दा चमार, सा. देह	$\frac{252}{320}$	10)	
77.	किशनलाल S/o घासीलाल गाडरी	$\frac{252}{321}$	5)	
78.	तेजपाल, बद्रीलाल वल्द गुलाब कुम्हार, बिलेण्डी	$\frac{252}{322}$	5)	
79.	श्री किशन धाकड़ सुखनेरी	$\frac{252}{323}$	10)	
80.	गोपाल S/o किशनलाल नाई सा. बिलेण्डी	$\frac{252}{324}$	4)	
	योग		**163 ।।।)1**	

ह०/–
सहायक वन संरक्षक
वन मण्डल बारां (पश्चिम)

ह०/–
मं. व. अ. बारां (पश्चिम)

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-460 की सूचना)

गत 10 वर्षों में विभिन्न विभागों/बोर्ड/संस्थाओं द्वारा बिना अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूरा किये भर्ती आशार्थियों की संख्यात्मक स्थिति कारणों सहित

क्र. सं.	विभाग का नाम	10 वर्षों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का कोटा पूरा किये बिना भर्ती आशार्थियों की संख्या			भर्ती किये जाने के कारणों का उल्लेख
		जनशक्ति विभाग से बिना सूची प्राप्त किये	जनशक्ति विभाग की सूची में से	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण	6	–	6	राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण में 5 अभियांत्रिकों की कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति पूर्व में दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर करने के पश्चात् वाद वापस लेने पर नियुक्तियां की गयी थी। 1 क.अभि. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, उनकी सेवाएं अभिकरण सेवाओं में अन्तर्लियन की गई।
2.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1	–	1	निगम के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालय से प्राप्त नामों की सूची एवं समाचार पत्र में दिये गये विज्ञापन से प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियुक्ति की जाती है। राज्य

1	2	3	4	5	6
					सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. का कोटा रखा जाता है जिसमें सीधी भर्ती हेतु कोटे में प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिन पदों पर नियुक्ति दी गई, उनके लिए अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा और/या वैधानिक क्षमता प्रमाण पत्र के साथ अनुभव भी एक आवश्यक शर्त है।
3.	राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)	22	–	22	गत 10 वर्षों में निगम द्वारा डिप्लोमा/डिग्रीधारी योग्य एवं अनुभवी इंजीनियरों की आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार सीधी भर्ती, सहायक स्थल अभियन्ता एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से की गई है। निगम द्वारा नियुक्ति के लिए जब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या चयन समिति द्वारा योग्य नहीं पाये जाते हैं तो उस स्थिति में आरक्षित श्रेणी के पदों पर कोटा पूरा किये बिना भर्ती की जाती है तथा इस प्रकार आरक्षित कोटे में शेष रहे पदों को आगामी वर्षों में ले जाया जाता है। निगम के नियमों में डिग्री/डिप्लोमा की योग्यता वाले पदों पर अनुभव की अनिवार्यता है।

1	2	3	4	5	6
4.	राज. राज्य, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	4	11	15	मण्डल द्वारा पिछले 10 वर्षों में अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति के उपलब्ध डिग्रीधारी अभियन्ताओं की भर्ती की गई। किन्तु आरक्षित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पद सामान्य अभ्यर्थियों से भरे गये।
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	13	22	35	विद्युत मण्डल द्वारा आरक्षित वर्गों के आबंटित कोटे को सीधी भर्ती में पूरा किया जाने का प्रयास किया गया है सिर्फ दो वर्षों (वर्ष 1995 तथा 1997) में आरक्षित वर्गों के योग्य डिप्लोमाधारी तथा ए.एम.आई.ई. अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, आरक्षित वर्गों की रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यथियों की नियुक्ति की गई, परन्तु इस प्रकार की गई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि राज्य सरकार तथा विद्युत मण्डल के नियमों में आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित रिक्तियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरे जाने का प्रावधान है।
6.	नगर सुधार न्यास, अजमेर	3	1	4	नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा चार नियुक्तियां दी गयी हैं। जिनमें से दो नियुक्ति पूर्व में सेवारत आशार्थी की सेवाएं समामेलित (एब्जोर्ब) की गई

1	2	3	4	5	6
					है तथा एक नियुक्ति राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षमता के आधार पर तथा एक नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्प्रेषण में, राज्य सरकार के दिशा निर्देश व जनशक्ति विभाग में पंजीकृत आशार्थी के साथ साक्षात्कार लेकर दी गयी है।
7.	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	2	–	2	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में सीधी भर्ती द्वारा नियमानुसार साक्षात्कार के आधार पर दो नियुक्तियां दी गयी हैं। जिनमें से एक पद सर्वेयर तथा एक पद कनिष्ठ अभियन्ता का है।
8.	स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	–	–	–	नोट : स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि अनु. जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का कोटा पूरा किये बिना डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजीनियर्स की सीधी भर्ती नहीं की गई है। नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं से ऐसी की गई नियुक्तियों की सूचना एकत्र कर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

ह०/–
सांख्यिकी अधिकारी,
आयोजना एवं जनशक्ति विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–463 की प्रति)

समीर सिंह
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट

STD : 07462
कार्यालय : 30444/20033
निवास : 20333
फैक्स : 07462–20033

सवाईमाधोपुर–322001

अर्द्ध शा. पत्रांक : 323/विकास/98

दिनांक : 14.9.1998/6.11.1998

विषय : जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा (गंगापुर सिटी) के विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी।

प्रिय श्री कंसल,

जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा (गंगापुर सिटी) एक आवासीय विद्यालय है जिसका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण फीडर से है। इस विद्यालय के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो इसलिए इसका कनेक्शन शहरी फीडर से कर दें।

शुभकामनाओं सहित।

ह०/–
(समीर सिंह)
जिला कलक्टर,
सवाईमाधोपुर

प्रेषित :

श्री बी. के. कंसल
अधीक्षण अभियंता,
राजस्थान विद्युत बोर्ड,
सवाईमाधोपुर (राज.)

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-467 की सूची)

विधवा पुत्रियों के विवाह हेतु पं. स. कुचामन सिटी से प्राप्त आवेदन

क्र.सं.	नाम आवेदिका मय पता	कहां प्राप्त हुआ	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
	पंचायत समिति कुचामन सिटी		
1.	श्रीमती भंवरी देवी/स्व. श्री गम्भाराम निवासी खारिया, वाया कुचामन सिटी	प्रशासन गांव के संग	अस्वीकृत
2.	श्रीमती प्रेमा देवी/स्व. श्री सुमन सिंह भाटी निवासी मारोठ, जिला नागौर, तह. नावां	,,	,,
3.	श्रीमती ओम कंवर/स्व. श्री नन्द सिंह राजपूत मु.पो. गुढ़ा साल्ट तह. नावां	,,	,,
4.	श्रीमती धापली/स्व. श्री भोलाराम जाट मु. पो. नालोट, वाया कुकनवाली तह. नावां	,,	,,
5.	श्रीमती भंवरी देवी/स्व. श्री चोथूराम मेघवाल मु.पो. इन्दौखां त. नावां	,,	,,
6.	श्रीमती माली देवी/स्व. श्री पेमाराम मेघवाल मु.पो. पालो वाया कुकनवाली तहसील नावां	,,	,,
7.	श्रीमती बिदामी देवी/स्व. श्री घासीराम मु.पो. रामपुरा वाया कुचामन सिटी त. नावां	,,	स्वीकृत
8.	श्रीमती कमला/स्व. श्री सूजाराम रेगर मु.पो. मीठडी वाया कुचामन सिटी त. नावां	,,	,,
9.	श्रीमती रतनी/स्व. कचरूराम जांगीड मु. पो. अड़कसर त. नावां	,,	,,

1	2	3	4
10.	श्रीमती भंवरी देवी/ स्व.श्री हीराराम मेघवाल मु.पो. खारिया, वाया कुचामन सिटी	प्रशासन गांव के संग	स्वीकृत
11.	श्रीमती सावत्री देवी/स्व. श्री रामेश्वर लाल मु.पो. मारोठ, तह. नावां	,,	,,
12.	श्रीमती रामेश्वरी देवी/स्व. श्री कामडराम मु. पो. मण्डावरा त. नावां	,,	अपूर्ण
	प्रशासन शहरों के संग अभियान नगरपालिका कुचामन सिटी व नावां		
1.	श्रीमती शांति देवी/स्व. श्री हरजी राम कंजर मु.पो. कुचामन सिटी, तह. नावां	प्रशासन शहरों के संग	अस्वीकृत
2.	श्रीमती शांति देवी/स्व. श्री कन्हैया लाल मु.पो. नायक बस्ती, कुचामन सिटी, तहसील नावां	,,	स्वीकृत
3.	श्रीमती अनोखी देवी/स्व. श्री बाबूलाल आचार्य मु.पो. आचार्यों का मोहल्ला, कुचामन सिटी, तहसील नावां	,,	,,

परिशिष्ट "ब"

विधवा पुत्रियों को विवाह अनुदान स्वीकृति 4.2000 से 2.2002 तक सूची

क्र.सं.	विधवा का नाम मय राशि व पता	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती धापू देवी/स्व. श्री गणेशी राम नायक मु. पो. बरागणा, वाया डीडवाना	5000
2.	श्रीमती भंवरी देवी/स्व. श्री रामदेवाराम मु. पो. रेगरों का मोहल्ला, लाडनूं	5000
3.	श्रीमती खैरूनिसा/स्व. श्री मुणिया मु.पो. बुनकरों का मौहल्ला मेड़तासिटी	5000
4.	श्रीमती मैना देवी/स्व.श्री सत्य नारायण दायमा दायमों का मौहल्ला, वाया मूण्ढ़वा	5000
5.	श्रीमती बसन्ती देवी भांड/स्व. श्री लादूराम कुम्हारी दरवाजा, नागौर	5000
6.	श्रीमती कामनी देवी/स्व. श्री सुमानाराम बावरी	10,000
7.	श्रीमती राजू/स्व. श्री मांगी लाल मेघवाल मु. पो. रूपपुरा, तहसील नावां	5000
8.	श्रीमती अनिसा/स्व. राज मोहम्मद मौहल्ला वार्ड नं. 11, कुचामन सिटी	5000
9.	श्रीमती धनी देवी/ स्व. श्री नेमीचन्द मु. पो. भाणा, तहसील नागौर	5000
	योग	50,000

(अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र)

परिशिष्ट ''क''

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–468 का विवरण)

जिला जालौर में विधान सभा क्षेत्रवार विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों (संख्या) का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	जालौर जिले के विधान सभा क्षेत्र					कुल योग	विशेष विवरण
		जालौर	आहौर	भीनमाल	रानीवाड़ा	सांचौर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**वृद्ध कल्याण**							
(अ)	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5534	5344	1087	4954	3686	20605	
(ब)	राज्य वृद्धावस्था पेंशन	237	99	107	243	171	857	
(स)	डे केयर सेन्टर	–	–	–	–	–	–	जिला जालौर में 2001–2002 में एक केन्द्र स्वीकृत किन्तु अभी प्रारम्भ नहीं
2.	**विकलांग कल्याण**							
(अ)	विकलांग सहायता	28	63	67	62	31	251	
(ब)	विकलांग छात्रवृति	226	228	170	201	215	1040	
(स)	विकलांग चिन्हीकरण	420	748	750	228	470	2625	
(द)	विकलांग विवाह	–	–	2	–	–	2	
(य)	विकलांग पेंशन	732	347	427	573	419	2498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**विधवा सहायता**							
(अ)	विधवा पेंशन	1060	924	551	986	759	4280	
(ब)	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता	4	2	3	1	–	10	10 विधवाओं की 14 पुत्रियों की शादी हेतु सहायता प्रदान की गई
4.	**आश्रितम गृह**	–	–	–	–	–	–	
5.	**मदर टेरेसा महिला सदन**	–	–	–	–	–	–	
6.	**गाड़िया लोहारों को आवास योजना**	–	–	–	–	–	–	
7.	**क्षतिपूर्ति (नागरिक सुरक्षा हेतु सहायता)**							
(अ)	हत्या	–	1	–	–	–	1	
(ब)	बलात्कार	–	–	–	1	–	1	
8.	**पुरस्कार योजना**							
(अ)	विकलांगों के क्षेत्र में	–	–	–	–	–	–	
(ब)	महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में	–	–	–	–	–	–	

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्तर पर संचालित योजनाएं

जिला जालौर की योजनावार लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2001-2002

योजना का नाम		विधान सभा क्षेत्र का नाम					
		आहौर	जालौर	भीनमाल	सांचौर	रानीवाड़ा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ.	स्वच्छकार योजना						
	1. बैंकिंग योजना						
	लक्ष्य	–	–	10	2	5	17
	उपलब्धि	–	–	7	–	–	7
	2. कियोस्क योजना						
	लक्ष्य	–	–	–	5	–	5
	उपलब्धि	–	–	–	5	–	5
ब.	अनुसूचित जाति कल्याण योजनाएं						
	लक्ष्य	249	347	484	299	326	1705
	उपलब्धि	167	269	406	189	262	1293
स.	जनजाति स्वरोजगार योजना						
	लक्ष्य	49	70	52	47	48	266
	उपलब्धि	10	10	11	05	13	49
द.	राष्ट्रीय निगम योजनान्तर्गत						
	1. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग हेतु						
	लक्ष्य	–	6	–	–	–	–
	उपलब्धि	–	–	3	–	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	विकलांग वर्ग हेतु						
		लक्ष्य	विकलांगों के लिए लक्ष्यों का आबंटन नहीं किया जाता है अपितु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद को भिजवाकर स्वीकृति प्राप्त की जाती है।				
	उपलब्धि	3	3	4	3	2	15
3.	अल्पसंख्यक हेतु						
		राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. का पृथक से गठन हो चुका है। जिला जालौर हेतु कोई लक्ष्य प्रदत्त नहीं।					
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग						
		जिले को स्वरोजगार हेतु 7 का लक्ष्य आबंटित किया गया है प्रचार प्रसार के उपरान्त 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से 2 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है वितरण अब किया जावेगा जो निम्न है :-					
		आहौर	**जालौर**	**भीनमाल**	**सांचौर**	**रानीवाड़ा**	**योग**
		–	–	1	1	–	2
5.	सफाई कर्मचारी वर्ग हेतु						
	लक्ष्य	–	15				
	उपलब्धि	–	–				

(राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में जिलेवार लक्ष्य आबंटित किये जाते हैं)

परिशिष्ट -13

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-472 की सूची)

दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजनार्न्तगत लाभान्वित लोगों की संख्या की सूची जनवरी, 1999 से 28.02.2002 तक

क्र. सं.	नाम शाखा	शाखा में समितियों की संख्या	समितियों के लाभांवित लोगों की संख्या
(1)	श्रीगंगानगर	35	6840
(2)	सादुलपुर	13	3115
(3)	श्रीकरणपुर	19	1999
(4)	सूरतगढ़	20	5448
(5)	गजसिंहपुर	11	1691
(6)	केसरीसिंहपुर	13	2494
(7)	नेतेवाला	11	2748
(8)	रिड़मलसर	08	2262
(9)	लालगढ़	06	1711
(10)	राजियासर	09	4721
(11)	पदमपुर	23	2889
(12)	चुनावढ़	07	1218
(13)	रायसिंहनगर	26	4667
(14)	अनूपगढ़	20	2765
(15)	विजयनगर	17	2692
(16)	घड़साना	19	2328
(17)	जैतसर	10	1361
(18)	रामेजाकोठी	09	2548
(19)	रावला	12	1868
(20)	रामसिंहपुरा	12	1223
	योग	**300**	**56588**

ह०/-
प्रबन्ध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
श्रीगंगानगर।

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-477 की सूची)

निगम द्वारा जिन स्थानों को बस सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है उनके नाम

1. जाडन
2. मारवाड़ जंक्शन
3. बिठोडा कलां
4. आउवा
5. जैतपुरा
6. देवली
7. जाणगुन्दा
8. धनला
9. जोजावर
10. पानोता
11. नयागांव
12. कोट सोलकिया
13. मगरतलाब
14. लापी
15. देसूरी
16. फालना
17. खोरवा
18. नरसिंहपुरा
19. गादाणा
20. रडावास
21. राणावास
22. गुडा सुरसिंह
23. सिरियारी
24. सारण
25. बोरीमादा
26. बिराखण
27. भीम
28. सोजतसिटी
29. नागाबेरी
30. खारिया शोडा
31. दुदोह
32. नाडोल
33. रानी
34. रामपुरा
35. गोदावास
36. बाडसा (बालेला)
37. सूर्यनगर
38. हेमलियावास

निगम द्वारा जिन स्थानों को बस सेवा उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है उनके नाम

1. साली
2. सोसटी
3. कोलर
4. राडसालरा झामुडा
5. गजनीपुरा खिवाड़ा
6. सिवास
7. धोनड़ी
8. निवाल

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-479 की सूची)

गाड़ा ग्रामों की सूची

पंचायत समिति बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

1.	नाथावतों का खेड़ा	20.	चारछा
2.	पाट खुर्द	21.	पीपल्दा
3.	रामपुरिया	22.	बागपुरा
4.	सालरिया	23.	जलसागर
5.	अभयपुर	24.	गढ़वाड़ा
6.	आगझरिया	25.	भाटखेड़ा नया
7.	महेशरा	26.	डोबिया
8.	नाहरगढ़	27.	धर्मदासजी का खेड़ा
9.	बासोठा	28.	देदिया
10.	उल्लूपुरा	29.	जान्दोल्या
11.	उगरजुना	30.	धावड़ा कुड़ी
12.	पपड़रिया	31.	सांगवा
13.	खेड़ा अनोपपुरा	32.	खौराड़िया
14.	अम्बा	33.	घाटी
15.	तलेटी	34.	जाम्बूकुड़ी
16.	देलवालगढ़	35.	कजोड़िया
17.	भचरड़ी	36.	सांया की बड़ी
18.	जावदिया नया	37.	गिरड़िया
19.	फतेहपुर	38.	जावदिया जूना

परिशिष्ट "2"

पंचायत समिति : भैंसरोडगढ़

1. नाहरगढ़
2. सोराकिया
3. सुखपुरा
4. खुमानगंज
5. सूजरकलां
6. नाखेरा
7. सूंजर खुर्द
8. खाजगांव
9. जगपुरा
10. कोड़िया खाल
11. हाजीपुर
12. बालापुरा
13. जावाकलां
14. बाड़ोलिया
15. नीम का खेड़ा
16. कचोलिया
17. सणीता
18. तीन्दवा
19. सांखलों का ढूंढ़ा
20. भालपुरा
21. श्यामपुरा
22. भवानीपुरा
23. उदपुरिया
24. बख्तपुरा
25. श्रीपुरा
26. लोठियाना
27. गोपालपुरा
28. शम्भूपुरा
29. उमरचा
30. जयनगर
31. नगपुरा
32. बागड़मउ खुर्द
33. मण्डेसरा
34. हतोली
35. लोहारिया
36. मोरठकलां
37. बीड़कालाखेत
38. पाड़ाजर खुर्द
39. झालर बावड़ी
40. थमलाव
41. किशोरपुरा
42. बाणा का खेड़ा
43. दीपपुरा
44. मालपुरा
45. कोटड़ा
46. बम्बोरी कलां
47. चेनपुरा
48. सेमलिया
49. एमती
50. गंगा का खेड़ा
51. सारंगपुरा
52. टोडा का खेड़ा
53. चखन
54. झूझला
55. लसाणा
56. चेनपुरा

57.	कुशलगढ़	85.	जसवन्तपुरा
58.	नेली	86.	जगल्या रूपड़ी
59.	पाडलचन्दा	87.	दरीबा
60.	फुटपाल	88.	बस्सी
61.	कोलपुरा	89.	परलाई खुर्द
62.	अजपुरा	90.	भाण्डा कुड़ी
63.	रावतपुरा	91.	लक्ष्मीपुरा
64.	खरणाई	92.	नीमोदा
65.	कृपापुर	93.	गुड़ा खेड़ा
66.	आगरा	94.	अरणिया
67.	औगंदिया	95.	अमरपुरा
68.	राजपुरा	96.	बालागंज
69.	अरेणा कलां	97.	नीमड़ी
70.	दूदी तलाई	98.	खैराट
71.	रातोली	99.	कंवरपुरा
72.	बहेलिया	100.	बखारी
73.	छतरपुरा	101.	मैधपुरा
74.	हलसेड़ा	102.	बावड़ी का खेड़ा
75.	बम्बोरी खुर्द	103.	प्रेमपुरा
76.	धारड़ी	104.	आंवल हेड़ा
77.	करणपुरा	105.	मवादा
78.	धावद खुर्द	106.	चित्तौड़िया
79.	विजयपुरा	107.	रामपुरिया
80.	बन्दा	108.	कांटी
81.	अन्तरालियां	109.	दौतड़ा
82.	उदयपुरिया	110.	पीपल्दा
83.	नारायणपुरा	111.	जावरा खुर्द
84.	तलार		

परिशिष्ट-16

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-481 की सूची)

सितम्बर, 2001 में फील्ड पोस्टिंग से हटाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखे गये अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से पूर्व पदस्थापन कार्यालय	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय
1.	श्री एस.पी. जैन	अधीक्षण अभियन्ता	वृत्त हनुमानगढ़	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री भीमसिंह टांक	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड अजमेर	वृत्त अजमेर
3.	श्री डी.के. गोयल	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड गंगापुर सिटी	मुख्यालय जयपुर
4.	श्री आर.के. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड जयपुर-प्रथम	मुख्यालय जयपुर
5.	श्री यशवन्त आर्य	अधिशासी अभियन्ता	मुख्यालय जयपुर	मुख्यालय जयपुर
6.	श्री नाहरसिंह मीणा	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड उदयपुर	खण्ड उदयपुर
7.	श्री मनोज कुलश्रेष्ठ	सहायता अभियन्ता	उपखण्ड भरतपुर-I	खण्ड भरतपुर
8.	श्री सुभाष चन्द सिंघल	सहायता अभियन्ता	उपखण्ड भरतपुर-II	खण्ड भरतपुर
9.	श्री सुरेश राय माथुर	सहायता अभियन्ता	उपखण्ड सुमेरपुर-II	खण्ड सुमेरपुर
10.	श्री आर.सी. खोईवाल	सहायता अभियन्ता	उपखण्ड भीलवाड़ा	खण्ड चित्तौड़गढ़
11.	श्री पी.सी. कल्ला	सहायता अभियन्ता	उपखण्ड बिलाड़ा	खण्ड जोधपुर-II

परिशिष्ट "ख"

सितम्बर, 2001 में फील्ड पोस्टिंग से हटा कर आदेशों की प्रतीक्षा में रखे गये अधिकारियों का वर्तमान पदस्थापन की सूचना

क्र.सं.	नाम	पद	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री एस.पी.जैन	अधीक्षण अभियन्ता	वृत्त जयपुर
2.	श्री भीमसिंह टांक	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड अजमेर
3.	श्री डी.के.गोयल	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड गंगापुर सिटी
4.	श्री आर.के. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड जयपुर प्रथम
5.	श्री यशवन्त आर्य	अधिशासी अभियन्ता	तकनीकी सहायक, अति. मुख्य अभियन्ता, जोन प्रथम
6.	श्री नाहर सिंह मीणा	अधिशासी अभियन्ता	खण्ड चित्तौड़गढ़
7.	श्री मनोज कुलश्रेष्ठ	सहायता अभियन्ता	उप खण्ड सवाईमाधोपुर (आर.आई.डी.एफ.)
8.	श्री सुभाष चन्द सिंघल	सहायता अभियन्ता	उप खण्ड डीडवाना
9.	श्री सुरेश राय माथुर	सहायता अभियन्ता	उप खण्ड बालोतरा
10.	श्री आर.सी.खोईवाल	सहायता अभियन्ता	उप खण्ड भीलवाड़ा
11.	श्री पी.सी. कल्ला	सहायता अभियन्ता	उप खण्ड बिलाड़ा

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-482 का विवरण)

STATEMENT SHOWING THE RECOVERY
THROUGH LAND REVENUE ACT

S.No.	KUMS NAME	NO.OF CASES	AMOUNT (In Rs.)
1	2	3	4
	DIVISION : AJMER		
1.	AJMER (F&V)	6	77142
2.	BEAWAR	9	543562
3.	BHILWARA	11	104504
4.	BIJAY NAGAR	2	314025
5.	GANGAPUR	2	90407
6.	KEKRI	1	154519
7.	MADANGANJ KISHANGARH	3	32136
8.	MANDALGARH	1	2545
9.	NIWAI	2	79925
10.	TONK	3	68939
11.	UNIYARA	1	6015
	TOTAL	**41**	**1473719**
	DIVISION : ALWAR		
12.	ALWAR	38	12959773
13.	BAYANA	16	306436
14.	BHARATPUR	22	1485050
15.	DEEG	2	75355
16.	KAMA	6	97292
17.	KHAIRTHAL	14	350287
18.	NAGAR	4	96812
	TOTAL	**102**	**15371005**

1	2	3	4
	DIVISION : BIKANER		
19.	BIKANER (GRAIN)	17	954006
20.	BIKANER (W,F&V)	2	84798
21.	LUNKARANSAR	1	76906
22.	SUJANGARH	1	11920
	TOTAL	**21**	**1127630**
	DIVISION : HANUMANGARH		
23.	HANUMANGRH	1	159659
24.	NOHAR	1	36814
25.	SURATGARH	1	15100
	TOTAL	**3**	**211573**
	DIVISION : JAIPUR		
26.	CHAKSU	1	10800
27.	CHOMU	3	545928
28.	DAUSA	81	1501915
29.	JAIPUR (F & V)	33	2404328
30.	JAIPUR (GRAIN)	35	2344671
31.	KISHANGARH RAINWAL	1	70702
32.	KOTPUTLI	26	381829
33.	LALSOT	1	38378
	TOTAL	**181**	**7298551**

1	2	3	4
	DIVISION : JODHPUR		
36.	BALOTRA	3	72225
37.	BHINMAL	11	70726
38.	JALOR	2	117400
39.	JODHPUR (GRAIN)	4	391801
40.	PALI	4	38560
41.	SANCHOR	1	473
42.	SOJAT ROAD	2	123336
43.	SUMERPUR	11	16568466
	TOTAL	**38**	**17382987**
	DIVISION : KOTA		
44.	BARAN	1	13704
45.	BHAWANI MANDI	1	10497
46.	BUNDI	1	62516
47.	CHABRA	2	132855
48.	GANGAPUR CITY	1	4177
49.	ITAWA	1	33590
50	KESHORAIPATAN	3	1421333
51.	KOTA	4	273778
52.	RAMGANJMANDI	18	604929
53.	SAWAI MADHOPUR	3	36267
	TOTAL	**35**	**2593646**
	DIVISION : SIKAR		
54.	DEEDWANA	1	5515
55.	FATEHPUR	4	145005
56.	JHUNJHUNU	1	54538

1	2	3	4
57.	MERTA CITY	2	234404
58.	NAGOUR	2	143464
59.	NAVALGARH	6	252172
60.	SIKAR	1	60803
61.	SRI MADHOPUR	3	48177
	TOTAL	**20**	**944078**
	DIVISION : SRI GANGANAGAR		
62.	JAITSAR	1	4500
63.	SRI GANGANAGAR (GRAIN)	1	118750
	TOTAL	**2**	**123250**
	DIVISION : UDAIPUR		
64.	AABU ROAD	20	916669
65.	BANSWARA	1	472713
66.	BARISADARI	3	93722
67.	BEGU	1	7800
68.	CHITTORGARH	2	87790
69.	FATEHNAGAR	1	5376
70.	NIMBAHERA	1	38244
71.	PRATAPGARH	2	48242
72.	UDAIPUR	10	1853983
	TOTAL	**41**	**3524539**
	GRAND TOTAL	**484**	**50050978**

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-483 का विवरण)

राज्य की मण्डी समितियों में निर्मित कैंटीन भवनों एवं उनके आबंटन सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	मण्डी का नाम	मण्डी प्रांगण मुख्य/गौण मण्डी	कैंटीन भवन आबंटित है/नहीं	आबंटन नहीं होने के कारण	अब कब तक आबंटन कर दिया जावेगा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मालपुरा	मु.म.	है	–	–	बैंक को
2.	ब्यावर	मु.म.	है	–	–	ग्राफेड का गोदाम
3.	विजयनगर	मु.म.	है	–	–	–
		गौ.म. गुलाबपुरा	नहीं	दि. 24.1.2002 को रिक्त हुआ	प्रयास जारी	
4.	भीलवाड़ा	मु.म.	है	–	–	–
		गौ.म. फ.स.	है	–	–	–
5.	केकड़ी	मु.म.	है	–	–	–
6.	निवाई	मु.म.	है	–	–	व्यापार हेतु-व्यवसायी को
7.	उनियारा	मु.म.	है	–	–	–
8.	किशनगढ़	मु.म.	नहीं	उपयुक्त स्थान पर न होना	कोई इच्छुक नहीं	–
9.	कुचामन सिटी	मु.म.	है	–	–	पोस्ट आफिस को आबंटित
10.	मेड़तासिटी	मु.म.	है	–	–	–
11.	नागौर	मु.म.	है	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
12.	सीकर	मु.म.	है	–	–	–
13.	हनुमानगढ़	मु.म.	है	–	–	–
		गौ.म. टाउन	नहीं	अभी रिक्त हुई है	मरम्मत पश्चात् आबंटन	–
14.	संगरिया	मु.म.	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	प्रयास जारी	–
15.	रावतसर	मु.म.	है	–	–	–
16.	नोहर	मु.म.	है	–	–	–
17.	बांसवाड़ा	मु.म.	है	–	–	जि.ग्रा.वि. अभिकरण को अस्थाई आबंटन
18.	फतहनगर	मु.म.	है	–	–	–
19.	निम्बाहेड़ा	मु.म.	है	–	–	न्यायालय में विचाराधीन
20.	प्रतापगढ़	मु.म.	है	–	–	–
21.	उदयपुर	मु.म.	है	–	–	–
22.	बयाना	मु.म.	है	–	–	–
23.	भरतपुर	गौ.म. अटलवन	है	–	–	–
24.	धौलपुर	गौ.म. बाड़ी	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	प्रयास जारी	–
25.	खेड़ली	मु.म.	है	–	–	स.अ.रा.रा.कृ.वि. बोर्ड को आबंटित
26.	नदबई	मु.म.	नहीं	–	–	गोदाम हेतु आबंटन की कार्यवाही जारी

1	2	3	4	5	6	7
27.	जयपुर अनाज	मु.म.	है	–	–	दूरसंचार विभाग को आबंटित
28.	श्रीगंगानगर अनाज	मु.म.	है	–	–	–
29.	पदमपुर	मु.म.	है	–	–	–
30.	रायसिंहनगर	मु.म.	है	–	–	–
31.	अनूपगढ़	मु.म.	नहीं	दि. 31.10.2001 को रिक्त हुई	मरम्मत पश्चात् आबंटन	–
32.	रावला	मु.म.	है	–	–	–
33.	बीकानेर अनाज	मु.म.	है	–	–	–
34.	बीकानेर फ.स.उ.	मु.म.	है	–	–	–
35.	कोटा	मु.म.	है	–	–	बैंक को
36.	रामगंजमण्डी	मु.म.	है	–	–	–
37.	झालरापाटन	मु.म.	है	–	–	–
38.	बूंदी	मु.म.	है	–	–	–
39.	गंगापुर सिटी	मु.म.	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	प्रयास जारी	–
40.	बारां	मु.म.	है	–	–	–
41.	भवानीमण्डी	मु.म.	है	–	–	–
42.	छबड़ा	मु.म.	है	–	–	–
43.	जोधपुर अनाज	मु.म.	है	–	–	–
		गौ.म. भगत की कोठी	है	–	–	–
44.	जोधपुर फ.स.	गौ.म. पावटा	है	–	–	–
45.	बिलाड़ा	मु.म.	है	–	–	–

1 2	3	4	5	6	7
46. बाड़मेर	मु.म.	है	–	–	–
47. बालोतरा	मु.म.	है	–	–	–
48. जैसलमेर	मु.म.	नहीं	व्यापार स्थानान्तरण नहीं	व्यापार स्थानान्तरण पश्चात्	–
49. पाली	मु.म.	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	प्रयास जारी	–
50. सुमेरपुर	मु.म.	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	प्रयास जारी	–
	गौ.म. शिवगंज	है	–	–	–
51. सोजत रोड	मु.म.	नहीं	कोई इच्छुक नहीं	वाणिज्य व्यवसाय उपयोग की कार्यवाही जारी	–
52. रानी	मु.म.	है	–	–	आवासीय भवन में परिवर्तित
53. भीनमाल	मु.म.	है	–	–	भू–संरक्षण विभाग को आबंटित

2152
राजस्थान विधान सभा
पुस्तकालय, जयपुर